नवम्बर सभा, खंड 13, अंक 3

बुधवार, 2 जनवरी, 1991
12 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)



(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जावेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जावेगा ।]

विषय–सूची

नवम माला, खंड 13 छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 3 बुधवार, 2 जनवरी, 1991/12 पौष, 1912 (शक)

विषय			पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	....		1—2
केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में	...	...	3—6 7—19 388—399
नौरू गणतंत्र के प्रेसीडेंट का स्वागत			7
प्रश्नों के लिखित उत्तर	....	...	20—388
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82 से 100	...	...	20—101
अतारांकित प्रश्न संख्या : 924 से 1129, 1131 से 1154 1154क और 1154ख	....	....	101—388
सभा पटल पर रखे गए पत्र		....	399—406
राज्य सभा से सन्देश		...	406
भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया		....	407
प्राक्कलन समिति तेरहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		....	407
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति सातवां प्रतिवेदन	....	...	407
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति दूसरा प्रतिवेदन	....		407
मंत्री द्वारा वक्तव्य	...	...	408

			पृष्ठ
संसद सदस्यों की अनुशंसा पर दिए जाने वाले रसोई गैस के प्राथमिकता कोटे में वृद्धि किया जाना श्री सत्य प्रकाश मालवीय	....	...	408
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	....	....	**408—421**
तारांकित प्रश्न संख्या 24 से संबंधित पूरक प्रश्नों का 28 दिसम्बर, 1990 को उत्तर देते हुए वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा की गई टिप्पणियां प्रो० मधु दण्डवते	....	....	
नियम 377 के अधीन मामले	....	...	**421—425**
(एक) तमिलनाडु से होकर जाने वाले त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रख रखाव की मांग श्री एन० डेनिस	....	...	421—422
(दो) अरुणाचल प्रदेश के लिए वायुदूत सेवाएं पूर्ववर्ती सारणी के अनुसार पुनःआरम्भ किये जाने की मांग श्री लेइता अम्बरी	....		422
(तीन) नैचुरो-इलैक्ट्रो-होम्यो मैडिकोज आफ इण्डिया लिमिटेड को संरक्षण प्रदान करने और देश में इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये जाने की मांग श्री जगन्नाथ सिंह	....	....	422—423
(चार) दिल्ली से कोटद्वार के लिए एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने तथा कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग श्री सी० एम० नेगी	....	....	423
(पांच) गोपालपुर पत्तन से उड़ीसा के गंजम जिले के भीतरी भागों तक रेल लाइन का निर्माण किये जाने की मांग श्री ए० एन०सिंह देव	...	...	423
(छः) केरल में कासर गौड से त्रिवेन्द्रम तक पर्वतीय राजमार्ग बनाए जाने की मांग श्री एम० रमन्ना राय	...	....	423—424
(सात) पुनपुन दर्भा परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	....	...	424

पृष्ठ

(आठ) श्रीलंका से नारियल का तेल आयात करने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की मांग
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ... . 424—425

गोवा राज्य के संबंध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प ... . 425—443

श्री सुबोध कान्त सहाय .... 425—426
प्रो० राम गणेश कापसे ... . 427—428
श्री सन्तोष मोहन देव .... 428—431
श्री सुदर्शन राय चौधरी ... . 431—433
श्री प्यारे लाल हान्डू .... 433—434
श्री गोपालराव मायकर ... . 434—436
श्री उत्तम राठौड़ 436
श्री नन्दू थापा 437
प्रो० एन० जी० रंगा 437
श्री तेज नारायण सिंह .... 437—438
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा .... 438—439
प्रो० प्रेम कुमार धूमाल .... 439—441

नियम 193 के अधीन चर्चा 443—470

देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि
श्री वसुदेव आचार्य .... 443—448
श्री अजीत पांजा .... 448—455
श्री जनार्दन यादव ... . 455—457
श्री भोगेन्द्र झा .... 457—460
डा० देवी प्रसाद पाल .... 460—463
श्री चित्त बसु ... . 463—466
श्री बुलाब चन्द कटारिया .... 466—469

लोक सभा

बुधवार, 2 जनवरी, 1991/12 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री पी० आर० ठाकुर तथा ए० कवीचूसा के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री पी० आर० ठाकुर 1967-70 के दौरान पश्चिम बंगाल में नवाद्वीप निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोकसभा के सदस्य थे। इससे पहले 1946-50 के दौरान वे संविधान सभा के सदस्य थे। 1957 में और फिर 1962 में उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुना गया। विभाजन से पूर्व 1937 में और फिर 1945 में उन्हें तत्कालीन बंगाल विधानसभा का सदस्य चुना गया।

श्री ठाकुर एक कुशल प्रशासक थे और वह 1962-63 में राज्य की मंत्रिपरिषद् के सदस्य रहे।

उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा समाज के दलित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने पूर्व बंगाल से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक कालोनी बनाई। वे बंगाल राहत सोसायटी के अध्यक्ष थे।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की तथा उन्होंने समाज का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों में शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली।

श्री ठाकुर का 86 वर्ष की आयु में 28 दिसम्बर, 1990 को निधन हो गया।

श्री ए० कवीचूसा नागालैंड राज्य से 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री कवीचूसा एक कृषक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने राज्य के विकास संबंधी कार्यों में गहरी रुचि ली और उन्होंने अपने राज्य की जनता की समस्याओं को सदन में उठाया।

लोकसभा के लिए अपने निर्वाचन से पहले वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे।

श्री कवीचूसा का काफी लम्बी बीमारी के बाद 87 वर्ष की आयु में 28 दिसम्बर, 1990 को दीमापुर में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सदन की ओर से मैं शोकग्रस्त परिवारों के प्रति सवेदना व्यक्त करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होगी।

[तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, क्या आज प्रश्नकाल हो सकता है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, यह प्रश्नकाल ही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम प्रश्न काल की कार्यवाही कैसे शुरू कर सकते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान ग्रहण करें। अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

11.06 ब० प०

केन्द्रीय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : क्या यह एक संसदीय लोकतंत्र है ? (व्यवधान) मन्त्री ने अध्यक्ष को धमकी दी है ।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा स्पीकर को धमकी दी गई है । इस हालत में क्वश्चयन आवर कैसे चल सकता है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

[अनुवाद]

अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करेंगे ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिये । (व्यवधान) प्रश्नकाल कैसे हो सकता है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने प्रीवीलेज मोशन दिया था, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रधानमन्त्री को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, अपनी सीट पर जाइए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री आएं और स्पष्टीकरण दें। ऐसा मंत्रि परिषद् में कैसे रह सकता है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष खड़े हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामेश्वर प्रसाद जी, कृपया बैठ जाइए। श्री आचार्य जी, आप भी बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, जब स्पीकर खड़े हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने इससे सम्बन्धित सभी स्थगन प्रस्तावों और विशेषाधिकार प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने पूरे सदन का और पूरे देश का अपमान किया है। उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह मामला मुझसे सम्बन्धित है, इसलिए मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे पर जोर न दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे पर जोर न दें। इससे सम्बन्धित सभी प्रस्तावों को मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें मंत्रिपरिषद् में नहीं रहने देना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह के समाचारों ने न केवल विपक्ष अपितु सदन के सभी सदस्य परेशान हैं जिसमें कहा गया है कि एक माननीय ससद सदस्य एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य ने अध्यक्ष महोदय को गिरफ्तार करने की धमकी दी है··· **(व्यवधान)**···यह किसी दल का मुद्दा नहीं है और न ही यह मुद्दा विपक्ष और सरकार के बीच का है। यह ऐसा मुद्दा है जो सभी दलगत मामलों से ऊपर है और यदि इस रिपोर्ट में किंचित मात्र भी सचाई है तो अवश्य ही सभा के लिए गम्भीर मामला है। श्री रवि राय से सम्बन्धित यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह पूरे सदन के सम्मान का प्रश्न है और अध्यक्ष का सम्मान पूरे सदन का सम्मान है। समाचारों में यह भी बताया गया है कि प्रधान मन्त्री आपके पास आए या आपसे मिले और क्षमा मांगी जो एक प्रधानमन्त्री के लिए उचित है। किन्तु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक सदन को सभी तथ्यों की जानकारी न दे दी जाए तब तक इस मामले को समाप्त न किया जाए। हो सकता है कि समाचार सही न हो। सभी तथ्यों का पता लगाया जाना चाहिए और उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। महोदय, मेरा ऐसा विचार है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, विश्वास रखिए कि विपक्ष में से कोई भी इसे सरकार के साथ टकराव का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। केवल यह टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं है कि चूंकि यह मामला आप से सम्बन्धित है इसलिये आप नहीं चाहेंगे कि हम इस मुद्दे को उठाएं। महोदय, आपने इस मुद्दे के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाई है वह उचित है। आप अध्यक्ष हैं और पीठासीन अधिकारी हैं आपको किसी भी शर्मनाक स्थिति में नहीं डाला जा सकता। मैंने डा० स्वामी के विरुद्ध नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है और मैंने यह कहा है कि आपके व्यवहारपर चर्चा नहीं की जाएगी। हम सदन में अध्यक्ष के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकते। यह भी हो सकता है कि समाचार गलत हों और मैंने कहा है कि आप प्रकाशित समाचार की सत्यता की जांच कर सकते हैं, इसमें तीन पहलू हैं जिनकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूं। समाचार से यह पता चला है कि वह आपके पास आए और आपसे कहा कि जिन सदस्यों को अयोग्यता सम्बन्धी नोटिस दिए गए हैं उनका उत्तर देने के लिए समय बढाया जाए और आपने यह कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इस विषय में आगे तीन मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं। पहले, अयोग्यता के बारे में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को कुछ लेना-देना नहीं है। जहां तक अयोग्यता का प्रश्न है, संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 और 7 के अनुसार यह स्पष्ट है कि अयोग्यता सम्बन्धी अध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम है।

दूसरे, पैरा 7 में यह कहा गया है कि जहां तक अयोग्यता के मुद्दे का प्रश्न है, किसी भी अदालत को इस सम्बन्ध में अधिकार नहीं है। इसलिये आपका निर्णय अंतिम है। संविधान की अवज्ञा की जा रही है और यह संविधान का अपमान है। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। यदि आपने अपने विवेक से यह निर्णय लिया है कि समय-सीमा बढ़ाई जाए, तो यह अलग बात है। किन्तु आपको कोई धमकी नहीं दे सकता। सभी को अनुरोध करने का अधिकार है। सदन का नेता समय बढ़ाने के लिये आप से निवेदन कर सकता है क्योंकि कुछ सदस्य अभी तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाये हैं। यह आपके व्यवहार का प्रश्न नहीं है कि हम इस विशेषाधिकार प्रस्ताव के द्वारा चर्चा करना चाहते हैं। मैंने यह बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है।

जहां तक डा० स्वामी का प्रश्न है, सबसे पहले तो इस सदन की जानबूझकर अपमानना तथा अध्यक्ष का अपमान है और संविधान की अवमानना है। जहां तक दसवीं अनुसूची का सम्बन्ध है इसकी पूर्ण रूप से अवज्ञा की गई है। इसलिए आपको किसी भी समय इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को सुनना चाहिए और इस पर अपना निर्णय देना चाहिए। मेरे विचार में, अन्य कोई तरीका नहीं है। मैं यह उद्धरण देकर बैठता हूं।

चार्ल्स-I के राज्य में, राजा कुछ विशेष व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए हाउस ऑफ कामन्स आए और बोले, "अध्यक्ष महोदय, मैं इन चार व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहता हूं।" अध्यक्ष बोले, "महामहिम, मैं इस सदन का परिचर हूं। मैं इस सदन की आंखों से देखता हूं और इस सदन के कानों से सुनता हूं और मैं इस सदन का परिचर हूं। महामहिम, मैं आपकी बात नहीं मान सकता।" वे चले गए और हाऊस ऑफ कामन्स के दोनों पक्षों के सदस्यों ने महामहिम के विरुद्ध नारे लगाए, "महामहिम, विशेषाधिकार का उल्लंघन, विशेषाधिकार का उल्लंघन।" राजा सेना के साथ आया किन्तु उसे बाहर जाना पड़ा। अध्यक्ष ने इस प्रकार अपनी गरिमा दर्शाई।

यह श्री रवि राय का प्रश्न नहीं है। यह उस स्थान का प्रश्न है जिस पर आप बैठे हुए हैं और यह सदन के सम्मान का प्रश्न है। आपको कोई सदस्य धमकी नहीं दे सकता। यहां तक कि जब राजा ने अध्यक्ष को चुनौती दी थी तो उन्हें भी सदन से बाहर निकाल दिया गया था। मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही रवैया अपनाएं और विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करें। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम नहीं जानते कि समाचारों में क्या छपा है। हम नहीं जानते कि उन्होंने सही रिपोर्ट दी है या नहीं। किन्तु यह स्पष्ट है, और यह सत्य है कि सम्पूर्ण सदन प्रेस की रिपोर्ट से उत्तेजित है। यदि यह सच है तो अपराध की गम्भीरता और भी अधिक है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि यह केवल अध्यक्ष का अपमान नहीं है। अध्यक्ष, सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह अपमान सारे सदन का हुआ है और सदन के द्वारा पूरे देश का····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मैं अन्य विषय पर हूं।

11.18 म० पू०

नौरू गणतन्त्र के प्रेसीडेन्ट का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, नौरू गणतन्त्र के प्रेसीडेन्ट, महामहिम श्री बरनार्ड दोवीयोगो उस समय भारत की राजकीय यात्रा पर आये हुए हैं।

सदन को सूचित करते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है कि नौरू गणतन्त्र के प्रेसीडेंट महामहिम श्री बरनार्ड दोवीयोगो इस समय सदन की कार्यवाही देखने के लिये सभा के विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री बरनार्ड दोवीयोगो का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने देश में उनकी सुखद और सफल यात्रा की कामना करते हैं और नौरू गणतन्त्र की संसद तथा वहां की जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

11.19 म. पू.

केन्द्रीय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में—(जारी)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक बनने योग्य नहीं है जो अध्यक्ष को धमकी देता है। संविधान जलाने के लिये एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह तो संविधान जलाने से भी बुरी बात है। इस प्रकार अध्यक्ष को धमकी देना एक गम्भीर मामला है। यदि रिपोर्ट सच है तो इससे देश का अपमान होता है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है। ऐसी स्थिति में कम से कम दण्ड यही है कि उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिये। यदि प्रधानमन्त्री महोदय यदि तथ्य नहीं बतायेंगे अथवा तथ्यों को स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम इस ढंग से सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम यहां संसदीय लोकतन्त्र में सुधार करने के लिये हैं हम किसी को संसदीय लोकतन्त्र की अवहेलना तथा संविधान में गड़बड़ नहीं करने देंगे। इसलिये हमारा आप से अनुरोध है कि इस विषय पर पूरी चर्चा की जाए तथा प्रधानमन्त्री महोदय पूरी जानकारी दें ताकि हमें विश्वास में लिया जा सके और हम यह निर्णय कर सकें कि उस विशेष व्यक्ति के बारे में किया जाना चाहिए।

मेरा आप से यही अनुरोध है। मैं चाहता हूं कि आप प्रधान मन्त्री महोदय से तत्काल तथ्यों को प्रस्तुत करने तथा उन्हें स्पष्ट करने का अनुरोध करें।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल अध्यक्ष से ही नहीं बल्कि सभा से भी है। इस मुद्दे में संविधान से संबंधित प्रश्न भी समाहित है। जिस तरीके से यह समाचार प्रकाशित हुआ है उसके बारे में यह नहीं बताया गया है कि क्या यह सही है अथवा नहीं। परन्तु पूरा देश इससे परेशान है। यहां तक कि चार्ल्स प्रथम ने भी जिसका सिर उड़ा दिया गया था, अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की थी।

इसलिये यदि सुब्रह्मण्यम स्वामी की अध्यक्ष के विरुद्ध की गई टिप्पणी सच है तो उनका आचरण विवादास्पद है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमन्त्री महोदय केवल उन्हें मंत्रिमण्डल से बर्खास्त करने के बारे में ही नहीं उन्हें गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में भी एक वक्तव्य दें। यह केवल अध्यक्ष महोदय श्री रविराय के ही हित में नहीं बल्कि संविधान और संसदीय लोकतन्त्र के भी हित में है।

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं। आपके चैम्बर में आपके साथ डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री सत्य प्रकाश मालवीय के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, उसका पूरा ब्यौरा इस सदन के सामने रखेंगे क्योंकि यह सदन की मर्यादा का मामला है और आप तो इस सदन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उसकी मान मर्यादा का मामला है।

(2) प्रधानमंत्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य देंगे, इसके पहले मैं चाहता हूं कि तीनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, वह सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिये।

(3) मैंने पहले ही इस बात का अब्जेक्शन किया था कि जिस आदमी की इस देश की सीमाओं के बाहर संबंध और लायलटीज हों, ऐसे आदमी को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है।

इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये।

[अनुवाद]

उन्हें देशद्रोह और अध्यक्ष के अपमान के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

इनके जो इजरायल और अमेरिका के साथ सम्बन्ध है, उसके, बारे में इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिये और मंत्रिमन्डल में से बाहर करना चाहिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : यह एक आरोप है। उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु। मालिनी जी, आप बैठ जायें। अभी हरीश रावत को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : हम सच्चाई जानना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, हम सब परेशान हैं इस प्रश्न का संबंध श्री रवि-राय अथवा किसी अन्य व्यक्ति से नहीं है बल्कि अध्यक्ष से है।

महोदय, आप सभा के अध्यक्ष के रूप में सभा की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री स्वामी द्वारा की गयी टिप्पणियां, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। अध्यक्ष पद पर सीधा प्रहार है। सभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष पद पर प्रहार करने का अधिकार नहीं है फिर मंत्रिमंडल के सदस्य की तो हैसियत ही क्या है। इसलिए उन्होंने सभा के सदस्य के रूप में मूल आचरण का उल्लंघन किया है।

दूसरे, आप इस सभा के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। मैं इस सभा का साधारण गैर-सरकारी सदस्य हूं। मेरे अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा हमेशा आपके द्वारा होती है। इस प्रकार अध्यक्ष पद प्रहार करने का मतलब सभा के अपमान से है। यह विशेषाधिकार के हनन का स्पष्ट मामला है। इसलिए एक प्रस्ताव लाया गया है आपको इनके संबंध में प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

अन्त में, हमारे यहां एक ऐसा मंत्रिमंडल बनाया गया है जिसमें दल बदलू है। इस मंत्रि-मंडल में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनका आचारण इस सभा के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है। मुझे आशा है कि, प्रधानमंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। **(व्यवधान)**

महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके और श्री सत्यप्रकाश मालवीय, जो संसदीय कार्यमंत्री हैं, के बीच जो बातचीत हुई है वह हमें चलनी चाहिए।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : माननीय नहीं, सिद्धांतहीन मंत्री हैं।

श्री चित्त बसु : कुछ समय के लिए वह माननीय है। **(व्यवधान)**

वह अभी सभा के माननीय सदस्य है। श्री सत्यप्रकाश मालवीय के साथ जो बातचीत हुई है उसे इस सभा को बताया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों का सर्वोच्च प्रतिनिधि मंच है। मेरे विचार से इसमें मन्त्री महोदय का आचारण, सभा के अधिकार और विशेषाधिकार तथा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा

और प्राधिकार सम्मिलित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन विवरणों को सभा के समक्ष रखा जाए।

अन्त में, ऐसी प्रकृति के व्यक्ति को मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। उसे तत्काल मन्त्रिमण्डल से निष्कासित किया जाना चाहिए। क्योंकि उसने किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि समूची सभा के विरुद्ध अपराध किया है। इसलिए प्रधानमन्त्री महोदय को निर्णय करना चाहिए कि उन्हें इस मामले में क्या कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : इस विषय पर बड़ी गरमागरमी हो रही है। प्रधान मन्त्री के साथ-साथ श्री सुब्रह्मण्यम तथा श्री मालवीय यहां उपस्थित हैं। मेरे विचार से आप उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। (व्यवधान) उसके बाद आप अपने चैम्बर में सभी पार्टियों के नेताओं को बुला लें।

मैं भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसलिए उन्हें अवसर देने के बाद आप उन्हें अपने चैम्बर में बुलाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : अपराधी के बचाने की बात मत करिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर ने संसद के कार्यकरण और लोकतंत्र के भविष्य के सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। यह विश्वास करना कठिन है कि मंत्रिमण्डल का कोई जिम्मेवार सदस्य ऐसा वक्तव्य दे जैसा कि समाचार में बताया गया है। यह भी विश्वास करना कठिन है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसे स्तरीय समाचार पत्र में ऐसे समाचार प्रकाशित हों। अध्यक्ष महोदय, सदन को सच्चाई जानने का अधिकार है। प्रधान मन्त्री का इस सम्बन्ध में बोलना ही पर्याप्त नहीं है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यहां पर हैं। मेरे विचार में प्रधानमन्त्री के साथ ही उन्हें भी बोलना चाहिये।

अन्त में मुझे एक बात कहनी है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अध्यक्ष सदन के प्रतिष्ठा का प्रतीक है और वास्तव में वह राष्ट्र के प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस पद पर किसी भी तरह के आघात के गंभीर परिणाम होंगे। (व्यवधान) इसलिये सदन से हमारा यह निवेदन है कि इस मामले पर कोई निर्णय देने पूर्व हमें पहले सच्चाई को जान लेना चाहिये। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, हमें समाचार देख कर इसलिये बेहद दुख हुआ क्योंकि केन्द्रीय मन्त्री ने आपको गिरफ्तार कराने की धमकी दी है और यह समाचार, समाचार

पत्र में मुख्य शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया । वास्तव में हमें यह ठीक से पता नहीं है कि यह समाचार कहां तक सच है, और इसमें आपको और बाद में डा० स्वामी और मालवीय को उद्धृत किया है, यह कहां तक सच है यह हमें जानना है । तथ्यों को जानते हुए और विशेषाधिकार प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् आपने उचित निर्णय लिया – लेकिन मेरे विचार में आप इस घटना के समय स्वयं उपस्थित थे – फिर भी आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया है । (व्यवधान) यह समाचार के सच्चाई को दिखाता है । निर्णय से ही यह पता चलता है कि इस समाचार में जो भी है वह एकदम सही नहीं है । श्री मालवीय और डा० सुब्रह्मण्यम दोनों ही यहां उपस्थित हैं । आप भी यहां हैं । यदि आवश्यक हो तो इसकी जांच की जा सकती थी । लेकिन, जब कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आगे जांच की आवश्यकता नहीं है तो मेरे विचार में आगे जांच नहीं करना सदन के हित में होगा । (व्यवधान) सदन की प्रतिष्ठा इसमें है कि इस मामले की आगे छानबीन करके और न बिगाड़ें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जी ।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

श्री समरेन्द्र कुण्डु : मेरा नम्र निवेदन यह है कि मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है । श्री कुमारमंगलम ने जो भी यहां कहा है यदि यह सत्य है और उन्होंने प्रधानमन्त्री के साथ इस बारे में निर्णय कर लिया है—महोदय, चूंकि इस मामले से आप भी जुड़े हैं, इसलिये विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : सर्व प्रथम, ससम्मान, आप केवल सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षक ही नहीं हैं बल्कि सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी आप पर है । इस मन्त्री के निरंकुश व्यवहार····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री समरेन्द्र कुण्डू : कृपया इस मामले के सम्बन्ध में आप स्वयं निर्णय न लें और किसी अन्य को इस पर निर्णय लेने दें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम प्रधानमन्त्री की बात को सुनें । प्रधान मन्त्री सदन के नेता हैं । मैं अब सदन के नेता, प्रधान मन्त्री को बोलने के लिये आमन्त्रित करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य, आप कृपया बैठ जाए । मैंने प्रधानमन्त्री को बोलने के लिये कहा है ।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। मैं जानता हूं कि यदि आपको संसदीय लोकतंत्र में कार्य करना है तो अध्यक्ष पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिये । मैं सदस्यों और देश की जनता को यह आश्वासन देता हूं कि यहां कोई राजा नहीं, यदि नाममात्र का कोई राजा है और उस उसका सिर धड़ से अलग भी कर दिया जाता है, तो भी कोई अध्यक्ष को कोई धमकी नहीं दे सकता । ज्योंही मुझे किसी ने यह बताया ।.... **(व्यवधान)**

श्रीमती सुमाखिनी अली (कानपुर) : वह कौन था ? **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप मानते हैं कि यह सच है । यदि यह सच है तो आपने उन्हें अपने मन्त्रिमण्डल में क्यों शामिल कर रखा है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, उन्हें बोलने दें । प्रधान मन्त्री बोल रहे हैं । आप एक अनुभवी सांसद हैं । कृपया बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वसुदेव जी, जब प्रधानमन्त्री बोल रहे हैं तो उनकी बात सुनें ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जब वे प्रधान मन्त्री से वक्तव्य देने की मांग करते हैं तो उन्हें हमारी सीमाओं को भी जानना चाहिये । मैं वहां पर नहीं था । मैं कैसे कह सकता हूं कि यह सच है या नहीं ? **(व्यवधान)** मैं जो जानता हूं वह मैं बता रहा हूं । मैं वह नहीं कह सकता जो मैं नहीं जानता हूं । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह सच है कि आपने क्षमा याचना की थी ? आपने क्यों क्षमा याचना की ! आपने किस लिए क्षमा याचना की ? **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, कम से कम जितना अधिकार माननीय सदस्यों को है उतना तो मुझे भी है । मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और मुझे भी बोलने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अनादि चरण दास, कृपया बैठ जाएं । प्रधान मन्त्री बोल रहे हैं । क्या आप उन्हें धैर्यपूर्वक सुनेंगे ? निर्मल बाबू कृपया बैठ जाएं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें बताएं कि क्या हुआ । अन्यथा, आपने अध्यक्ष महोदय से क्षमा याचना की ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जी ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनका कहना है कि वे उपस्थित थे। क्या उन्हें अपने मन्त्री से बात करने का समय नहीं मिला है? उन्होंने क्षमा क्यों मांगी? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आपको क्या कहा वह बताइये। (**व्यवधान**)

श्री के० सी० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री जी के जवाब से हम लोग संतुष्ट हैं लेकिन जो आप तीन लोगों के बीच बातचीत हुई है वह सदन का हिस्सा बने।

अध्यक्ष महोदय : सुमाखिनी जी, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

आपने जो भी कुछ कहा है प्रधानमन्त्री ने उस पर ध्यान दिया है। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर सकता हूं कि वे मेरी बात सुनें? मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू, आप उन्हें बोलने दें।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही मुझे पता चला·····(**व्यवधान**)

कृपया मेरी बात सुनें। मुझे अपना वाक्य पूरा करने दें। यह कोई तरीका नहीं है। मैं भी शोर मचा सकता हूं। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से संपर्क करने की कोशिश की, मैं आप से मिला और विशेषकर पूछा कि क्या ऐसी कोई घटना घटी है और तब मुझे यह कहकर आश्वस्त कर दिया गया कि ऐसी कोई गंभीर बात नहीं हुई है और मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। (**व्यवधान**)

जी हां, मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि कोई भी ऐसी बात जिससे अध्यक्ष का अपमान होता हो, उसका अभिप्राय यह है कि उससे इस सदन का भी अपमान होता है तथा यदि किसी भी रूप में अध्यक्ष महोदय ऐसा अनुभव करते हैं कि उनका अपमान किया गया है, तब इसी क्षण मैं कोई भी कार्रवाई करने को तैयार हूं। जब मुझे अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तब मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस पर भी मैंने कहा था "अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई अफवाह भी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं।" अध्यक्ष महोदय, आप इतने उदार हैं कि आप ने यह कहा कि माफी मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तथा इस मामले को इतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए। यही कुछ हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह केवल माफी मांगने का मामला नहीं है। (**व्यवधान**) उन्हें यह बताना है कि वह उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य कैसे बने हुए हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : निर्मल दा, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उनसे कहिए कि वे बतायें कि यह सही है अथवा नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : मालवीय जी को बोलना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मालवीय जी, खड़े हो गए हैं। कृपया उनसे कहें कि वह तथ्य बताएं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के० सी० त्यागी : मालवीय जी जब बोलने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वे इस खबर को कन्ट्रडिक्ट करें कि यह खबर गलत है। तीनों के बीच जो बातचीत हुई है वह सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने, यह हम सब की राय है। यह व्यक्तिगत बातचीत नहीं है। जो खबर छपी है वह सच है या गलत है, हम यह पूछना चाहते हैं। मालवीय जी सदन में इस खबर पर प्रकाश डालें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : आप उदार हैं····(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सीट में जाकर बोलिए, कुन्डू साहब।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : यह सभा की सम्पत्ति है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू : सभा की सीमा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वह आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। वह अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमन्त्री जी ने माफी किस लिए मांगी । यदि कोई आदमी मर्डर कर दे और माफी मांग ले तो क्या वह छूट जाता है । (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप बोलिए कि यह सच है या नहीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री के० सी० त्यागी : हम इस उम्मीद के साथ बैठ रहे हैं कि ये सत्य पर प्रकाश डालेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : जब मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसमें जो समाचार छपा है वह सत्य नहीं है । इसके अतिरिक्त जब प्रधानमन्त्री जी ने वक्तव्य दे दिया है तो उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं है ।....(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : प्रधानमन्त्री ने माफी क्यों मांगी । (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स में जो कुछ छपा है वह सत्य नहीं है, वह सत्य से परे है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं राम विलास पासवान जी को बोलने के लिए बुला रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं कभी-कभी बोलता हूं क्योंकि आप मुझे बोलने की अनुमति ही नहीं देते हैं ।—(व्यवधान)— अध्यक्ष जी, अभी प्रधान मन्त्री जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ने अपना-अपना वक्तव्य दिया । प्रधानमन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने स्पीकर से पूछा कि आपको स्वामी जी की बात से चोट लगी या नहीं और उनकी कही बात से आपको दर्द हुआ या नहीं ? हम जानना चाहते हैं कि इस तरह के कोई शब्द कहे गये या नहीं जिससे चेयर की गरिमा जाती है ? अभी मालवीय जी ने भी इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला । मैं ऐसा समझता हूं कि यह मामला सीधे प्रिवलेज कमेटी को भेजा जाना चाहिए और उसके बाद जो कार्यवाही करनी हो, की जाये । अगर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो साफ-साफ कहना चाहिए कि इस तरह की बात नहीं कही गई है । लेकिन चेयर के ऊपर आक्षेप भी हो और कोई मैम्बर चेयर को इंट्रड भी करे और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर यह कहें कि साहब, आपको चोट पहुंची या नहीं, आपको कोई इससे मिला है या नहीं ? इतना सब होने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर यह कहें कि अखबार में निकली हुई बात गलत है, ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि सही बात क्या है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, समाचारपत्रों में यह खबर छपने से पूर्व ही प्रधान मन्त्री जी को उसके बारे में पता लग गया था । हमें सच्चाई का पता करना चाहिये । यदि वह यह मना

करते हैं कि समाचार-पत्र में छपी खबर गलत है, तब समाचार-पत्र के खिलाफ विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। आपको याद रखना चाहिये कि समाचार-पत्र में प्रकाशित होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री के पास यह समाचार पहुंच गया तथा आप इस बात से इंकार कर रहे हैं कि····(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, मालवीय जी, बेचारे मन्त्री, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं तथा उन्होंने पहले ही यह कहकर कि समाचार पत्र में छपी खबर सही नहीं है आग में और घी डालने का काम किया है। इससे यह मामला और भी जटिल हो गया है। इस समय प्रश्न आपकी प्रतिष्ठा से सम्बन्धित है। इससे हम सब जुड़े हुए हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। इस समय जो बातें यहां पर कही गई हैं, उनसे एक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमन्त्री ने कुछ तसल्ली की बात की थी, परन्तु अब मन्त्री जी ने यह कह कर इसे पूरी तरह से ठप्प कर दिया है कि यह सही नहीं है। संसदीय समिति को इस मामले की जांच करनी चाहिए····(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह इस बात से भी इंकार करते हैं कि प्रधानमन्त्री जी आप से मिले हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर भी छपी है। प्रधानमन्त्री जी ने यह स्वीकार भी किया है कि वह आप से मिले थे तथा वह आप से माफी मांगना चाहते थे। वह उस बात से भी इंकार करते हैं। उनके खिलाफ भी विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए····(व्यवधान)

श्री बसु देव आचार्य : प्रधान मन्त्री जी द्वारा कही गई बात का संसदीय मामलों के मन्त्री ने विरोध किया है····(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन की घोर अवमानना की गई है। यह अवमानना या तो मन्त्री महोदय श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने की है अथवा हिन्दुस्तान टाइम्स ने की है। मुझे आश्चर्य होता है कि न तो सत्तारूढ़ दल में से किसी सदस्य ने और न ही मन्त्री परिषद में से किसी ने इस बात को अस्वीकार किया है। श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने सुझाव दिया है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। उनका यही सुझाव है। यदि वह ठीक कह रहे हैं, तब मेरे विचार से हिन्दुस्तान टाइम्स ने इन विशेष सदस्य महोदय की अवमानना की है यदि आपकी इससे अवमानना हुई है तथा प्रधानमन्त्री जी आप से इसके लिए माफी मांग रहे है केवल यह कह देने से इस प्रकार के मुद्दे को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ है अतएव मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस तरफ के मेरे सहयोगियों द्वारा वस्तुतः किए गए विभिन्न विशेषाधिकार प्रस्तावों के बारे में अपने निर्णय पर पुनः विचार करें तथा उन सभी प्रस्तावों को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें, ताकि यदि हिन्दुस्तान टाइम्स ही दोषी पाया जाता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अन्यथा इस मामले से सम्बन्धित इस सभा के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यदि आपको चोट पहुंची है तथा प्रधानमन्त्री जी आप से माफी मांग रहे हैं, केवल इतना कहकर ही इस मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता। आप बहुत उदार हो सकते हैं तथा इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपके प्रति की गई इस घोर अवमानना को भी आप अनदेखा करना चाहते हैं। परन्तु यह सभा तथा संसद सभा के इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अखबार में निकलने पर प्रधान मन्त्री जी ने आपसे अपोलोजाइज किया कि पहले ही कर लिया ?

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, आप मेरी बात भी सुन सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : निर्णय क्या हुआ जी, इसमें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह एक अत्यन्त विशिष्ट स्थिति है। प्रधान मन्त्री जी कुछ और कहते हैं तथा संसदीय मामला मन्त्री जो कुछ और कहते हैं। हम इस समय दुविधा में हैं। प्रधान मन्त्री जी ने जो कहा है उससे संसदीय कार्य मन्त्री इंकार करते हैं। महोदय, यह एक अत्यन्त विशिष्ट स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मालवीय जी हाउस में जो स्कीम कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है और प्रधान मन्त्री जी आप से माफी मांग रहे हैं इसलिए प्रिवलेज मोशन मालवीय जी के खिलाफ लाना चाहिए क्योंकि यह हाउस को मिसलीड कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा अली : अगर यह सच नहीं है तो सच क्या है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : यदि हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर सच नहीं है, तो प्रधान मंत्री जी ने जो भी हुआ है उसके लिए माफी क्यों मांगी है ? **(व्यवधान)** इस सभा की गरिमा इससे प्रभावित हुई है। आप केवल यह कहकर इसका फैसला नहीं कर सकते कि यह एक विशेषाधिकार हनन सम्बन्धी मामला नहीं है। **(व्यवधान)** यदि यह सही नहीं है तब इस मामले को भी विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : स्पीकर साहब, आप बताएं कि उस दिन क्या हुआ ? आप उस डिसीजन को भी रिव्यू करिए।

श्री मदन लाल खुराना : मालवीय जी जो कह रहे हैं, यह बात सही नहीं है। आप कहें तो मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन यह घटना सही है और हुई है जो हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी है। मुझे

भी आपके आफिस से मालूम पड़ा है और मैं आपके चैम्बर में नाम बता सकता हूं, आपके चैम्बर में मैं नाम लूंगा इसलिए यह घटना सही है। जो मालवीय जी ने कहा है, मैं इसको चुनौती देता हूं। मालवीय जी हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, यह घटना हुई है। मेरा यह कहना है कि केवल सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के खिलाफ ही नहीं, मालवीय जी के खिलाफ भी हाउस को मिसलीड करने के लिए प्रिवलेज मोशन आना चाहिये।

श्रीमती सुभाषिनी अली : प्रधान मंत्री जी ने आप से माफी किस बात की मांगी थी ? क्या वह रोज आप से माफी मांगते हैं, क्योंकि उनके मंत्री ऐसे काम करते रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हम इस मामले पर पूरी चर्चा चाहते हैं, क्योंकि प्रधान मन्त्री द्वारा कही गई बातों को संसदीय कार्य मन्त्री जी ने उलझा दिया है। उन्होंने इसका विरोध किया है। हम इसी समय इस मामले पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। हम तथा यह सभा जानना चाहती है कि एक मन्त्री इस प्रकार से कैसे ऐसा कह सकता है। हम इस बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह इस बात से इन्कार करते हैं कि प्रधानमन्त्री जी आप से मिले थे। वह इस प्रकार से इस बात को नकार रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही कहा है। वह कहते हैं हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार····(व्यवधान) माननीय प्रधानमन्त्री जी कहते हैं कि वह आप से मिले हैं और आप से क्षमायाचना की है तथा संसदीय कार्य मंत्री सभी बातों से इनकार करते हैं। महोदय, हम अभी इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि अखबार में जो कुछ छपा है, उसके अनुसार यह घटना आपके और एक माननीय मन्त्री जी के बीच में हुई....

श्री ज्योति सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय का है का है जो क्रिमिनल एक्ट करता है, वह माननीय घोड़े ही है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमान्, दूसरे माननीय मन्त्री जी भी मौजूद थे। इसमें किसी दूसरे के कहने की या किसी समिति को भेजने का मैं औचित्य इसलिए नहीं समझता, क्योंकि घटना आपके साथ घटित हुई है। इस सदन को आप विश्वास में ले सकते हैं कि आपके····

अध्यक्ष महोदय : मैं तो ले रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन् आपके चैंबर में क्या हुआ, क्या कहा गया, अगर यह सही है, जो कुछ है तो उसकी आपको बेहतर जानकारी है, इसकी जानकारी कोई दूसरी समिति नहीं

कर सकती····श्रीमन् आप इस सदन के अध्यक्ष हैं। इस सदन की कोई समिति के सामने आप गवाह की तरह नहीं जायेंगे। उसमें अगर आपकी तरफ से बता दिया जायेगा कि क्या घटना हुई है? तब ये सदन किसी निष्कर्ष पर आ सकता है। अगर यह जो कुछ अखबार में छपा है वह सही है तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ये सदन की अवमानना है, विशेषाधिकार की अवहेलना है और उस सूरत में जिस किसी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, धमकी की भाषा का प्रयोग किया है तो उनके खिलाफ सदन की नियमावली के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मन्त्री और विपक्ष के नेता तथा अन्य माननीय सदस्यों की बातें सुन लेने के पश्चात्, मैं पुनः एक बार माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे पर जोर न दें। अब हमें सभा की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : श्रीमान् आप उन लोगों को चैम्बर में बुलाकर उनसे बात कीजिए, क्योंकि यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें माननीय मन्त्री महोदय के व्यवहार पर चर्चा करनी चाहिए। हमें संसदीय कार्य मंत्री के आचरण की भी चर्चा करनी चाहिए। माननीय प्रधान मन्त्री जी स्वीकार करते हैं कि वह आप से मिल चुके हैं। लेकिन अपने वक्तव्य में वह इन सब बातों से इनकार करते हैं। वह सभा को गुमराह करने के लिए दोषी हैं····(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस पत्र में एक बुनियादी अन्तर की यह निहित है सभा की गरिमा के लिए हमें यहां आपका संरक्षण प्राप्त है। लेकिन यहां आप भी इस मुद्दे में सम्मिलित हैं, क्योंकि समाचार पत्र की खबरों के अनुसार जब आपने कुछ कहा तो श्री स्वामी जी ने किसी बात पर जोर डाला। इसलिए आप इस मामले में एक पक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री गुमान मल लोढ़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप इस मामले में उलझन महसूस कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप यह काम उपाध्यक्ष महोदय पर छोड़ दीजिए और उन्हें इसका निर्णय करने दीजिए। आप अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं बन सकते हैं। अतः कृपया इस मामले का निर्णय उपाध्यक्ष महोदय को करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करना

[अनुवाद]

*82. श्री के० सी० त्यागी
श्री एम० एस० पाल } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने की दृष्टि से कुछ सरकार कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुछ कार्यालयों को दिल्ली/नई दिल्ली से आस-पास के नगरों, जैसे गाजियाबाद आदि में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिए गाजियाबाद में भूमि प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने और नये कार्यालयों की स्थापना के लिये गाजियाबाद के सेक्टर 19 में 1012 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहित की गई भूमि और इसके वितरण तथा उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

सेक्टर 19 में शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि तथा इसका वितरण/उपयोग के ब्यौरे

सेक्टर 19 गाजियाबाद में 1012.61 एकड़ माप की अधिगृहीत की गई भूमि आबंटित कर दी गई है तथा नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार इसका उपयोग किया जा रहा है :—

वह क्षेत्र जहां पूर्णतः या आंशिक रूप से निर्माण हो गया है

(क) पूर्णतः निर्मित

1	2	3	4
1.	टेली कम्यूनीकेशन प्रशिक्षण केन्द्र	89.30 एकड़ क्षेत्र	निर्मित
2.	विशेष केन्द्रीय विद्यालय	5.90 एकड़	भवन का पहले ही निर्माण हो गया है
3.	नेशनल टेस्ट हाऊस	12.50 एकड़	पहले ही निर्मित
4.	नेशनल टेस्ट हाऊस रिहायशी क्षेत्र	10.00 एकड़	क्वार्टर पहले ही निर्मित

1	2	3	4
		आंशिक रूप से निर्मित या कार्य प्रगति पर है	
1.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालय	35.00 एकड़	12 ब्लाकों में से 2 ब्लाकों का निर्माण पहले ही हो गया है
2.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान	30.00 एकड़	कार्य प्रगति पर है।
3.	स्ट्रक्चुअल इंजीनियरिंग रिसर्च केन्द्र	40.00 एकड़	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4.	पोस्टल स्टाफ कालेज	20.10 एकड़	निर्माण प्रगति पर है।
5.	जनरल पूल के मकान	94.60 एकड़	आंशिक रूप से निर्मित।
6.	स्ट्रक्चुअल इंजीनियरिंग रिसर्च	20.00 एकड़	चाहर दीवारी का निर्माण हो गया है।
		आवंटन कर दिया है लेकिन निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है	
1.	अस्पताल	20.70 एकड़	भूमि खाली पड़ी है।
2.	फर्मा कोपीशियल लैब ऑफ इण्डियन मेडिशियन	6.50 एकड़	आवंटन कर दिया है लेकिन वास्तविक कब्जा अभी नहीं दिया गया है।
3.	सामुदायिक केन्द्र	11.00 एकड़	भूमि खाली पड़ी है।
4.	लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन	450.00 एकड़	खाली।

उपर्युक्त के अलावा 167 एकड़ के लगभग शेष क्षेत्र को आन्तरिक सड़कें आदि, हरित पट्टी नहर आदि जैसी सेवाओं के लिए रखा गया है।

शिक्षा के प्रसार हेतु धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

*83. हरि शंकर महाले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के प्रसार हेतु महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कुछ और धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु निधियां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना परिव्ययों के एक भाग के रूप में बृहद आबंटनों में शामिल होता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए संस्कृति तथा खेल सहित शिक्षा के लिए सातवीं योजना और वार्षिक योजना 1990-91 के लिए परिव्यय नीचे दर्शाये गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	7वीं योजना के परिव्यय	वार्षिक योजना 1990-91 के परिव्यय
महाराष्ट्र	324.38	60.60
मध्य प्रदेश	212.51	165.37

आठवी पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना-परिव्ययों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निधियां आवंटित की जाती हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य अपने-अपने प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की योजनाओं में आवंटन प्राप्त करते हैं। इन राज्यों को किसी प्रकार की विशेष निधियां आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई शिक्षा नीति की समीक्षा

[अनुवाद]

*84. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
श्री सत्य नारायण जटिया } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति की समीक्षा करने का निर्णय कब लिया गया था;

(ख) इस नीति की समीक्षा करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) इस नीति की समीक्षा हेतु क्या प्रक्रिया तथा रूपरेखा तैयार की गई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) सरकार ने 7-5-90 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा के लिये एक समिति गठित की। सरकारी संकल्प की एक प्रति जिसमें इससे सम्बन्धित आवश्यक ब्यौरे हैं विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) समिति ने 26-12-1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

विवरण

(भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

फा० संख्या 1-6/90-पी० एन० (डी०)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई, 1990

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुनरावलोकन के लिए समिति की स्थापना ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में किये गये प्रयासों के बावजूद हमारे देश के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा, जो मानव विकास की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक हैं, से वंचित है । यह भी एक अत्यन्त क्षोभ की बात है कि विश्व के निरक्षरों में से 50% हमारे देश में हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा के स्वीकार्य स्तर से वंचित रह जाते है । सरकार शिक्षा को सर्वोपरि प्राथमिकता देती है—एक मानव अधिकार के रूप में तथा अधिक मानवीय और प्रबुद्ध समाज की ओर अग्रसर होने के एक साधन के रूप में । यह जरूरी है कि शिक्षा को महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्पसंख्याको को समानता का हक प्राप्त कराने का एक प्रभावी साधन बनाया जाए । इसके अतिरिक्त शिक्षा को कार्य तथा रोजगार उन्मुख बनाया जाना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि जो अभिजात्य विकृति हमारी शिक्षा के परिवेश की एक विशेषता बन गई है, उससे शिक्षा को मुक्त किया जाए । शैक्षिक संस्थाएं जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा रूढ़िवाद से अधिकाधिक प्रभावित होती जा रही हैं । इसके विरुद्ध संघर्ष करने पर बल देना और सही समतावादी तथा धर्म निरपेक्ष सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ना आवश्यक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसा ढांचा तैयार हो पाए, जिससे देश शिक्षा के इस परिप्रेक्ष्य की ओर बढ़ सके ।

2. अतः सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनरावलोकन समिति स्थापित करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नानुसार होगा :

1	2	3
1.	आचार्य राममूर्ति, खादीग्राम, जिला-मुंगेर	अध्यक्ष
2.	प्रो० सी० एन० आर० राव निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ।	सदस्य

1	2	3
3.	डा० सुखदेव सिंह भूतपूर्व कुलपति, पंजाब तथा मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	सदस्य
4.	डा० एम० संतप्पा, भूतपूर्व कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय ।	सदस्य
5.	डा० ओवैद सिद्दीकी टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई ।	सदस्य
6.	डा० भास्कर राय चौधुरी, कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता ।	सदस्य
7.	श्री एम० जी० भाट वार्डेकर, भूतपूर्व प्रधानाचार्य महाराजा कालेज जयपुर ।	सदस्य
8.	प्रोफेसर उषा मेहता राजनीति शास्त्रज्ञ और शिक्षक बम्बई ।	सदस्य
9.	प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति संगम जगरलामुड़ी गुंटूर ।	सदस्य
10.	डा० अनिल सद्गोपाल किशोर भारती, होशंगाबाद ।	सदस्य
11.	फादर टी० वी० कुन्नुंत्कल, अध्यक्ष, नेशनल ओपन स्कूल नई दिल्ली ।	सदस्य
12.	प्रोफेसर मृणाल मिरि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग ।	सदस्य

1	2	4
13.	डा० विद्या निवास मिश्र, कुलपति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।	सदस्य
14.	डा० एस० जहूर कासिम कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली ।	सदस्य
15.	श्री वेद व्यास, अध्यक्ष, डी० ए० वी० कालेज प्रबन्ध समिति, नई दिल्ली ।	सदस्य
16.	श्री मनुभाई पंचोली लोक भारती, सणोसरा जिला भावनगर ।	सदस्य
17.	श्री एस० गोपालन अपर सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उसके कार्यान्वयन की समीक्षा;

(ख) नीति के संशोधन के सम्बन्ध में सिफारिशें करना; और

(ग) संशोधित नीति के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिये अपेक्षित कार्यवाही की सिफारिश करना ।

4. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तैयार करेगी तथा अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र परन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से छः महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी । यदि समिति उपयुक्त समझे तो अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है ।

(एस० पी० तुली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों तथा विभागों, सभी राज्य सरकारी संघ शासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों आदि को जानकारी के लिये भेजी जाए ।

(एस० पी० तुली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस
नई दिल्ली ।

नकली और घटिया औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

•85. **श्री कमल चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 5 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में किन-किन कंपनियों के औषध नकली और घटिया स्तर के पाए गए हैं;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) से (ग) राज्यों में औषधों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण के लिये औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत राज्य औषध नियंत्रक लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं । अतएव जांच करने पर जब औषधों के नमूने घटिया और नकली पाये जाते हैं तो नकली और घटिया स्तर की औषधों पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है । राज्य औषध नियंत्रक, अपराध की प्रकृति के अनुसार बाजार से बैचों को हटाने, विनिर्माण लाइसेंसों को निलम्बित/रद्द करने या मुकदमा चलाने जैसी आवश्यक कार्रवाई करता है ।

नकली और घटिया औषधों पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से प्राप्त सूचना और की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

1. राज्य नाम : हिमाचल प्रदेश

(क) नकली औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के किसी भी औषध विनिर्माता द्वारा नकली औषधों का निर्माण किये जाने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम	की गई कार्रवाई
1. मैसर्स शिवकेम प्रा० लिमि०, 28-29, इन्डस एरिया बरोटीवाला 2. मैसर्स रेमेडीज एण्ड केमिकल्स, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, 22 सोलन 3. मैसर्स ड्रग्स एंड फार्म (ऋण अनुज्ञप्ति) गगड़ेट, जिला ऊना 4. मैसर्स सूर्य लैब, परवाणू, जिला सोलन 5. मैसर्स दीप सन्स फार्म इंडस्ट्रीज (ऋण अनुज्ञप्ति) एरिया मेहतपुर 6. मैसर्स स्यो फार्म (इण्डिया) धर्मशाला (ऋण अनुज्ञप्ति) 7. मैसर्स मानसून (इण्डिया) प्रा० लिमि० प्लाट नं० 10, सेक्टर-5, परवाणू 8. मैसर्स अवनी फार्म, परवाणू (ऋण अनुज्ञप्ति) जिला सोलन 9. मैसर्स मैक्स लैब, पोस्ट बाक्स नं० 24, सोलन 10. मैसर्स कॉक्स एण्ड बेबकने फार्म प्रा० लिमि०, सेक्टर-2 परवाणू 11. मैसर्स फार्मा के सिरि लैब, देवघाट डाकघर सपरून, जिला सोलन 12. मैसर्स ए० डी० पी० एल० देवघाट, सोलन 13. मैसर्स पेनेलिया ड्रग्स एण्ड फार्म, जसूर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	मैसर्स रेमेडीज एंड केमिकल्स सोलन पर चलाए गये मुकदमें का यह परिणाम निकला है कि उस फर्म को दोषी पाया गया है। अधिकांश औषधों, जिन्हें घटिया घोषित किया गया था, छोटे-मोटे दोषों से बरी नहीं उतरी। जिन औषधों को घटिया घोषित किया गया था, उन्हें बाजार/संस्थाओं से वापिस ले लिया गया था। कुछ मामलों में औषधों के निर्माण की अनुमति भी वापिस ले ली गई थी।

1	2

14. मैसर्स डोवेल्स फार्म (ऋण अनुज्ञप्ति) गगड़ेट, जिला ऊना
15. मैसर्स रेनिस ड्रग्स हाऊस, सोलन
16. मैसर्स एस्सको फार्म, सोलन (ऋण अनुज्ञप्ति)
17. मैसर्स हेलेक्स फार्म, मण्डी
18. मैसर्स न्यूटन फार्म, सुबाठू (रिपैकिंग लाइसेंस) जिला सोलन
19. मैसर्स तुलीप लैब, मेहतपुर जिला ऊना
20. मैसर्स रिलीफ एन्टरप्राइजिज, गीतानगर, शिमला
21. मैसर्स जयसन्स लैब परवाणू, जिला सोलन
22. मैसर्स साइकेम लैब (प्रा०) लिमि० गगरेट, जिला ऊना
23. मैसर्स फार्मा ग्राफ्ट गगडेट (ऋण लाइसेंस) जिला ऊना
24. मैसर्स हीमा रिसर्च लैब, सोलन
25. मैसर्स रेमन एंड फार्मा (प्रा०) लिमि० धर्मशाला
26. मैसर्स कर्ण इन्डस्ट्रीज नालागढ़, जिला सोलन
27. मैसर्स रोमा फार्म (प्रा०) लिमि० द साल सोजन
28. मैसर्स बयोरफास्ट एंड इन्टरमीडिऐट्स मोहतला कांगड़ा
29. मैसर्स आरमे ड्रग्स (प्रा०) लिमि० परवाणू

2. राज्यों का नाम : पंजाब

(क) नकली औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

	की गई कार्रवाई
1. मैसर्स एमको लैबोरेटरीज, जंडियाल्स गुरु, जिला अमृतसर	1. न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है और अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।
2. मैसर्स ओरिक फार्मस, एस० ए० एस० नगर	2. उस डीलर के विरुद्ध जहां से नमूना उठाया गया था, न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है।
3 मैसर्स सबाला लेबोरेटरीज, छिहारटा (अमृतसर)	3. इस मामले की छानबीन की जा रही है, और इसका निष्कर्ष निकलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

पंजाब राज्य औषध नियंत्रक ने बताया है कि पंजाब में सबजब सभी विनिर्माता फर्मों के औषधों के नमूनों को मानक किस्म का नहीं पाया गया घोषित किया गया है और भारत सरकार से प्राप्त हुए दिशा-निर्देशों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

3. राज्य का नाम : हरियाणा

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम	की गई कार्रवाई
1. मैसर्स केमिक्योर इण्डिया, गुड़गांव (आक्सटेट्रासाइक्लिन बैच संख्या ओटी-10)	फर्म के विरुद्ध 31-10-89 को मुकदमा चलाया गया है।
2. मैसर्स ईस्टर्न लैबोरेटरी, बहादुरगढ़	फर्म के विरुद्ध 15-6-89 को मुकदमा चलाया गया है।
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम	की गई कार्रवाई
परिशिष्ट के अनुसार	

परिशिष्ट

पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाई गई घटिया औषधों की सूची

क्र० सं०	विनिर्माता का नाम	उत्पाद का नाम और बैच संख्या	क्या उनके विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्रवाई की गई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा
1	2	3	4
1.	मैसर्स ग्लोबेल फार्मास्यूटिकल्स एम० आई० ई०, बहादुरगढ़	1. एनलजीन इंजैक्शन ए० आई०-0186	हां : 5-7-88 को चेतावनी दी गई
		2. बी० सोला आई/इयर ड्राप 10-4-86	हां : 27-10-87 को चेतावनी दी गई
		3. आक्सीटॉसिन इंजेक्शन बी० बिटा सी० बी० जी०-101 एण्ड डी० ओ-102	हां : आगामी आदेशों तक लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया।
		4. डेक्सामेथासोन और न्योमाइसीन आई/इयर ड्राप एन० टी०-10186	हां : अनुमति 9-5-89 को रद्द की गई।
		5. जेटामाइसीन आई/इयर ड्राप जी० डी०—ओ० 0687,1187	हां : अनुमति 30-4-90 को रद्द की गई।
		6. क्लोराम्फैनिकोल आई/इयर ड्राप 0186 487,186 एंड 0286	हां : अनुमति 30-4-90 को रद्द की गई।

1	2	3	4
		7. डेक्साकोल आई ड्राप डी० एक्स-10386	—तदैव—
		8. बेटासिन आई/इयर ड्राफ 800-187	हां : अनुमति 20-9-90 को रद्द की गई।
		9. सल्फासेटामिड आई ड्राप एस० डी०-0287	हां : अनुमति 20-9-90 को रद्द की गई।
2. परिचर्या और क्योर फार्मास्यूटिकल्स एम० आई० ई०, बहादुरगढ़		1. डेंटानिक नम पेंट सी-1002	हां : 1-2-88 को चेतावनी दी गई।
		2. फ्लैश-ई- 123	हां : 13-7-88 को चेतावनी दी गई।
		3. डेंटानिक गम पेंट सी-1004	हां : 8-2-89 को अनुमति रद्द की गई।
		4. चेनपार सिरप सी-120	हां : 13-9-89 को तीन महीने के लिए अनुमति रद्द की गई।
		5. बॉन क्योर एक्सपेक्टोरेंट सी-110	हां : 4-1-90 को चेतावनी दी गई।
3 मैसर्स सारस लैबोरेटरीज एम० आई० ई०, बहादुरगढ़		1. एम्पीसिलिन ओरल सस्पेंशन-पी ए-005	: 29-10-90 को अनुमति रद्द की गई।
		2. क्लोराम्फेनिकाल पालमीटेट ओरल सस्पेंशन-001 पी० एल०-007	: 3-10-89 को एक महीने के लिए अनुमति रद्द की गई।

1	2	3	4
		3. एम्पीसिलिन ड्राई सिरप पी० ए-007	: 27-10-90 को अनुमति रद्द की गई।
		पैडिएटिक सल्फा मैथाक्साजोल पी० टी-002	: 29-10-90 को अनुमति रद्द की गई।
		5. पैरांप्लैक्स सिरप पी० टी-014	: 27-10-90 को अनुमति रद्द की गई
	4. मैसर्स काटी केया, गोहाना	1. कासीपेन कैप्सूल-8311	: अनुमति रद्द करने पर कार्रवाई चल रही है।
		2. केटीक्लोर-87077	: कार्रवाई चल रही है।
		3. विमरोफास सिरप-88053	हां : 26-3-90 को चेतावनी दी गई।
		4. क्लोराम्फेनिकाल पाल्मीटेट ओरल सस्पेंशन 87081	: यह मद 19-11-90 को रद्द की गई।
	5. मैसर्स किशन ब्रैंड, गोहाना	1. बी० काम्प्लेक्स फोर्ट कैपसूल 86101	हां : 15-11-88 को अनुमति रद्द की गई
		2. पैरासिटामोल गोली 88416	हां : 26-10-88 को चेतावनी दी गई।
		3. पैरासिटामोल-88471 और 88466	: कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
		4. ऐसीटिल्सेलीलिक ऐसिड की गोलियां-83552	17-10-90 को मद रद्द की गई।
	6. मैसर्स गेलार्ड फार्मास्यूटिकल्स, रोहतक	1. बी० पी० टॉनिक-357-बी	—तदेव—
		2. फफेक्स एक्सपेक्टोरेंट-379	7-7-88 को अनुमति रद्द की गई।
		3. न्यूजाइम-446	24-9-90 को चेतावनी दी गई।
		4. सिथोक्स पोडिऐट्रिक संस्पेंशन 274	जी हां, 27-6-89 को चेतावनी दी गई।
		5. कोनसिल एक्सपेक्टोरेंट-472	जी हां, 18-4-90 को चेतावनी दी गई।
	7. मैसर्स दुआ फार्मास्यूटिकल्स, बहादुरगढ़	1. डिसिल्लिन-500 एम्पिसिलिन कैप्सूल-500 मि० ग्रा०-सी-10	जी हां, 26-12-89 को अनुमति रद्द की गई।
		2. पैरासिटामोल-79	5-1-90 को चेतावनी दी गई।
		3. कोनपिप्लेम गोलियां-51	5-10-90 को मद को 2 महीनों के लिए रद्द किया गया।
	8. मैसर्स मेडिन जैन एम० आई० ई०, बहादुरगढ़	1. क्लोरमफेनिकोल पैलमिटेट ओरल सस्पेंशन-0130	जी, हां, 14-9-87 को चेतावनी दी गई।
		2. टेटरासाइक्लिन कैप्सूल-0133	गलत ब्रांड के लिए कार्रवाई की गई। चेतावनी दी गई।
		3. क्लोरमफेनिकोल कैप्सूल-0132	14-9-67 को चेतावनी दी गई।

1	2	3	4
		4. ऑक्सीफिनबुटाजोन-116	जी हां, 27-1-89 को अनुमति रद्द की गई।
		5. ट्री मेथीप्रिम-760	—तदेव—
		6. क्लोरमफनिकोल पैरमिटेट ओरल सस्पेंशन-0130	जी हां, 14-9-87 को चेतावनी दी गई।
		7. एमलचिन गोलियां बी० एन०-775	जी हां, 27-1-89 को अनुमति रद्द की गई।
		8. क्विनोसलि गोलियां-बी० एन० 778	जी हां, 29-1-88 को चेतावनी दी गई।
		9. केल्डन गोलियां बी० एन०-807	जी, हां, 27-1-89 को अनुमति रद्द की गई।
		10· क्लोरमफेनिकोल पैलमिटेट ओरल सस्पेंशन बी० एन०—डी० 146 एंड डी 140	18-22-89 को 1 महीने के लिये अनुमति रद्द की गई।
9. मैसर्स एथिक लैब, रोहतक		डायजेडेम गोलियां-726	जी हां. 4-4-88 को अनुमति रद्द की गई।
10. मैसर्स सीका फार्मास्यूटिकल्स, रोहतक		1. सैलक्स आइन्टमेंट-बी०-13 एंड बी-16	कार्रवाई विचाराधीन है।
11. यूनिमार्क फार्मास्यूटिकल्स, बहादुरगढ़		1. कोजोमिन गोलियां-एम-058	16-10-90 को एक महीने के लिए मद रद्द की गई।

1	2	3	4
		2. फीमार्क कैप्सूल-एम-070 एंड एम० 085	10-10-90 को चेतावनी दी गई।
		3. एमोक्सिसीलन ओरल ससपेंशन एम०-039	जी हां, 11-5-88 को अनुमति रद्द की गई।
		4. विकट्रिम पीडिऐट्रिक ससपेंशन एम०-040	जी हां, दिनांक 11.5-88 को अनुमति रद्द की गई
12. मैसर्स एन० एंड टी० फार्मास्यूटिल्स, रोहतक		1 क्लोरमफनिकोल पैलसिटेट ओरल ससपेंशन सी० आई०-10	जी हां, 5-7-88 को अनुमति रद्द की गई।
		2. नीओप्लैक्स एन० एफ०-09	जी हां, 16-8-89 को अनुमति रद्द की गई।
		3. क्लोरमफेनिकलोल ओरल ससपेंशन सी० आई०-22	जी हां, 5-7-88 को अनुमति रद्द की गई।
		4. ट्रिमेथोप्रिम एंड सल्फा मेथक्साजोल एन० टी०-32	जी हां, 16-8-89 को अनुमति रद्द की गई।
		5. एनप्लैक्स सिरप-ई० पी०-23	जी हां, 16-8-89 को अनुमति रद्द की गई।
13. मैसर्स पारकर (इण्डिया) फार्मास्यूटिकल्स, रोहतक		क्लोरमफुनिकोल पैलमिटेट ससपेंशन बी०-011;	जी हां, 4-5-88 को लाइसेंस रद्द किया गया।
14. मैसर्स ओवन प्रोडक्ट्स, रोहतक		पैराड्रायल एक्सपेक्टोरेंट-61135	—तदेव—
		न्यूरेप्लक्स बी० काम्प्लेक्स-458	कार्रवाई विचाराधीन है।

1	2	3	4
		एमोहेक्स आइन्टमेंट-436	कार्रवाई विचाराधीन है
15. मैसर्स मैकनोल लैब, बहादुगढ़		ऑक्सीटेटरासाइक्लिन कैप्सूल-146	जी हां, 1-9-88 को चेतावनी दी गई।
		क्लोरसट्रिपनोल कैप्सूल बी० एन०-1548	जी हां, 6-10-89 को चेतावनी दी गई।
16. मैसर्स इस्टर्न लैब, बहादुरगढ़		एनलजिन गोलियां-822	जी हां, 22-2-89 को चेतावनी दी गई।
		डाइजासाम गोलियां-030	जी हां, लाइसैंस रद्द किया गया।
		एनलजिन गोलियां-827	—तदेव—
17. मैसर्स पारस फार्मास्यूटिकल्स, बहादुरगढ़		1. एनलजिन इंजेक्शन-043	लाइसेंस निलम्बित है।
		2. पी० पी० क्लोरोफेनिकोल ड्यर ड्राप-027 एड 046	जी हां, 28-7-88 और 29-7-88 को चेतावनी दी गई।
		3. ऑक्सीटोसिन बी० वी० सी० इंजेक्शन 025,03। एड 0.32	जी हां, 3-11-88 को अनुमति रद्द की गई।
		4. क्लोरोक्वीन फोसफट इंजेक्शन-037	जी हां, 28-2-89 को अनुमति रद्द की गई।
18. मैसर्स अर्वटिक ड्रग, रोहतक		गैट्रीन-109	जी हां, 11-9.89 को चेतावनी दी गई।
19. मैसर्स क्लोन (इण्डिया) एम० आई० ई० बहादुरगढ़		5. फोन-फॉम गोलियां-0611 —देतव— 613	जी हां, 5-7-88 को चेतावनी दी गई हां, कार्रवाई विचाराधीन

1	2	3	4
	20. मैसर्स क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स, रोहतक	1. फ्यूराजोलीडॉन ससपेंशन-10718 एण्ड 1079	जी हां, 1-2-89 को अनुमति रद्द की गई।
		2. कोफ्यूराजोन ससपेंशन-1062	—तदेव—
		3. एस० के० ट्रिब ससपेंशन-1089	दिनांक 6-6-88 को चेतावनी दी गई।
	21. मैसर्स डावल फार्मास्यूटिकल्स, बहादुरगढ़	1. पीडिऐट्रिक को-ट्रिमेक्साजोल मिक्सचर-38	फर्म को दिनांक 12/88 से बन्द कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
		2. क्लोरमफेनिकोल कैप्सूल-60	जी हां, दिनांक 24-10-88 को स्वीकृति रद्द की गई।
		3. क्लोरमफेनिकोल पैलमिटेट ओरल ससपेंशन-44 एंड 103	फर्म को दिनांक 12/88 से बन्द कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
		4. ट्रिमेथोप्रिम एंड सल्फाथोक्सोजोल सी-4 एंड 70	—तदेव—
		5. एम्पिसिलिन कैप्सूल-100	—तदेव—
		6. हेविक्वीन-63	—तदेव—
	22- मैसर्स स्काइलैब, रोहतक	1. बेटानाक्सोन-एन-बेटामेथोसोन गैल्रेट नीओमाइसिन स्की आंइटमेंट-06	जी हां, 1-2-88 को चेतावनी दी गई।
		2. नीओमाइसिन क्रीम-005	जी हां, 1-2-88 को चेतावनी दी गई।

1	2	3	4
		3. व्हीट फील्ड्स आइंटमेंट-01	जी हां, 14-3-88 को चेतावनी दी गई।
		4. नाइट्रोफ्यूराजोन क्रीम-004	जी हां, 29-3-88 को अनुमति रद्द की गई।
		5. नीओमाईसिन क्रीम-003 एंड 005	जी हां, 29-3-89 को अनुमति रद्द की गई।
		6. टेट्रासाइक्लिन आई आइंटमेंट-071	कार्रवाई विचाराधीन है।
		7. बेटनोसोन-सी-05	जी हां, 10-6-89 को चेतावनी दी गई।
		8. रिंगोरे-02	—तदेव—
		9. टेटरासाइक्लिन आई आइंटमेंट-15	कार्रवाई विचाराधीन है।
		10. बेटनेक्सोन-एन क्रीम-33	जी हां, 16-4-90 को चेतावनी दी गई।
	23. मैसर्स बालको फार्मास्यूटिक्लस, बहादुरगढ़	1. डेक्सामेथास न सोडियम फासफेट इंजेक्शन 560,643,205;616,467	कार्रवाई विचाराधीन है।
		2. बेटाप्लक्स इंजेक्शन 622,618, 528, 600,518	कार्रवाई विचाराधीन है।
		3. साइनो कैल्यिलोमाइन इंजेक्शन 615,423,533	—तदेव—
		4. ऑक्सीटेटरासाइक्लिन इंजेक्शन 555,681 एंड 414	—तदेव—

1	2	3	4
		5. क्लोरोक्वीन फासफेट इंजेक्शन-597,502	कार्रवाई विचाराधीन
		6. एनलजिन इंजेक्शन 496,429; 571 एंड 628	—तदेव—
		7. वॉटर फॉर इंजेक्शन 696	—तदेव—
		8. नाइट्रो फ्यूराजोन 952	—तदेव—
		9. बालसिड आई/इअर ड्राप-ई०	—तदेव—
		10. आक्सीटेट्रासाइक्लिन ई० 358,437 और 701	कार्रवाई विचाराधीन
		11. जेंटामाइसिन इंजे० 620	—तदेव—
		12. बीटाप्लेक्स इंजे०	—तदेव—
		13. डेक्सामिथासोन सोडियम इंजे० 508	—तदेव—
		14. बीटाप्लेक्स इंजे० 693	हां : 19-2-90 को चेतावनी दी गई
		15. जेंटामाइसिन आइ ड्राप 730	हां : 19-2-90 को चेतावनी दी गई
		16. सियानोकेबालामाइना 664	हां : 7-2-90 को चेतावनी दी गई
		17. एनल्जिन इंजे० 717	हां : 7-2-90 को चेतावनी दी गई
		18. डेक्सामिथासोन 560	कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।
		19. एनल्जिन इंजे० 636,820 और 742	—तदेव—
		20. क्लोरोक्विन फासफेट इंजे० 597	—तदेव—

1	2	3	4
24. मैसर्स केयरवैल फार्मास्यूटिकल रोहतक		1. ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फा मिथनाजोल 301	हां : 16-8-88 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		2. क्लोरम्फैनिकल ओरल घोल-304	कार्रवाई विचाराधीन
		3. कैफीन एक्सपेक्टोरेन-252	—तदेव—
25. मैसर्स डी०पी० फार्मा० पानीपत		1. कोम्प्लेक्स-135	—तदेव—
		2. क्लोरम्फेनिकोल फिमिटेट ओरल घोल-149	—तदेव—
		3. केपिमाइसिटिन-145	—तदेव—
26- मेसर्स मेक्सवेल फार्मा० पानीपत		1. मैक्सप्रिम गोली-16 एम० एक्स एन-19 मैक्स-18	हां : 27-6-90 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		2. पैरासिटामोल गोली, एम० पी० टी०-42	—तदेव—
		3. मैक्सकोल्ड गोली, एम एम० एक्स-24	—तदेव—
		4. क्लोरेम्फिनिकोल कैप्सूल सी०पी० सी०-11	कार्रवाई विचाराधीन
27. मैसर्स डी० पी० फार्मा०, पानीपत		1. डी० पी० ग्राइपवाटर-109	कार्रवाई विचाराधीन
		2. क्लोरेम्फिनिकोल एंड बेंजोकेन इयर ड्राप-119	हां : 2-11-88 को चेतावनी दी गई।
		3. कम्पलेक्स-बी कम्पलेक्स सिरप-126	हां : 1-12-88 को चेतावनी दी गई।
		4. केपिट्यूरान घोल-116	कार्रवाई विचाराधीन

1	2	3	4
		5. कैंपिमाइसिटिन (क्लोरोम्फिनिकोल इय ड्राप) 145	—तदेव—
		6. कैंपिमाइसिन डी० पी० ग्राइपवाटर एण्ड क्लोरेम्फिनिकोल ओरल घोल-110,131,125	—तदेव—
	28. मै० अल्ट्राकेम लैब, पानीपत	1. गैस्टेसिड एम० पी० एस० एंटेसिड लिक्विड सीडी 71006	—तदेव —
	29. मैसर्स लैबोरेट फार्मा० पानीपत	1. बी-प्लेक्स इंजे० एल बी-4 और 5	हां : 28-2-89 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		2. त जेंटामाइसिन इयर ड्राप एल० ए० ई-2	—तदेव—
		3. न्यूरोविट इंजे० एस० एन-6	हां : 15-11-88 को चेतावनी जारी की गई।
		4. डेक्सामिथासोन सोडियम फास्फेट इंजे० एल० डी०-2 और एल० डी०-12	हां : 1-5-90 को अनुमति रद्द कर की गई।
		5. एनापेम इंजे० एल० पी०-2	कार्रवाई विचाराधीन
		6. डेक्साकोर्ट आई ड्राप-एल० ए च० एन-4	—तदेव—
		7. प्रिमाजोल सी पेडिएट्रिक सिरप एल० पी० जेड०-2	—तदेव—
		8. क्लोरोक्विन फास्फेट इंजे०-एल० क्यू०-91	—तदेव—

1	2	3	4
30.	मैसर्स मेडिलाइफ इण्डिया, पानीपत	1. सल्फाप्रिम-11 और एस० पी०-106	हां : 31-8-90 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		2. मेडिकाफ कम सिरप-एम० ओ०-160	हां : 19-2-90 को अनुमति रद्द कर दी गई।
31.	मैसर्स गंगा फार्मेसी, सिरसा	1. इंजेक्शन वाटर-401	हां, 13-7-87 को अनुमति रद्द की गई।
		2. एनाल्जिन इंजे० ए० एस०-202	हां, 14-10-87 को चेतावनी जारी की गई।
		3. जी० न्यूरान-001	हां, 14-13-87 को चेतावनी दी गई
		4. जी-माइक-एन डेक्सामिथासोन एंड नियोमाइसिन आई/इयर ड्राप-जी० ई०	हां, 24-12-88 को चेतावनी जारी की गई।
		5. डेक्सामिथासोन सोडियम फास्फेट इंजे० डी० एम-01	हां, 18-7-87 को चेतावनी जारी को गई।
32.	मै० गंगा फार्मेसी, सिरसा	1. एनल्जिन इंजे०-204	हां, 10-4-90 को अनुमति 15 दिन के लिए रद्द कर दी गई।
33.	मै० मेक्टेरिन फार्मेसी, फरीदाबाद	1. नेक्टासाक्स चाकलेट मेक्सेटिव गोली टी०-8789	हां, 21-4-88 को चेतावनी दी गई।
		2. नेक्टामाइसिटिन इयर ड्राप्स-0886	—तदेव—
		3. कोडोडोन एनल्जिन गोली टी-1687	कार्रवाई विचाराधीन
		4. क्लोरोक्विन फास्फेट इंजे० 8/84	—तदेव—

1	2	3	4
		5. एन-बटर-2786	—तदेव—
		6. एनल्जिन-3587	हां, 8-8-88 को चेतावनी जारी की गई।
		7. ट्राईमिथोप्रिम, सल्फामिथ-3708	कार्रवाई विचाराधीन
		8. आक्सीपेन-ब्यूटोजोन बैच नं०-12586	—तदेव—
		9. एन कटर बैच नं०-2786	—तदेव—
		10. क्लोरोक्विन फास्फेट इंजे० बैच नं०-3688	—तदेव—
		11. एनल्जिन इंजे० बैच नं० टी-4188	—तदेव—
		12. गोली-कोडोडीन बैच नं-4587	—तदेव—
34. मै० सैंग्री, फरीदाबाद		1. ट्राइमिथाप्रिम एण्ड सल्फामिथोक्सीजोल बैच नं०-253	हां, 25-4-90 को चेतावनी जारी की गई।
		2. इंडोमेसिक गोली बैच नं० सी० 246	—तदेव—
		3. इंडोमेसिक गोली बैच नं० सी-526	हां, 25-4-90 को चेतावनी जारी की गई।
		4. क्लोरोक्विन बी०-296	—तदेव—
		5. इंडिजोलोन गोली के-42	—तदेव—
		6. आक्सीफैन ब्यूटजोल गोली बैच नं-648	हां 25-4-90 को अनुमति रद्द की गई।

1	2	3	4
		7. काम्प्रोस्ट गोली एच०-650	हां, 25-4-90 को चेतावनी जारी की गई।
		8. एनाल्जिन गोली डी-569	—तदेव—
		9. पैरासिटामोल गोली पी-587	—तदेव—
		10. सेप्ट्रिम डी० एस० गोली एच०-694	—तदेव—
		11. इंडोहिस्ट गोली 605	—तदेव—
		12. इंडोगोसिक गोली सी-807	—तदेव—
35. स्मोकेम, लेबोरेटरीज, फरीदाबाद		1. दर्दहर गोली बैच नं० 173	हां 5-9-88 को अनुमति रद्द की गई
		2. सल्फाडायोजाइन गोली बैच नं० 110	—तदेव—
		3. एम्पिसिलिन कैप्सूल बैच नं० 158	हां, 25-8-89 को लाइसेंस रद्द किया गया।
36. मैसर्स आर० के० जी० फार्मा०, फरीदाबाद		1. पिपराजाइन गोली, बैच नं० 112	हां, 14-7-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. हीमोस्टेट गोली, बैच नं० 3668	कार्रवाई विचाराधीन
		3. एफिड्राइन हाइड्रोक्लोराइड गोली बैच नं० 2253	—तदेव—
		4. इचेम्ब्यूटोल बैच० नं 3559	- तदेव—
		5. प्रिमाक्विन गोली, बैच नं० 193	—तदेव—

1	2	3	4
37.	मैसर्स युनिमेक्स लेबोरेटरीज, फरीदाबाद	1. एस्कोसिन गोली बैच नं० 4185	—तदेव—
		2. हेमोस्पूल्स कैप० बैच नं० 1020	—तदेव—
		3. क्लोरोक्विन गोली बैच नं 340	—तदेव—
		4. एस्कोलिन गोली, बैच नं० 4930 व 4587	
38.	मैसर्स कैसेट फार्मा०, फरीदाबाद	1. फ्यूरोजोलिडिन गोली, बैच नं० 3076	हां, 25-10-1989 को चेतावनी जारी की गई
39.	मै० सुपराकेम लैब०, फरीदाबाद,	1. नाइट्रोफ्यूमराजोन मरक्रम बैच नं० 952	कारंवाई विचाराधीन
		2. टी० रेड-फोर्ट गोली, बैच नं० 605	हां, 20-12-1988 को चेतावनी जारी की गई।
		3. सुपरलेबस कैप०, बैच नं० 823	हां, 24-10-1989 को चेतावनी जारी की गई।
40.	मैसर्स वाल्वो० फार्मा० फरीदाबाद	1. ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा थोनसाजोल मिश्रण पेड, बैच नं० 03602	लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
		2. क्लोरम्फिनिकोल ओरल स्वेप, बैच नं० 08715	—तदेव—
		3. ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फैन मिथोक्साजोल, बैच नं० 08720	—तदेव—
		4. डाइस्कर-एम० घोल, बैच नं० 08711	हां, लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
41.	मै० एकसिस केमिकल फार्मा०, फरीदाबाद	1. एक्सिस्ट्रोप सस्पेंशन, डी० एन० 332	हां, 16-8-89 को कड़ी चेतावनी दी गई

1	2	3	4
		2. एक्सिस्ट्रोस सस्पेंशन डी० एन० नं० 322	हां, 6-7-90 को कड़ी चेतावनी दी गई
42. मै० नेशनल प्रयोगशाला, फरीदाबाद		1. पेरासीटामोल टेबलेट, बैच नं० 15011	हां, 27-1-88 को चेतावनी दी गई
		2. फ्यूरोफेक्सोन सस्पेंशन बैच नं० 984	हां, 16-12-88 को चेतावनी दी गई
43. मै० स्टेडके आफ इण्डिया, फरीदाबाद		1. पेरालिजिसीन टेब० बैच नं० 584	हां, 21-2-89 को चेतावनी दी गई
		2. बायोजीन फोर्ट, बैच नं० 423	हां, 8-8-89 को अनुमति रद्द कर दी गई
		3. प्रेस्टीजीन, बैच नं० 507	हां, 3-10-89 को चेतावनी दी गई
		4. एनलजीन टेब०, बैच नं० 411	हां, 8-8-89 को चेतावनी दी गई
44. मै० मयूर फार्मा०, फरीदाबाद		1. मालकोसिरप, बैच नं० 05	हां, 18-9-89 को चेतावनी दी गई
		2. इबूमोप 402 टेब०, बैच नं० 177	—तदेव—
45. मै० उत्तर प्रदेश, ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स फरीदाबाद		डोक्स्ट्रोज इंजे०, बैच नं० 9987	लाइसेंस रद्द कर दिया गया
46. मै० शिवकेम फार्मा०, फरीदाबाद		ए स्प्रिन टेबलेट बैच नं० 673	हां, 19-4-89 को चेतावनी दी गई
47. मै० बंसला फार्मा० पलवल, (फरीदाबाद)		डेक्स्ट्रोज इंजे० बैच नं० 2759	हां, 28-8-89 को चेतावनी दी गई
48. मै० जयसन, फरीदाबाद		1. फेजारिन टेब०, बैच न० 6003	कार्रवाई की जा रही है।
		2. हारमोन सहित एगेटेब बैच नं० 5007	—तदेव—
		3. डायलोप कैपसूल, बैच नं० 5005	कार्रवाई की जी रही है।
		4. ओक्सीट्रेसाइडीन इंजे० बैच नं० 3075	—तदेव—

1	2	3	4
		5. क्लोरोम्फेनिकल कैपसूल बैच नं० 7028, 7006, 8007	हां, 30-4-90 को चेतावनी दी गई
		6. पर्वोन-एन- केप्सूल बैच नं० 08001	कार्रवाई की जा रही है।
49. मैसर्स जैन कैमिकल्स, बींद		1. जैंटामाइसिन/आंख/कान ड्राप्स की एन० 2151, 21-ई०, 0204,228,0551 ए डी एक्स-10	जी हां, मंजूरी 28-3-89 को निरस्त किया गया
		2. डेक्सामीथान इंजे० 531, डी एक्स-10	—तदेव—
		3. ओआलजिन फोर्ट इंजेक्शन बी एन० 0452 041	—तदेव —
		4. क्लोरोक्नीवल आंख/कान ड्राप बी एन 2051 061, 062, 202, 104, 105, 290	—तदेव—
		5. साइनोकोबोलेमाइन इंजे० बी एन 143.144, 147, 145	—तदेव —
		6. सिम्नोसीन इंजे० बी एन एल, 33301	—तदेव—
		7. डेम्सानीथोजोन टेबलेट 262, टी-487	—तदेव—
		8. एनालजीन इन्जे० बी एन 56, ए-85	—तदेव—
		9. कोरीजैसिक माइकरोफाइन्ड टेबलेट बी एन 415, 014,419,018,015	—तदेव—
		10. सल्फाटोमाइड आंख/कान ड्राप बी एन 22,39,272,273	—तदेव—
		11. ए ग्पीसिलीन ओरी सीरप बी एन 564, 562	—तदेव—
		12. जेन्टामाइसीन इन्जेक्शन बी एन सी टी-11, 296	—तदेव—

1	2	3	4
		13. बी० प्लेक्स इन्जे० बी एन डी-40, 285, 2212	कार्यवाही विचाराधीन है।
		14. डायजाम इन्जे० बी० एन डी-40	—तदेव—
		15. ओक्सीफेनबुटाजेम टेबलेट 182-ई	—तदेव—
		16. टेबलेट मालविन बी एन 105	—तदेव—
		17. डेजामीथाजोन नमाइसिन कान ड्राप बी एन-डी एन-10	—तदेव—
		18. सिक्नोसेलेमान इन्जे० बी एम० 148	—तदेव—
		19. मेटूलोप्रामाइड इन्जे० बी एम-111	—तदेव—
		20. इलोसिक फोर्ट टेबलट बी एन 591	—तदेव—
		21. सल्फासीटामाइड आई ड्राप बी एन 273	—तदेव —
		22. अटवालाइन सोलूशन बी एन 324	—तदेव —
		23. डेक्सामीथीसोन टेबलेट	—तदेव—
		24. ओक्सीजीन टेबलेट बी एन 503	—तदेव—
		25. पेरासीटामोल इन्जे० बी० ए०-7	—तदेव—
		26. मेट्रोनेडाजोल इन्जे० 117	—तदेव—
		27. कोरीजेसिक टेबलेट बी एन 025	—तदेव—
		28. जालविन फोर्ट बी एम 49	—तदेव—
		29. एम्पीसीलीन फोर्ट इन्जे० बी० एन० 552	—तदेव—
	50. मैसर्स वाइलीच फार्मा० फरीदाबाद	1. डियोल इक्सपैक्टोरेन्ट बी० नं० एन० बी० 24	जी हां, 29-3-89 को चेतावनी दी गई।

1	2	3	4
		2. रिटैपसैक्स टानिक बी एन 41	कार्रवाई विचाराधीन है
		3. क्लोरमफैनिकल पामिटर ओरल सस्पेंशन बी एन 39	—तदेव—
		4. बी काम्पलेक्स लिक्विड बी एन 50	—तदेव—
		5. सिपरम पीडियाट्रिक मस्पेंशन	—तदेव—
		6. क्लोरमफैमिकल पामटट सस्पेंक्षन बी एन 49	—तदेव—
		7. पीडियाट्रिक ट्रिमाथोप्रिम सल्फमीथोक्साजोल मिक्सचर बी एन एन सी-35	—तदेव—
		8. ग्रिपोसिप ग्रिप वाटर बी एन-37	—तदेव—
		9. वाइमाइसिटीन ओरल सस्पेंशन बी एन 19	—तदेव —
		10. क्लोरमफैमिकल पामीटंट बी एन 53	—तदेव—
		11. ट्रिमैथोप्रिम एवं सल्फेनीथोजोल बी एन 36240	—तदेव—
51. मैसर्स कालोसल इण्डिया, फरीदाबाद		1. कास्ट (ट्रिमाथोप्रिम एवं सल्फामीथोक्साजोल मिक्सचर एवं पीडियाट्रिक बी एन 23	जी हां, 19-10-89 को चेतावनी दी गई।
		2. ट्रिमाथोप्रिम एवं सल्फेमीथोक्साजोल मिक्सचर मीडियाट्रिक	जी हां, 7-10-89 को मंजूरी दी गई।
		3. काकेन एक्स बी० एन० के० एफ० 96	जी हां, 19-10-87 को मंजूरी दी गई
		4. तदेव बी एन 103	—तदेव—
52. मैसर्स बून फार्मा० प्रा० लि० फरीदाबाद		1. अर्जेनियार्टिकचर बी० एन० 22, 23, 24	कार्यवाही विचाराधीन है।
		2. एमोडीन कम्पाउंड इम्बोडीन बी एन 0368	—तदेव—

1	2	3	4
53. मैसर्स पनसिया फार्मा०	फरीदाबाद	1. कार्डोमोन टिंक्चर एरोमैटिक बी एन 8263	कार्यवाही विचाराधीन है।
		2. अश्वागन्धा लिक्विड एक्सटेक्ट बी एन 8284	—तदेव—
54. मैसर्स के० फार्मा० वर्क्स, चींद		1. टिनोक्चर लैटासिन बी एन 800	जी हां, 14-3-80 को चेतावनी दी गई
		2. डाल्यूट इएल्कोहल बी एन 917	कार्यवाही विचाराधीन है।
		3. डेन्चर स्प्रिट एवं टिनोक्चर उर्जीनिया बी एन 985 एवं 993	—तदेव—
55. मैसर्स क्यूरवैल (भारत) फरीदाबाद		सल्फाबोल्स बोलियां एवं जैन्टामाइसिन इन्जे० बी एन 03	कार्यवाही विचाराधीन है।
56. मैसर्स भावसन्स फार्मा०, फरीदाबाद		डेक्स्ट्रोज इन्जे० बी० एन० 328068, 207058, 518078	जी हां, 11-10-89 से 23-11-89 तक मंजूरी वापस की गई।
		डेस्ट्रोज इन्जे० बी एन 318059, 413089, 107049	जी हां, 15-3-90 को चेतावनी दी गई
		डेस्ट्रोज इन्जे० बी एन 514039	मामला कार्यवाही के अन्तर्गत है। फर्म का नियम संग्रह 1-8-90 को उप (डी सी) (1) उत्तरी क्षेत्र को भेज दिया गया है।
57. मैसर्स करीबा लैब, फरीदाबाद		पैरासिटामाल टेबलेट बी एन 187	कार्यवाही विचाराधीन है।
58. मैसर्स ड्यूटेक एवं केमिक्लस फरीदाबाद		1. इलैक्ट्रोमैंग बी एन डी सी पी ओ० 4	जी हां, 14-2-89 को चेतावनी दी गई।

1	2	3	4
		2. पामटिक टेबलेट एन डी सी पी-30	कार्रवाई विचाराधीन है।
59. मैसर्स नेस्टर फार्मास्यूटिक्लस,	फरीदाबाद	1. क्लोरफेनरामाइड मालिएट टेबलेट बी एन 0187	जी हां, 23-11-89 को चेतावनी दी गई।
		2. नैस्लिन कैपसूल बी एन-0188-ए	कार्रवाई विचाराधीन
		3. बोरक्स ग्लिसरीन बी एन 0289	—तदेव—
60. मैसर्स यूनिवैल फार्मास्यूटिकल्स,	फरीदाबाद	1. ट्रिमाथोप्रिम एवं सल्फामैथोवसजोल टेबलेट बी एन 124	जी हां, 15-2-90 को चेतावनी निरस्त की गई।
		2. —तदेव— 84	— तदेव—
		3. डेक्सामोथिसोन टेबलेट बी एन ए ओ०-102	कार्रवाई विचाराधीन है।
61. मैसर्स फार्मास्यूटिकल्स,	210, आर० माडल टाउन करनाल	1. बायसोविन सिरस बै सं० 294	जी हां, 10-5-88 को चेतावनी दी गई।
		2. हिस्टामिन एक्स एक्सपेक्टोरैंट, बैच सं० 1035	जी हां, 24-6-90 को चेतावनी दी गई।
		3. एफहिस्ट कफ सिरप, बैच सं० 1062	—तदेव—
62. मैसर्स त्रिमूर्ति फार्मास्यूटिल्स,	करनाल	1. अश्वगंधा आसव एक्स्ट आई० पी० बैच सं० 110	जी हां, 27-6-90 को 2 महीने तक अनुज्ञा लम्बित कर दी गई।
63. मैसर्स बी० के० फार्मास्यूटिकल्स,	बाल्वी, करनाल	1. मेबंडाजोल टिक्सिया, एस० पी० बैच सं० 5106	जी हां, 14-3.88 को चेतावनी दी गई।

1	2	3	4
	64. मैसर्स इण्डोमेडिका, करनाल	1. क्लोरेम्फेनिकाल (आइपिन) ईयर ड्राप्स बैच सं० 52	जी हां, 5-7-88 को चेतावनी दी गई।
		2 तदेव बैच सं० 53	जी हां, 22-1-90 को 3 महीने तक अनुज्ञा प्रलंबित कर दी गई
		3. मेडिटोन, फैमिली टानिक बैच सं० 58	—तदेव—
		4. अशोका लिक्विड, एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० 11 और 20	9-7-90 को अशोका आसव तैयार करने का लाइसेंस 2 महीने तक प्रलंबित कर किया गया।
	65, मैसर्स आन्ध्री फार्मास्यूटिकल्स,	1. ग्राइप वाटर, बैच सं० ए-348	जी हां, 13-7-90 को अनुज्ञा 15 दिनों तक प्रलंबित कर दी गई।
		2. मैरीन्लेक बी० काम्प्लेक्स सिरप बैच सं० बी-192	—तदेव—
		3. मैरी-कफ, कफ सिरप, बैच सं० ए-334	—तदेव—
		4. अश्वगंधा आसव, एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० 328, और 293	जी हां, 13-7-90 को अनुज्ञा 2 महीने तक प्रलंबित कर दी गई।
		5. अशोका आसव, एक्स्ट आई० पी० बैच सं० 319, 253, और 237	—तदेव—
		6. ट्रिमेथोपरिम और सल्फामिथो आजोल प्रौड० सस्पेंशन बी पी सी (अस्मट्रिम) बैच सं० ए० 338	कार्रवाई विचाराधीन है।
		7. क्लोरेम्फेनिकाल, पाल्मीटेट ओरल सस्पेंशन बी पी सी बैच सं० 205	—तदेव—

1	2	3	4
66.	मैसर्स सैवन लेबरोट्रीज 171-ई० माडल टाउन, करनाल	1. हिफानेगस कैप्सूल, बैच सं. एस० 111	जी हां, 28-1-88 को चेतावनी दी गई।
		2. आट्री फैट्रिक ससपेंशन बैच सं० एस० 1008	जी हां, 18-1-89 को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
		3. ऐम्पिसिलिन ट्री-हाइड्रेट आई० पी० (आरसिलिन) बैच सं० एस० 1022	कार्रवाई विचाराधीन है।
67.	मैसर्स सुल्तानपुर कैमिकल, करनाल	1. अशोका लिक्विड, एक्स्ट० आई० पी० बैच नं० 12,58 और 66	कार्रवाई विचाराधीन है।
68.	मैसर्स प्रिम फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रीज, करनाल	1. स्प्रिट अमोनिया आरोमिटिक, बैच नं० 26	जी हां 3-5-88 को चेतावनी दे दी गई।
		2. अशोका लिक्विड एक्स्ट० आई० पी० बैच नं० 287	जी हां, 7-8-90 को अनुज्ञा 2 महीने के लिए प्रलंबित करदी गई।
69.	मैसर्स फेब्रो० लेबोरेटरीज करनाल	1. जोनाल्जिन टिकिया, बैच सं० टी०-20	जी हां, 9-11-87 को अनुज्ञा 2 महीनों तक निरस्त कर दी गई।
70.	मैसर्स मैलकम फार्मा० करनाल	1. अशोका लिक्विड एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० डब्ल्यू-11	जी, हां, 28-8-90 को फर्म के विरूद्ध अभिमोचन लगाते हुए फर्म का संविधान एस डी सी राजस्थान को भेज दिया गया है।
71.	मैसर्स नटराज कैमिकल्स और फार्मा० करनाल	1. अशोका लिक्विड एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० 10	जी हां, 25-6-90 को अनुज्ञा दो महीनों के लिये प्रलम्बित कर दी गई।

—तदेव—

1	2	3	4
72.	मैसर्स ईगल केमिकल्स करनाल	1. बिनाटोन लिक्विड बैच सं० 001	जी हां, 1-8-90 को 2 महीने के लिये अनुज्ञा प्रलंबित कर दी गई।
73.	मैसर्स कल्याण लेबरोल्टीज, कुटेल, करनाल	1. अशोका लिक्विड एक्स्ट आई० पी० बैच सं० 203, 227 और 2/3	
74.	मैसर्स बेंगिया सीरिंस, करनाल	1. एस्पामिन टिकिया, बैच सं० 1145	जी हां, 19-1-88 को अनुज्ञा 2 महीने तक निरस्त कर दी गई।
		2. बिस्प्रीन टिकिया बैच सं० 1144 और 1151	जी हां, 30-5-89 को अनुज्ञा निरस्त कर दी गई।
		3. एस्पामिन टिकिया, बैच सं० 1140 और 1145	जी हां, अनुज्ञा शीघ्र ही निरस्त की जा रही है।
75.	मैसर्स ओमेगा टेनिडीज, करनाल	1. बीटाफोस टानिक, बैच सं० 112	जी हां, 12-1-88 को अनुज्ञा निरस्त की गई।
		2. सूराप्रिम पैडिएटिक, बैच सं० 110	जी हां, 12-1-88 को चेतावनी दे दी गई।
		3. हेजिट्रान ड्राय सिरप, बैच सं० 113	जी हां, 4-4-88 को अनुज्ञा निरस्त कर दी गई।
76.	मैसर्स भास्कर फार्मा० करनाल	1. अशोका लिक्विड एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० 188 और 194	जी हां, 26-7-90 को अनुज्ञा 2 महीनों तक निरस्त कर दी गई।
		2. अवबंधा लिक्विड एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० 163	—तदेव—

1	2	3	4
77.	मैसर्स कास्मिक फार्मा० शान्ति नगर, करनाल	1. अशोका लिक्विड एक्स्ट० आई० पी० बैच सं० 18, 29 और 36	जी हां, 25-6-90 को अनुज्ञा 2 महीनों तक निरस्त कर दी गई।
78.	मैसर्स अल्फाड्रग्स फार्मा० करनाल	1. एल्डीप्लेक्स टिकिया, बैच सं० 220	जी हां, 7-8-88 को अनुज्ञा निरस्त कर दी गई।
		2. ट्रिमेथापरिम एण्ड सल्फामेथोक्साजोल टिकिया, बै० सं० 364	जी हां, 21-11-88 को चेतावनी दे दी गई।
79.	मैसर्स नोबुल रेसिडीज प्रा० लि० बुड़नांव	1. एक्विन सिरप, बै० स० 115	जी हां, 14-7-88 को चेतावनी दे दी गई।
		2. नोबुल एक्स्पेक्टोरेंट, बैच सं० 880	जी हां, 24-1-89 को अनुज्ञा निरस्त कर दी गई।
		3. नोबेप्रिम ससपेंशन, बैच सं० 112	जी हां, 26-8-90 को चेतावनी दे दी गई।
80.	मैसर्स कुमोव लेबरोटरीज, बुड़नांव	1. सेप्रान टिकिया, बैच सं० 006	जी हां 6-11-89 को चेतावनी दे दी गई।
		2. विटामिन बी-काम्प्लेक्स कैप० आई० पी० (न्यूप्लेक्स) बैच सं० 101	कार्रवाई विचाराधीन है।
		3. क्लोरेम्फेंकाल ओरल सस्पेंशन बैच सं० 006	—तदेव—
		4. ट्रिमेथापरिन एंड सल्फामेथोक्साजोल	—तदेव—
		5. एनाल्जिन टिकिया आई पी बैच सं० 132	जी हां, 18-7-90 को चेतावनी दे दी गई।

1	2	3	4
	81. मैसर्स ड्रगमेक, लेबरोटरीज बुड़गांव	1. पार्कर्केक टिकिया, बैच सं० 1329	जी हां, 12-1-88 को चेतावनी दे दी गई।
		2. इम्यूमेक टिकिया बैच सं० 1429	जी हां, 24-11-89 को चेतावनी दे दी गई।
	82. मैसर्स वशिष्ठ फार्मा०, बुड़गांव	1. क्लोरामफेनिकल पल्मिटेट संस्पेंशन आई० पी० बी० सं० 108	हां, चेतावनी 27-11-1987 को जारी की गई।
		2. अजिनिया टी आर आई पी 66 बी सं० 651	हां, लाइसेंस 23-4-90 को दो महीने के लिए निलम्बित
	83. मैसर्स रैडियल फार्मास्यूटिकल्स, प्रा० लि०, बुड़गांव	1. डॉल्सिन गोलियां बी संख्या टी० 257	हां, अनुमति 28-2-89 को रद्द कर दी गई।
		2. पैरासिटामोल गोलियां आई० पी० बी० सं० टी० 252	
	84. मैसर्स सुनेजा फार्मास्यूटिकल्स,	1. ऑक्सीटोसीन इंजे० बी० बेट सी० बी० सं० एस० पी० 86	हां, अनुमति 28-2-89 को रद्द की गई। लेकिन फर्म द्वारा अपील करने कर सरकार ने 7/8-8-89 को अनुमति फिर बहाल कर दी।
		2. ऑक्सीटोसिन इंजे० बी० बेट सी० बी० सं० बो० बी० 117	कार्रवाई चल रही है।
	85. मैसर्स वार्डेन फार्मा०, बुड़गांव	1. क्लोराम्फेनिकल इयर ड्राप बी० संख्या 293	कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
		2. क्लोरेक्विन सिरप बी० सं० एच० पी०-215	हां, अनुमति 17-7-90 को 21 दिन के लिये निलम्बित की गई।
86.	मैसर्स सिवान्प फार्मास्यूटिकल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव	1. डायरासिन एफ० सस्पेंशन बी० सं० 38	हां चेतावनी 17-3-88 को जारी दी गई।
		2. डापरासिन एफ० सस्पेशन बी० सं 228	हां, चेतावनी 13-12-89 को जारी की गई।
87.	मैसर्स कनिव लैब० गुड़गांव	1 कनिफर सस्पेंशन बी० सं० के० एफ 0044	हां, चेतावनी 30-12-87 को जारी की गई।
88.	मैसर्स ग्लास्को फार्मा० गुड़गांव	1. कम्पनी ट्राइमोक्साजोली किक्सचर पेड. पी सी (ट्राइजोल) बी० सं० के पी० 003	हां चेतावनी 30-12-87 को जारी की गई।
		2. बी० टोन० 5 सिरप बी० सं० 005	हां, लाइसेंस 11-4-89 को रद्द किया गया।
89	मैसर्स रेकिट इंडिया, गुड़गांव	1. विने पार टेब बी० संख्या 112	हां, चेतावनी 2-9-87 को जारी की गई।
90.	मैसर्स मोबले लेबोरेटरीज प्रा० गुड़गांव	1. एम्पिलिक्स० 12 सिरप बी० सं० 194	हां, चेतावनी 4-11-88 को जारी की गई।
91.	मैसर्स एडेल्को फार्मा० प्रा० लि० गुड़गांव	1. आक्सीजैसिक्स टैब बी० सं० 88142	हां, चेतावनी 13-3-90 को जारी की गई।
92.	मैसर्स इण्डोकेन फार्मा०, गुड़गांव	1. एम्पीसिलिन ओरल सस्पेंशन (इण्डोसिलिन) बी० सं० 0050	हां, चेतावनी 6-4-90 को जारी की गई।

1	2	3	4
93.	मैसर्स मेडिटेक्स फार्मा० प्रा० लि० बुड़मांव	1. एसिटिल सेलिसाइलिक एसिड टैब आई० पी० बी० सं० 2524	हां, चेतावनी 11-5-88 को जारी की गई।
		2. फुराजोलेडिन टैब बी० सं० 2681	
94.	मैसर्स फार्मा० लेब प्रा० लि०, बुड़मांव	1. फमाल्जिन टैब बी० सं० एटी० 056	हां, चेतावनी 9-7-90 को जारी की गई।
95.	मैसर्स डोरेक्स फार्मा० प्रा० लि० बुड़मांव	1. क्लोराम्फेनिकल पल्मिटेट ओरल सस्पेंशन आई० पी० बी० सं० 133	हां चेतावनी 30-11-87 को जारी की गई।
96.	मैसर्स जोबेसन फार्मा० बुड़मांव	1. बेसाडोन प्लास्टर बी० पी० सी० बी० सं० 478	अनुमति 29-12-88 को रद्द की गई।
97.	मैसर्स मेटवेल फार्मा०, बुड़मांव	1. एन्ल्जिन टैब बी० सं० ए० जी० बी० 01/85	हां, चेतावनी 26-7-90 को जारी की गई।
		2. सल्फासिटामाइड आई० ड्राप्स बी० सं० एस० डी० 2001/86	—तदेव—
		3. बड़वास आई/इयर ड्राप्स बी० संख्या ई० बी०/01/86	—तदेव—
		4. सल्फासिटामाइड आई ड्राप्स बी० सं० एस० डी० 2002/87	—तदेव—
		5. ऑक्यूसिड (सल्फासिटामाइड) आई० ड्राप्स बी० संख्या 2004	—तदेव—
98.	मैसर्स एलिक्सर फार्मा० लि० धारखेड़ा (रेवाड़ी)	1. सोडियम क्लोराइड डेक्सट्रोंस इन्जे० बी० सं० 82036	हां; चेतावनी 1-8-89 को जारी की गई।

1	2	3	4
		2. 5% डेक्सट्राक्स इंजेक्शन आई० पी० बी० सं० 910133-ए	हां, चेतावनी 29-8-90 को जारी की गई।
	99. मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०, बुदाहेड़ा, बुड़वांच	1. सल्फासिटामाइड आई ड्राप्स बी०, संख्या 21682	हां, कड़ी चेतावनी जारी की गई।
		2. क्लोरोफेनिकल ओरल सस्पेंशन बी० संख्या 1484	—तदेव—
		3. एनल्जिन बी० सं० ए० जी० टी० 1284	—तदेव—
		4. जैसिल बी० सं० जी० एन० वी० 1083	—तदेव—
		5. इण्डिग्लाबिन हेमाटाइसिन कैप्सूल बी० सं० आई० डी० सी० 4286	हां, अनुमति 2-4-90 को 15 दिन के लिए निलम्बित की गई।
		6. पालिविटामिन टैब बी० सं० 2286	—तदेव—
		7. मबैन्डाजोल टैब०(आइडाइजोन) बी० संख्या 1486	हां, चेतावनी 7-10-89 को जारी की गई।
		8. डेक्सामीथासीन टैब० (आईडाइजोन) बी० सं० आई० जैड० टी० 3487	—तदेव—
		9. —तदेव— बी० संख्या 3187	—तदेव—
		10. विटामिन कैप्सूल बी० सं० वी० टी० सी० 0985	हां, अनुमति 16-7-90 को रद्द की गई।
		11. आइडिग्लोबिन बी. संख्या आई. जी. सी-3887	हां, चेतावनी 16-7-90 को जारी की गई।

1	2	3	4
100.	मैं० सीपल लेबोरेटरीज (इंडिया) बुड़वांच	1. बाईकार्ट आई ड्राप्स बी० सं० 2675	हां, अनुमति 11-1-90 को रद्द छह महीने के लिए निलंबित की गई।
		2. मेनामाइड आई ड्राप्स बी. सं० 29174 2965	हां, अनुमति निलंबित की गई।
		3. प्रोमेथाजाइन एच.सी.एल. एलिक्सर बी. सं० 3219	चेतावनी 6-12-90 को जारी की गई।
		4. क्लोराम्फेनिकल पाल्मिटेट ओरल सस्पेंशन बी.पी.सी.बी. स० 3108	एक महीने के लिये अनुमति वापस ली गई।
101.	मैं० हरियाणा बायोलाजिकल बुड़वांच	1. साइनोकोबालमाइन इंजेक्शन आई.पी.बी. संख्या 186	हां, अनुमति 27-1-89 को रद्द की गई थी लेकिन सरकार से अपील करने पर अनुमति फिर बहाल कर दी गई। — तदैव —
		2. डेक्सामीथासोन इंजेक्शन एन.एफ. आई.बी. संख्या 17287 और 20187	
	रिबोनोकोबालामाइन बी.एल. 33769 कार्यवाही विचाराधीन है।	3. क्लोरोक्वीन फास्फेट इंजेक्शन बी.एल. 6969 एवं 15887	जी हां, 27-1-69 को मंजूरी निरस्त की गई लेकिन सरकार से अपील करने पर मंजूरी 19-5-89 को फिर चालू किया गया।

1	2	3	4
		4. जेन्टामाइसिन इंजैक्शन आई पी बी.एन 14587 एवं 37888	जी हां 27-6-89 को चेतावनी दी गई।
		5. हैस्ड्योम इंजैक्शन बी एन 31186 बी एन 33788	21-3-90 को एक महीने के लिए मंजूरी स्थगित की गई।
		6. डेन्युसामीयोजान इंजैक्शन बी एन 30128	11-4-90 को निरस्त किया गया
102.	मैसर्स बजाज फार्मास्युटिकल्स हिसार	1. पेन्टाविट बी एन 4004	कार्यवाही विचाराधीन है।
		2. टिमेथोप्रिम एवं सल्फमोथेक्सापोल	जी हां, चेतावनी 20-11-69 को दी गई।
		पीडियोटव बी पी सी वी एन सी ओ 074	जी हां, मंजूरी स्थगित की गई जब तक फर्म कारण बताओ नोटिस का उत्तर दें।
		3. क्लोरफैनिकल पामीटेट सस्पेंशन बीएनसीपी 4003	जी हां 19-7-90 को चेतावनी दी गई।
		4. बिस्कोस केफ एक्स्प बी एन 071	कार्यवाही विचाराधीन है।
		5. एनरोजिल 71 वी एन 6001	तदैव
103.	चर्खी दादरी	1. साल्फामोथोक्साजोल एवं ट्रिमैथोप्रिम मिक्सचर आई पी. वी. एन. 61—431	जी हां, 13-1-88 को चेतावनी दी गई।

1	2	3	
		2. पैरासिटामॉल सीरप (सिरोमाल) पी एन-436	जी हां, 12-10-88 और 15-2-89 को चेतावनी दी गई ।
		3. तदैव—बी एन 68-424	जी हां 29-10-90 को चेतावनी दी गई ।
		4. सिरोजोलिडोन सस्पेंशन बी एन 7 जी 451	जी हां 7-12-89 को चेतावनी दी गई ।
		5. कैस्ट्रोल डैक्स्प कफ सीरप बी एन बी एफ 474	जी हां 16-4-90 को एक माह के लिये मंजूरी स्थगित की गई ।
		6. सिरोमोल सीरप पैरासीटा मोल बी एन 71-456	तदैव
		7. कैस्ट्रोल-ई कफ एक्स्प बी एन 81-487	तदैव
104.	मैसर्स सिपो फैरोमैडीज सोलापुर	डेन्जाइल मैन्टा आई पी 85074	जी हां, 11-4-89 को एक माह के लिये लाइसेंस स्थगित किया गया ।
105.	मैसर्स एडविस फोर्मूलेशन्स, पुर्वांचल	1. एट्रोल एक्सप 13-003	निर्माण कार्य रोक दिया गया है । फर्म बन्द कर दी गई ।
		2. पेसोकैन टैबलेट 9-013	तदैव
106.	[illegible]	1. डेक्सामाइनोज एच सी एल कैप्सूल आई पी 867	फर्म ने लाइसेंस दिया यहां तक कि लाइसेंस को पहले ही निरस्त कर दिया गया है ।

1	2	3	4
		2. एनालजिन टेबलेट बी-सं. 886	तदैव
		3. पैरासोटामोल टेबलेट बी एन 897	तदैव
107.	नारवेस्ट फार्मास्युटिकल्स कुण्डली	1. पैराजाइव सीरप 0-35	जी हां, 14-3-88 को चेतावनी दी गई।
		2. नॉक ड्राई पाउडर 261	जी हा, 10-5-90 को चेतावनी दी गई।
		3. सिएक्लोशन सं० 083	जी हां, 12-12-89 को चेतावनी दी गई।
		4. डिलोडेक्स के 005	जी हां, चेतावनी दी जा रही है।
108.	ईवो फार्मास्युटीकल्स, अम्बाला कैंट	1. डिप्टोन दॉनिक सं० टी. के. 1216	जी हां, 28-7-89 को मद निरस्त किया गया।
		2. टीकोफ कफ सीरप सं० टी. के.	फर्म का लाइसेंस निरस्त किया गया।
109.	मंच फार्मास्युटिकल्स अम्बाला कैंट	1. डिमोसपार कैप्सूल सं० 117	कार्यवाही विचाराधीन है।
110.	स्काइला लेबोरेटरीज, अम्बाला कैंट	ट्रिम्थोप्राइम एण्ड सल्फामेथाजोल सस्पेंशन सं० 102	जी हां, 14-4-89 को चेतावनी दे दी गई।
111.	जैसन फार्मास्युटिकल्स, अम्बाला जिला	1. आर्थोजिन टिकिया सं० 340	जी हां, चेतावनी दे दी गई।
		2. पेरीडान टिकिया बैच सं० 319	जी हां, 29-1-89 को चेतावनी दे दी गई।
		3. होमोजिन बैच सं० 0214	जी हां, 20-7-88 को चेतावनी दे दी गई।

1	2	3	4
112.	आप्तिका फार्मास्युटिकल्स	1. जिल्मिद आई ड्राप बैच सं० 6617.	जी हां, इस मद की अनुज्ञा 2-1-89 को निरस्त कर दी गई।
		2. पामऐमाइड आई ड्राप बैच सं० 8611.	जी हां, इस मद की अनुज्ञा 27-1-89 को निरस्त कर दी गई।
		3. ट्रेकोल स्टेरीलिया आफ्थाल्मिक सोल्यूशन, बैच सं० 8507, 8733.	कार्यवाई विचाराधीन है।
		4. आप्टिका ओप्टिमोवेस स्टेसइल आफ्थाल्मिक सस्पेंशन बैच सं० 8804, 8826, 8726 बैच सं०-8724	तदैव
		5. ट्रेकोल स्वैरिल्स आफ्थाल्मिक	तदैव
		6. सैटिसोल 8735	तदैव
		7. क्लोरेम्फेकाल आफ्थाल्मिक सोल्यूशन आई पी. 8827.	तदैव
113.	वेनियन लेबोरेटरीज अम्बाला कैंट।	1. जाममो कैप्सूल, बैच सं० 251	जी हां, 6-7-89 को यह तीन महीनों तक निरस्त कर दिया गया।
		2. कारमोल टिकिया, बैच सं० 117.	जी हां, 1-12-88 को यह निरस्त कर दिया गया।
		3. वेनास्पिन बैच स० 143.	फर्म के लाइसेंस का नवीकरण करते समय इस मद को हटा दिया गया।

1	2	3	4
114.	मै० बायो-कार्स रैपिडीज अम्बाला कैंट ।	1. डायनियन टिकिया, बैच सं० 22.	नवीकरण करते समय मद हटा लिया गया ।
		2 कोल्ड्रिल टिकिया, बैच सं० 77.	जी हां, 6-12-89 को चेतावनी दे दी गई ।
		3. आपसेमेक्स-12 बैच सं० 110.	जी हां, 18-10-89 को अनुज्ञा निरस्त कर दी गई ।
		4. डेक्सोमेथोसोन बैच सं० 152.	जी हां, 12-4-90 को चेतावनी दे दी गई ।
		5. सल्फामेथोजोल एंड ट्रिमाथापरिम पेड. बी.पी सी. बैच सं० 257.	जी हां, 21 दिनों तक अनुज्ञा निरस्त कर दी गई ।
115.	अनुन्दन ड्रग्स, पंचकुला	1. क्लोरेम्फेंकाल पाल्मीटेट ओरल सस्पेंशन बैच सं० 3486-बी, एंड 12586.	जी हां, 27-1-88 को अनुज्ञा निरस्त कर दी गई ।
		2. कुफिनल एक्स्प, बैच सं० 9386.	जी हां, 18-11-88 को फर्म का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया ।
		3. वेप्लेक्स-5 बैच सं० 1486.	तदैव
		4. केप्ट्रान पेस्डिएट्रिक सीरप बैच सं० दर्शनीय नहीं	तदैव
		5. वीमाइसटीन क्लोरेम्फेंकाल ओरल सस्पेंशन बैच सं० 3486-बी और 16688.	तदैव

1	2	3	4
116.	मै० तुलाज फार्मास्युटिकल्स यमुनानगर ।	1. ट्रिमेथेपरिम एंड सल्फाजोल मिक्सचर बैच सं० 1107.	जी हां, 15-6-88 को चेतावनी दे दी गई ।
		2. पिप्रेजाइन साइट्रेट सीरप बैच सं० 1187.	जी हां, 10.5-88 को चेताव दे दी गई।
		3. एस्पिरिन बैच सं० 1337.	जी हां, 11-8-88 को चेतावनी दे दी गई ।
		4. ग्लाईक्लिन आई. पी. बैच सं० 173.	जी हां, 2-1-90 को मद को एक माह तक निरस्त कर दिया गया ।
		5. ऐंडेक पाउडर/पैंसिस बैच सं० 1414/1426 एंड 1398	तदैव
117.	मैसर्स किम लेबोरेट्री अम्बाला कैंट ।	1. साइनाप्रिम पैंसिडएट्रिक सस्पेंशन	फर्म को सलाह दिया गया है कि वह लेबल बदल दे और श्री डी० आई० कर्नल को निर्देश दिया गया कि वह लेबलों की जांच पड़ताल करे ।
		2. डिहिस्ट एक्स्प. बैच सं० 7077.	कार्रवाई विचाराधीन है ।
		3. साइनकोर्ट, बैच सं० 8226	जी हां, 2-8-90 को मद निरस्त कर दिया गया ।
118.	मैसर्स टास्सन फार्मास्युटीकल्स	1. जेन्टामाइसिन आई ड्राप्स बी.एम.-टी. जी-9	जी हां, हिसार में फर्म के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है ।

1	2	3	4
		2. डेक्साकोल आई ड्राप्स बी.एन.टी.ई-1	जी हां, 6-9-88 को चेतावनी दी गई।
		3. क्लोरेम्फैनिकोल बी. एन. सी. पी-1	जी हां, 6-9-88 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		4. जेन्टामाइसिन आई ड्राप्स बी एन -टी.जी.- 1,2,3 और 6	जी हां, —तदेव—
		5. सिएनोकोब्रालमाइन बी. एन सी-30	कार्रवाई विचाराधीन है।
		6. डेक्सोकोल आई ड्राप्स बी. एन. टी.-5,2 और 4	—तदेव—
		7. इंजेक्शन निमचेताब- 12 बी. एन. 8 और 10	—तदेव—
		8. डेक्सापेन्थोल सोडियम बी. एन-01	—तदेव—
		9. ओरिक्लोर आई ड्रप	—तदेव—
119.	मैसर्स बेरोमेक्स प्रयोगशाला, अम्बाला शहर	1. बेराजमि लिक्विड बी. एन. 351	जी हां, 25-7-90 को चेतावनी जारी की गई।
		2. अल्पासिड गोली बी. एव. ए. 1-51	जी हां, 22-3-90 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4
120.	मैसर्स सिरिप इंडिया, पंचकुला	1. एमिरोन बी. एन-872	जी हां, 6-7-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. रेप्रोविट बी. एन-210	जी हां, 12-2-89 को यह रद्द कर दी गई।
		3. क्लेमेन्डा हाइकोल एन्टेसाइड बी. एन-871	इस फर्म का लाइसेन्स पहले ही रद्द कर दिया गया है।
		4. पेक्टोजोल सस्पेंशन बी.एन.पी.एल-881	—तदेव—
121.	मैसर्स सिन्थो फार्मा, सोनीपत	1. सिन्थो कफ सिरिप बी. एन.-2177	जी हां, 14-3-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. सिन्थो-ग्लाक्स बी. एन. 1232	जी हां, 7-11-89 को चेतावनी जारी की गई।
		3. डी कोल फोर्ट ड्रोप्स बी. एन. बी. एन. 5843	जी हां, कार्रवाई विचाराधीन है।
122.	मैसर्स [illegible], सोनीपत	[illegible] बी. एन.-1523	जी हां, 1-10-90 से 2 महीनों के लिये मद वापिस ले ली गई।
123.	मैसर्स सिली कैमिकल, अम्बाला छावनी	एम्मोनियम क्लोराइड सी. पी. बी. एन. 954 व 2989	जी हां, 30-5-89 को चेतावनी जारी की गई। लाइसेंस के नवीकरण करने से मना कर दिया गया। और मुकदमा

1	2	3	4
			चलाने के लिये फर्म के विधान को राज्य औषध नियन्त्रक पंजाब को भी भेजा गया है ।
124.	मैसर्स नेवेक्स फार्मास्युटीकल्स, पंचकुला	जेन्टामाइसिन बी. एन-2 और 5	छह महीने के लिये इस मद को रद्द कर दिया गया है ।
125.	मैसर्स बी. के. फार्मा राडौर कैथल	1. ट्रीमेथाप्रिम सल्फेमेथाक्सेजोल बी.एन. 167, 170 से 172 तक	जी हां, औषध निरीक्षक को फर्म के विरुद्ध मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया है ।
		2. बेटामेथोसोन गोली बी. एन.-591	राज्य औषध नियन्त्रक भोक्ता ने हरियाणा राज्य में फर्म के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये इस मामले को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया है ।
126.	मैसर्स बेन फार्मास्युटीकल्स, अम्बाला छावनी	1. वेक्सेन ईयर ड्राप बी. एन-591	जी हां, विधान के परिवर्तन के पश्चात नया लाइसेंस मंजूर करते समय इस मद को हटा लिया गया है ।
		2. टान्सिल एक्स्प. बी. एन. 588	—तदेव—
		3. प्रोटोफ्लेक्स बी. एन. 1120	कार्रवाई विचाराधीन है ।

1	2	3	4
127.	मैसर्स यूनिसुला प्रा० लिमिटेड, सोनीपत	1. नियोगेसिक गोली बी. एन. 1120 और 1308	जी हां, 6-10-88 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		2. डक्साजिन गोली बी. एन. 1207	जी हां, 30-12-88 को चेतावनी जारी की गई।
		3. एनेल्जिन बी. एन. 1646	—तदेव—
		4. डेक्सामेथोसोन गोली बी. एन. बी. एन. 1351	कार्रवाई विचाराधीन है।
		5. यूनिजाइन बी. एन. 1229	कार्रवाई विचाराधीन है।
		6. ओक्सागेन बी. एन. 1266 और 1269	—तदेव —
		7. आइसोप्रियाजिड बी एन. 2215 व 1834	—तदेव—
		8. नियोजेसिक गोली बी. एन. 2215 व 1834	—तदेव—
		9. कोल्ड्रेक्स गोली बी. एन. 2322	—तदेव—
		10. डेकोफिरिप गोली बी. एन. 2425	—तदेव—
		11. डायजेफाप गोली बी. एन. 2046	—तदेव—
		12. डक्सीफेन ब्रुडोन बी. एन. 1633	—तदेव—
		13. डिरिसोल गोली बी. एन. 2242	—तदेव—
		14. प्रोक्लोरपेराजाइन बी. एन. 1887	—तदेव—

1	2	3	4
128.	मैसर्स श्री शान्तिनाथ फार्मास्युटीकल्स, सोनीपत	1. एस. एस. क्लोरेम्फैनिकल ईयर ड्राप्स बी. एन. 22,25 व 26	जी हां, 1-10-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. एंस्पेपि गोली बी. एन.-76687	जी हां, 5-12-88 को यह रद्द कर दी गई।
129.	मैसर्स रेडिकल फार्मा० अम्बाला छावनी	1. रेलिवर गोली बी. एन. 61011	कार्रवाई विचाराधीन है।
		2. मेस्ट्रिल एस.पी.एम.बी.एन. 1204	जी हां, 12-4-90 को एक महीने के लिये यह रद्द कर दी गई।
130.	मैसर्स बी. एस. फार्मास्युटीकल्स	1. विमल पैरासिटामोल सिरिप बी. एन. बीएस-55	कार्रवाई विचाराधीन है।
		2. क्लोरेम्फैनिकोल इयर ड्राप बी.एन -बी.एस.-58	जी हां, 6-4-88 को अनुमति रद्द कर दी गई।
		3. बेपलैक्स बी. काम्पलेक्स बी. एन-60	जी हां, चेतावनी जारी की जा रही है।
		4. बी. एस. गिप वपटर बी एन 122	जी हां, इस मद के लिये लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया।
		5. केपेजोल संस्पेंशन बी. एन. 123	जी हां, 16-12-89 को चेतावनी जारी की गई।
131.	मैसर्स ब्राउस्प्रेस फार्मास्युटीकल्स	1. डैड क्योर बी. एन. एफ-106	जी हां, 16-12-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. सल्फमेथाजोल और ट्रिमेथाप्रिम बी एन.ए-107	जी हां, 30-12-88 और 9-4-90 को चेतावनी जारी की गई।

1	2	3	4
		3. बम्फ्लेन बी.एन.ए-107	जी हां, चेतावनी जारी की जा रही है।
		4. डी-पाइसेटिन-पी.बी.एन. 106	जी हां, एक महीने के लिये यह मद रद्द कर दी गई।
132.	मैसर्स क्रिस्टल फार्मास्युटीकल्स	1. निकेथमिड इन्जे० बी. एन. ए न. के. 55	कार्रवाई विचाराधीन है।
		2. पेडोनिसोलोन बी. एन. 266	—तदेव—
		3. एस्प्रिम बी.एन.ए.सी-55	—तदेव—
133.	मैसर्स लेक फार्मास्युटीकल्स,	1. ट्रिमेथोप्रिम व सल्फोचोनाजोला 505	जी हां, 1-4-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. क्लोरेम्फेनिकोल पालिटेल बी. एन. 506	—तदेव—
		3. लेक्टो प्लेटेनिक बी.एन. 508	कार्रवाई विचाराधीन है।
		4. ले चिप वाटर बी एन. 527	— तदेव—
		5. लैनानोले पेडिएट्रिक सस्पे. बी. एन. 590	जी हां, 10-7-90 को 2 महीने के लिये यह रद्द कर दी गई।
134.	मैसर्स बोम्स इण्डिया (प्रा० लिमिटेड ई-38, इन्ड०) सोनीपत	1. सरमेल टेब० बी.एन. 2715	जी हां, 9-5-88 को चेतावनी जारी की गई।
		2. प्रोवेस्टिक बोसी बी. एम. 2756	—तदेव—
135.	मैसर्स केप्टिल प्रयोगशाला, सोनीपत।	1. क्लोरेम्फेनिकोल इयर ड्राप्स बी.एच. 59, 79	जी हां, 24-6-87 को अनुमति रद्द कर दी गई।

1	2	3	4
136.	मैसर्स माइसन प्रयोगशाला, सोनीपत ।	1. एस्पो गोली बी.एन. 847	जी हां, 12-7-88 को चेतावनी जारी की गई ।
		2. टेनड्रिल गोली बी. एन. 965	जी हां, 7-8-89 को लाइसेंस रद्द कर दिया गया ।
		3. नेलजेसिक बी. एन. 892	तदैव
137.	मैसर्स ऐडमक फार्मा० पचकुला ।	1. बेटोमैथा सोने सी आई ड्राप सहित नेपमाइसिन बी. एन. बी. 4	जी हां, 21-11-88 को चेतावनी जारी की गई ।
		2. जेन्टामाइसिन जे-1, 3	जी हां, 5-12-88 को चेतावनी जारी की गई ।
		3. डेक्सामेथोजोल सोडियम बी. एस. 689, 103	जी हां, 21-11-88 को चेतावनी जारी की गई ।
		4. डेक्साजोन इन्जे० बी. एन बी एक्स, 101 व 97 और 12, 10	कार्रवाई विचाराधीन है ।
		5. डी. क्लोर आई ड्राप्स बी. एन डी. सी. 2-3	तदेव
		6. डेक्समाइसिन बी. एन. 5	तदेव
		7. नियुरोट्रोन इन्जे० बी. एन०	तदेव

बाजार में प्रतिबन्धित औषधियों की बिक्री

*86. श्री कमल नाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1990 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "बैन्ड ड्रग स्टिल इन मार्केट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले की जांच करने तथा सम्बन्धित अधिनियम में कमियां दूर करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का विचार है;

(ग) क्या निश्चित रूप से खतरनाक और अनुपयुक्त तेरह औषधियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि एक वर्ष पहले एम०ए० पाटिल समिति ने सिफारिश की थी; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब ले लिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) से (घ) सरकार ने इस समाचार पर ध्यान दिया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आंतरिक इस्तेमाल के लिए किसी अन्य औषध के साथ कॉर्टिकोस्टेराइड के निर्धारित खुराक वाले मात्र पर 3 नवम्बर, 1988 से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । यह सूचित किया जाता है कि अन्य औषधों के साथ कार्टिकोस्टेराइड के निर्धारित खुराक वाले योगों के लोकप्रिय ब्रांड अब बिलकुल तैयार नहीं किये जाते हैं । तथापि, कुछ यूनिटों ने रोकादेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं । ऐसे सभी मामलों में स्थगन को समाप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है ।

औषध और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 1982 केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसे औषध फार्मूलेशन जिसे मौजूदा जानकारी के संदर्भ में निष्प्रभावी अथवा हानिकारक अथवा असंगत समझा जाता है, के आयात, विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्रदान करता है । इस प्रकार आगे और कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

केन्द्रीय सरकार ने औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर फार्मूलेशनों की 15 श्रेणियों के विनिर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है ।

सामान पर मूल्य अंकित करना

[हिन्दी]

*87 डा० ए० के० पटेल
श्री गिरधारी लाल भार्गव } : क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे वस्तुओं के प्रत्येक

पैकेट पर सभी कर सहित उनका अधिकतम मूल्य लिखें और उन्हें ऐसा करने के लिये 30 नवम्बर, 1990 तक का समय दिया गया था;

(ख) क्या 30 नवम्बर 1990 के बाद भी ऐसे पैकेट बेचे जा रहे हैं, जिन पर "स्थानीय कर अतिरिक्त" लिखा होता है और उपभोक्ताओं को इन करों का (डिब्बाबन्द वस्तु) नियम, 1977 का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में स्थिति ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उद्योगपतियों को भी पैकेटों पर उत्पादन लागत अंकित करने का निर्देश देने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) चूंकि विनिर्माताओं/पैकरों को परिवर्तन के लिए 30 नवम्बर, 1990 तक के समय की अनुमति दी गई है, अतः इस तारीख को अथवा इससे पूर्व बनाए गए पैकेजों, जिन पर पहले के रूपों के अनुसार विक्रय मूल्य घोषित हों, के कुछ समय तक बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध रहने की सम्भावना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खुदरा विक्रेता स्थानीय करों के अलावा उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल न करें।

(घ) पैकेजों पर उत्पादन लागत की घोषणा करना कार्ट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 तथा उस अधिनियम, जिसके तहत ये नियम बनाए गए हैं, की परिधि से बाहर है।

बंगलौर में यातायात की भीड़-भाड़ कम करने के लिए कर्नाटक को सहायता

[अनुवाद]

*88. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसको बंगलौर में यातायात की भीड़-भाड़ कम करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाये, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण)। (क) और (ख) बंगलौर महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने बंगलौर शहर परिवहन परियोजना पर एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तैयार

रिपोर्ट करने का कार्य मई, 1988 में रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनोमिक सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा था। भारत सरकार को बंगलौर शहर परिवहन के लिए इस पर आधारित कोई परियोजना रिपोर्ट अभी तक कर्नाटक सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों के लिए भूमि

[हिन्दी]

*89. श्री राम लाल राही
श्री वे० चोक्का राव } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितनी और किन-किन सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने का विचार है;

(ख) इन आवास समितियों को किन-किन स्थानों पर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन समितियों से प्रति वर्ग मीटर किस दर से मूल्य वसूल किए जाने की सम्भावना है;

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार उन 423 समितियों को प्रस्ताव पत्र भेज दिए गए हैं, जिन्हें पपनकलां और नरेला में भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है। भावी आवंटन अधिग्रहण और विकास कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगा।

(ग) समितियों से वसूल की जाने वाली दर पपनकलां में 975 रुपए प्रति वर्गमीटर और नरेला में 950 रुपए प्रति वर्ग मीटर अगले आदेशों तक नियत की गई है।

विवरण

1983 में पंजीकृत उन सहकारी समितियों के नाम जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि की पेशकश की।

क्र० सं०	समिति का नाम
1	2
1.	नम्बरदार
2.	ऑल पेथ
3.	मीराबाई
4.	ई. पी. डी. पी.
5.	साउथ दिल्ली रेजीडेंट्स
6.	ग्रीन व्यू
7.	टीना
8.	खुश मिलन
9.	गृह स्वामिनी

1	2
10.	सुरक्षा सदन
11.	युनिवर्सल ब्रदरहुड
12.	विवेका नन्द
13.	न्यू जय भारती
14.	नव निकेतन
15.	श्री गणेश
16.	जे० एन्ड के०
17.	बिल्ड गैल
18.	करी मोहम्मद तायब
19.	यू० पी० बिहार
20.	पुर्वंल वैश्य
21.	सन्त कृपाल सिंह
22.	प्रेरणा
23.	शिक्षा
24.	न्यू शिवाजी
25.	रजनी गंधा
26.	बाबलपुर
27.	आई०ओ०सी० (पी० एस०)
28.	हिन्दुस्तान कौपर
29.	माउंट एवरेस्ट
30.	म्यूचल
31.	धरमवीर
32.	विजय
33.	ब्रुक बॉण्ड एम्प्लाईज
34.	पैट्रोलियम
35.	सहायदरी
36.	सन्त सुन्दर दास जी
37.	डीजल शैड
38.	न्यू मीनार
39.	नमस्कार
40.	शिव शक्ति
41.	होम लिविंग
42.	कबीर ज्योति
43.	ब्लेम अरोर बंसी
44.	साउथ दिल्ली

1	2
45.	आदर्श पुरवल
46.	सुमित
47.	महिला प्रतिरक्षा मंडल
48.	सुमित विहार
49.	अपना विसा
50.	नव तरंग
51.	न्यू सिद्धार्थ
52.	लैदर मर्चेन्ट
53.	पराग
54.	न्यू कावेरी
55.	सिद्धार्थ कुंज
56.	सुधा सिंधु
57.	हर मिलापी
58.	फितिप्स
59.	एन०सी०सी०एफ० एम्प्लाईज
60.	चेम्बर
61.	फखरुद्दीन मेमोरियल
62.	न्यू दिल्ली
63.	सरल
64.	अम्बा
65.	बैंक निवास
66.	शिव भोला
67.	फ्रैंड्स सर्किल
68.	संतोष
69.	संतोष
70.	एच० सी० एल०
71.	रवीन्द्र विहार
72.	मूर्ति देवी
73.	डी०एस०सी०एम०सी० एम्प्लाईज
74.	नव भारतीय
75.	एक्स आशीर्वाद
76.	आदर्श मित्र मंडल
77.	सोहनी
78.	मिल चल्ल
79.	गुरु नवल वाल्मीकि
80.	ओल्ड एण्ड यंग फ्रैंड्स

1	2
81.	सी०डी०ई०यू०
82.	श्री बालाजी
83.	डॉ न बास्को
84.	श्री वर्दमान
85.	एयर इंडिया एम्प्लाईज
86.	जैलुर
87.	सिंधु नगर
88.	ब्रिटिश कौंसल मिशन
89.	खोसला
90.	एटीयल
91.	प्रतिभा
92.	वस्तुकला
93.	फ्रैंड मैन्युफैक्चरर
94.	भावना
95.	राष्ट्रपति भवन कैंब.
96.	जुगल
97.	एकान्त
98.	सर एनीज
99.	गुरू
100	अग्रवाल जैन
101.	स्पार्टकस
102.	सूरज कुन्ड
103.	पब्लिक सेक्टर
104.	पटेल
105.	प्रभा
106.	पालम
107.	न्यू लायलपुर
108.	हरबंस लाल
109.	ग्रीन फैली
110.	मंजिल
111.	सुरक्षा विहार
112.	वैलकम
113.	कामा अपार्टमेंट्स
114.	सबीर अहमद खान
115.	महावीर

1	2
116.	परमहंस
117.	राजस्थान
118.	दी बाला जी
119.	श्री ज्ञानी नाथ
120.	रुद्र
121.	सत करतार विहार
122.	न्यू प्रियदर्शनी
123.	ग्रीन फिल्ड
124.	यूनिक इन्शोरन्स
125.	नन्दा देवी।
126.	शाहजाहाबाद
127.	लक्की फ्रैंड्स
128.	नव निर्माण
129.	आई०टी०बी०पी०
130.	जीवन तारा
131.	चाक लता
132.	प्रशासन
133.	माउन्ट एवरेस्ट
134.	आजाद हिन्द
135.	भड़वार
136.	सिद्ध
137.	भाटिया स्टार
138.	त्रिमूर्ति
139.	केसर बाणी
140.	इलैक्शन कमीशन
141.	बसमेश
142.	सफीकउर रहमान
143.	आर्यन्त सिद्धार्त
144.	उद्योग विहार
145.	एम० सिन्टेक्स
146.	इन्डियन एयर लाइन्स वर्कर्स
147.	न्यू कावेरी
148.	बजूबालिया ब्रदरहुड
159.	मयल्क
150.	पुष्पांजली

1	2
151.	सहिद असफाकुल्ला
152.	दिल्ली एफ०सी० वकर सैक्शन
153.	गुजरात
154.	नार्दन इण्डिया
155.	एस०एफ०एस० टिचर्स
156.	नूतन आर्यवृत्त
157.	योग माया
158.	सिल्वर होप
159.	यूनाइटिड फ्रैंड्स
160.	ग्रीवज
161.	मानस वाणी
162.	ए०एफ०एच०क्यू
963.	कमल विहार
164.	गरिमा
165.	मानस उत्थन
166.	सैन्ट कोलम्बस
167.	श्री श्याम
168.	ट्रैंड्स
169.	मिलिट्री हास्पिटल
170.	समता
171	चाणक्या
172.	आशा ज्योति
173.	सूर्य भारती
174.	प्राज्ञ
175.	शंकर ग्राम
176.	श्री राम
177.	विदेश विहार
178.	नैरीनर्स
179.	जय आचार्य
180.	डी०जे०ए०
181.	दिल्ली टूरिजम इम्प०
182.	एन०सी०इ० इम्प०
183.	पाम बीच
184.	यूनाइटिड
185.	सर्वसांझी

1	2
186.	दिल्ली मुन्सिपल प्रेस
187.	डी०जी०ई० एण्ड टी०
188.	साची बिहार
189.	मनचाहत
190.	कटरा ईश्वर
191.	टी०आई०डी० एण्ड आई०एन०ए०डी०जो०सी०
192.	बाहुबली
193.	हमदम
194.	उपकारी
195.	भाग्यशाली
196.	प्रभावी
197.	जयभिक्षु
198.	न्यूऐरा
199.	श्री अग्रसेन
200.	नवसंगम
201.	एस०एस०सी० इम्प०
202.	गायत्री
203.	शबास
204.	न्यूटन
205.	मासकर
206.	कम्प्यूटोनिक्स
207.	चन्द्र बिहार
208.	श्री नाथ जी
209.	निर्माण प्रिया
210.	ग्राम बिहार
211.	बनस्थली
212.	सैन्ट ओरियन्ट
213.	परियोजना
214.	एयरलाइनर्स
215.	जय माता कल्याणी
216.	न्यू हिन्दुस्तान टाइम्स
217.	प्रवासी
218.	वर्षा ऋतु
219.	न्यू ज्योति
220.	डेमोक्रेटिक

1	2
221.	मार्डन स्कूल
222.	रफी अहमद
223.	स्वामी दयानन्द
224.	करोड़
225.	सिक्खपंथ
226.	होजटैक
227.	गुडिया
228.	गोल्ड क्राफर्ट
229.	ओक ग्रोव
230.	बिजनोरी
231.	सुखी परिवार
232.	ज्वाइंट डिफैंस सर्विस
233.	ओम सत्यम
234.	तरुण
235.	श्री गुरु गोविन्द सिंह
236.	मुफति ए-अजाम
237.	सफत ऋषि
238.	गितान्जली कुन्ज
239.	अनुसंधान
240.	यादव अपार्टमेंट
241.	इ०सी०आई०एल०
242.	यंगस्टर
243.	वजीरपुर स्पात स्केल इण्डस्ट्रीज
244.	बाबा सहब
245.	अशूलिखा
246.	सर्जिकल
247.	दिल्ली वर्किंग वलास
248.	प्रोग्रैसिव इनक्लेव
249.	सुमंकर
250	समन विहार
251.	भगवान महावीर
252.	पारस
253.	रामनिक
254.	दिल्ली टेलीफोन
255.	लोओइंजिनियरिंग इण्डिया

1	2
256.	सबमती
257.	श्री न्यू सब्जी मंडी
258.	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमीस्टेशन
259.	आकाश गंगा
260.	न्यू प्रेरणा
261.	विजय बैंक
262.	एस०एफ०एफ० स्टाफ
263.	हर्श इंजिनियर्स
264.	रमन विहार
265.	रैक
266.	नारायण इंडस्ट्रीज
267.	दरिपा
268.	किर० जन० आफ० सिक्योरिट्रीज
269.	बैंक विहार
270.	इस्पात
271.	मार्डन दिल्ली यूनियन आर्फ जर्नलिस्ट
272.	डब्ल्यू०टी०पी० बदरपुर
273.	आभरण
274.	श्री दुर्गा
275.	मदर डेरी
276.	बी०टी०पी०एस०
277.	यूथ
278.	सी०बी०आई०पी०
279.	कूरमांचल
280.	राशि
281.	मेयफैयर
282.	निलांजन
283.	मार्डन एच०टी० इण्ड०
284.	भगवान वर्धमान
285.	फिल्मालया
286.	निलम विहार
287.	अपना सदन
288.	गोदरेज
289.	रघुवंशी
290.	न्यूयार्क

1	2
291.	जैमनि
292.	डोगरा
293.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
294.	शिल्पा
295.	आदर्श आर्य
296.	महामाई
297.	सिविल सप्लाई
298.	विरांगना
299.	क्लासिक
300.	प्रराग
301.	पदमिनी
302.	ट्रायाल
303.	रविशंकर
304.	डेफोडिल्स
305.	बापूधाम
306.	हिलांस
307.	गगन
308.	राजस्व
309.	सोम्य सदन
310.	राजेन्द्र
311.	इर्कोन
312.	ऐबियेशन
313.	साउथ दिल्ली कम्पस
314.	जग कल्याण
315.	मुतान
316.	ऐसोसियेटेड
317.	आई०ई०एस० आफीसर
318.	संगमित्रा
319.	शिवालिका
320.	अनुप्रिया
321.	कल्पका
322.	शांतिकुंज
323.	योम्य ज्योति
324.	दक्षिणेश्वर
325.	रजनीगंधा

1	2
326.	मुगल
327.	गुरु अमर निवास
328.	अनेमान
329.	मावलपुर
330.	उपग्रह
331.	झंकार
332.	हिमाचल शीलीधर
333.	वत्रा
334.	आलीशान
335.	वस्त्रलोक
336.	नव ज्योति
337.	सूर्य विहार
338.	एयर फ्रेंस
339.	लेग संचार
340.	कहेन्द्रिका
341.	डायरेक्टर आफ एकाउन्ट्स केबीनेट सेक्रेटियेट
342.	मित्रमंडल
343.	सुरुचि
344.	ज्वालपा
345.	होमसिब शुडलीड
346.	अपूर्वा
347.	संजय गांधी
348.	शीला
349.	श्री गनीनाथ
350.	ज्ञानप्रिय
351.	पंजाबी
352.	मां अम्बा
353.	एन०टी०पी०सी०
354.	मुनिरीका
355.	कात्यायनी
356.	सम्राट अशोक इनक्लेव
357.	अणु विद्युत
358.	गिरनांचल
359.	विनायक
360.	पटपड़गंज

1	2
361.	इ०टी०टी०डी०सी०
362.	न्यू नेशनल
363.	स्वामी आत्मानंद
364.	श्री राधा
365.	डी०डी०ए० इंजीनियर्स
366.	ग्रेटर कैपिटल
367.	हिमलोक
368.	नव सुरुचि
369.	अशोका इनक्लेव
370.	कनारा बैंक वर्क्स
371.	मन्दाकनी महीला
372.	संसद विहार
373.	भाई मतिदास
374.	रजत नगर
375.	न्यू अग्रोहा
376.	जलंधर मोटर एजेंसी
377.	यूनीकल
378.	दक्षिण
379.	शिवा
380.	नव संसद
381.	हिमाचल प्रदेश
382.	तहसील कोट अद्दू
383.	रिलाइबल
384.	कनक दुर्गा
385.	सुख-शांति
386.	उल्लास
387.	बीटा प्रभा अधिकारी
388.	रक्षा विज्ञान
389.	श्री निकेतन
390.	श्री निकेतन
391.	क्रिसेन्ट
392.	आनन्द सागर
393.	दिल्ली पब्लिक स्कूल इम्पलाइज
394.	मालविका
395.	संगम प्रभात

1	2
396.	प्रियरंजन
397.	इंडियन बैंक स्टाफ
398.	पीरेज
399.	राजेश्वरी
400.	इरीगेशन एंड फ्लड
401.	वृंदावन
402.	शिवलोक

1983 से पूर्व की समितियों के नाम जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि का प्रस्ताव पेश किया है

क्रम संख्या	सोसाइटी (समिति) का नाम
1.	नवीन
2.	न्यू ज्योति
3.	यंग प्रोफेशनल
4.	न्यू आदर्श
5.	निश्चान्त
6.	स्वरूप सदन
7.	जय दिवा मां
8.	न्यू डी०जी०के०
9.	एयर फोर्स एवं नवल आफीसर
10.	महालक्ष्मी
11.	श्री बालाजी
12.	ग्यान शक्ति

आवास साकार योजना के अंतर्गत पंजीकृत समितियां जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का प्रस्ताव पेश किया गया है

क्रम संख्या	समिति का नाम
1	2
1.	फोवर डोल
2.	बुलुदो

1	2
3.	नवीन कुंज
4.	कृष्णनन्
5.	सहयोग
6.	ई०आई०एल० फैंड्स
7.	आई डियल
8.	विंग फ्लो
9.	निष्काम

राष्ट्रीय अकादमियों और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में हक्सर समिति की रिपोर्ट

*90. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय**
श्री बलवन्त मणकर } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सम्बन्ध में पी० एन० हक्सर समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसके कार्यान्वयन पर खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति की कतिपय सिफारिशों को कार्यान्वयन न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्यकरण में सुधार और इसके विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) हक्सर समिति द्वारा की गई 168 सिफारिशों की गहराई से जांच करने तथा उनको कार्यान्वित करने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए संस्कृति विभाग में एक कार्यान्वयन कक्ष (सेल) स्थापित किया गया है। समिति की रिपोर्ट छपवाकर वितरित करवा दी गई है। संबंधित चार संस्थाओं अर्थात संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की टिप्पणियां मांगी गई हैं।

(ख) और (ग) संस्कृति विभाग में अभी भी सिफारिशों की जांच की जा रही है। अतः इसके कार्यान्वयन पर कोई राशि खर्च नहीं की गई है और मौजूदा स्थिति में किसी सिफारिश को कार्यान्वित न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार द्वारा 1988 में उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित किए जाने के अलावा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने विद्यालय के शैक्षिक कार्यकरण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करने के लिए स्वयं ही श्री गिरीश करनाड की अध्यक्षता में 1989 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने दाखिलों, परीक्षाओं, पाठ्यचर्याओं और संकाय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं, जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति ने मैसर्स टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेज

द्वारा विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे के अध्ययन का भी सुझाव दिया था। परामर्शदाताओं द्वारा यह अध्ययन दिसम्बर 1990 में पूरा कर लिया गया है।

पीपुल आफ इण्डिया प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में ऐन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा आधार सामग्री का संग्रह

[अनुवाद]

*91. श्री परसराम भारद्वाज
श्री हरीश पाल } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐंथ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने भारत में सभी समुदायों का एक संक्षिप्त मानव विज्ञानीय विवरण तैयार करने के लिए हाल ही में "पीपुल ऑफ इण्डिया प्रोजेक्ट" के सम्बन्ध में आधार सामग्री तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने जनजाति अनुसंधान संस्थान से भी सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उन समुदायों का राज्य-वार और जनसंख्या-वार ब्यौरा क्या है जिनका विवरण तैयार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) समुदायों की राज्य-वार रखी गई अनन्तिम संख्या विवरण के रूप में संलग्न है। तथापि भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण कम्प्यूटर पर आंकड़ों को और आगे संसाधित कर रहा है; ताकि स्थिति अंतिम रूप से सामने आ सके। जनसंख्या-वार कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस परियोजना के अंतर्गत न तो जनगणना का कार्य किया गया और न ही जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े तैयार किए गए।

विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समुदायों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	317
2.	अरुणाचल प्रदेश	64
3.	असम	110
4.	बिहार	261
5.	गोवा	34
6.	गुजरात	255
7.	हरियाणा	77
8.	हिमाचल प्रदेश	104

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समुदायों की संख्या
9.	जम्मू और कश्मीर	106
10.	कर्नाटक	253
11.	केरल	224
12.	मध्य प्रदेश	339
13.	महाराष्ट्र	298
14.	मणिपुर	27
15.	मेघालय	21
16.	मिजोरम	16
17.	नागालैंड	25
18.	उड़ीसा	277
19.	पंजाब	85
20.	राजस्थान	252
21.	सिक्किम	26
22.	तमिलनाडु	304
23.	त्रिपुरा	77
24.	उत्तर प्रदेश	298
25.	पश्चिम बंगाल	200
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21
27.	चंडीगढ़	42
28.	दादरा एवं नगर हवेली	13
29.	दमन और दीव	27
30	दिल्ली	143
31.	लक्षद्वीप	7
32.	पांडिचेरी	67
		4370

उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण

*92. **श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, दिल्ली ने शिकायतों को दूर करने में अत्यधिक विलम्ब किया है जैसाकि 3 दिसम्बर, 1990 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "टाइम्स स्टैड्स स्टिल फॉर कंज्यूमर्स" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कार्यभार के अनुसार कई शिकायत निवारण फोरम गठित करने का प्रस्ताव है ताकि न्याय मिलने में विलम्ब न हो; और

(घ) अन्य राज्यों में राज्य स्तर पर कितने-कितने मामले विचाराधीन हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार कभी-कभी देरी इस कारण हो जाती है कि पार्टियां अपने मामलों को प्रतिनिधियों तथा वकीलों के जरिए प्रस्तुत करना पसंद करती हैं और कभी देरी मामलों में निहित विषयों के कारण हो जाती है। दिल्ली जिला मंच में 24-12-90 को 1550 मामले लम्बित पड़े थे।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 9 (क) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिलों में एक जिला मंच स्थापित करना है।

(घ) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य आयोगों में लंबित पड़े मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य आयोग

राज्य का नाम	लंबित पड़े मामले	शिकायतें	योग
आंध्र प्रदेश	55	78	133
हरियाणा	—	3	3
गुजरात	10	193	203
पंजाब	—	4	4

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

*93. श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री वसुदेव आचार्य } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति ने कितनी प्रगति की है;

(ख) इस समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या समिति ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट 26-12-1990 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के सारांश का विवरण संलग्न है।

विवरण

1. ई०सी०सी०ई० (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एज्युकेशन) को शामिल करने के लिए यू०ई० ई० (अनुच्छेद 45) को विस्तार देने के लिए संवैधानिक निर्देश।

2. यू० ई० ई० को मौलिक अधिकार बनाने की संभावना के लिए सरकार द्वारा जांच करना।

3. स्कूलों में औपचारिक शिक्षा का अनौपचारिकरण करना, सरल और मूल्य प्रभावी यू० ई० ई० की सुविधा प्रदान करना, एक निश्चित समयावधि के दौरान पद्धति को लागू करना।

4. ई० सी० सी० ई० को यू० ई० ई० के साथ अवयवीकरण।

5. महिलाओं की ऐसी समस्याएं, जो उनको शिक्षा तक पहुंचने तथा निरंतर शिक्षा प्राप्त करने में बाधक हैं उनके समाधान सहित महिला शिक्षा के लिए कई उपायों का किया जाना।

6. सीखी स्कूली पद्धति की चरणबद्ध तरीके से लागू करना : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और शैक्षिक रूप से दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए अर्थपूर्ण रणनीति द्वारा समानता और सामाजिक न्याय का लाया जाना, अ०जा०/अ०जा० जा०के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव की पुनरीक्षा करना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक वातावरण में सुधार लाने की व्यापक योजना को विकसित करना, विशेष सह योजना तथा जनजाति उपयोजना के लिए विशेष बजट बनाना।

7. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना; अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू करने में अधिक से अधिक क्षेत्रों को शामिल करना, अल्पसंख्यकों के बीच उनके शैक्षिक विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी को शामिल करना।

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक उपायों की प्रगति पर निगाह रखने के लिए वास्तविक निगरानी रखने की व्यवस्थाएं स्थापित करना।

9. जब कि एन० एल० एम० और जन अभियानों को जारी रखा जा सकता है, फिर भी उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाना और वैकल्पिक योजनाओं को विकसित करना, अल्पसंख्यकों के लिए विकास सम्बन्धी मौलिक कार्यक्रमों से वयस्क साक्षरता की ओर

प्रस्थान करने के लिए रास्ते को विकसित करना। बजाय इसके कि व्यस्क साक्षरता से प्रस्थान किया जाय, जिसे कि वे अपनी जरूरत समझते हैं जब कि ऐसी बात नहीं है, दूसरे शब्दों में वयस्क साक्षरता को जरूरत महसूस करते हुए दिया जाना, वयस्क शिक्षा के लिए महिला समाख्या जैसे वैकल्पिक माडलों का प्रयोग किया जाना, वयस्क शिक्षा के लिए, दूसरे विभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मूलभूत ढांचे को शिक्षा विभाग की पहल पर सम्मिलित प्रयास द्वारा गतिशील बनाना।

10. व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न धाराओं को बन्द कर इसके समेकित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करना।

11. सामुदायिक कार्यों में उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय का इसमें अपने शैक्षिक गतिविधियों का अंग समझते हुए भाग लेना, विशेष रूप से इस योजना की स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए और खासतौर पर प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाना।

12. दबाव वाले क्षेत्र की प्रारंभ की जाने वाली स्कीमों का विस्तृत प्रभावकारी अध्ययन कालबाग समिति की रिपोर्ट के वित्तीय आशयों को अद्यतन बनाना और रिपोर्ट को शीघ्र कार्यान्वित करना ताकि ग्रामीण लोगों की सेवा में सामुदायिक पालिटेक्निकों को सार्थकता से जुटाया जा सके जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा व्यवसायिक दक्षताएं और प्रौढ़ साक्षरता प्रदान की जानी है।

13. शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को तुरंत माध्यम बनाने, जहां नहीं दिया गया है वहां स्वायत्तता का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय भाषा संस्थाओं की युक्तिसंगत व्याख्या करना, यहां तक कि त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित किया जाये, संस्कृत शिक्षा के विकास और प्रोन्नयन का स्तर निर्धारण करने वाले राष्ट्रीय स्तर के एक निकाय की स्थापना, समस्त भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए मातृ-भाषा शिक्षा की सर्वव्यापकता सुनिश्चित करना सभी राज्यों की सांझी भाषा के विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना।

14. संस्कृति, मूल्य और युवा घटकों के अर्थों में शैक्षिक सहमति के विकास पर देश में कक्षा-कक्ष की विषम स्थिति, सावधानी पूर्वक कार्यान्वित किए जाने वाले शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली श्रेष्ठता।

15. परीक्षा सुधारों को पूरा करने के लिए एक सुव्यवस्थित आधार पर स्थापित होने वाला आयोग; सेमेस्टर पद्धति से पैकेज (एक मुश्त) आधार पर कार्यान्वित होने वाला परीक्षा सुधार, लड़खड़ाती साख के अभिग्रहण की सुविधा के साथ छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षा पद्धति में प्रमाणीकरण और सुलभ प्रविष्टिवा और निर्गमन।

16. विश्वविद्यालय, संकाय, अध्यापक स्तरों सहित सभी स्तरों पर कार्यान्वन और अनुश्रवण आयोजना का विकेन्द्रीकरण, संसाधनों का आवंटन।

17. अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में बुनियादी परिवर्तन लाने विशेषकर प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के स्थानब मानव के विकास के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों के प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए।

18. शैक्षणिक विकास और उस आधार पर आयोजन के लिए विच्छेदित निर्धारण का लक्ष्य।

19. विकेन्द्रीकृत स्कूल प्रबन्धन और सुधार के लिए प्रायोगिक आधार पर स्थापित किए जाने वाले शैक्षिक परिसर।

20. निर्णय निर्धारण की प्रक्रियाओं में अधिक सार्थकता के केन्द्र और राज्य स्तर पर शिक्षाविदों की भागीदारी।

21. शैक्षिक कार्यक्रमों में उनके प्राचलनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए स्वैच्छिक एजेंसियों की सार्थक किन्तु सावधानीपूर्वक भागीदारी।

22. मूलभूत आधार पर मंत्रालय के स्तर पर सेवाओं का समन्वयन और अभिमुखाता।

23. कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों और रियायतों के साथ उच्चतर शिक्षा के लिए शुल्क की वृद्धि, ऋण सुविधाओं की संस्था, छात्रवृत्ति स्कीमों की विवेकपूर्ण व्याख्या और शैक्षिक मूलभूत ढांचे के विकास के लिए शर्त निर्धारक संस्थाओं की भागीदारी द्वारा शिक्षा के लिए आन्तरिक संसाधनों का निर्माण उपरोक्त के अतिरिक्त कोठारी आयोग के समय से अनुशंसित 6% मानव की पर्याप्तता की जांच सहित कुल शुद्धि लाभ की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा के लिए आवंटनों की पर्याप्त वृद्धि।

24. विधि आयोग की रिपोर्ट के हवाले से अध्यापकों और छात्रों की समस्याओं का सामना करने के लिए छात्रों के उनके लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध व्यक्त करने, शिक्षा जगत की निर्णय निर्धारण भीतरी और बाहरी प्रक्रियाओं में अध्यापकों और छात्रों की भागीदारी के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को औषधियों की सप्लाई

[हिन्दी]

*94. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सकों द्वारा लिखे गए नुस्खों पर आयुर्वेदिक औषधियां प्रदान नहीं की जाती हैं;

(ख) क्या सरकार एक ही औषधालय से सभी प्रकार की औषधियों की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाएं (I) एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति (II) भारतीय चिकित्सा पद्धति और (III) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग से औषधालय/यूनिट खोले गए हैं।

आयुर्वेदिक यूनिटों/औषधालयों/अस्पताल में कार्य कर रहे चिकित्सक आयुर्वेदिक औषधों के नुस्खे लिख सकते हैं। ये औषधें उन्हें संबन्धित औषधालयों/यूनिट से सप्लाई की जाती हैं।

एलोपैथिक औषधालयों में कार्य कर रहे चिकित्सक किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए वे आयुर्वेदिक औषधें देने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

एलोपैथी के डाक्टर द्वारा लिखे गए नुस्खे के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधें प्रदान करना संभव नहीं है।

बन्द और छात्र आन्दोलन के कारण पढ़ाई के घंटों की हानि

[अनुवाद]

*95. श्री के० डी० सुल्तानपुरी
श्री कल्पनाथ राय } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि हाल ही के महीनों में बन्द और छात्र आंदोलनों के कारण कालेजों और स्कूलों में पढ़ाई के कितने घटों की हानी हुई है; और

(ख) क्या पढ़ाई के समय की हुई इस हानि को पूरा करने और चालू शिक्षा सत्र का कार्य पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाल ही में के आन्दोलनों के दौरान देश के अनेक भागों में शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य को क्षति पहुंची थी। बर्बाद हुए समय की क्षतिपूर्ति करने और शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए शीतकालीन अवकाश को कम करने, सप्ताह में तथा छुट्टी के दिनों में अतिरिक्त शिक्षण और फाईनल परीक्षाएं आहूत करने जैसे अनेक उपाय संबद्ध विश्वविद्यालयों और स्कूल प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं।

भारतीय कपास निगम द्वारा निर्यात

[हिन्दी]

*96. श्री जनार्दन यादव : क्या वस्त्र मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम लिमिटेड द्वारा निर्यात के सौदे में की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट की जांच पूरा करने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शुकदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी नहीं, भारतीय कपास निगम लि० द्वारा किए गए निर्यात सौदे में हुई कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

चीनी मिलों के लिए नए लाइसेंस

[अनुवाद]

*97. श्री बसंत साठे
श्री प्रकाश कोको झझमट्टू } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1990 के इकानोमिक टाइम्स में "फूड मिनिस्ट्री क्लाक्स न्यू शूगर लाइसेंसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में की गई टिप्पणियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चीनी के लाइसेंस जारी करने के लिए लम्बित पड़े प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से चीनी मिलों की स्थापना के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उसके पहले से कितने प्रस्ताव विचारार्थ लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई तथा कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित पड़े हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चीनी उद्योग के लिये लाइसेंसिंग नीति तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये प्रोत्साहन योजना सरकार के समीक्षाधीन है। लंबित आवेदनों/प्रस्तावों पर उक्त समीक्षा के आधार पर विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) 1-10-1989 को लंबित आवेदन पत्रों, 1-10-1989 से 30-9-1990 तक की अवधि के दौरान प्राप्त नए आवेदन-पत्रों, 1-10-1989 से 30-9-1990 तक जारी किए गए लाइसेंस-पत्रों और 1-10-1990 को लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या का राज्यवार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1-10-1989 को लंबित आवेदन पत्रों, 1-10-1989 से 30-9-1990 तक की अवधि के दौरान प्राप्त नए आवेदन-पत्रों, 1-10-1989 से 30-9-1990 जारी किए गए आशय-पत्रों और 1-10-1990 को लंबित आवेदन पत्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य	1-10-1989 को लंबित	1-10-1989 से 30-9-90 के दौरान प्राप्त	1-10-1989 से 30-9-90 के दौरान जारी किए गए आशय पत्र	1-10-1989 को लंबित
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	6	155	9	152
2.	महाराष्ट्र	18	135	18	135
3.	कर्नाटक	1	37	1	37
4.	पंजाब	3	23	1	25
5.	आन्ध्र प्रदेश	2	31	3	30
6	तमिलनाडु	—	19	2	17
7.	हरियाणा	—	8	—	8
8.	मध्य प्रदेश	—	6	1	5
9.	राजस्थान	—	1	—	1
10.	गुजरात	6	2	6	2
11.	बिहार	—	17	—	17
12.	उड़ीसा	1	1	1	1
13.	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1
14.	पांडिचेरी	1	—	1	—
		38	436	43	431

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

•98 श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायसेन जिले की मालवा महिला समिति को सीरोज लाटेरी [illegible] में तीन सौ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने के लिये 16 मार्च, 1980 को 13,25,000/- रुपये स्वीकृत किये गये थे;

(ख) इस संस्था को 31 दिसम्बर, 1989 तक कितनी धनराशि दे दी गई थी और क्या यह आरोप लगाया गया है कि दी गई धनराशि में कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी जांच कराने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) लाटेरी ब्लाक के लिए 13,19,700/- रुपये के कुल अनुमोदित अनुदान सहित श्री मालवा महिला विकास समिति, गोबई-पुरा, रायसेन जिला (म०प्र०) को दिनांक 17-3-1989 को 300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की एक परियोजना संस्वीकृत की गई थी ।

(ख) इसे दिनांक 17-3-1989 तथा 27-3-1990 को क्रमशः 9,60,000/- रु० तथा 3,59,700/- रु० की दो किस्तें मुक्त की गई थीं । इस मंत्रालय को अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) सरकार ने एक संयुक्त मूल्यांकन दल द्वारा इस परियोजना का शीघ्र ही मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है, जो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा ।

पेप्सी फूड्स लिमिटेड द्वारा तकनीकी जानकारी शुल्क का भुगतान

*99. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी फूड्स लिमिटेड द्वारा पेप्सी, अमरीका, को तकनीकी जानकारी शुल्क का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) क्या यह शुल्क खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए दिया गया है या शीतल पेय परियोजना के लिए या आलू-चिप्स परियोजना के लिए या फिर तीनों के लिये;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मद के लिए दी गई शुल्क की राशि क्या है;

(घ) क्या पेप्सी फूड्स लिमिटेड ने फल-प्रसंस्करण हेतु केन्द्रीय खाद्य व तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर से जानकारी मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो जानकारी शुल्क के रूप में विदेशी मुद्रा व्यय करने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकम देव नारायण यादव) : (क) मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मै० पेप्सी को, अमरीका को उनके द्वारा अभी तक किसी तकनीकी जानकारी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर परियोजना के मूल्यांकन चरण से ही इसके साथ संबद्ध रहा है और इसने

विदेशी सहयोग की सिफारिश की थी। इस समय मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड को किन्नो रस के कड़ुवेपन को दूर करने के तरीकों और दूसरे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के साथ संबद्ध किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के विद्यालयों में प्रवेश के लिए चन्दा

•100 **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री राजबीर सिंह } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राजधानी के सभी निजी और गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रवेश के समय ही चन्दा न लेने के निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन की चेतावनी के बावजूद अनेक विद्यालय छात्रों के प्रवेश के समय ही एकमुश्त चन्दे की मांग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पब्लिक स्कूलों द्वारा कथित चन्दे की इस अवैध वसूली की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और सरकार का चन्दा लेने के दोषी विद्यालयों की प्रबंध समिति के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्धकों को निर्देश जारी करके निम्न आदेश फिर से दुहराये हैं :—

(क) दाखिले के लिये कोई दान नहीं लेना

(ख) पब्लिक सेक्टर उद्यमों के कर्मचारियों के बच्चों के लिये ऋण लेने या किसी और शर्त पर स्कूलों में दाखिले के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं रखना।

(ग) कर्मचारियों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को अपने अधिकार में नहीं रखना।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि उन्हें इसके लिए कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। इसलिए किसी खास स्कूल के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

चीनी जोन

924. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवी चीनी का समर्थन मूल्य तय करने के उद्देश्य से देश को चीनी जोन में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी जोन कितने हैं,

(ग) ऐसे जोन स्थापित करने का मानदण्ड क्या है,

(घ) राजस्थान किस चीनी जोन में आता है, और

(ङ) लेवी चीनी का कारखाना मूल्य क्या है और इसमें कारखाने का अनुमानित लाभांश कितना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 18 चीनी क्षेत्र मौजूद हैं।

(ग) क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि जलवायु की परिस्थितियों के आधार पर तथा लागत एवं मूल्य पर विभिन्न विशेषज्ञ निकायों की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखकर गठित किए गये थे।

(घ) राजस्थान अपने आप में एक क्षेत्र है।

(ङ) लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई परिवर्तन लागत एवं प्रतिफल के आधार पर 1989-90 मौसम के दौरान लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत (पूरे भारत में) 494.16 रुपये प्रति क्विंटल थी। जिसमें 8.32 रुपए प्रति क्विंटल की एक्विटी भी शामिल है।

कच्चे पटसन का उत्पादन

925. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान, कच्चे पटसन का, राज्य-वार, कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कच्चे पटसन का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मानक गुणवत्ता वाले कच्चे पटसन का औसत बाजार मूल्य कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, सरकार द्वारा किस समर्थन मूल्य का प्रस्ताव किया गया; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार भारतीय पटसन निगम द्वारा कितनी मात्रा में पटसन की खरीद की गई ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1989-90 में कच्चे पटसन और मैस्टा प्रत्येक की 180 किग्रा की 72.50 लाख गाँठों का उत्पादन हुआ जिनमें पश्चिम बंगाल में 45 लाख गांठें, बिहार में 8 लाख गांठें, असम में 8.50 लाख गांठें, उड़ीसा में 3 लाख गांठें, उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांठें, मेघालय में 0.50 लाख गांठें, त्रिपुरा में 0.50 लाख गांठें, आन्ध्र प्रदेश में 4.50 लाख गांठें तथा अन्य राज्यों में 1.50 लाख गांठें शामिल हैं।

(ख) पटसन सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1990-91 में कच्चे पटसन/मैस्टा की 90 लाख गांठ का उत्पादन होने का अनुमान लगाया है।

(ग) वर्ष 1989-90 (जुलाई से जून तक) के दौरान टी डी-5 किस्म के पटसन की औसत बाजार कीमत 558.47 रुपये प्रति क्विंटल तथा वर्ष 1990-91 (जुलाई से जून तक) 539.50 रु० प्रति क्विंटल था।

(घ) वर्ष 1988-89 में टी डी-5 किस्म के पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमत 262.50 रु० प्रति क्विंटल, वर्ष 1989-90 में 295.00 रु० प्रति क्विंटल और वर्ष 1990-91 में 320.00 रु० प्रति क्विंटल थी, तथा

(ङ) भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1988-89 में पटसन की 6.81 लाख गांठों, वर्ष 1989-90 में 5.08 लाख गांठों तथा वर्ष 1990-91 में 8.35 लाख गांठों की खरीददारी की।

नकली दवाइयों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध मामले

[हिन्दी]

926. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1990 से 30 नवम्बर, 1990 तक, देश में नकली दवाइयों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध अनेक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं, तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मौतों की संख्या में खतरनाक ढंग से वृद्धि हो रही है; और

(घ) क्या सरकार का जीवन रक्षक दवाइयों का खुद निर्माण करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुबई चौधरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंचायत द्वारा क्रीड़ा स्थलों (स्टेडिया) का निर्माण

[अनुवाद]

127. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पंचायतों के क्रीड़ा-स्थल (स्टेडिया) के निर्माण के लिए कितनी सहायता राशि दी गई है; और

(ख) पंचायतें इस प्रकार की सहायता राशि पाने के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकती है?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मागेय गोवर्धन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पंचायतों में स्टेडिया के निर्माण के लिए दी गई सहायता की राशि निम्नलिखित है :—

1987-88	1988-89	1989-90
		(रुपए लाखों में)
24 70	24.34	9.69

(ख) 'राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" देने की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा भेजने चाहिए।

कर्नाटक में एड्स रोग की जांच

928. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक महीने से कर्नाटक में एड्स रोग की जांच का काम रुक गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने जांच करने वाली किटें सप्लाई नहीं की हैं;

(ख) किटों की सप्लाई न करने के मुख्य कारण क्या हैं, और

(ग) सरकार ने जांच कराने वाली किटों की शीघ्र सप्लाई करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना

929. **श्री गोपीनाथ गजपति** : : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न राज्यों में कुछ सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में भी कोई ऐसा केन्द्र स्थापित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का राज्य में राउरकेला और परलखेमुंडी अथवा कोरापुट में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, उड़ीसा में सुन्दरगढ़ जिले के आदिवासियों द्वारा स्थापित बिर्सा मुण्डा स्टेच्यू कमेटी, राउरकेला नामक एक स्वैच्छिक संगठन ने राउरकेला में एक आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और सरकार से सहायता मांगी है।

(ङ) सरकार कमेटी को एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने के लिये सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति

930. श्री बालगोपाल मिश्र
प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति के बुनियादी मुद्दे तैयार कर लिये गये हैं। इन मुद्दों की पुस्तिका की एक प्रति संसदीय पुस्तिकालय में उपलब्ध है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों में इन्सुलिन की सप्लाई न होना

931. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी भी अस्पताल में गत तीन महीनों से (जुलाई 1990 से सितम्बर, 1990 के दौरान) इन्सुलिन की सप्लाई नहीं हुई है, जिस कारण मधु-मेह के रोगियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों में दवा उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यमुना पार क्षेत्रों के विकास के लिए अलग बोर्ड का गठन

932. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी और विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना पार क्षेत्रों के विकास के लिए एक अलग बोर्ड के गठन का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस बारे में संतोषजनक प्रगति की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (घ) यमुना पार क्षेत्र के विकास के लिए अलग बोर्ड के गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र के नियोजित विकास का कार्य महानगर के अन्य भागों के विकास के साथ पहले ही किया जा रहा है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम

933. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1933 का संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संशोधन कब लागू करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है न कि 1931 के अधिनियम में, जिसे 1956 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था ।

(ख) संसद की संयुक्त समिति द्वारा सूचित किए गए विधेयक की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पर विचार कर लिए जाने और उसे पारित किए जाने के बाद संशोधन लागू किए जाएंगे ।

विवरण

संसद के सदनों की संयुक्त समिति द्वारा सूचित की गई भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें

(I) परिषद के उद्देश्यों को स्पष्टतया परिभाषित किया जा रहा है ।

(II) डिग्रियां मेडिकल कालेजों के अनुसार मान्य होंगी, न कि विश्वविद्यालय के अनुसार जैसा कि इस समय होता है।

(III) नए मेडिकल कालेज खोलने, मौजूदा मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने या मौजूदा मेडिकल कालेजों में नए अथवा उच्चतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(IV) प्राथमिक चिकित्सा अर्हता को परिभाषित किया गया है। विधेयक के अनुसार एम० बी० बी० एस० प्राथमिक चिकित्सा अर्हता है।

(V) चिकित्सकों को हर पांच साल में नवीकरण कराना होगा।

(VI) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में एक आचार एवं अनुशासन समिति बनाई जा रही है जो राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अपीलीय प्राधिकारण तथा चिकित्सा रजिस्टर से निष्कासन के मामलों में मूल प्राधिकरण होगी।

(VII) कैपीटेशन फीस समाप्त की जा रही है और इस उपबन्ध का उल्लंघन दंडनीय होगा।

(VIII) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद शिक्षण शुल्क तथा मेडिकल कालेजों और भारतीय व विदेशी छात्रों के लिए विभिन्न कक्षाओं का निर्धारण करेगी।

(IX) विदेशी-चिकित्सा डिग्रियों वाले व्यक्तियों की भारत में चिकित्सा व्यवसाय करने से पहले जांच परीक्षा ली जाएगी।

(X) पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद छः माह से अधिक तक किसी सदस्य को उपर्युक्त के अनुसार बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उचित दर की दुकानों के लिए आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता

934. श्री मनोरंजन भक्त
श्री गंगा चरण सोमी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में उचित दर की दुकानों के माध्यम से किन-किन वस्तुओं की सप्लाई की जाती है:

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी उचित दर की दुकानों में ये सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं: और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए सप्लाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, साफ्ट कोक तथा मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन, जिसमें स्थानीय स्तरों पर उपलब्धता की मानीटरिंग करना शामिल है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तथापि, केंद्रीय पुल में गेहूं, चावल तथा चीनी का पर्याप्त स्टाक है। मिट्टी के तेल के मामले में भी गत वर्ष के आबंटनों (तदनुरूपी अवधि में) के ऊपर कुछ वृद्धि करके आबंटन किया गया है। इस समय पामोलीन की कमी चल रही है। स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार किया जा रहा है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और उनका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है।

"इन्टरनेशनल सोसायटी आफ बर्न इन्जुरीज" के सुझाव

935. **श्री बी० देवराजन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टरनेशनल सोसायटी ऑफ बर्न इन्जरीज" से जलने से इलाज के संबन्ध में कोई सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) बर्न इन्जरीज सबन्धी 8 वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1990 से दिल्ली में हुआ था। इस मन्त्रालय में इस विषय पर अंतराष्ट्रीय सोसाइटी से कोई औपचारिक तथा ठोस प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

स्वचालित और शटललैस करघों का निर्माण

936. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में स्वचालित और शटललैस करघों के निर्माण हेतु एक ठोस अनुसंधान और विकास का आधार बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जबकि वस्त्र मशीनों का विषय (जिनमें ऐसे करघों का उत्पादन भी शामिल है) उद्योग मंत्रालय देखता है, फिर भी अतीरा तथा बतरा जैसी सहकारी वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन वस्त्र मशीन निर्माण उद्योग को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है। भारतीय वस्त्र मशीन निर्माताओं ने आटोमैटिक और शटलैस करघों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का आयात तथा सहयोग प्राप्त किया है। वे अपने उत्पादों में सुधार ला रहे हैं। उनको देशी भी बना रहे हैं। सरकार ने वस्त्र मशीन निर्माण उद्योग से आग्रह किया है कि वह डिजाइन के विकास के लिए अनुसंधान व

विकास केन्द्र की स्थापना करें तथा यू० एन० डी० पी० विशेषज्ञों द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है।

केरल में केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचारी नियमों के अन्तर्गत शामिल शहर

937. श्री पी० सी० चाको : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में किसी नगर अथवा शहर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केन्द्रीय सेवा चिकित्सा नियम के अन्तर्गत मान्यता दी गई है अथवा इसके अन्तर्गत आते हैं।

(ख) क्या केरल के कुछ नगरों तथा शहरों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केन्द्रीय सेवा चिकित्सा नियमों के अन्तर्गत शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का केरल में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सुविधाएं प्रदान करने हेतु विस्तार नहीं किया गया है। तथापि, केरल में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अन्तर्गत आते हैं। इस समय केरल में किसी शहर/कस्बे को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देश में नवोदय विद्यालय

[हिन्दी]

938. कुमारी उमा भारती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या है;

(ग) क्या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही हैं तो हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं; और

(घ) अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रामजस पांडे) : (क) देश भर में अभी दो सौ इकसठ नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) VIII वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा है और उसके बाद सामाजिक ज्ञान हिन्दी में और अन्य विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। उच्चतर कक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को उपयुक्त समझा गया है क्योंकि वर्षों से केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस व्यवस्था का

अनुसरण कर रहा है और इस स्कीम में छात्रों को एक भाषाई क्षेत्र से दूसरे भाषाई क्षेत्र में अन्तरण की सुविधा का प्रावधान है।

साधारण नमक प्रतिबंध पर हटाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

939. **प्रो० राम गणेश कापसे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री नमक में किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का साधारण नमक (आयोडीन युक्त नमक के अलावा) की बिक्री पर से प्रतिबन्ध हटाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) नहीं; समुद्री नमक में किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। समुद्री नमक में आयोडीन पूर्ण से उपयोग करने पर 10 ग्राम समुद्री नमक के प्रतिदिन के उपयोग से 20 यू० जी० से कम आयोडीन प्राप्त होता है। एक व्यस्क के लिए आयोडीन की प्रतिदिन की आवश्यकता 150 यू० जी० है।

(ख) सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आयोडीकृत नमक के अतिरिक्त किसी अन्य की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाना नहीं चाहती ताकि गलगण्ड और आयोडीन की कमी से सम्बद्ध अन्य रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके।

पंजाब में धान की खरीद

940. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 30 नवम्बर, 1990 तक पंजाब की मंडियों में बिक्री के लिए कितना धान आया;

(ख) भारतीय खाद्य निगम, खाद्य विभाग, पंजाब मार्फेड और अन्य सरकारी एजेंसियों ने कितना धान खरीदा;

(ग) कितना धान नहीं खरीदा जा सका और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) धान की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाए जाएंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) 77.46 लाख मीटर टन।

(ख) वसूली एजेन्सियां	(30-11-1990 की स्थिति के अनुसार) खरीदी गई धान की मात्रा (लाख मीटरी टन में)
भारतीय खाद्य निगम	30.28
राज्य का खाद्य विभाग (फूडसप)	3.92
मार्कफेड	5.76
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (पनसप)	5.08
जोड़	45.04

(ग) और (घ) पंजाब की मंडियों में 30 नवम्बर, 1990 तक कुल 77.46 लाख मीटरी टन की हुई आमद में से, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार और राज्य की वसूली एजेन्सियों ने मूल्य समर्थन योजना के अधीन में 45.04 लाख मीटरी टन धान खरीदी थी और 32.42 लाख मीटरी टन की शेष मात्रा खुले बाजार में चावल मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई थी। सरकार की मूल्य समर्थन योजना का उद्देश्य किसानों द्वारा वसूली एजेन्सियों को क्रय केन्द्रों/मंडियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वैच्छिक आधार पर उचित औसत किस्म तथा सरकार विहित विनिर्दिष्टियों के अनुसार सभी धान/अन्य खाद्यान्न खरीदना सुनिश्चित करना है। तथापि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां विनिर्दिष्टियों के निचले स्तर की धान वसूल की जाती हो और इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि सभी समय में मंडियों में पहुंची 100% धान की वसूली कर ली जाएगी।

शिक्षा कर्मी

941. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "शिक्षा कर्मी" का एक संवर्ग है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा भर्ती की जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण स्कूलों में गांव के ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए; और

(घ) इस सम्बन्ध में उड़ीसा में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) राज्य शिक्षा विभागों में कर्मियों की भर्ती का उत्तरदायित्व, राज्य सरकारों पर है और राज्य सरकारों द्वारा सृजित पदों के लिए केन्द्र भर्ती नियम निर्धारित नहीं करता है।

"शिक्षा कर्मी" नामक शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति उड़ीसा व राजस्थान राज्यों में की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा में "शिक्षा कर्मियों" का चुनाव प्रशिक्षित मैट्रिक पास में से किया जा रहा है या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों में से केवल मैट्रिक पास लोगों की नियुक्ति की जा रही है। ये नियुक्तियां प्रत्येक शिक्षा जिला के लिए गठित समिति द्वारा की जा रही है। इन शिक्षा कर्मियों को पहले चार वर्षों में एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है, उसके बाद प्राथमिक स्कूल शिक्षक का वेतनमान दिया जाता है।

रामस्वरूप क्षय रोग अस्पताल के अनुरक्षण के लिये धनराशि

942. **श्री सी० एम० नेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महरौली, नई दिल्ली स्थित राम स्वरुप क्षय रोग अस्पताल का भवन तथा उपकरण जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के अनुरक्षण के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी दी गई;

(ग) क्या स्वीकृत की गई धनराशि पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो अस्पताल, जो कि ढह जाने की कगार पर है को मरम्मत के लिये प्राथमिकता के आधार पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के बजट प्राक्कलन में 54.50 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। अब तक 35.00 लाख रुपये दिये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) अनुदान स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार कर दिया जाता है। अस्पताल का प्रबन्ध सरकार ने पहले ही संभाल लिया है। अस्पताल को 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम XYI के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है और यह लाला राम सरुप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग अस्पताल के नाम से जाना जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उपयुक्त संस्था के लिए 12.82 करोड़ रुपये का प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया है।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों की कार्यप्रणाली

943. **श्री राजदेव सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में उचित दर की दुकानों के मालिक राशन वितरण में उसकी मात्रा और गुणवत्ता में गड़बड़ी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उचित दर की दुकानों के मालिकों को शिकायत पुस्तिका रखना आवश्यक है;

(घ) क्या सम्बद्ध अधिकारी उचित दर की दुकानों पर अचानक दौरा करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि कदाचारों के कुछ मामले उनके ध्यान में आये हैं और दोषी उचित दर की दुकानों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित दर की दुकानों के जरिये वितरित किये जाने वाले गेहूं तथा चावल की उचित दर की दुकानों को सुपुर्दगी दिये जाने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा उनके गुणता मानकों के अनुरूप होने के बारे में जांच की जाती है।

दिल्ली प्रशासन का खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, उचित दर दुकानदारियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को कम से कम करने के लिए नियमित रूप से तथा अचानक निरीक्षण करता है। उक्त विभाग द्वारा शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जी हां। दिल्ली प्रशासन के फील्ड कर्मचारी उचित दर की दुकानों की निरन्तर जांच करते रहते हैं।

परिवार नियोजन के लक्ष्य

[हिन्दी]

944. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों से 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की नसबन्दी किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अनुदेश दिये गये हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों के लिए परिवार नियोजन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये लोगों को निरुत्साहित करने/उनसे कुछ सुविधाएं वापस लेने की किसी नीति को लागू करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सई चौधरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन दम्पतियों को जहां पत्नियों की आयु 15-44 वर्ष की आयु समूह में हैं, परिवार नियोजन के लिए पात्र दम्पती माना जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों की ही नसबन्दी

सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। तथापि 70 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की नसबन्दी करने के बारे में राज्यों से कोई भी विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) 1990-91 के लिए निर्धारित किये गये राज्यवार और तरीके वार परिवार नियोजन के लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में निरूत्साहन/हतोत्साहन की नीति पहले से ही चल रही है जैसे कि इस समय महिला सरकारी कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिये प्रसूति अवकाश नहीं मिलता है और शिक्षा भत्ते को दो बच्चों तक सीमित कर दिया है तथापि सामान्य जनता (सरकारी कर्मचारी शामिल हैं) के लिए किसी निरूत्साहन योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1990-91 के लिए परिवार कल्याण लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एंजेसी	नसबन्दी	आई० यू० डी०	प्रचलित गर्भ निरोधकों के प्रयोग कर्ता	गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग कर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	650,000	450,000	1,078,300	225,128
2.	असम	254,000	90,000	40,000	30,000
3.	बिहार	550,000	475,000	359,100	59,700
4.	गुजरात	258,000	460,000	600 000	90,000
5.	हरियाणा	102 000	210.000	552,360	32,800
6.	कर्नाटक	360,000	262,000	264,630	77,900
7.	केरल	200,000	150,000	297,200	50,300
8.	मध्य प्रदेश	350,000	370,000	1,100,000	220,000
9.	महाराष्ट्र	575,000	525,000	969,000	286,600
10.	उड़ीसा	220,000	200,000	291,600	53,000
11.	पंजाब	120,000	350,000	473,600	47,900
12.	राजस्थान	225,000	250,000	400,000	50,000
13.	तमिलनाडु	425,000	550,000	389,000	173,600
14.	उत्तर प्रदेश	785,000	1,535,000	1,459,500	224,900
15.	पश्चिम बंगाल	500,000	225,000	418,700	124,600
16.	हिमाचल प्रदेश	34,000	60,000	75,000	12.000
17.	जम्मू और कश्मीर	38,000	26,000	16,000	4,000

1	2	3	4	5	6
18.	मणिपुर	10,000	8,000	5,100	500
19.	मेघालय	800	2,000	3,000	3,000
20.	नागालैंड	1,500	2,500	,900	1,000
21	सिक्किम	1,000	1,300	,800	1,300
22.	त्रिपुरा	11,000	2,500	1,600	2,100
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2,000	1,500	1,580	,380
24.	अरुणाचल प्रदेश	2,300	2,400	,300	,700
25.	चण्डीगढ़	3,500	10,000	11,180	,900
26	दादर व नागर हवेली	1,000	200	940	180
27.	दिल्ली	40.000	126,000	450,000	8,000
28.	गोवा	4,500	3,500	1,290	2,300
29.	दमन व दीव	350	330	750	120
30.	लक्षद्वीप	70	150	1,000	300
31.	मिजोरम	3,000	2;700	4,240	1,380
32.	पांडिचेरी	5,600	4,200	9,900	1,000
33.	रक्षा मन्त्रालय	30,800	24,400	61,150	2,960
34.	रेल मन्त्रालय	40,480	20,320	400,000	4 100
35.	वाणिज्य वितरण			,330,000	700,000
	अखिल भारत	5,803,900	6,400,000	15,079 530	2,492,788

कर्नाटक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[अनुवाद]

945. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः वर्षों के दौरान कर्नाटक के गांवों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) कर्नाटक के गांवों में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां अभी तक प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारी तैनात नहीं किए गए हैं; और

(ग) प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रसई चौधरी) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान कर्नाटक के गांवों में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 275 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्हता प्राप्त डाक्टरों के बगैर कार्य कर रहे हैं।

(ग) कर्मचारियों को तैनात करना और उन्हें काम पर लगाना राज्य सरकारों का दायित्व है। उन्हें रिक्त पदों को भरने के लिये समय-समय पर कहा जाता है।

पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में रिक्त पदों का भरना

[हिन्दी]

946. **डा० बंगाली सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में मार्च, 1989 से श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार के जिन पदों को भरा गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नियुक्त किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) विश्व विद्यालयों में श्रेणी III और श्रेणी-IV के पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम/संविधियों/अध्यादेशों के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1989 से अगस्त 1990 तक हुई कुल नियुक्तियां श्रेणी III में 50 और श्रेणी IV में 30 है। इस अवधि के दौरान श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों में भरे गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या क्रमशः 15 और 10 है।

साक्षरता मिशन

[अनुवाद]

497. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों विद्यार्थियों को शामिल करके एक व्यापक साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वार्षिक योजना/वर्ष में इस अभियान के लिये क्या प्रावधान किए गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) और (ख) वर्ष 1995 तक 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मई, 88 में शुरू किए गये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में छात्रों सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की अपेक्षा है।

कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के छात्र साक्षरता प्रदान करने के लिये स्वैच्छिक आधार पर भाग ले रहे हैं। उड़ीसा महाराष्ट्र, पश्चिम

बंगाल तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने स्कूलों के छात्रों को भी उनके कार्य अनुभव के एक भाग के रूप में साक्षरता कार्यक्रमों में शामिल करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्कूलों तथा कालेजों से लगभग 10.00 लाख छात्रों को का०सा०ज० कार्यक्रम के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। कार्यात्मक साक्षरता के जन कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षरता क्रियाकलापों में भाग लेने के अलावा केरल और गोवा के संपूर्ण राज्यों, संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी गुजरात में 100 तालुकों तथा अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 25 जिलों में क्षेत्र विशेष तथा समय विशेष संपूर्ण साक्षरता परियोजनाओं में अन्य लोगों के साथ साथ छात्रों को भी पूरी तरह से शामिल किया जा रहा है।

(ग) यद्यपि, इस कार्य के लिए पृथक रूप से कोई आवंटन नहीं किया गया है तथापि वर्ष 1990-91 के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदान किए गए 96.00 करोड़ रु० के कुल परिव्यय में, अन्य लोगों के साथ-साथ छात्र स्वयं सेवकों को, साक्षरता किट उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.00 करोड़ रु० का प्रावधान भी शामिल है।

सुपर बाजार की चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए अधिक काउन्टर

948. **श्री राम नरेश सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सुपर बाजार दिल्ली के 10 रुपये या उससे कम राशि की चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए भी प्रतिकूल मौसम में कभी-कभी घन्टों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों तथा महिलाओं को उनकी दवा के बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ समय तक एक अलग काउन्टर खोला गया था जिसे कुछ दिन बाद बन्द कर दिया गया, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) औषधालयों द्वारा ही 25 रुपये या उससे कम राशि के बिलों का भुगतान करने के लिए और अधिक काउन्टर खोलने की व्यवस्था करने की दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बलई चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं। सुपर बाजार प्रातः 11 बजे से सायं 2 बजे तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के दावों की पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिपूर्ति करता है। जब कभी आवश्यक होता है अतिरिक्त काउन्टर खोलकर प्रतीक्षा के समय को घटाने के लिए हर प्रयास किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लाभार्थियों और महिलाओं को बिना लाइन दवाइयां दी जाती हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि स्थानीय कैमिस्टों के साथ हुए संविदा के अनुसार कैमिस्टों के पास अनुपलब्ध औषधों के लिए लाभार्थियों द्वारा खुले बाजार से खरीदी गई औषधों की लागत की प्रतिपूर्ति केवल स्थानीय कैमिस्ट द्वारा की जानी होती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत होम्योपैथी डिस्पेंसरियां/अस्पताल

949. **श्री श्रीकांत वत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत राज्यों में होम्योपैथी डिस्पेंसरियां/अस्पताल खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना में खोले जाने वाले ऐसे होम्योपैथी डिस्पेंसरियों/अस्पतालों का ब्यौरा क्या है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिये इस अवस्था में ब्यौरे भेजना संभव नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को फ्लैट

[हिन्दी]

950. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्वतन्त्रता सेनानियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मापदण्ड क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वर्ष के दौरान आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या के अधिकतम 2.5% तक बिना बारी आधार पर आवंटन अनुकम्पा, अत्यधिक कठिनाई के आधार पर तथा श्रेष्ठ खिलाड़ी, शौर्य पुरस्कार विजेता रक्षा कर्मिकों एवं राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा करने वाले अन्य व्यक्तियों को कर सकते हैं। तथापि, स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये कोई अलग कोटा नहीं है।

एक्युपंक्चर चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग

[अनुवाद]

951. **श्री राजेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कितने और किन-किन अस्पतालों, औषधालयों और स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्रों में "एक्युपंक्चर" चिकित्सा प्रणाली अपनाई जा रही है; और

(ख) "एक्युपंक्चर" चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलई चौधरी) : (क) और (ख) भारत में यह चिकित्सा पद्धति अभी औपचारिक रूप से मान्यता

प्राप्त नहीं है। बहरहाल, कुछ लोगों ने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे देश में भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। कुछ प्रशिक्षित व्यक्ति सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल आदि जैसे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में इस चिकित्सा पद्धति से इलाज कर रहे हैं।

सह-उत्पाद विकास योजना के लिए चीनी विकास निधि से सहायता

952. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के तेल संकट को ध्यान में रखते हुये अल्कोहल का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाना गंभीर विचार का विषय बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी के कारखानों में उत्पादन की दृष्टि से विविधीकरण लाने से चीनी पर आने वाली लागत में कमी होने की संभावना है क्योंकि उस पर आने वाली लागत विभिन्न सह-उत्पादों में बंट जाएगी; और

(ग) यदि हां तो क्या सह-उत्पाद विकास योजनाओं के लिए बनी चीनी विकास निधि से सहकारी चीनी कारखानों को भी सहायता दी जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरदार हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां, लेवी के उद्देश्य से चीनी की परिवर्तन लागत का परिकलन करते समय शीरे एवं खोई जैसे सह-उत्पादों से हुई आय को भी ध्यान में रखा जाता है। चीनी कारखानों के विविधीकरण के परिणामस्वरूप चीनी उत्पादन की लागत में कमी आना जरूरी नहीं है परन्तु अन्ततः चीनी कारखानों के कुल लाभ में इसका योगदान हो सकता है।

(ग) चीनी विकास निधि से सहकारी चीनी कारखानों को सह-उत्पाद विकास योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है।

वनस्पति उद्योग को रियायत

953. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वनस्पति उद्योग को आयातित वनस्पति तेलों के मूल्य में कटौती करके कुल कितनी रियायत दी गई है और इसकी संगणना कैसे की जाती है:

(ख) इन वर्षों के दौरान अन्य सभी खाद्य तेलों और चिकनाई वाले पदार्थों की उपलब्धता की तुलना में उक्त अवधि में वनस्पति का उत्पादन प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत रहा; और

(ग) इस अवधि के दौरान देश में निर्मित खाद्य चावल-भूसी तेल की कुल मात्रा कितनी थी और इसके परिष्करण के बाद इसकी खपत कितनी हुई और वनस्पति उद्योग द्वारा इसका कितना उत्पादन किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) नवंबर, 1988 (तेल वर्ष 1988 89) से वनस्पति उद्योग को आयातित वनस्पति तेलों का कोई आबंटन नहीं किया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पकाने के अन्य तेलों और वसा की उपलब्धता की तुलना में वनस्पति के उत्पादन का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

(लाख मी० टनों में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	वनस्पति का उत्पादन	पकाने के तेलों और वसा की कुल उपलब्धता (आयात और घरेलू उत्पादन)	कुल पकाने के तेलों और वसा की तुलना में वनस्पति का प्रतिशत
1	2	3	4
1987-88	9.86	55.86	17 65
1988-89	9.70	53.23	18.22
1989-90	8.80	55.79	15.77

(ग) देश में खाद्य श्रेणी के चावल की भूसी के तेल का कुल उत्पादन और वनस्पति के विनिर्माण में इसकी खपत निम्नानुसार है :—

(मात्रा लाख मी० टनों में)

तेल वर्ष	खाद्य श्रेणी के चावल की भूसी के तेल का कुल उत्पादन	वनस्पति के विनिर्माण में खाद्य श्रेणी के चावल की भूसी के तेल की खपत	परिष्करण के पश्चात आम जनता द्वारा खपत
1	2	3	4
1987-88	1.46	1.41	0.05
1988-89	1.58	1.49	0.09
1989-90	1.70	1.55	0.15

दिल्ली राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

954. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में द्वितीय पाली में कितने राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं;

(ख) क्या छात्राओं और महिला शिक्षकों को छुट्टी के बाद वापसी के समय अंधेरे में घर पहुंचते समय होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए दिल्ली में द्वितीय पाली के राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को प्रथम पाली में बदलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त हुए ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणेक गोचर्मन) : (क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत दूसरी पारी के राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूलों (छात्र और छात्राएं) की संख्या 370 है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल नं० 2 सरोजिनी नगर की सायंकालीन दूसरी पारी को प्रातःकालीन पारी में परिवर्तित करने के लिए ऐसा एक अनुरोध प्राप्त किया गया है। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और दिल्ली प्रशासन ने दूसरी पारी को प्रातःकालीन पारी में बदलने का निर्णय किया है।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को धनराशि का आवंटन

955. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को अब तक आवंटित की गई राशि 1852.53 लाख रुपये है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सूचित की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

(I) ऋण के रूप में 1.27 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई जिसके परिणामस्वरूप शहरी लघु उद्यम के घटक के अन्तर्गत 1550 एककों की स्थापना हुई। 577 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है/प्रशिक्षित पा रहे हैं;

(II) शहरी मजदूरी रोजगार के अन्तर्गत, 46 59 लाख रुपए के निर्माण-कार्य किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के 73373 कार्यदिवस उत्पन्न हुए हैं।

(III) आवास तथा आश्रय उन्नयन के घटक के अन्तर्गत 13496 रिहायशी एककों से संबंधित 51 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

महंगी किताबें

956. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज तथा मुद्रण लागत में वृद्धि के कारण किताबें बहुत महंगी हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को जो किताबें नहीं खरीद पाते बहुत कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार इन वर्गों के लोगों को सस्ते दामों पर किताबें उपलब्ध कराने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रामंगल पांडे) : (क) कागज की लागत और मुद्रण शुल्क में वृद्धि के कारण पुस्तकों की कीमत में बढ़ोत्तरी हुई है ।

(ख) और (ग) सरकार यथा संभव सस्ते दरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास करती रही है । भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मन्त्रालय) ने अंग्रेजी में "बुक्स फार मिलियन्स" हिन्दी में "हम सबकी पुस्तकमाला" और "हम और हमारा परिवार" शीर्षकों से एक कम कीमत की क्रममाला प्रकाशित की है । इसके अतिरिक्त, रा० शै०अ०प्र०परि० की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकें) अत्यन्त उपयुक्त दरों पर उपलब्ध हैं क्योंकि इन पुस्तकों की कीमत बिना लाभ बिना हानि के आधार पर रखी गई हैं । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत निम्नलिखित क्रममाला के अन्तर्गत कम कीमतों पर सामान्य पाठकों के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता है :—

— इण्डिया दि लैण्ड एण्ड दि पीपल्स
— दि नैशनल बायोग्राफी सीरीज
— फोकलोर आफ इण्डिया
— नेहरू बाल पुस्तकालय
— आदान प्रदान
— यंग इण्डिया लायब्रेरी
— रीडिंग मैटीरियल फार नियू-लिटरेट्स
— पाप्युलर साइंस सीरीज

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं । यह बच्चों नव साक्षरों तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए पुस्तक प्रकाशित करने के वास्ते लेखक तथा चित्र बनाने वाले सीधे ही भुगतान करके और पुस्तक निर्माण में सहायता करके प्राइवेट प्रकाशकों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है । ऐसी पुस्तकों की विक्रय कीमत को न्यास द्वारा नियन्त्रित किया जाता है ।

भारत की संचित निधि से चीनी मिलों को भुगतान

957. श्री मंगाराम मलिक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ खर्च की अदायगी और चीनी मिलों के पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण तथा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए और फैक्ट्री क्षेत्र में चीनी विकास सम्बन्धी कार्य करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने/ऋण देने हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या इस निधि का सृजन करने के बावजूद उक्त धनराशि का बहुधा भारत की संचित निधि से ही भुगतान किया जाता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समय-समय पर यथा संशोधित चीनी उपकर अधिनियम, 1982 में भारत में स्थित किसी भी चीनी फैक्ट्री द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर 14/- रुपये प्रति क्विंटल का उपकर लगाने और उसे एकत्रित कर भारत की समेकित निधि में उसे जमा करवाने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में यह व्यवस्था है कि चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन लगाए गए और एकत्रित किये गये उपकर की राशि; जिसमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निश्चित एकत्रण लागत घटाकर तथा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त की गई कोई धनराशि संसद द्वारा किये गये यथा विनियोजन के बाद निधि में जमा करवाई जाएगी। इन उपबन्धों के अनुसार, भारत की समेकित निधि से धनराशि चीनी विकास निधि अधिनियम में निश्चित किए गए प्रयोजनों हेतु प्रयोग करने के लिये चीनी विकास निधि में अन्तरित कर दी जाती है।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न पत्तनों से औषधियों का निकाला जाना

958. श्री जनक राज गुप्ता : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दवाइयों के नाम क्या हैं जिन्हें विभिन्न पत्तनों से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत बाहर निकाला जा रहा है इस तथ्य के बावजूद कि इन उत्पादों को उत्पादक देशों से विपणन की अनुमति नहीं दी गई है तथा इनका निर्माण विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात करने के लिए किया जाता है;

(ख) इस सम्बन्ध में विदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों से सरकार द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आयात को अनुमति देने का क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) केवल उन्हीं औषधों को देश में आयात करने की अनुमति है, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा सामान्य खुले लाइसेंस और अन्य परिशिष्टों के अन्तर्गत आई० टी० सी० नीति के उपबन्धों के अनुसार विपणन के लिये अनुमोदित हैं।

आयातित औषधों की जांच की जाती है और उन्हें केवल मानक स्तर का पाया जाने के बाद ही जारी किया जाता है।

आयातित "आई ड्राप्स" का संशोधित विश्लेषण

959. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय आयातित "आई ड्राप्स" के विश्लेषण के "प्रोटोकोल्स" को संशोधित किया गया है और उन्हें नये नाम से आयातित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) प्रोटोकाल विश्लेषण में किये गये संशोधन का ब्योरा क्या है तथा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत किन-किन नये उत्पादों को आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) आयात नीति के अन्तर्गत डा० विलमार श्वाबे, पश्चिम जर्मनी द्वारा निर्मित सिनरेरिया मैरिटाइमा सकस का होम्योपैथिक औषध के रूप में गत 40 वर्षों से देश में आयात किया जा रहा है। सिनरेरिया मैरिटाइमा सकस आई ड्राप्स का दिनांक 1.11.89 से आयात करना बन्द कर दिया गया क्योंकि होम्योपैथिक भेषजसंहिता (भारत) (पांचवां खण्ड) के अनुसार इस उत्पाद ने सिनरेरिया मैरिटाइमा सकस के मानकों को पूरा नहीं किया।

मैसर्स विलमार श्वाबे ने तब भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता के आधार पर अपने उत्पाद के संशोधित सम्मिश्रणों के साथ एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सिनरेरिया मैरिटाइमा श्वाबे आई ड्राप्स के नाम के तहत संशोधित फार्मुलेशन की बिक्री का प्रस्ताव किया। नयाचारों(प्रोटोकाल), लेबल के दावों और प्रतिदर्शों की जांच की गई और होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला (एच.पी. एल.)गाजियाबाद में इनका परीक्षण किया गया।

इन्हें संतोषजनक पाये जाने के पश्चात संशोधित फार्मूलेशन के आयात को स्वीकृति दी गई बशर्ते कि होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में यह फार्मूलेशन जांच करने पर लेबल सम्बन्धी दावों को पूरा करता हो।

तम्बुओं में चलाए जा रहे विद्यालय

960. **श्री यशवंत राव पाटिल**
श्री हरीश पाल } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस समय तम्बुओं में चल रहे विद्यालयों के लिये भवन उपलब्ध कराने की एक समयबद्ध योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों और स्थानीय निकायों द्वारा शामियानों में चलाये जा रहे स्कूलों को भवन प्रदान करने में हुई प्रगति और उसके विवरण नीचे दिये गये हैं :—

दिल्ली प्रशासन

कुल 24 स्कूलों में संपूर्ण और 10 स्कूलों में अतिरिक्त छप्परों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है और कुल 26 स्कूलों में सम्पूर्ण और 5 में अतिरिक्त छप्परों के संबंध में निर्माण कार्य हिन्दुस्तान प्री-फेब लिमिटेड को दिया गया है। अन्य नौ अतिरिक्त स्कूलों में स्थायी भवन अगले 3-4 वर्षों में पूरे नहीं होंगे।

दिल्ली नगर निगम

पूरी तरह तंबुओं से बने 61 स्कूलों में से 17 स्थानों (स्कूलों) पर निर्माण कार्य और 13 स्कूलों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। अगली पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति के पहले तंबुओं में बने सभी प्राथमिक स्कूलों को एम.सी.डी. पक्का भवन प्रदान नहीं कर सकेगा।

नई दिल्ली नगर पालिका

एन०डी०एम०सी० में तंबुओं से बने चारों स्कूलों में निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

दिल्ली छावनी बोर्ड

छावनी बोर्ड में एक भी स्कूल तंबुओं में नहीं चल रहा है।

स्कूलों पद्धति का विस्तार और स्कूल भवनों का निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है न कि समयबद्ध प्रक्रिया, जो बदलती जरूरतों और जमीन की उपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है।

केन्द्रीय विद्यालयों में टी०जी०टी० शिक्षकों की पदोन्नति

961. **श्री अन्नाराजु हरा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में गत दो वर्षों से टी. जी टी. शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको कब तक पदोन्नत किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की स्नातकोत्तर शिक्षकों के रूप में पदोन्नति राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा सोसायटी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर किये जाने के कारण 1989-90 के दौरान नहीं की जा सकी, जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की तरह उनके संवर्ग को भी स्नात-

कोत्तर शिक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिए सम्भरक संवर्ग (फीडर काडर) का माना जाये। चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिए न्यायालय के अन्तिम निर्णय तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

"सी" और "डी" प्रपत्रों की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना

962. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की कई सहकारी सामूहिक आवास समितियों ने अपने सदस्यों को फ्लैटों का आवटन कर दिया है लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "सी" और 'डी" प्रपत्रों की मंजूरी न दिए जाने के कारण ये फ्लैट कई महीनों से बिना कब्जा किये पड़े हैं जिनसे आवास की विकट समस्या बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "सी" और डी" प्रपत्रों पर स्वीकृति दिए जाने संबंधी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्री श्री दौलतराम सारण) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 280 "सी" फार्मों में से केवल 11 तथा 251 "डी" फार्मों में से केवल 23 लंबित हैं। इसका कारण यह है कि संबंधित समितियों ने अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों में मिश्रण करना

963. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से कम मूल्य के आयातित तेलों में विभिन्न खाद्य तेलों के मिश्रण को वैध बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खाद्य तेलों में मिश्रण किए जाने के फलस्वरूप मिलावट से होने वाले खतरे का भय रहता है;

(घ) क्या खाद्य तेलों की गुणवत्ता की जांच करने की विद्यमान प्रक्रिया शिथिल हो गई है और इस कारण जब प्रयोगशाला में नमूनों की जांच की जाती है, तो अधिकांश मामलों में मिलावट का सही ढंग से पता नहीं लगाया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच को सुस्पष्ट बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से आयातित पामोलीन के साथ मूंगफली के तेल के सम्मिश्रण की अनुमति मांगी है।

(ख) और (ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) और (ङ) फिलहाल उपलब्ध विश्लेषणात्मक तरीके किसी भी सम्मिश्रण में विभिन्न तेलों के सही अनुपात को निर्धारित नहीं कर सकते। तथापि, सम्मिश्रण की सुविधा के दुरुपयोग को समाप्त करना संभव है, यदि यह नियत कर दिया जाए कि सम्मिश्रण तेलों का विपणन केवल सील बन्द खुदरा आकार के पैकों में किया जा सकता है, जिन पर सही घोषणा और एग्मार्क प्रमाणन हो।

रेशम उत्पादन के लिए सहायता

964. श्री वी० कृष्ण राव
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों में कर्नाटक में रेशम का उत्पादन दुगुना करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान रेशम को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक तथा अन्य स्रोतों से कर्नाटक सरकार को कुल कितनी सहायता दी गई है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री सुब्बदेव भारत्याय बाबय) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान कर्नाटक में कच्चे रेशम का उत्पादन 58.17 टन से बढ़ाकर 9000 टन करने की योजना है।

(ख) सामान्य रेशम उत्पादन विकास योजना स्कीमों के क्रियान्वयन के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक में विश्व बैंक/स्विस बैंक सहायता से राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) विश्व बैंक और अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है :—

	करोड़ रु० में
1. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना (1980-90)	14.18
2. डच सहायता प्राप्त रेशम उत्पादन परियोजना (1987-90)	3.50
3. यूरोफ्लाई के विषय संबंधी भारत डच सहयोग परियोजना (1987-90)	0.32

रहने लायक शहर

965. श्री शान्ताराम पोटदुखे
श्री राम नाईक } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "पापुलेशन काइसिस कमेटी, वाशिंगटन" द्वारा कराए गए उस अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि दिल्ली मुम्बई, कलकत्ता, और मद्रास जैसे महानगरों सहित कोई भी भारतीय शहर रहने लायक नहीं माना जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कम से कम उपर्युक्त शहर रहने लायक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं;

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) एक विदेशी निजी संस्थान द्वारा किये गये कथित अध्ययन के संबंध में प्रेस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। इस अध्ययन में विश्व के 100 बड़े महानगरों में जीवन कोटि के बारे में अध्ययन शामिल हैं और 10 संकेतकों के मूल्यांकन के आधार पर अध्ययन में निर्धारित किया गया कि विकासशील देशों के कई शहरों में रहन-सहन का स्तर निम्न है। इसमें 9 भारतीय शहर भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारें शहरों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये सभी संभव प्रयास कर रही हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रमों में छात्रों का नामांकन

[हिन्दी]

966. **श्री कंकर संजारे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पुस्तकालय विज्ञान के पाठ्यक्रमों में कितने छात्रों का नामांकन किया गया है;

(ख) दिल्ली के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में इन छात्रों को पढ़ाने के लिये कितने अध्यापकों की सेवाएं ली गयीं और इन छात्रों के लिए कितने दिन कक्षाएं लगाई गयीं;

(ग) कितने अध्यापकों का संबन्ध अध्यापन व्यवसाय से नहीं था बल्कि वे अन्य सेवाओं से आए थे; और

(घ) इन छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की सेवाएं लेने के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानेव गोवर्धन) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा आयोजित पुस्तकालय विज्ञान पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की संख्या 1526 है।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की शिक्षण कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती केवल परामर्शी सत्र अध्ययन केन्द्रों में आयोजित किये जाते हैं, जहां छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

कुल मिलाकर, 97 परामर्शदाता 2 अध्ययन केन्द्रों में पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम के लिए नियुक्त किए गए थे। इनमें से 15 परामर्शदाता दिल्ली के तीन केन्द्रों से जहां यह कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, संबद्ध थे। तीन दिल्ली अध्ययन केन्द्रों में दिसंबर, 1989 से अगस्त, 1990 तक 69 परामर्शी सत्र आयोजित किए गये थे।

(ग) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के लिये शिक्षकों, व्यावसायिकों तथा अन्य विशेषज्ञों में से शैक्षिक परामर्शदाता नियुक्त किये जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान कार्यक्रम में भी शिक्षकों के अतिरिक्त पुस्तकाध्यक्ष, उप-पुस्तकाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ अपनी उपयुक्तता की शर्त पर नियुक्त किये गये हैं। 15 परामर्शदाताओं में से 14 व्यावसायिक (पुस्तकाध्यक्ष आदि) हैं और एक शिक्षक है।

(घ) संबंधित स्कूल परामर्शदाताओं के लिए उनके विषयों में पात्रता मानदण्ड तैयार करते हैं और उनकी सूचना क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों को देते हैं। जो उपयुक्त परामर्शदाताओं का पता लगाते हैं और उनका जीवनवृत्त विश्वविद्यालय को अग्रेषित करते हैं। एक समिति, जिसमें सम कुलपति, संबंधित स्कूल निदेशक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के निदेशक शामिल हैं, जो जीवन वृत्त की जांच करती है और शैक्षिक परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त स्टाफ अनुमोदित करती है।

पुणे स्थित इन्जीनियरिंग कालेज

[अनुवाद]

967. श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे, महाराष्ट्र में महिलाओं के लिये एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) इस मामले की इस समय क्या स्थिति है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) पुणे में एक कन्या इंजीनियरी कालेज आरंभ करने के लिए पुणे में कवि नगर स्थित हिंगेस्त्री शिक्षा संस्था से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रैल 1990 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सोसायटी से अनुरोध किया गया था कि वह अपना प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार के माध्यम से भेजें।

सहकारी आवास निर्माण समितियों को भूमि आवंटित करने के लिए मानदंड

968. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत आवास निर्माण समितियों को भूमि आवंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) उन समितियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें भूमि आवंटित की गई है; और

(ग) उन अन्य समितियों के नाम और पते क्या हैं जिनके भूमि आवंटन के लिए अनुरोध विचाराधीन है;

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) जुलाई और अगस्त, 1983 की अल्पावधि के दौरान पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए, पात्र समितियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करने के लिए मानदंड सहकारी समितियों के पंजीकरण द्वारा समितियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के क्रम पर आधारित है। 423 समितियों को प्रस्ताव पत्र भेजे गए हैं। जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि 1983 में अथवा उसके पश्चात पंजीकृत किसी अन्य समिति को प्रस्ताव पत्र नहीं दिए गए हैं, अतः किसी अनुरोध के लम्बित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1983 में पंजीकृत उन सहकारी समितियों के नाम जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि की पेशकश की।

क्र० सं०	समिति का नाम
1	2
1.	नन्दराजीग
2.	ऑल पेथ
3.	मीराबाई
4.	ई. पी. डी. पी.
5.	साउथ दिल्ली रेजीडेंट्स
6.	ग्रीन व्यू
7.	टीना
8.	शुभ मिलन
9.	गृह स्थापना

1	2
10.	सुरक्षा सदन
11.	यूनिवर्सल ब्रदरहुड
12.	विवेकानन्द
13.	न्यू जय भारती
14.	नव निकेतन
15.	श्री गणेश
16.	जे० एन्ड के०
17.	बिल्ड गैल
18.	करी मोहम्मद तायब
19.	यू० पी० बिहार
20.	पुर्वल गैश्य
21.	सन्त कृपाल सिंह
22.	प्रेरणा
23.	शिक्षा
24.	न्यू शिवाजी
25.	रजनी गंधा
26.	बावलपुर
27.	आई०ओ०सी० (पी० एस०)
28.	हिन्दुस्तान कौपर
29.	माउंट एवरेस्ट
30.	म्यूचल
31.	धरमवीर
32.	विजय
33.	ब्रूक बोण्ड एम्प्लाईज
34.	पैट्रोलियम
35.	सहायधरी
36.	सन्त सुन्दर दास जी
37.	डीजल शैड
38.	न्यू मीनार
39.	नमस्कार
40.	शिव शक्ति
41.	होम लिविंग
42.	कबीर ज्योति
43.	ब्लेसम अरोर बंसी
44.	साउथ दिल्ली

1	2
45.	आदर्श पुरवल
46.	सुमित
47.	महिला प्रतिरक्षा मंडल
48.	सुमित विहार
49.	अपना विसा
50.	नव तरंग
51.	न्यू सिद्धार्थ
52.	लीदर मर्चेन्ट
53.	पराग
54.	न्यू कावेरी
55.	सिद्धार्थ कुंज
56.	सुधा सिंधु
57.	हर मिलापी
58.	फितिप्स
59.	एन०सी०सी०एफ० एम्प्लाईज
60.	चेम्बर
61.	फखरुद्दीन मेमोरियल
62.	न्यू दिल्ली
63.	सरल
64.	अम्बा
65.	बैंक निवास
66.	शिव भोला
67.	फ्रैंड्स सर्किल
68.	संतोष
69.	संतोष
70.	एच० सी० एल०
71.	रवीन्द्र विहार
72.	मूर्ति देवी
73.	डी०एस०सी०एम०सी० एम्प्लाईज
74.	नव भारतीय
75.	एक्स आशीर्वाद
76.	आदर्श मित्र मंडल
77.	सोइफी
78.	निम चल्द
79.	गुरु नवल वाल्मीकि
80.	ओल्ड एण्ड यंग फ्रैंड्स

1	2
81.	सी०डी०ई०यू०
82.	श्री बालाजी
83.	डॉ न बास्को
84.	श्री वर्द्धमान
85.	एयर इंडिया एम्प्लाईज
86.	मैसूर
87.	सिंधु नगर
88.	ब्रिटिश कौंसल मिशन
89.	कोसला
90.	एटीयस
91.	प्रतिभा
92.	वस्तुकला
93.	फ्रैंड मैन्युफैक्चरर
94.	भावना
95.	राष्ट्रपति भवन कैंप.
96.	जुगल
97.	एकान्त
98.	सर एनीज
99.	बुक
100	अग्रवाल जैन
101.	स्पार्टकस
102.	सूरज कुन्ड
103.	पब्लिक सेक्टर
104.	पटेल
105.	प्रभा
106.	पालम
107.	न्यू लायलपुर
108.	हरबंस लाल
109.	ग्रीन मैली
110.	मंचिल
111.	सुरक्षा विहार
112.	सैलकम
113.	काना अपार्टमैंट्स
114.	कबीर अहमद खान
115.	महावीर

1	2
116.	परमहंस
117.	राजस्थान
118.	दी बाला जी
119.	श्री ज्ञानी नाथ
120.	रुद्र
121.	सत करतार बिहार
122.	न्यू प्रियदर्शनी
123.	ग्रीन फिल्ड
124.	यूनिक इन्शोरन्स
125.	नन्दा देवी
126.	शाहजाहाबाद
127.	लक्की फ्रैंड्स
128.	नव निर्माण
129.	आई०टी०बी०पी०
130.	जीवन तारा
131.	चाक लता
132.	प्रशासन
133.	माउन्ट एवरेस्ट
134.	आजाद हिन्द
135.	भडवार
136.	सिद्ध
137.	भाटिया स्टार
138.	त्रिमूर्ति
139.	केसर वाणी
140.	इलैक्शन कमीशन
141.	वसमेश
142.	सफीकउर रहमान
143.	आर्यन्त सिद्धार्त
144.	उद्योग बिहार
145.	एम० सिन्टेक्स
146.	इन्डियन एयर लाइन्स वर्कर्स
147.	न्यू कावेरी
148.	अलूवालिया [illegible]
159.	मयल्क
150.	पुष्पांजली

1	2
151.	सहीद अस्फाकुल्ला
152.	दिल्ली एफ०सी० वकर सैक्शन
153.	गुजरात
154.	नार्दन इण्डिया
155.	एस०एफ०एस० टिचर्स
156.	नूतन आर्यवृत्त
157.	योग माया
158.	सिल्वर होप
159.	यूनाइटिड फ्रैंड्स
160.	ग्रीवज
161.	मानस वाणी
162.	ए०एफ०एच०क्यू
963.	कमल विहार
164.	गरिमा
165.	मानस उत्थन
166.	सैन्ट कोलम्बस
167.	श्री श्याम
168.	ट्रैंड्स
169.	मिलिट्री हास्पिटल
170.	समता
171.	चाणक्या
172.	आशा ज्योति
173.	सूर्य भारती
174.	प्राज्ञ
175.	शंकर धाम
176.	श्री राम
177.	विदेश विहार
178.	मैरीनर्स
179.	जय आचार्य
180.	डी०वे०ए०
181.	दिल्ली टूरिज्म इम्प०
182.	एन०सी०इ० इम्प०
183.	पाम बीच
184.	यूनाइटिड
185.	सर्वसांझी

1	2
186.	दिल्ली मुन्सिपल प्रेस
187.	डी०जी०ई० एण्ड टी०
188.	साची विहार
189.	मनचाहत
190.	कटरा ईश्वर
191.	टी०आई०डी० एण्ड आई०एन०ए०डी०ओ०सी०
192.	बाहुबली
193.	हमदम
194.	उपकारी
195.	भाग्यशाली
196.	प्रभावी
197.	जयभिक्षु
198.	न्यूऐरा
199.	श्री अग्रसेन
200.	नवसंगम
201.	एस०एस०सी० इम्प०
202.	गायत्री
203.	दवास
204.	न्यूटन
205.	भासकर
206.	कम्प्यूदोनिक्स
207.	चन्द्र विहार
208.	श्री नाथ जी
209.	निर्माण प्रिया
210.	ग्राम विहार
211.	बनस्थली
212.	सैन्ट ओरियन्ट
213.	परियोजना
214.	एयरलाइनर्स
215.	जय माता कल्याणी
216.	न्यू हिन्दुस्तान टाइम्स
217.	प्रवासी
218.	वर्षा ऋतु
219.	न्यू ज्योति
220.	डेमोक्रैटिक

1	2
221.	मार्डन स्कूल
222.	रफी अहमद
223.	स्वामी दयानन्द
224.	करोड़
225.	सिखपंथ
226.	होलटैक
227.	गुड़िया
228.	गोल्ड क्राफर्ट
229.	ओक ग्रोव
230.	बिजनोरी
231.	सुखी परिवार
232.	ज्वाइंट डिफैंस सर्विस
233.	ओम सत्यम
234.	तरुण
235.	श्री गुरु गोबिन्द सिंह
236.	मुफ्ति-ए-अजाम
237.	सफत ऋषि
238.	गितान्जली कुन्ज
239.	अनुसंधान
240.	यादव अपार्टमेंट
241.	इ०सी०आई०एल०
242.	यंगस्टर
243.	वजीरपुर स्वाल स्केल इण्डस्ट्रीज
244.	बाबा सहब
245.	अशूलिसा
246.	सर्जिकल
247.	दिल्ली वर्किंग वलास
248.	प्रोर्ड सिव इनक्लेव
249.	सुमंकर
250	समन विहार
251.	भगवान महावीर
252.	पारस
253.	रामनिक
254.	दिल्ली टेलीफोन
255.	लोओइंजिनियरिंग इण्डिया

1	2
256.	सनमती
257.	श्री न्यू सब्जी मंडी
258.	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमीस्टेशन
259.	आकाश गंगा
260.	न्यू प्रेरणा
261.	विजय बैंक
262.	एस०एफ०एफ० स्टाफ
263.	हर्श इंजिनियर्स
264.	रमन विहार
265.	रैक
266.	नारायण इंडस्ट्रीज
267.	दरिपा
268.	फिर० जन० आफ० सिक्योरिट्रीज
269.	बैंक विहार
270.	इस्पात
271.	मार्डन दिल्ली यूनियन आर्फ जर्नलिस्ट
272.	डब्ल्यू०टी०पी० बदरपुर
273.	जागरण
274.	श्री दुर्गा
275.	मदर डेरी
276.	बी०टी०पी०एस०
277.	यूथ
278.	सी०बी०आई०पी०
279.	कूरमांचल
280.	राशि
281.	मेयफैयर
282.	निलांजन
283.	मार्डन एच०टी० इम्प०
284.	भगवान वर्धमान
285.	फिल्मालया
286.	निलम विहार
287.	अपना सदन
288.	गोदरेज
289.	रघुवंशी
290.	न्यूयार्क

1	2
291.	जैमनि
292.	डोगरा
293.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
294.	शिल्पा
295.	आदर्श आर्य
296.	महामाई
297.	सिविल सप्लाई
298.	विरांगना
299.	क्लासिक
300.	प्रराग
301.	पदमिनी
302.	ट्रायाल
303.	रविशंकर
304.	डेफोडिल्स
305.	बापूधाम
306.	हिलांस
307.	गगन
308.	राजस्व
309.	सोम्य सदन
310.	राजेन्द्र
311.	इर्कोन
312.	ऐबियेशन
313.	साउथ दिल्ली कम्पस
314.	जग कल्याण
315.	मुतान
316.	ऐसोसियेटेड
317.	आई०ई०एस० आफीसर
318.	संगमित्रा
319.	शिवालिका
320.	अनुप्रिया
321.	कल्पका
322.	शांतिकुंज
323.	योग्य ज्योति
324.	दक्षिणएक्वर
325.	रजनीगंधा

1	2
326.	मुगल
327.	गुरु अमर निवास
328.	अनेमाल
329.	भावलपुर
330.	उपग्रह
331.	झंकार
332.	हिमाचल डोलीधर
333.	वत्रा
334.	आलीशान
335	वस्त्रलोक
336.	नव ज्योति
337.	सूर्य बिहार
338.	एयर फ्रैंस
339.	लेग संचार
340.	कहेन्द्रिका
341.	डायरेक्टर आफ एकाउन्ट्स केबीनेट सेक्रेटियेट
342.	मित्रमंडल
343.	सुरुचि
344.	ज्वालपा
345.	होमलिंब बुडलैंड
346.	अपूर्वा
347.	संजय गांधी
348.	शीला
349.	श्री गनीनाथ
350.	ज्ञानप्रिय
351.	पंजाबी
352.	माँ अम्बा
353.	एन०टी०पी०सी०
354.	मुनिरीका
355.	कातियानी
356.	सम्राट अशोक इनक्लेव
357.	अभु बिजुत
358.	गिलांचल
359.	विनायक
360.	पटपड़गंज

1	2
361.	इ०टी०टी०डी०सी०
362.	न्यू नेशनल
363.	स्वामी आत्मानंद
364.	श्री राधा
365.	डी०डी०ए० इंजीनियर्स
366.	ग्रेटर कैपिटल
367.	हिमलोक
368.	नव सुरुचि
369.	अशोका इनक्लेव
370.	कनारा बैंक वर्क्स
371.	मन्नाकनी महीला
372.	संसद विहार
373.	भाई मतिदास
374.	रजत नगर
375.	न्यू अग्रसेन
376.	जलंधर मोटर एजेंसी
377.	यूनीकल
378.	दक्षिण
379.	शिवा
380.	नव संसद
381.	हिमाचल प्रदेश
382.	तहसील कोट अद्दू
383.	रिलाइबल
384.	कनक दुर्गा
385.	सुख-शांति
386.	उल्लास
387.	बीटा प्रभा अधिकारी
388.	रक्षा विज्ञान
389.	श्री निकेतन
390.	श्री निकेतन
391.	क्रिसेन्ट
392.	आनन्द सागर
393.	दिल्ली पब्लिक स्कूल इन्दिराज्ञ
394.	मालविका
395.	संगम प्रभात

1	2
396.	प्रियरंजन
397.	इंडियन बैंक स्टाप
398.	पीरेज
399.	राजेश्वरी
400.	इरीगेशन एंडप्लट
401.	वृंदावन
402.	शिवलोक

1983 से पूर्व की समितियों के नाम जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि का प्रस्ताव पेश किया है

क्रम संख्या	सोसाइटी (समिति) का नाम
1.	नवीन
2.	न्यू ज्योति
3.	यंग प्रोफेसनल
4.	न्यू आदर्श
5.	निशान्त
6.	स्वरूप सदन
7.	जय दिवा मां
8.	न्यू डी०जी०के०
9.	एयर फोर्स एवं नवल आफीसर
10.	महालक्ष्मी
11.	श्री बालाजी
12.	ध्यान शक्ति

आवास साकार योजना के अंतर्गत पंजीकृत समितियां जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का प्रस्ताव पेश किया गया है

क्रम संख्या	समिति का नाम
1	2
1.	फोवर डोल
2.	बुलबुल

1	2
3.	नवीन कुंज
4.	कृष्णनन्
5.	सहयोग
6.	ई०आई०एम० फ्रैंड्स
7.	आई डियल
8.	विंग फ्लो
9.	निष्काम

मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और हरियाणा को चीनी की सप्लाई

[हिन्दी]

969. **श्री राघवजी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1990 के दौरान नियंत्रित दरों पर वितरण के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात को कितनी मात्रा में चीनी की सप्लाई की गई;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य को प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में चीनी सप्लाई की गई; और

(ग) क्या सप्लाई की गई प्रति व्यक्ति चीनी की मात्रा, अलग-अलग राज्यों में भिन्न है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) विवरण निम्न प्रकार है :

राज्य	मासिक लेवी चीनी कोटा		सितम्बर तथा अक्तूबर, 1990 के लिये त्यौहार कोटा
	मात्रा (टन)	प्रतिव्यक्ति (ग्राम)	(टन)
मध्य प्रदेश	25031	425	7536
महाराष्ट्र	29938	425	9014
उत्तर प्रदेश	52926	425	15936
हरियाणा	6386	425	1924
गुजरात	16194	425	4878

(ग) आमतौर पर, सभी राज्यों की लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के आधार पर किया जाता है। तथापि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जैसे गोआ, नागालैंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, चण्डीगढ़, पांडीचेरी, दमन और दीव मामले में उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण लेवी चीनी का आबंटन ऊंचे स्केल पर किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में घटिया औषधियां

[अनुवाद]

970. श्री एम० एस० पाल
श्री बालेश्वर यादव } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के माध्यम से इसके लाभ भोगियों को घटिया और पुरानी औषधियां दिये जाने की कोई विशेष शिकायत प्राप्तहुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बलई चौधरी) : (क) जी, हां। निम्नलिखित के द्वारा घटिया औषधों की सप्लाई करने के बारे में विशेष शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

(I) यूनिक्योर प्रा० लि०, नौएडा

(II) मैसर्स इन्टास-इन्टर नेशनल फार्मा०, अहमदाबाद

(III) तमिलनाडु चाचा फार्मो०, मद्रास

(IV) ब्रॉन फॉर प्रा० लि०, नई दिल्ली

(V) हैल्थप्लान लैबोरेटरीज
(भाई केयर लेबी का प्रभाव), जेड-37, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III
नई दिल्ली

(VI) ए० सी० सी० लैब, प्रा० लि०, सी-52, ओखला फेज-I, नई दिल्ली

(VII) मैसर्स केमो बायोलॉजिकल, ए-63/2, जी० टी० करनाल रोड़, इण्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स, दिल्ली

(VIII) आर० के० जी० फार्मा० लि०, अहमदाबाद।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निदेशक से शिकायत की ठीक तरह से जांच करने और घटिया औषध पाये जाने की स्थिति में ऊपर उल्लिखित निर्माताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश शुल्क

971. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार किन-किन मेडिकल कालेजों में छात्रों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार छात्रों के दाखिले के लिये केपीटेशन फीस अथवा अधिक शुल्क ले रहे मेडिकल कालेजों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार ने संसद में एक विधेयक पहले ही प्रस्तुत किया है। इस पर बाद में संसद की संयुक्त समिति द्वारा विचार किया गया जिसके अन्तर्गत केपीटेशन फीस लेने अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित शुल्कों से अधिक धन राशि लेने पर रोक लगाने के लिये एक उपबन्ध शामिल किया गया है। केपीटेशन फीस पर रोक लगाने से सम्बन्धित संगत धाराओं के उल्लंघन के लिये दण्डित व्यवस्था भी की गई है।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

परिषद में उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के निम्नलिखित मेडिकल कालेज केपीटेशन फीस/अधिक शुल्क ले रहे हैं

क्रम संख्या	कालेज का नाम
आंध्र प्रदेश	
1.	दक्कन कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद
गुजरात	
2.	प्रमुख स्वामी मेडिकल कालेज, करमसद
कर्नाटक	
3.	जे० एस० एस० मेडिकल कालेज, मैसूर
4.	श्री आदिचुंचेनगिरी मेडिकल कालेज जवाहरनल्ली बेल्लूर, माड्या जिला
5.	एम० ए० रम्मैया मेडिकल कालेज बंगलौर
6.	डा० अम्बेडकर मेडिकल कालेज, बंगलौर
7.	कम्पेगौडा इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, बंगलौर
8.	श्री देवराज उर्स मेडिकल कालेज, तमका, कोलार

9. अल-अमीन मेडिकल कालेज, बीजापुर
10. बी० एल० डी० मेडिकल कालेज, बीजापुर
11. श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, तुमकर
12. एम० आर० मेडिकल कालेज, गुलबर्गा
13. जे० एन० मेडिकल कालेज, बेलगॉव
14. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल/मंगलौर
15. जे० जे० एम० कालेज, दावणगिरी

महाराष्ट्र

16. रूरल मेडिकल कालेज, लोनी
17. कृष्णा इनस्टिच्यूट आफ मेडिकल साइसेंज, कराड
18. अमरावती मेडिकल कालेज, अमरावती
19. श्रीमती सीतादेवी विजयकौर जयोडिया मेडिकल कालेज, बम्बई
20. डी० वाई० पटेल एजुकेशन सोसाइटीज मेडिकल कालेज, कोल्हापुर
21. भारती विद्यापीठ न्यू मेडिकल कालेज, पुणे
22. मेडिकल कालेज, न्यू बाम्बे

पंजाब

23. दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना

तमिलनाडु

24. पी० एस० जी० इनस्टिच्यूट आफ मेडिकल साइसेंस, पी० एस० गोविन्दा स्वामी नायडू एण्ड संस चेरिटीज, पीलमेडु, कोयम्बटूर
25. मेडिकल कालेज, अन्नामलाई ।

कानपुर के कपड़ा मिलों में कुप्रबन्धन

972. श्री पुसुक बेग : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह श्रमिक संघ कानपुर स्थित कपड़ा मिलों या इन पर नियन्त्रण करने वाली कम्पनियों से उनकी अस्थायी प्रबन्ध व्यवस्था के विरुद्ध गत आठ नौ महीनों से लगातार लिख रही है;

(ख) क्या कानपुर के इन कपड़ा मिलों में उचित प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और इस सम्बन्ध में अब तक प्राप्त की गई शिकायतों/अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) कुछ संघों ने एन टी सी (उत्तर प्रदेश) लि०, कानपुर के अधीन मिलों की अस्थाई प्रबन्ध व्यवस्था के खिलाफ अभ्यावेदन दिये हैं।

(ख) से (घ) जब कभी भी कोई प्रबन्धकीय पद रिक्त होता है तो रिक्त पद को भरने के लिए कार्यवाही शुरू की जाती है या ऐसे पदों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। पदों के संचालन के लिए ऐसी अस्थाई व्यवस्थाओं के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। एन० टी० सी०/सरकार एन० टी० सी० (उत्तर प्रदेश) के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के पद तथा महाप्रबन्धक के पद को जोकि इस समय रिक्त पड़ा हुआ है, भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

जामनगर में शिक्षा संस्थाएं खोलना

973. श्री धनजेश पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिष्ठित लोगों और कई संगठनों ने गुजरात के जामनगर जिले में इन्जीनियरी कालेज, स्कूल और पोलिटेकनिक खोलने की मांग की है ताकि बेरोजगारी की समस्या से निपटा जा सके;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1988 से 30 नवम्बर, 1990 तक की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) गुजरात के विभिन्न स्थानों पर 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर 1993 तक इंजीनियरी स्कूल और कालेज और पोलिटेकनिक खोलने सम्बन्धी योजनाओं परियोजनाओं और प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, नावनगर चेम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, जामनगर, द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जामनगर में एक कन्या पालिटेक्निक की स्थापना की जाये। राज्य सरकार ने वर्तमान डाल पालिटेक्निक जामनगर में लड़कियों के लिए 15% स्थान आरक्षित कर दिये हैं। अतः राज्य सरकार जामनगर में एक पृथक कन्या पालिटेक्निक की आरम्भ करने के लिये कोई योजना नहीं बना रही है।

(ग) गुजरात राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

औषधि भत्ते का भुगतान

974. श्री के० पी० अग्रवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 18 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने जोखिम भत्ता पाने के हकदार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कोई सूची बनाई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बलई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

खाद्यान्नों की खरीद

[हिन्दी]

975. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान सरकार और सहकारी एजेन्सियों द्वारा कुल कितनी मात्रा में धान की खरीद की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : चालू खरीफ विपणन मौसम 1990-91 में 28-12-1990 तक सरकारी/सहकारी खरीद एजेंसियों द्वारा कुल मिलाकर 49.23 लाख मीटरी टन धान की खरीद की जा चुकी थी।

रुई का मूल्य

[अनुवाद]

976. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रुई का मूल्य अन्य देशों की रुई के मूल्य की तुलना में कम हैं; और

(ख) रुई के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) अन्तर-राष्ट्रीय बाजार में कपास का मूल्य एक किस्म से दूसरी किस्म तथा एक देश से दूसरे देश में बदलता रहता है। तथापि, कपास का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य घरेलू मूल्यों से काफी ऊंचा रहा है।

(ख) कपास निर्यात पर सरकारी नीति का दोहरा उद्देश्य उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा घरेलू वस्त्र उद्योग को उचित मूल्य पर इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है। निर्यात योग्य उपलब्ध बेशी और मूल्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात कोटा रिलीज किया जाता है। कपास का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य पर भी निर्भर करता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

977. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) और (ख) जनसंख्या नियंत्रण के बारे में संशोधित कार्यनीति को आठवीं योजना के संदर्भ में तैयार किया जा रहा है। जिन सुझावों पर विचार किया जा रहा है उनमें एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन भी है जिसके ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राज्यों को कागज का आवंटन

978. श्री डी० अमात
श्री मदन लाल खुराना
श्री शिव चरण वर्मा
श्री राजमोहन रेड्डी } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी मात्रा में कागज आवंटित किया गया है तथा वास्तव में प्रत्येक राज्य को कितना कागज सप्लाई किया गया है; और

(ख) राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में कागज सप्लाई न करने के क्या कारण हैं जिससे यह राज्य शिक्षा के उद्देश्य के लिए पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाएं सप्लाई कर सके ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) योजना में यह संकल्पना नहीं की गयी है कि सफेद मुद्रण कागज की सारी आवश्यकता रियायती दरों पर ही मुहैया की जायेगी। तथापि, राजस्थान राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा कागज की आपूर्ति वर्ष 1988 89 और 1989-90 के दौरान किये गये आवंटनों से सम्बन्धित कार्यक्रम से पीछे थी। यह उत्पादन लागत में हुई वृद्धि तथा राष्ट्रीय आपदाओं जैसी निगम द्वारा सामना की जा रही कुछ कठिनाइयों के कारण हुआ। शिक्षा विभाग द्वारा किये गये आवंटनों के अनुसार आपूर्तियों को प्रभावी बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करने के लिये निगम को अपेक्षित हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	किये गये आवंटन (मी० टनों में)	आवंटनों के लिये प्राप्त आर्डर (मी० टनों में)	सप्लाई की गयी मात्रा (मी० टनों में)
1 2	3	4	5
1987-88		अतिरिक्त आवंटनों सहित	
1. आंध्र प्रदेश	5735	5561	5490
2. असम	2920	3170	3170

1 2	3	4	5
3. बिहार	5662	5403	5403
4. गुजरात	5106	5178	5178
5. हरियाणा	1845	1710	1710
6. हिमाचल प्रदेश	1140	1164	1164
7. जम्मू एवं कश्मीर	821	710	713
8. कर्नाटक	5880	5755	5755
9. केरल	4792	4942	4942
10. मध्य प्रदेश	5696	5574	5574
11. महाराष्ट्र	8840	8810	8810
12. मणिपुर	256	207	207
13. मेघालय	267	247	247
14. नागालैंड	290	391	391
15. उड़ीसा	2729	2790	2790
16. पंजाब	2228	2278	2278
17. राजस्थान	3256	3356	3356
18. सिक्किम	166	148	148
19. तमिलनाडु	7168	7240	7240
20. त्रिपुरा	308	186	186
21 उत्तर प्रदेश	11264	10997	10997
22. पश्चिम बंगाल	7778	2307	2307
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44	33	33
24. अरूणाचल प्रदेश	56	42	42
25. चंडीगढ़	44	22	22
26. दादरा और नगर हवेली	20	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27. दिल्ली	1276	1096	1096
28. गोवा	204	66	66
29. लक्षद्वीप	20	5	5
30. मिजोरम	88	35	35
31. पांडिचेरी	100	83	83
1988-89			
1. आंध्र प्रदेश	5427	5268	5103
2. असम	2770	2646	2664

1 2	3	4	5
3. बिहार	5462	5031	4910
4. गुजरात	4358	4198	4108
5. हरियाणा	1546	1460	1372
6. हिमाचल प्रदेश	1140	1336	1311
7. जम्मू व कश्मीर	684	624	624
8. कर्नाटक	5630	5606	5572
9. केरल	4392	4372	4352
10. मध्य प्रदेश	5646	5376	5365
11. महाराष्ट्र	8990	8523	8461
12. मणिपुर	208	208	165
13. मेघालय	204	204	204
14. नागालैंड	190	140	140
15. उड़ीसा	2298	2148	2148
16. पंजाब	2030	1980	1980
17. राजस्थान	3356	3256	2845
18. सिक्किम	98	36	24
19. तमिलनाडु	6768	6808	6101
20. त्रिपुरा	308	131	67
21. उत्तर प्रदेश	10514	10142	9996
22. पं० बंगाल	7780	6702	6669
23. अण्मान और निकोबार	44	22	11
24. अरूणाचल प्रदेश	56	56	56
25. चण्डीगढ़	44	22	22
26. दादरा और नागर हवेली	20	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27. दिल्ली	1246	1106	1106
28. गोवा	272	66	66
29. लक्षद्वीप	20	15	15
30. मिजोरम	138	116	111
31. पांडिचेरी	100	98	98
1989-90			
1. आंध्र प्रदेश	5278	3961	1908
2. असम	2720	1449	1152
3. बिहार	5312	2969	1311

1 2	3	4	5
4. गुजरात	4708	4138	1547
5. हरियाणा	1496	1418	636
6. हिमाचल प्रदेश	1140	1060	828
7. जम्मू और कश्मीर	624	468	308
8. कर्नाटक	5480	4610	1290
9. केरल	4392	3594	1530
10. मध्य प्रदेश	5496	3477	2704
11. महाराष्ट्र	8835	6615	2946
12. मणिपुर	208	9	9
13. मेघालय	204	204	102
14. नागालैंड	140	80	कुछ नहीं
15. उड़ीसा	2148	2140	912
16. पंजाब	1980	1980	793
17. राजस्थान	3256	3256	1290
18. सिक्किम	48	48	कुछ नहीं
19. तमिलनाडु	6768	3600	1040
20. त्रिपुरा	408	144	99
21. उत्तर प्रदेश	10364	7031	5583
22. पश्चिम बंगाल	7780	3492	2012
23, अण्डमान और निकोबार	44	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24. अरूणाचल प्रदेश	56	42	21
25. चण्डीगढ़	44	11	11
26. दादरा और नगर हवेली	15	कुछ नहीं	कुछ नहीं
27. दिल्ली	1176	1076	496
28. गोवा	272	33	कुछ नहीं
29. लक्षद्वीप	20	20	10
30. मिजोरम	88	22	22
31. पांडिचेरी	100	74	13

श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित स्मारक

979. डा० सी० सिलवेरा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीया श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित की याद में कोई स्मारक बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

[हिन्दी]

980. श्री हर्ष वर्धन : क्या खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1989 के चीनी आयात घोटाले की जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

981. श्री एंड्रुआर्डो फैलीरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने केन्द्रीय सरकार से मानसिक स्वास्थ्य अधि. नियम को कार्यान्वित करने से पहले इसमें संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार सिफारिशों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) सरकार को भारतीय मनश्चिकित्सा सोसाइटी से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

[हिन्दी]

982. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
श्री युवराज
श्री रमेश चेन्नीथाला
श्री प्रताप सिंह
श्री उत्तम राठौड़
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री महेश्वर सिंह
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री काशी राम राणा
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मरमट्ट
श्री जी० एस० वासवराज
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री हरीश रावत
श्री जगपाल सिंह
श्री सोपत सिंह मक्कासर
श्री मित्रसेन यादव
श्री आर० एन० राकेश
श्री माणिक राव होडल्या गावीत
श्री माधव राव सिंधिया
श्री गोपाल पचेरवाल
प्रो० शलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव
श्री हन्नान मोल्लाह
श्री मदन लाल खुराना
श्रीमती गीता मुखर्जी
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
डा० चिन्ना मोहन
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
श्री चित्त बसु
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री गोपीनाथ गजपति
श्री वामनराव महाडीक
श्री राजमोहन रेड्डी
श्री भोगेन्द्र झा
प्रो० रूपचन्द पाल
श्री पी० सी० थामस
श्री बालेश्वर यादव
श्री परसराम भारद्वाज
श्री छेदी पासवान
श्री बलवन्त मणवर

: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के दौरान सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल जैसे

खाद्य तेलों तथा दालों, नमक, ईंधन, लकड़ी, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के लिए जनवरी 1990 से नवम्बर, 1990 तक साप्ताहिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981—82=100) और साप्ताहिक प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाने वाले विवरण क्रमशः संलग्न विवरण I और 2 में दिये गए हैं। इस प्रकार हैं :— (I) तिलहनों और दालों जैसे कुछ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी (II) धान, गेहूं, दालों, तिलहनों इत्यादि जैसी खरीफ और रबी दोनों फसलों के न्यूनतम खरीद/समर्थन मूल्यों को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि। (III) पहले 1990-91 के केन्द्रीय बजट में तथा बाद में 14-10-90 को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि और (IV) 1990-91 के रेलवे बजट में रेल भाड़े और किराए में वृद्धि और (V) अन्य कारक जैसे अधिक मकदी और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का संचित प्रभाव, निरन्तर बढ़ती उपभोक्ता मांग तथा दालों और खाद्य टेल जैसी वस्तुओं में मांग तथा आपूर्ति का अन्तर।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख पर नियंत्रण करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस प्रयोजन के लिए, दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों उपाय किए जा रहे हैं। वित्तीय और मौद्रिक अनुशासन लाने के प्रयासों जैसे बहुत अधिक मोर्चे पर किए गए उपायों के अतिरिक्त खाद्य तेलों, दालों, चाय, चीनी इत्यादि जैसी अधिक मांग वाली विशेष आवश्यक वस्तुओं के संबंध में सरकार द्वारा विशिष्ट, उपाय किए जा रहे हैं। किए गए उपायों में मुख्यतया ये उपाय शामिल हैं : आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्नों की खरीद और सुरक्षित भंडारण बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों तथा अन्य नियामक उपायों को लागू करना और विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समग्र कमी को ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यक हो, आयात के जरिए घरेलू आपूर्ति बढ़ाना।

•

विवरण-I

माहवार थोक मूल्य सूचांक (आधार 1981-82=100)

वस्तु/उप-समूह	जन० 90	फर० 90	मार्च 90	अप्रैल 90	मई 90
1	2	3	4	5	6
अनाज	156.2	153.8	152.0	153.9	157.8
चावल	163.8	164.0	164.4	166.1	166.9
गेहूं	150.9	144.3	139.1	142.4	153.0
ज्वार	134.7	130.6	129.2	129.5	127.7
बाजरा	129.4	128.5	122.0	123.6	126.7
दालें	198.3	198.0	204.8	214.4	215.6
चना	191,0	183.5	188.2	202.0	203.9
अरहर	187.9	195.9	206.6	215,2	216.1
मूंग	195.8	204.3	207.3	209.7	211.6
मसूर	182.8	176.7	181.0	185.8	186.6
उड़द	245.0	232.0	250.9	262.5	261.6
सब्जियां	157.7	154.8	161.8	194.6	276.9
आलू	116.6	119.8	136.6	176.5	232.0

1	2	3	4	5	6
प्याज	112.2	90.6	101.3	104.6	109.4
दूध	194.3	194.6	202.2	200 0	206.4
मछली	163.8	170.1	179.4	179.7	180.4
गोश्त	207.1	207.3	209.4	203.1	213.0
लाल मिर्च (सूखी)	132.5	123.1	122.6	125.3	122.3
चाय	317.6	333.0	303.7	312.7	326.6
तिलहन	157.6	163.1	164.2	170.1	170.9
मूंगफल	166.9	170.0	172.7	18[illegible].2	184.4
सरसों	138.6	147.9	150.3	160.4	160.7
कोक	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
पेट्रोल	145.2	145.2	145.4	168.3	168.3
मिट्टी का तेल	129.4	129.4	129.4	129.4	129.4
आटा	169.3	170.5	170.7	169.2	168.8
चीनी खांडसारी और गुड़	143.8	141.1	144.6	149.2	146.9
चीनी	141.0	141.8	143.6	143.6	149.7
गुड़	147.6	142.3	148.8	155.3	154.2
नमक	158.0	157.8	156.7	157.5	159.3

1	2	3	4	5	6
खाद्य तेल	178.3	183.5	187.2	194.0	192.9
वनस्पति	189.7	190.7	200.0	208.8	207.9
सरसों का तेल	142.0	142.8	145.0	156.9	155.6
नारियल का तेल	175.1	183.0	180.4	180.2	178.4
मूंगफली का तेल	164.2	175.6	181.3	186.5	185.1
सूती कपड़ा (मिल का)	153.6	154.0	154.3	153.3	153.3
कपड़ा धोने का साबुन	153.3	153.3	153.3	153.3	153.3
नहाने का साबुन	200.2	200.2	200.2	200.2	205.1
दियासलाई	134.4	134.4	134 1	134 4	134.4
सीमेंट	148.4	149.0	157.9	168 1	159.9
लोहा और इस्पात	192.7	193.5	196.1	195.0	195.0
अलसी का तेल	149.5	153.3	158.8	167.2	166.1
सभी वस्तुएं	168 0	168.8	170.1	172.8	174.3

वस्तु/उप समूह	जून 90	जुलाई 90	अगस्त 90	सितम्बर 90	अक्टूम्बर 90	नवम्बर 90
7	8	9	10	11	12	13
अनाज	160.3	167.0	168.1	167.4	169.0	170.4
चावल	169.8	176.7	179.4	179.5	180.6	180.0
गेहूं	155.1	162.1	161.8	161.9	163.4	168.4
ज्वार	128.5	133.1	127.4	119.5	120.4	123.3
बाजरा	127.1	129.8	132.5	131.9	140.7	143.1
दालें	219.0	224 8	222.3	224.3	224.1	230.0
चना	210.0	22019	216.0	214 6	216.8	216.5
अरहर	220.2	236,8	238.1	245.6	260.2	275.8
मूंग	213.4	197.1	195.9	195.5	196 6	202.3
मसूर	186.4	198.1	190.8	195.5	206.2	219.8
उड़द	259.6	259.5	256.6	258.5	263.8	276 0
सब्जियां	241.4	248.0	248.7	246.5	265.6	165.8
आलू	240 6	243.9	241.8	248.2	263.9	278.6
प्याज	133.5	168.1	183.3	214.0	243.8	317.7
दूध	208.4	205.3	209.1	210.7	210.5	203.6

7	8	9	10	11	12	13
मछली	185.6	191.1	194.7	210.6	216.6	221.7
गोश्त	213.7	213 7	214.1	214.9	218.8	220.1
लाल मिर्च (सूखी)	120.7	112.8	113.0	111.2	111.8	124.9
चाय	326.0	293.6	277 0	300.9	309.1	305.3
तिलहन	181.3	188.1	192.6	189.1	192.9	201.0
मूंगफली	194.3	193.4	201.5	196.6	205.4	216.9
सरसों	175.1	196.5	196.7	198.9	201.3	211.9
कोक	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
पेट्रोल	168.3	868.3	163.3	163.3	189.0	209.6
मिट्टी का तेल	129.4	129.4	129.4	129.4	145.4	160.8
आटा	167.7	172.9	163.8	176.3	170.5	177.6
चीनी खांडसारी और गुड़	143.3	158.4	158.6	159.2	161.0	154.8
चीनी	141.7	140.9	140.6	140.9	141.5	142.2
गुड़	168.0	181.4	182.0	183.6	185.6	172.0
नमक	159.1	160.4	162.8	164.5	164.7	166-8
खाद्य तेल	203.6	214.5	216.8	217.5	224.4	223.8
वनस्पति	215.6	226.8	229.0	230.6	248.3	244.8

7	8	9	10	11	12	13
सरसों का तेल	173.6	201.2	199.4	198.0	207.5	218.4
नारियल का तेल	137.3	194.0	202.6	217.4	217.9	234.0
मूंगफली का तेल	201.9	215.6	220.4	220.2	231.4	224.1
सूती कपड़ा (मिल का)	152.7	154.3	156.8	157.6	158.2	159.1
कपड़ा धोने का साबुन	153.3	154.7	155.0	155.0	155.5	156.0
नहाने का साबुन	205.1	206.0	206.9	212.1	213.7	215.1
दियासलाई	134.4	134 4	134.4	134.4	134.4	134.4
सीमेंट	159.6	166.6	172.9	173.7	176.9	177.0
लोहा और इस्पात	196.0	196.9	196.9	199.5	206.4	206.4
अलसी का तेल	173.3	205.5	205.4	207.9	219.1	232.1
सभी वस्तुएं	176.9	179.3	180 2	180.9	182.7	184.3

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय उद्योग मन्त्रालय

विवरण-2

थोक मूल्य सूचकांक में साप्ताहार प्रतिशत उतार चढ़ाव

वस्तुएं	जनवरी 90	फरवरी 90	मार्च 90	अप्रैल 90	मई 90
1	2	3	4	5	6
अनाज	—1.0	—1.5	—1.2	+1.3	+2.5
चावल	—1.7	+0.1	+0 2	+1.0	+0.5
गेहूं	—0.1	—4.4	—3.3	+2.4	+7.4
ज्वार	—5.3	—3.1	—1.1	+0.2	+1.4
बाजरा	+0.5	—8.7	—5.1	+1.5	+2.3
मक्का	— 2.9	—8.2	+3.4	+4.7	+0.5
चना	—4.5	—3.9	+2.6	+7.4	+0.9
अरहर	—1.4	स्थिर	स्थिर	+4.2	+0.4
मूंग	—1.3	+4.3	+1.5	+1.2	+0.9
उड़द	—3.4	—1.3	+3.7	+4.6	—0.3

1	2	3	4	5	6
सब्जियां	—2.7	—1.8	+4.5	+20.3	+16.6
आलू	—16.3	+3.0	+13.9	+29.2	+21.4
प्याज	—25.5	+0.0	+11.8	+[illegible].3	+4.6
दूध	—1.6	+0.1	+3.9	—1.1	+3.2
मछली	—1.7	+3.8	+5.5	+0.2	+0.3
गोश्त	+1.3	+0.1	+1.4	+0.2	+1.5
लाल मिर्च	—4.5	—7.1	—0.4	+2.2	—2.4
चाय	+12.1	+4.8	—8.8	+3.0	+4.4
सिलहट	+3.5	+3.5	+0.7	+3.6	+0.5
मूंगफली का तेल	+6.0	+1.9	+1.6	+5.5	+1.0
रेप तथा सरसों	+2.3	+6.7	+1.6	+6.7	+0.2
कोक	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
पेट्रोल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	+6.3	+5.0
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
आटा	—0.5	+0.7	+0.1	—0.9	—0.2
चीनी खांडसारी तथा गुड़	—0.6	—1.9	+2.5	+3.2	—1.5

1	2	3	4	5	6
चीनी	—0.6	—.01	+0.6	+1.3	—2.7
गुड़	+0.2	—3.6	+4.6	+4.4	—0.8
नमक	+1.1	—0.1	—0.8	+0.5	+1.1
खाद्य तेल	+1.1	+2.9	+2.0	+3.7	—0.6
वनस्पति	—2.3	+0.5	+4.9	+4.4	—0.4
सरसों का तेल	+0.1	+0.6	+1.5	+8.3	—0.8
नारियल का तेल	—0.4	+4.5	—1.4	—0.1	—1.0
मूंगफली का तेल	+4.1	+6.9	+3.2	+2.9	—0.8
सूती कपड़ा (मिल का)	+0.8	+0.3	+0.2	—0.7	+0.1
लाउंडरी सोप	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
नहाने का साबुन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	+2.4
दियासलाई	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
सीमेंट	—0.7	+0.4	+6.0	+6.5	—4.9
इस्पात व स्टील	+0.6	+0.4	+0.3	+0.5	स्थिर
अलसी का तेल	+2.8	+0.5	+3.6	+5.2	—0.7
समग्र वस्तुएं	+0.8	+0.5	+0.8	+1.6	+0.9

वस्तु/उप समूह	जून 90	जुलाई 90	अगस्त 90	सितम्बर 90	अक्टूम्बर	नवम्बर 90
7	8	9	10	11	12	13
अनाज	+1.6	+4.2	+0.7	—0.4	+1.0	+0.9
चावल	+1.7	+4.1	+1.5	+0.1	+0.6	—0.3
गेहूं	+1.4	+4.5	—0.2	+0.1	+0.9	+3.1
ज्वार	+0.6	+3.6	—4.3	—6.2	+0.8	+2.4
बाजरा	+0.3	+2.1	+2.1	—0.5	+0.7	+1.7
दालें	+1.6	+2.6	—1.1	+0.8	+2.6	+3.2
चना	+3.0	+5.2	—2.2	—8.6	+1.0	—0.1
अरहर	+1.9	+7.5	+0.5	+3.1	+5.9	+6.0
मूंग	+0.9	—7.6	—0.6	—0.2	+0.6	+3.0
उड़द	—0.8	स्थिर	—1.1	+0.7	+2.8	+4.6
सब्जियां	—6.4	+2.7	+0.3	—0.9	+7.7	+0.1
आलू	+3.7	+1.4	+0.4	+1.4	+6.3	+5.6
प्याज	+22.0	+25.9	+9.0	+16.7	+13.9	+30.3
दूध	+1.0	+1.5	+1.9	+0.8	—0.1	—3.3

मछली	+2.9	+3.0	+1.9	+8.2	+2.8	+2.4
गोश्त	+0.2	+0.0	+0.2	+0.4	+1.8	+0.6
लाल मिर्च	—1.3	—6.5	+0.2	—1.6	+0.5	+11.7
चाय	—0.2	—9.9	—5.7	+8.6	+2.7	—1.2
तिलहन	+6.1	+3.8	+2.4	—1.8	+2.0	+4.2
मूंगफली का तेल	—5.4	—0.5	+4.2	—2.4	+4.5	—5.6
रेप तथा सरसों	+9.2	+12.2	+0.1	+1.1	+1.2	+5.3
कोक	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
पेट्रोल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	+12.3	10.9
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	+11.9	+10.6
आटा	—0.7	+3.1	+0.5	+1.4	—3.3	+4.2
सीमेंट खांडसारी, तथा गुड़	+4.4	+3.3	+0.1	+0.4	+1.1	—3.9
चीनी	+1.4	—0.6	—0.2	+0.2	+0.4	+0.6
गुड़	+8.9	+8.0	+0.3	+0.9	+0.1	—7.4
नमक	—1.1	+0.8	+1.8	+1.0	+1.0	+1.3
खाद्य तेल	+5.5	+5.4	+1.1	+0.3	+3.2	—0.3
वनस्पति	+3.7	+5.2	+1.0	+5.1	+3.2	—1.4

1	2	3	4		5	6
सरसों का तेल	+11.6	+15.9	—0.9	—0.7	+4.8	+4-3
नारियल का तेल	+2.7	+5.8	+4.4	+2.3	+6.2	+7.4
मूंगफली का तेल	+9.1	+6.8	+2.2	—0.1	+5.1	+3.2
सूती कपड़ा मिल का (मिल का)	+0 4	+1.0	+1.7	+0.4	+0.4	+0.9
साउंडरी साप	स्थिर	+0.9	+0.2	स्थिर	+0.3	+0.3
नहाने का साबुन	स्थिर	+0.4	+0.4	+2.5	—0.8	+0.7
दियासलाई	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
सीमेंट	—0 2	+4.4	+3.8	+0 5	+1.8	+8.1
इस्पात व स्टील	+0.5	+0.3	+0.2	+1.3	+3.5	स्थिर
अलसी का तेल	+4.3	+18.6	स्थिर	+1.2	+5.4	+5.9
समग्र वस्तुएं	+1.5	+1.4	+0.5	+0.4	+1.0	+0.9

टिप्पणी :—ईंधन लकड़ी के संदर्भ में थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा संकलित नहीं किए जा रहे हैं।

लेवी चीनी की सप्लाई से होने वाली हानि

[अनुवाद]

983. **डा० बौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लेवी चीनी की सप्लाई करने में भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस हानि के क्या कारण हैं; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) से (ग) सरकार देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5.25 रुपये प्रति किलोग्राम के एक-समान खुदरा मूल्य पर लेवी चीनी की आपूर्ति कर रही है। यह मूल्य 1-1-1989 से लागू है और तब से लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में की गई वृद्धि के अनुरूप इसके मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। मूल्य में वृद्धि न करने के कारण हानि हो रही है। यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

लद्दाख क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

[हिन्दी]

984. **श्री मोहम्मद हसन कमांडर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस क्षेत्र के अन्तर्गत उन स्थानों (नगरों और गांवों) के नाम क्या हैं जहां उक्त गोदाम अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ग) इसके विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार का इन स्थानों पर गोदामों की स्थापना कब तक करने का विचार है;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम का इस समय लद्दाख क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कोई गोदाम नहीं है। तथापि, उपर्युक्त क्षेत्र में प्रत्येक 2500 मीटरी टन की क्षमता के दो गोदाम—एक लेह में और दूसरा कारगिल में निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आशा है कि इन गोदामों को 1991 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

कश्मीर घाटी में नवोदय विद्यालय

[अनुवाद]

985. **श्री प्यारे लाल हान्डू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में अनन्तनाग और पुलवामा जिलों में नवोदय विद्यालय बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर बनाये जाएंगे; और

(ग) इनके लिये भवनों का निर्माण करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) अनन्तनाग और कुल्गामा जिलों के क्रमशः ऐशमुकाम और एमलर में नवोदय विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं।

(ग) नवोदय विद्यालय, अनंतनाग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नवोदय विद्यालय कुल्गामा में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

986. श्री अनिल बसु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्गठित सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत कम वेतन पाने वाले कर्मचारी और मजदूर इस प्रणाली के काम से वंचित हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो नीति में ऐसा परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक आबादी के कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है, सरकार का प्रणाली के लाभानुभोगियों की संख्या में कमी करने का कोई विचार नहीं है।

नागालैंड को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

987. श्री शिकिहो सेमा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड राज्य में सार्वजनिक वितरण के लिये गेहूं, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मासिक कोटे के आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में पूरी सप्लाई की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जून से अक्तूबर, 1990 के महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की मांग, सप्लाई और उठाने का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें जून, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक के दौरान नागालैंड की वस्तु-वार मांग किया गया आबंटन तथा उसके द्वारा उठाई गई मात्रा दी गई है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के केन्द्र से आबंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाकों की उपलब्धता, बाजार में उपलब्ध मात्रा, गत समय में उठाई गई मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुये किए जाते हैं। केन्द्र से आबंटन, कमी को पूरा करने के लिए होते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होते।

विवरण

नागालैंड को जून, 1990 से अक्तूबर, 1990 के दौरान चुनी वस्तुओं की मांग, उन्हें किए गए आबंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा

	जून, 90	जुलाई, 90	अगस्त, 90	सित. 90	अक्तू. 90
1	2	3	4	5	6
चावल (हजार मी० टन में)					
मांग	11.0	9.25	9.25	9.25	9.25
आबंटन	9.25	9.25	9.25	9.25	9.25
उठाई गई मात्रा	8.3	10.8	12.1	5.7	10.0
गेहूं (हजार मी० टन में)					
मांग	8.0	6.25	6.25	6.25	8.25
आबंटन	6.25	6.25	6.25	6.25	8.25
उठाई गई मात्रा	5.0	6.8	3.3	5.8	7.3
चीनी (लेवी) (मी० टन में)					
उठाई गई मात्रा	579.0	435.0	433.0	497.0	496.0
आयातित (खाद्य तेल मी० टन में)					
मांग	500	500	500	500	500
आबंटन	300	300	400	400	400
उठाई गई मात्रा	650	190	300	177	674
मिट्टी का तेल (मी० टन में)					
आबंटन	797	762	762	762	762
खाद्य कोक (मी० टन में)					
मांग	1000	1000	1000	1000	1000
आबंटन	500	500	500	500	500

भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स की कर्नाटक इकाई के मुख्यालय का स्थानांतरण

988. **श्री एच० सी० श्रीकान्तया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स की कर्नाटक इकाई बेंगलूर सिटी को छोड़कर अन्य जिला स्थानों के स्काउट्स और गाइड्स को उचित महत्व नहीं दे रही है;

(ख) सरकार का भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स की कर्नाटक इकाई का मुख्यालय कर्नाटक के मंगलोर या हासन शहर में स्थानांतरित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानेष गोयलम) : (क) एक स्वैच्छिक संगठन भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय ने सूचित किया है कि कर्नाटक इकाई की सभी 23 जिला एसोसिएशन राज्य में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) सरकार का भारत स्काउट के कर्नाटक राज्य के मुख्यालय को स्थानांतरित करने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह निर्णय कर्नाटक राज्य परिषद द्वारा लिया जाना है, जो कर्नाटक भारत स्काउट और गाइड राज्य एसोसिएशन की सर्वोच्च निकाय है।

नवोदय विद्यालय

989. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और प्रत्येक राज्य में आज तक वास्तव में कितने-कितने स्कूल स्थापित किये गये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्कूल में कितने-कितने विद्यार्थी और शिक्षक हैं; और

(ग) कितने स्कूलों में उचित भवन तथा शिक्षा सामग्री सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) नवोदय विद्यालयों की स्कीम देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की व्यवस्था करती है। अब तक 261 नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। 30.4-90 को विद्यालयों की राज्य वार स्थिति एवं प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित करने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रारंभ में विद्यालयों की स्थापना अस्थाई आवास में की जाती है जो संबंधित राज्य सरकार प्रदान करती है। उसके बाद समिति संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि पर स्थाई

भवन निर्माण करती है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सभी नवोदय विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य नहीं किया जा सका। अभी तक 203 विद्यालयों को पर्याप्त आवास प्रदान करने के लिये निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 विद्यालय राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त पर्याप्त अस्थाई आवासों में कार्य कर रहे हैं।

तथापि सभी विद्यालयों को आवश्यक शिक्षण सामग्री प्रदान कर दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	छात्रों की संख्या	अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
	अण्डमान और निकोबार		
1.	अन्डमान	148	18
2.	निकोबार	87	10
	आंध्र प्रदेश		
3.	नालगोंडा	271	20
4.	चित्तूर	288	19
5.	निजामाबाद	275	19
6.	करीम नगर	269	19
7.	पूर्व गोदावरी	206	11
8.	आदिलाबाद	152	12
9.	अनन्तपुर	214	12
10.	मेडक	199	12
11.	पारकसम	209	11
12.	विशाखापटनम	187	12
13.	कुर्नूल	203	12
14.	गुंटुर	208	12
15.	खम्मम	207	12
16.	रंगारेड्डी	155	11
17.	कुडप्पा	201	12
18.	नेल्लोर	121	11
19.	श्रीकाकुलम	121	10
20.	पश्चिम गोदावरी	137	9
21.	विजयनगरम	140	10
22.	कृष्ण	80	8

1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
23.	दिबंग घाटी	79	15
24.	लोहित	101	13
25.	तिरप	57	10
26.	पूर्व केमोंग	40	9
27.	ऊपरी सुबांसिरी	66	8
	बिहार		
28.	समस्तीपुर	302	19
29.	मुंगेर	303	19
30.	पश्चिम चंपारन	296	19
31.	दुं	287	20
32.	भोजपुर	296	19
33.	मधुबनी	281	19
34.	गुम्ला	258	19
35.	रांची	216	12
36.	सिंहभूम	198	12
37.	नवादा	224	12
38.	भागलपुर	218	12
39.	सहरसा	199	12
40.	बेगुसराय	224	12
41.	औरंगाबाद	215	12
42.	पटना	199	12
43.	गया	204	12
44.	मुजफ्फरपुर	226	12
45.	दरभंगा	204	12
46.	पूर्णिया	212	12
47.	नालंदा	203	11
48.	लोहरदगा	186	12
49.	गोडडा	199	10
50.	कटिहार	147	10
51.	वैशाली	76	9
	चण्डीगढ़		
52.	चंडीगढ़	120	10

1	2	3	4
	दमन और दीव		
53.	दीव	108	12
54.	दमन	23	9
	दादरा नगर हवेली		
55.	दादरा नगर हवेली	126	19
	दिल्ली		
56.	दिल्ली	136	9
	गुजरात		
57.	खेडा	233	17
58.	जूनागढ़	266	19
59.	भडौंच	157	12
60.	सूरत	192	12
61.	कच्छ	113	11
62.	जामनगर	192	12
63.	अम्रेली	73	8
	गोवा		
64.	गोवा	134	17
65.	उत्तरी गोवा	86	8
	हरियाणा		
66.	रोहतक	343	20
67.	जींद	277	19
68.	हिसार	302	20
69.	फरीदाबाद	209	12
70.	सोनीपत	167	12
71.	सिरसा	212	12
72.	महेन्द्रगढ़	134	9
73.	कुरुक्षेत्र	144	10
74.	भिवानी	146	10
	हिमाचल प्रदेश		
75.	मंडी	273	20
76.	शिमला	283	19

1	2	3	4
77.	चम्बा	241	19
78.	सिरमौर	250	17
79.	किन्नौर	106	12
80.	कांगड़ा	209	12
81.	ऊना	225	12
82.	हमीरपुर	139	10
	जम्मू और काश्मीर		
83.	पुलवामा	133	13
84.	कुपवाड़ा	118	15
85.	बारामूला	146	16
86.	लद्दाख	136	14
87.	ऊधमपुर	211	19
88.	राजकोराजौरी	124	17
89.	डोडा	135	16
90.	अन्नतनाग	96	9
91.	श्रीनगर	38	9
92.	बडगांव	42	10
93.	कथुआ	147	12
94.	पूंछ	41	10
95.	जम्मू	156	10
96.	कार्गिल	40	8
	कर्नाटक		
97.	बंगलौर	237	20
98.	चिकमंगलूर	255	19
99.	कोलार	264	20
100.	मंड्या	272	19
101.	रायचूर	268	14
102.	शिमोगा	267	16
103.	उत्तरी कनारा	175	12
104.	हासन	179	12
105.	मेडिकरी	167	11
106.	बीदर	199	12
107.	धुलवर्ध	191	11

1	2	3	4
108.	धारवाड़	193	12
109.	बेलगांम	204	12
110.	बीजापुर	199	12
111.	बेलरी	171	12
112.	चित्रदुर्गा	197	12
113.	मैसूर	126	8
114.	तुम्कुर	138	10
	केरल		
115.	इदुक्की	286	18
116.	पथनमथित्ता	279	19
117.	कसारगोद	299	20
118.	एर्नाकुलम	273	19
119.	केन्नोर	216	12
120.	कोट्टायम	214	12
121.	कालीकट	217	12
122.	त्रिचूर	145	10
123.	पालघाट	146	10
124.	मल्लापुरम	156	10
	लक्षद्वीप		
125.	लक्षद्वीप	78	9
	मध्य प्रदेश		
126.	झाबुआ	156	17
127.	टीकमगढ़	221	17
128.	होशंगाबाद	217	16
129.	जबलपुर	240	19
130.	रायपुर	274	19
131.	पन्ना	217	19
132.	नरसिंहपुर	251	19
133.	शिवपुरी	136	12
134.	शहडोल	133	12
135.	इन्दौर	134	12
136.	देवास	174	12

1	2	3	4
137.	सागर	160	12
138.	सिद्धी	126	12
139.	राजानन्दगांव	210	12
140.	दमोह	125	12
141.	मंदसौर	162	11
142.	भिंड	206	12
143.	बिलासपुर	189	12
144.	सिओनी	199	12
145.	दुर्ग	211	12
146.	सिहोर	67	9
147.	खारगोन	121	10
148.	राजगढ़	76	9
159.	गुना	80	7
150.	दतिया	47	9
151.	मुरैना	101	9
152.	छतरपुर	84	10
153.	धार	78	9
	महाराष्ट्र		
154.	अमरावती	343	20
155.	नागपुर	260	21
156.	बुल्दाना	275	19
157.	लातुर	257	18
158.	गडचिरौली	256	19
159.	नांदेड़	263	18
160.	उस्मानाबाद	273	19
161.	अहमदनगर	208	11
162.	बीड	200	12
963.	थाणे	160	12
164.	धुले	198	12
165.	जलगांव	200	12
166.	नासिक	199	12
167.	भण्डारा	202	12
168.	वर्धा	182	11
169.	यवतमाल	178	12

1	2	3	4
170.	जालना	186	13
171	परभनी	209	12
172.	बंदरपुर	189	12
	मणिपुर		
173.	थोडवाल	186	12
174.	बिष्णुपुर	228	12
175.	बुरवन्दरपुर	172	12
176.	सेनापति	185	12
177.	इम्फाल	136	10
178.	बंदेल	123	12
179.	उखरूल	77	9
	मिजोरम		
180.	एजोल	62	9
181.	लुंगलेड	46	9
	मेघालय		
182.	पूर्व गारो हिल्स	89	14
183.	पश्चिम गारो हिल्स	60	15
184.	पूर्व खसी हिल्स	129	17
	नागालैंड		
185.	कोहिमा	117	12
	उड़ीसा		
186.	धेंकानल	242	20
187.	किओंझार	267	19
188.	कोरापुट	225	19
189.	कटक	260	19
190.	फूलबनी	268	19
191.	बोलांगीर	204	11
192.	सम्बलपुर	200	12
193.	सुन्दरगढ़	190	12
194.	बालासोर	193	12
195.	कालाहांडी	192	11

1	2	3	4
196.	गंजम	190	11
197.	मयूरभंज	112	9
	पांडिचेरी		
198.	कराइकल	267	19
199.	पांडिचेरी	274	19
200.	माहे	114	11
201.	यानम	82	10
	पंजाब		
202.	लुधियाना	249	19
203.	संगरूर	263	20
204.	फरीदकोट	267	19
205.	होशियारपुर	197	11
206.	अमृतसर	149	12
207.	कपूरथला	88	9
208.	रोपड़	53	7
209.	पटियाला	73	7
	राजस्थान		
210.	नागौर	255	19
211.	चूरू	261	19
212.	बांसवाड़ा	282	19
213.	उदयपुर	238	20
214.	जयपुर	240	19
215.	भीलवाड़ा	176	12
216.	चित्तौड़गढ़	177	12
217.	जालौर	186	12
218.	सीकर	209	12
219.	कोटा	206	12
220.	बाड़मेर	193	12
221.	डूंगरपुर	151	12
222.	अजमेर	191	12
223.	जैसलमेर	195	11
224.	जोधपुर	128	10

1	2	3	4
225.	श्रीगंगानगर	140	10
226.	टोंक	141	10
227.	झालावाड़	113	10
228.	अलवर	149	10
229.	पाली	138	10
	सिक्किम		
230.	पश्चिम सिक्किम	92	12
	त्रिपुरा		
231.	पश्चिम त्रिपुरा	205	10
	उत्तर प्रदेश		
232.	मेरठ	262	20
233.	नैनीताल	277	20
234.	फैजाबाद	270	19
235.	बुलन्दशहर	254	19
236.	बरेली	230	18
237.	जौनपुर	291	20
238.	झांसी	264	19
239.	सुल्तानपुर	240	19
240.	रायबरेली	214	19
241.	गोरखपुर	283	20
242.	कानपुर नगर	162	12
243.	अल्मोड़ा	154	12
244.	आजमगढ़	192	12
245.	ललितपुर	185	12
246.	फरुखाबाद	152	12
247.	मिर्जापुर	134	11
248.	बहराइच	147	12
249.	चमोली	133	12
250.	टिहरी गढ़वाल	157	12
251.	गोंडा	119	10
252.	इलाहाबाद	101	10
253.	उत्तरकाशी	77	9
254.	मथुरा	89	9
255.	बस्ती	130	10

1	2	3	4
256.	गाजियाबाद	94	9
257.	सीतापुर	97	9
258.	आगरा	102	9
259.	उन्नाव	97	9
260.	मुजफ्फरनगर	145	10
261.	बलिया	80	8

वसन्त विहार में सामुदायिक केन्द्र

[हिन्दी]

990. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसन्त विहार नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी आवास परिसर में बाजार और सामुदायिक केन्द्र की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये सुविधाएं कब तक दिये जाने की संभावना हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) केन्द्रीय सरकार आवास परिसर, वसन्त विहार, नई दिल्ली में अभी सामुदायिक केन्द्र और विपणन सुविधाएं मुहैया नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) विपणन परिसर के निर्माण का कार्य प्रकियाधीन है और यह लगभग 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण होने की संभावना है क्योंकि इस प्रक्रिया में सम्बन्धित स्थानीय निकायों से भवन नक्शों का अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है।

सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कार्य आयोजना स्तर पर है और इसे 1991-92 में आरम्भ करने की संभावना है।

उड़ीसा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

[अनुवाद]

991. **श्री भक्त मन बेहेरा**
श्री अनादि चरण दास } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहिन्दी भाषी राज्यों की प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सहायता कर रही है;

(ख) क्या उड़ीसा में 600 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की मांग केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिये पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उस मांग को स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री रामंगल पांडे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने आठवीं योजना के दौरान हिन्दी शिक्षकों के 600 और अधिक पदों के सृजन के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । राज्य सरकार, चूंकि सातवीं योजना तक पहले से सृजित पदों को बनाये रखने की स्थिति में नहीं है, अतः पदों के सृजन सम्बन्धी उनके प्रस्ताव को अनुमोदित करना तब तक उपयुक्त नहीं समझा गया है जब तक कि राज्य सरकार पहले से सृजित पदों को बनाये रखने और उन्हें अपने ही संसाधनों से भरने की स्थिति में नहीं हो जाती ।

(घ) इस योजना को आठवीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है ।

कपड़े धोने के साबुन में प्रयुक्त रसायनों के कुप्रभाव

992. श्री आरिफ बेग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े धोने के साबुन सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडरों और टिक्कियों के उत्पादन में प्रयुक्त हानिकारक रसायनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन रसायनों की कोई निर्धारित मात्रा/अधिकतम प्रतिशतता निश्चित की गई है;

(ग) इन खतरनाक रसायनों के कुप्रभाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने जा रही है; और

(घ) क्या सरकार सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडरों और केकों को भारतीय मानक और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाने और उनके सम्बन्ध में गुणवत्ता नियन्त्रण आदेश भी जारी करने पर विचार कर रही है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) और (ख) सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडरों और साबुनों में इस्तेमाल होने वाले रसायन तथा उनका अनुसत्य प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है । चूंकि, विभिन्न डिटर्जेंट पाउडरों और साबुनों का वास्तविक रासायनिक सम्मिश्रण एक व्यापारिक गोपनीयता है, अतएव डिटरजेंटों के रासायनिक सम्मिश्रणों को सामान्य नहीं बनाया जा सकता । सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्राक्साईड और एसिड बोस त्वचा को क्षति पहुंचा सकते हैं । बाजारों में उपलब्ध डिटर्जेंट पाउडरों में ये ही मुख्य घटक हैं ।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण मंचों के माध्यम से सामुदायिक शिक्षा के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण लाया जाता है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

रसायनों के नाम	प्रतिशतता
अल्कील बेन्जीन सल्फोनेट	14-32%
फोम बूस्टर लोरिल अल्कोहल	1-2%
सोडियम ट्रि पोली फास्टफेट	2-45%
सोडियम केरोक्सी मेथिल सेल्लुलोस	06-1%
सोडियम सिलिकेट	5-9%
सोडियम सल्फेट/कार्बोनेट	60 80%
आप्टीकल ब्राइटनर	0.3-0.75%
सोडियम कार्बोनेट	15-30%
परफ्यूस आयल	0.2%

"सुपर बाजार इन ए मेस" शीर्षक से समाचार

993. श्री नन्द लाल मीना
श्री वामन राव सहाडीक } : क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 नवम्बर, 1990 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "सुपर बाजार ए मेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार सुपर बाजार की उपभोक्ता सेवाओं में गिरावट आई है;

(ख) सुपर बाजार के खराब कार्यकरण और प्रशासन के क्या कारण हैं;

(ग) इसके प्रशासन और कार्यकरण को सुधारने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान घटिया सेवा/घटिया किस्म के सामानों की सप्लाई के बारे में जनता से वर्षवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) गत 12 महीनों के दौरान सुपर बाजार के शाखा भण्डारों से कितने मूल्य का खराब सामान उठाया गया और उनका निपटारा किस प्रकार किया गया;

(च) सामानों के खराब होने के क्या कारण है; और

(छ) क्या सांविधिक निकाय द्वारा इस मामले की जांच की गयी है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) जी, नहीं। सुपर बाजार उचित दरों पर अच्छी और प्रयोगशाला में परखी वस्तुएं मुहैया कराकर उपभोक्ताओं की सेवा करता रहा है तथा उपभोक्ताओं की सेवा में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) भण्डार के कार्यों में सुधार करने के वास्ते अनेक कदम उठाए गये हैं। इनमें ये शामिल है। बिक्री, भंडार, आपूर्ति और अन्य समस्याओं पर अधिकारियों की साप्ताहिक बैठकों का आयोजन, सप्ताह में दो बार खरीद विभाग के क्षेत्रीय वितरण केन्द्र प्रबन्धकों द्वारा 30 आवश्यक वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट देना, महत्वपूर्ण निर्णयों के लिये महाप्रबन्धक के अधीन खरीद समिति की साप्ताहिक बैठक बुलाना, शाखाओं का नियमित और अचानक दौरा एवं माल की जांच करना, उपभोक्ताओं की शिकायतों और कर्मचारियों के आचारियों के आचरणों पर बराबर नजर रखना तथा मुख्यालय से कार्यवाही हेतु आपात स्थितियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने हेतु नियन्त्रण कक्ष बनाना आदि।

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान लिखित रूप में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है—

1988	187
1989	164
1990	123

(ङ) पिछले बारह महीनों में 4,56,385,92 रु० मूल्य के क्षतिग्रस्त सामान सुपर बाजार की शाखाओं द्वारा उठाये गए। इनमें से 1,23,615.15 रु० मूल्य के क्षतिग्रस्त सामान जो मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त हो गए थे, को नष्ट कर डालने तथा उनके मूल्यों को बट्टे खाते में डाल देने की मंजूरी दे दी गई थी। 31,142.90 रु० मूल्य की वस्तुओं को नीलामी पर बेच देने की स्वीकृति दे दी गई, जबकि बाकी बची वस्तुओं का मामला निर्णयाधीन है।

(च) कुछ अनबिकी पुरानी क्षतिग्रस्त और कुछ समय बाद किसी हद तक किस्म खराब हो जाने वाली वस्तुएं, मानव उपयोग के लिए बेकार हो जाती है।

(छ) वार्षिक रहतिया पड़ताल के समय सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इन मामलों की जांच की जाती है। पुराने और क्षतिग्रस्त माल की सूची अलग बनाई जाती है और स्टाक के मूल्यांकन के प्रयोजन से इनकी कीमत माल की परीक्षा के समय ऐसे मालों की हालत को मद्दे नजर रखते हुए घटा दी जाती है। भण्डार की लेखा-परीक्षा केवल वर्ष 1988-89 तक ही की गई है। वर्ष 1989-90 के लिए भण्डार की लेखा परीक्षा की जा रही है।

यमुना-पार झुग्गी-झोपड़ी कालोनियों में मल निकासी सुविधाएं

994. श्री कृपाल सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार क्षेत्रों में सीमापुरी, नई सीमापुरी और नन्दनगरी जैसी झुग्गी झोपड़ी कालोनियों में मल निकासी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि परिधीय मल-निर्यास मुहैया करने के उद्देश्य से उसने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने, विस्तृत अनुमान तैयार करने और पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। विस्तृत क्षेत्र के कारण मल-निर्यास कनेक्शन मुहैया करने के लिए कोई समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

नन्दनगरी और शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना

995. **श्री ए० जी० एस० रामबाबू**
श्री बी० एन० रेड्डी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नन्दनगरी और शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने के बारे में 2 अगस्त, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दनगरी और शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो औषधालय खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) शालीमार बाग और नन्दनगरी में उपयुक्त आवास की अनुपलब्धता के कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय नहीं खोला गया है। तथापि, शालीमार बाग में रह रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पीतमपुरा में खोले गए औषधालय के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के लिए संयुक्त परिषद

996. **श्री माण्धाता सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित संयुक्त परिषद का गठन कर लिया गया है तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय द्वारा जिन संसद सदस्यों के नाम शिक्षा विभाग को भेजे गए थे उन्हें इनमें शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानेश गोवर्धन) : (क) और (ख) जी हां। विभिन्न संगठनों द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक कार्यक्रमों के उचित आयोजन एवं

समन्वय हेतु केन्द्र सरकार ने 20 अप्रैल, 1990 के अपने संकल्प द्वारा 72 सदस्यों वाली व्यावयिक शिक्षा संयुक्त परिषद (जे० सी० वी० ई०) का गठन किया है। अन्य सदस्यों के साथ ही जे० सी० वी० ई० में तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा सदस्य एवं एक राज्य सभा सदस्य) भी शामिल होते हैं। संसदीय मामलों के मन्त्री ने निम्नलिखित संसद सदस्यों को जे० सी० वी० ई० हेतु नामजद किया है :—

1. श्री मान्धाता सिंह
2. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा } लोक सभा सदस्य

3. श्रीमती जयन्ती नटराजन] राज्य सभा सदस्य

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल को चावल के कोटे में कमी

997. श्री रमेश चेन्नीथाला
श्री पी० सी० चाको
श्री के० मुरलीधरन
श्री पलाई के० एम० मैच्यू
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री कोडी कुन्नील सुरेश
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1990 के दौरान केरल के लिये निर्धारित चावल का कोटा कितना था;

(ख) क्या केरल को पिछली सरकार द्वारा आवंटित चावल के कोटे में नई सरकार ने कमी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1990 के दौरान केरल के लिये चावल के आवंटन का महीनावार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) 1.35 लाख मीटर टन।

(ख) और (ग) पिछली सरकार ने केरल को त्यौहार के मौसम की दृष्टि में अक्तूबर और नवम्बर, 1990 के प्रत्येक मास के लिये 10,000 मीटर टन चावल के अतिरिक्त आवंटन किये थे। नई सरकार द्वारा 8 नवम्बर, 1990 को कार्यभार सम्भाल लेने से पूर्व केरल को दिसम्बर, 1990 के मास के लिये 1.35 लाख मीटरी टन चावल आवंटित करने का निर्णय किया गया था।

(घ) 1990 के दौरान केरल के लिए चावल के किये गये मासवार आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख मीटरी टन में)
जनवरी, 1990	1.00
फरवरी, 1990	1.25
मार्च, 1990	1.25
अप्रैल, 1990	1.25
मई, 1990	1.25
जून, 1990	1 25
जुलाई, 1990	1.35
अगस्त, 1990	1.55
सितम्बर, 1990	1.35
अक्तूबर, 1990	1.45*
नवम्बर, 1990	1.45*
दिसम्बर, 1990	1.35

*त्योहार के मौसम के लिए 10,000 मीटरी टन का तदर्थ आवंटन शामिल है।

छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों का विकास

998. श्री प्रताप सिंह
श्री आर० एन० राकेश
श्री माणिकराव होडल्या गावीत } : क्या शहरी और विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों के समेकित विकास की योजना" के अन्तर्गत राज्य-वार किन-किन छोटे और मध्यम कस्बों को शामिल किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कस्बावार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है/खर्च की गयी है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्वत छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बों को शामिल करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) कस्बों के नाम, केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई निधियां तथा किये गये व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह योजना एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों में लागू है। तथापि, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा प्राथमिकता विकास के लिये शिनाक्त किये गये एक लाख से अधिक आबादी वाले कुछ कस्बों को भी छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्वत सहायता दी जाती है।

विवरण

केन्द्रीय रिलीज तथा व्यय दर्शाने वाली आई० डी० एस० एस० टी० कस्बों की सूची

क्र० सं०	कस्बा	भारत सरकार द्वारा कुल रिलीज	राज्य/स्थानीय अंशदान सहित कुल व्यय
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	रामभद्रा पुरम	40.000	87.42
2.	तेनाली	40.000	93.97
3.	अन्नाकपालई	33.830	45.51
4.	विजय नगरम	40.000	106.31
5.	भीमावरम	40.000	76.18
6.	करीम नगर	40.000	78.64
7.	तिरुपति	39.360	84.89
8.	श्रीकाकुलम	40.000	52.34
9.	मेडक	40.000	74.83
10	गुन्टाकल	40.000	80.40
11.	चित्तूर	5.000	10.72
12.	गडवल	40.000	62.87
13.	नड़याल	40.000	89.40
14.	प्रोदत्तूर	40.000	93.26
15.	महबूब नगर	30.000	26.62
16.	भिमूनिपतिनम	36.000	32.02
17.	जाहिराबाद	40.000	59.56
18.	उंगोली	45.980	42.23
19.	गुंडीवाडा	46.000	45.37
20.	अदीलाबाद	40.000	17.84
21	नलगोंडा	20.000	0.00**
22.	काकेली	20.000	6.50
23.	यामीगनूर	8.500	0.67
24.	पिदापुरम	20.000	3.52

1	2	3	4
25.	खम्माम	45.000	44.19
26.	मछलीपतनम	29.750	0.00**
	योग	899.420	1315.26
	असम		
1.	तीनसुखिया	40.000	103.64
2.	सिल्चर	40.000	84.64
3.	तेजपुर	40.000	80.13
4.	जोरहाट	40.000	84.64
5.	डिबरूगढ़	40.000	103.08
6.	डिप्पू	20.000	30.00
7.	करीम गंज	43.000	46.00
8.	नवगांव	24.000	0.00**
9.	हफ्लोंग	29.750	0.00**
10.	बौंगईगांव	29.750	0.00**
	योग	346.500	532.13
	बिहार		
1.	हाजीपुर	42.180	100.36
2.	गोपाल गंज	40.150	26.52
3.	शहरशाह	36.040	34.98
4.	डैलटन गंज	37.000	71.66
5.	छपरा	20.000	21.72
6.	दुमका	18.500	10.69
7.	धाईबासा	30.500	27.77
8.	बैगुसराय	40.000	78.65
9.	देओगढ़	40.000	71.66
10.	आराह	39.000	71.52
11.	हजारी बाग	44.200	42.26
12.	बैतिया	40.870	38.69
13.	गिरिडि	45.700	50.04
14.	धनबाद	42.000	60.65
15.	कटिहार	37.700	44.75
16.	सिवान	52.220	56.06

1 2	3	4
17. किशनगंज	31.430	0.00**
18. सितमढ़ी	10.500	9.91
19. बुक्सर	20.000	8.10
20. पुरनया	25.860	0.00
21. नवोदाह	44.390	21.00
22. बोधगया	20.000	0.00**
23. मधुबनी	29.545	0.00**
24. दरभंगा	29.750	0.00**
25. बिहारशरीफ	29.750	0.00**
योग	847.145	846.99
गुजरात		
1. आनन्द	40.000	89.96
2. उत्तरी पाटन	35.240	76.33
3. पोरबन्दर	28.370	22.09
4. बलाड़	41 740	68.06
5. बरावलपाटन	24.500	32.04
6. पालनपुर	31.940	62.29
7. अंकलेश्वर	38.340	69.92
8. दाहोद	39.950	54.41
9. मैहमदाबाद	26.250	22.37
10. गोदराह	40.000	72.19
11. भुज	30.000	35.86
12. अमरेली	40.000	108.26
13. मैहसाना	36.020	77.93
14. खम्बात	44.2 0	45.14
15. क्लोलसैज	40.000	67.45
16. सानन्द	8.000	7.94
17. देगम	19.500	25.99
18. दिसा	12.150	1.11
19. महुवा	28.000	28.76
20. बिल्लीमोरा	33.000	26.24
21. बिस नगर	43.000	38.15
22. अपलेटा	46.000	25.02

1 2	3	4
23. उन्ना	45.000	43.25
24. गोन्डल	20.000	12.14
25. नवसारी	23.000	0.00**
26. हिम्मत नगर	29.750	0.00**
27. जूनागढ़	29.750	0.00**
योग	873.750	1113.40
गोवा		
1. पणजी	65.500	62.70
2. मारमगांव	35.000	0.00**
योग	100 500	62.70
हरियाणा		
1. अम्बाला	39.000	60.77
2. सिरसा	39.000	90.37
3. सोहना	35.000	67.62
4. करनाल	40.000	186.96
5. कुरुक्षेत्र	40.000	122.15
6. हिसार	35.000	74.56
7. भिवानी	20.000	27.24
8. शाहबाद	38.000	29.97
9. जींद	29.750	0.00**
10. सोनीपत	29.750	0.00**
योग	345.500	659.64
हिमाचल प्रदेश		
1. कौसमटी (शिमला)	34.780	84.24
2. मंडी	1.700	0.00**
योग	36.480	84.24

1	2	3	4
	जम्मू तथा काश्मीर		
1.	अनंतनाग	36.580	64.53
2.	कथवा	20.000	0.00**
	योग	56.580	64.53
	कर्नाटक		
1.	हसन	40.000	74.63
2.	चित्रदुर्गा	51.055	114.35
3.	तुमकुर	54.917	81.32
4.	रायचूर	36.280	46.34
5.	होसपेट	24.800	28.22
6.	चन्नापटना	44.939	63.81
7.	कनकपुरा	53.980	47.07
8.	मवधि	32.480	71.68
9.	हुमनाबाद	38.290	46.98
10.	होलीनर्सीपुर	36.500	31.89
11.	सागर	42.950	76.38
12.	शाहपुर	53.550	69.36
13.	जमखंडी	36.410	18.14
14.	कौशलनगर	25.860	44.96
15.	रानी बेनूर	38.850	38.61
16.	करकला	23.500	11.78
17.	चिकबल्लापुर	23.000	25.47
18.	रामनगरम	26.000	16.51
19.	सिरसी	15.000	6.46
20.	हरिहर	36.000	8.53
21.	सिंधनूर	37000	26.17
22.	कोलीगल	34.000	27.10
23.	गोकक	22.000	12.74
	योग	809.361	988.50

1	2	3	4
	केरल		
1.	गुरुवायूर	43.890	66.40
2.	कोटायम	46.800	68.74
3.	त्रिचूर	47.000	101.19
4.	कायामुलम	34.200	18.86
5.	तेलीचेरी	48.880	58.26
6.	त्रिक्कर	41.870	83.39
7.	चंगनाचेरी	46.360	61.94
8.	वाडागारा	48.450	64.53
9.	मालापुरम	49.800	97.90
10.	चोड़पूआ	52.500	105.61
11.	मंजरी	45.330	45.47
12.	पालघाट	43.500	27.00
13.	केन्ननौर	26.250	0.00**
	योग	574.830	799.29 (नवीनतम 834.74)
	मध्य प्रदेश		
1.	बिलासपुर	48.750	121.02
2.	खजूराहो	39.730	29.88
3.	देवास	40.000	89.12
4.	ईटारसी	47.300	75.43
5.	रीवा	46.400	98.84
6.	कटनी	42.400	38.26
7.	बुरहानपुर	47.300	105.03
8.	मुरैना	39.000	34.95
9.	जुनागढ़	40.000	52.35
10.	राजनन्द गांव	40.000	45.25
11.	बालघाट	45.100	70.58
12.	छिंदवाड़ा	39.090	60.84
13.	हारदा	40.000	71.31
14.	देवास	40.000	106.79
15.	गुना	39.000	21.68
16.	सिद्धि	39.000	52.37

1 2	3	4
17. होशंगाबाद	50.160	4.23
18. गदरवाड़ा	46.870	14.03
19. पश्चमारी	23.760	6.58
20. अमरकंटक	45.000	43.71
21. कोटा	15.400	5.00
22. शहडोल	47.700	23.32
23. मांडेर	10.000	6.40
24. मऊ	13.540	0.00**
25. जगदलपुर	25.820	0.00**
26. रतलाम	10.000	0.00**
27. भिलाई-दुर्ग	29.750	0.00**
28. सतना	29.750	0.00**
29. छतरपुर	24.000	0.00**
योग	1044.820	1176.97
मणिपुर		
1. जिरीबम	21.500	6.47
2. कैकचिंग	25.600	10.92
3. नामलाई	15.000	0.00**
4. बिसमपुर	15.000	0.00**
योग	77.100	26.39
महाराष्ट्र		
1. मनवाड़	42.940	69.42
2. परसी	43.895	101.22
3. परलीवैजनाथ	41.300	68.08
4. योतमाल	44.110	74.71
5. सतारा	40.000	100.21
6. रत्नागिरी	40.000	149.24
7. कटोल	42.340	62.36
8. अमलनेर	45.930	113.56
9. प्रभानी	42.000	83.16
10. कामटी	33.910	62.66

1	2	3	4
11.	किनवात	27.000	34.89
12.	उस्मानाबाद	43.030	89.55
13.	मोरसी	41.770	49.98
14.	हिंगनघाट	42.640	76.20
15.	जलना	40.000	113.25
16.	अंबोरोगाई	42.810	66.68
17.	सेलू	42.586	64.55
18.	दिगरास	42.140	72.81
19.	भंडारा	42.700	67.95
20.	वाशिम	44.100	69.31
21.	इस्लामपुर	42.840	71.66
22.	बरमाती	42.360	97.64
23.	पंढरपुर	43.000	106.17
24.	रामटेक	43.860	24.23
25.	नीलांगर	39.690	46.48
26.	चिपलुन	19.000	3.72
27.	अकोट	54.000	62.03
28.	तुलजापुर	48.750	60.80
29.	वर्धा	39.040	29.63
30.	इगतपुरी	18.410	5.74
31.	पुशद	52.375	31.19
32.	करड़	45.000	62.51
33.	बीड	22.340	0.00**
34.	चन्द्रपुर	29.750	0.00**
	योग	1367.616	2191.59
	मेघालय		
1.	शिलांग	40.000	81.12
2.	तुरा	35.400	40.64
3.	जोवाई	21.000	11.14
4.	नॉगस्टवाइंग	29.750	0.00**
5.	विलियमनगर	29.750	0.00**
	योग	155.900	132.90

1 2	3	4
मिजोरम		
1. आइजोल	79.000	75.72
2. लुंगली	20.000	0.00**
योग	99.000	75.72
नागालैंड		
1. कोहिमा	38.800	89.88
2. तुइनसांग	35.000	44.77
3. मोकोंकचुंग	24.000	0.00**
योग	97.800	134.65
उड़ीसा		
1. पुरी	40.000	60.56
2. सम्बलपुर	37.500	48.90
3. बालासौर	40.000	83.38
4. राउरकैला	40.000	106.38
5. जैपोर	40.000	66.48
6. धनकैनाल	40.000	67.13
7. क्योंझार	45.500	35.24
8. बारीपाड़ा	46.000	55.97
9. बोलांगीर	45.000	28.51
10. पराडीप	18.000	0.00**
11. कोरापुट	20.000	0.00**
12. फूलबनी	29.750	0.00**
13. भिवानी पतना	29.750	0.00**
योग	472.500	552.55
पंजाब		
1. पठानकोट	50.500	107.69
2. होशियारपुर	50.500	146.84
3. संगरूर	53.830	77.99

1 2	3	4
4. मोगा	50.500	116.24
5. फगवाडा	50.500	153.71
6. खन्ना	505.00	142.58
7. भटिंडा	50.500	91.53
8. बटाला	53.830	130.29
9. बरनाला	60.000	142.06
10. कपूरथला	59.960	154.36
11. गुरदासपुर	51.300	53.53
12. नाभा	59.830	86.36
13. रोपड़	20.000	0.00**
14. पटियाला	13.000	0.00**
15. गोविंदगढ़	29.750	0.00**
योग	704.500	1394.18
राजस्थान		
1. पाली	50.180	109.80
2. बरां	48.140	83.55
3. भीलवाड़ा	47.770	94.43
4. सीकर	49.320	95.09
5. चूरू	49.460	89.93
6. सुमेरपुर	47.110	112.68
7. नाथद्वारा	47.870	112.02
8. बाड़मेर	45.100	54.32
9. गंगानगर	49.320	106.94
10. जैसलमेर	47.770	92.71
11. चित्तौड़गढ़	50.310	95.73
12. जालौर	54.400	83.55
13. सिरोही	54.270	46.93
14. माउंट आबू	50.760	29.99
15. बांसवाड़ा	55.330	56.01
16. भीनमाल	55.800	55.47
17. डूंगरपुर	46.000	35.00
18. भरतपुर	29.750	0.00**
योग	878.660	1352.13

1 2	3	4
सिक्किम		
1. जोरथैंग	29.140	18.29
2. नमची बाजार	20.000	0.00**
3. गंगटोक	29.750	0.00**
योग	78.890	18.28
तमिलनाडु		
1. डटकमुंड	39.490	77.46
2. कडूल	39.690	75.17
3. धर्मपुरी	47.5303	74.60
4. पुडुकोटायी	39.777	68.86
5. तिरुचनगोडी	38.600	58.31
6. पालनी	40.000	59.08
7. गोबीचेटी पालियम	40.000	74.53
8. मन्नारगुडी	44.880	67.54
9. धरापुरम	37.800	73.70
10. मेटपालियम	53.470	81.59
11. चंगलपट	40.000	70.91
12. कन्नूर	30.000	31.94
13. अतूर	39.590	75.68
14. त्रिरूवन मलाई	40.000	67.34
15. डदामलघट	38.790	66.88
16. नमकाल	39.240	83.94
17. कोविलपटी	40.000	73.86
18. कोसूर	45.200	93.95
19. पोल्लाची	40.000	69.21
20. पैलाइली नागरम	39.520	68.90
21. नागपटीनम	40.000	79.61
22. रानीपैट-आरकोट-वल्लाज	40.000	76.85
23. पनरती	40.000	52.21
24. करईकुली	54.870	75.94
25. कलाकुरची	46.600	70.88
26. अरनी	51.660	85.89

1	2	3	4
27.	रक्कोनम	50.420	77.90
28.	शिवगंगा	52.560	49.15
29.	मदुरटक्कम	54.800	52.25
30.	अंडीपटटी	44.100	47.64
31.	पट्टकोदटई	73.080	73.61
32.	अरपूकोदटई	29.800	36.73
33.	अरंगतपंगी	26.800	12.23
34.	रामानाथनरपुम	54 800	56.89
35.	रामेश्वरम	25 500	23.76
36.	अरियालर	34.800	32.67
37.	सतियामंगलम	53.500	17.72
38.	तूतीकोरीन	24.000	5.00
39.	सलेम	29.750	0.00**
40.	कुड़ईकनाल	29.750	0.00**
41.	तिरुनलवेली	29.750	0.00**
42.	तिरूपुर	29.750	0.00**
	योग	1729.860	234 39
	त्रिपुरा		
1.	उदयपुर	39.000	80.18
2.	केल्लाशहर	30.400	43.84
3.	धर्म नगर	20.000	0.00**
4.	अगरतल्ला	20.000	0.00**
	योग	109.400	124.02
	उत्तर प्रदेश		
1.	जौनपुर	41.800	63.80
2.	फतेहपुर	41.600	50.52
3.	आजमगढ़	39.000	72.74
4.	हाथरस	39.000	54.49
5.	बांदा	30.500	101.92
6.	बाराबंकी	39.000	107.36

1	2	3	4
7.	रायबरेली	40.000	73.88
8.	अल्मोड़ा	36.000	43.86
9.	एटा	39.500	73.61
10.	बलिया	40.000	189.94
11.	महुवा	17.530	21.55
12.	कासगंज	22.000	21.96
13.	गाजीपुर	38.600	83.67
14.	सीतापुर	44.200	116·41
15.	मेनपुरी	39.000	104.41
16.	हरदोई	39.000	77.25
17.	बिजनौर	36.750	45.08
18.	इटई	43.830	84.03
19.	देवरिया	39.000	120.02
20.	बदायूं	35.500	41.41
21	अमेठी	39.000	72.33
22.	काशीपुर	39.000	59.05
23.	पवनौना	39.000	58.72
24.	सुल्तानपुर	53.000	51.16
25.	बिसवां	33.250	22.69
26.	शामली	30.000	13.47
27.	बूदोही	25.500	0.00**
28.	मौमाथमंजन	25.900	12.86
29.	शदिला	27.000	2.25
30.	पीलीभीत	15.000	3.17
31.	बहराइच	25.580	0.06
32.	ललितपुर	29.300	4.18
33.	मिर्जापुर	28.0800	15.59
34.	इटावा	20.000	16.43
35.	सम्भल	20·000	11.62
36.	हल्द्वानी	17.000	0.00**
	योग	1209.110	1891.12
	पश्चिम बंगाल		
1.	बड़वपुर	48.310	53.70
2.	मिडनापौर	44.290	22.14

1	2	3	4
3.	बंकुरा	46.740	50.89
4.	कलिंगपौंग	42.830	69.86
5.	कूचबहर	51.800	104.06
6.	पुरलिया	49.950	75.41
7.	इंगलिश बाजार	47.340	84.21
8.	कृष्णा नगर	46.030	54.08
9.	सूरी	49.190	65.52
10.	तारकेश्वर	42.320	7.79
11.	जलपाईगुड़ी	49.490	76.76
12.	सिलीगुड़ी	52.150	89.43
13.	दार्जिलिंग	47.100	56.58
14.	बहरामपुर	46.070	57.02
15.	बलूरघाट	49.340	103 80
16	विष्णुपुर	42.800	40.98
17.	बसीरहट	50.250	68.80
18.	रायगंज	47.130	44.27
19.	राणाघाट	48.970	68.05
20.	कटुवा	53.310	103.23
21.	बोलपुर	46.000	36.55
22.	आरामबाग	40.000	14.05
23.	कंटई	18.800	5.64
24.	हावड़ा	50.800	20.94
25.	रानीगंज	12.600	0.00**
26.	हल्दिया (एम० सी० यू०)	24.000	0.00**
	योग	1147.730	1446.30
	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह		
1.	पोर्टब्लेयर	92.000	86.92
	योग	92.000	86.92

1	2	3	4
	दादर तथा नगर हवेली		
1	सिलवासा	95.220	16.38
	योग	95.220	16.38
	पांडिचेरी		
1.	करियाकल	74.750	59.42
2.	माहे	30.000	0.00**
3.	पांडिचेरी	8.000	0.00**
	योग	112.750	59.42
	सकल योग	143.62 करोड़ रु०	95.22 करोड़ रु०

** चूंकि रिलीज फरवरी/मार्च, 1990 में ही किया गया था, अतः राज्य सरकारों द्वारा इन नगरों के सम्बन्ध में व्यय के ब्यौरे अभी सूचित नहीं किये गये हैं।

हैजा महामारी संबंधी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

[हिन्दी]

991. डा० चिन्ता मोहन
श्री फूल चन्द वर्मा } : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में "एड-मिनिस्ट्रेशन बलेम्ड फॉर डाया आफ डेथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और क्या सरकार को इस संबंध से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक सुधार लागू करने संबंधी कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेप्सी परियोजना की पुनरीक्षा

1000. श्री फूलचन्द वर्मा
डा० चिन्ता मोहन } : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 दिसम्बर, 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में "सेन्टर टु रिव्यु पेप्सी प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त संस्था के कार्यकरण में हो रही अनियमितताओं के बारे में कोई ठोस सबूत मिले हैं;

(ग) यदि हां तो इसमें क्या आरोप लगाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार को अन्य औद्योगिक एवं प्रशासनिक यूनिटों के बारे में भी ऐसे आरोप के समाचार मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन यूनिटों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान हालत का पता करने के लिये उनका दौरा करने हेतु सरकार ने अधिकारियों के एक दल का गठन किया है। इस दल की रिपोर्ट 25 जनवरी, 1991 तक मिलने की आशा है।

(घ) और (ङ) किसी यूनिट द्वारा औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन जब कभी भी सरकार के ध्यान में आता है तो कानून के अधीन कार्रवाई की जाती है।

हथकरघों और विद्युत करघों का उत्पादन और निर्यात

[अनुवाद]

1001. श्री धर्मन्ना सोम्बय्या सावुल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हथकरघों और विद्युत करघों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघों और विद्युत करघों का कितना उत्पादन, केन्द्र निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग को क्या प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) 1988-89 1989-90 और 1990-91 (अक्तूबर, 1990 तक) के लिए हथकरघा एवं विद्युतकरघा कपड़े का कुल उत्पादन लगभग 41,000 मिलियन वर्ग मीटर आंका गया है।

(ख) 3 वर्षों 1987-88 से 1989-90 तक के दौरान हथकरघा तथा विद्युत करघा क्षेत्र के सूती वस्त्रों के निर्यात से लगभग 1844 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(ग) वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कदम पहले से ही उठाए लिए गये हैं :—

(1) नकद मुआवजा सहायता (सी सी एस) जो कि वस्त्रों की किस्म और देश जहां निर्यात किया जाना है पर निर्भर करती है।

(2) रियायती ब्याज पर लदान-पूर्व तथा लदान-पश्चात् वित्त व्यवस्थाएं।

(3) शुल्क ड्राफ्ट-बैंक के रूप में उत्पाद शुल्क लैवी तथा शुल्क की वापसी अदायगी।

(4) आयात लाइसेंस का पुनः पूर्ति।

(5) शुल्क मुक्त कच्चे माल के आयात की सुविधाएं

(i) अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन तथा (2) 100 प्र० श० निर्यात उन्मुख एककों के लिए।

(6) आयकर में छूट।

(7) प्रचार के लिए यात्रा एवं अन्य सुविधाएं।

(8) शुल्क की रियायती दर पर कुछेक वस्त्र मशीनरी का आयात।

दिल्ली की वृहद् योजना

[हिन्दी]

1002. श्री मदन लाल खुराना
प्रो० यशपाल पाण्डेय } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की संशोधित वृहद् योजना को इस वर्ष मंजूरी दे दी है;

(ख) इस संशोधित वृहद् योजना की अवधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इस योजना में पुनः संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की वृहद् योजना के लिए कोई अन्तिम वर्ष निर्धारित नहीं है। तथापि, जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए नागरिक सुविधाओं तथा अवसंरचना संबंधी व्यवस्था, बढ़ी हुई जनसंख्या को उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण, परिवहन प्रणाली की अपेक्षाओं आदि के पूर्वानुमान वर्ष 2001 तक की अवधि के लिये है।

(ग) और (घ) संशोधित योजना में प्रबोधन तथा आवधिक समीक्षा करने की व्यवस्था है ताकि योजना में कोई भी संशोधन, यदि अपेक्षित हो, किए जा सकें। वर्ष 1994 के दौरान सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक समीक्षा की जानी है। बृहद् योजना में जब भी आवश्यकता महसूस हो, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की व्यवस्था के अनुसार धन किए जा सकते हैं।

आवासीय भूखण्डों में वाणिज्यिक गतिविधियां

[अनुवाद]

1003. **श्री राम सागर (सैदपुर)** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 सितम्बर, 1990 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "3 कन्विक्टेड फार इल्लीगल यूज ऑफ प्लॉट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सभी आवासीय भवनों में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वाणिज्यिक गतिविधियां केवल वाणिज्यिक क्षेत्रों तक ही सीमित रखने के मानदंड का सख्ती से पालन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी हां।

(क) और (ग) एकर्कों के दुरुपयोग/अनुरूप उपयोग के मामलों का पता लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की इन्फासेमेंट विंग द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबन्धों और बृहद् योजना के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

कलकत्ता में डेंगू बुखार

1004. **डा० देवी प्रसाद पाल**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता डेंगू बुखार की चपेट में है;

(ख) क्या अब यह इसके उपनगरों में प्रचंड रूप से फैल गया है; और

(ग) यदि हां, तो डेंगू के आतंक को रोकने के लिए सरकार ने पश्चिम बंगाल को क्या तकनीकी सहायता और दवाओं की सप्लाई की है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) दिनांक 19-9-90 तक की अवधि के दौरान डेंगू बुखार के 64

रोगियों और 17 मौतों की सूचना मिली हैं केन्द्रीय कलकत्ता इस ज्वर से सबसे अधिक ग्रस्त था, हालांकि इसके उपनगरों से भी कुछ रोगियों की सूचना मिली थी ।

(ग) कलकत्ता और इसके उपनगरों में डेंगू बुखार को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं :—

(I) कलकत्ता के अस्पतालों के सभी विकलांग विभागों में फ्ल्यूडो और प्लाज्मा वाल्यूम एक्स-पेंडर की पर्याप्त सप्लाई करके अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन किया गया है ।

(II) कलकत्ता नगर और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मच्छर-रोधी कार्यवाही भी शुरू की है ।

(III) सभी प्रचार माध्यमों द्वारा आम जनता को मच्छर के पैदा होने वाले स्थलों को नष्ट करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ।

(IV) अस्पतालों में उपचार सुविधाओं में वृद्धि की गई है । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की कोई सामग्री सहायता नहीं मांगी है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करना

हिन्दी]

1005. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य प्रभारित कर्मचारियों के रूप में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मौसम राम सारण) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कार्य प्रभारित कर्मचारी, जो तीन वर्ष या उससे अधिक समय से निरन्तर सेवा में है, रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर नियमित कार्य प्रभारित स्थापना में नियुक्ति के लिये पात्र है ।

मंच कलाकारों की सुविधाएं

[अनुवाद]

1006. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** : : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विख्यात नृतकों, संगीतज्ञों और अन्य मंच कलाकारों को दी जा रही पेंशन आदि सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उक्त विषय पर हाल ही में दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी पर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और इन कलाकारों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेव गोवर्धन) : (क) जी हां।

ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) यह सेमिनार निजी रूप से आयोजित किया गया था, जिसका कार्य-वृत्त सरकार को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

विवरण

संस्कृति विभाग मंच कलाकारों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाता है :

1. **साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के दीन-हीन अवस्था में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों को वित्तीय सहायता की योजना :**

(I) **पात्रता :** योजना के अन्तर्गत सहायता के किए वही व्यक्ति पात्र है, जिसका कला कार तथा साहित्य आदि में योगदान निश्चय ही महत्वपूर्ण रहा हो।

(II) **सहायता का स्वरूप :** मासिक भत्ता : केन्द्र-राज्य /संघ-शासित क्षेत्र कोटा के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा 2 : 1 के अनुपात में भत्ता राशि केन्द्रीय सहायता अधिक से अधिक 400/=रुपये प्रति माह है। केन्द्रीय कोटा के अन्तर्गत यह 600/=रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी।

(III) **आयु :** उम्मीदवार की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

2. **प्रदर्शन, साहित्य और रूपकर कलाओं के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिष्ठित कलाकारों को अवकाश प्राप्त अभ्येतावृत्तियां प्रदान करने की योजना :**

(I) **पात्रता :** प्रदर्शन, साहित्य तथा रूपकर कलाओं में ऐसे अत्यधिक प्रतिष्ठित कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो।

(II) **राशि :** 1000/=रुपये प्रति माह।

(III) **संख्या :** दस, प्रति वर्ष

(IV) **अवधि :** दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य। विशिष्ट मामलों में इसे आगे दो वर्षों के लिए, एक-एक वर्ष करके, बढ़ाया जा सकता है।

(V) **आयु :** 60 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।

3. प्रदर्शन, साहित्य और कपकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को अध्येतावृत्तियां प्रदान करने की योजना :

(I) पात्रता : कलाकारों द्वारा सुझायी गई अथवा केन्द्रीय सरकार की पहल पर चुनी गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए रचनात्मक कार्य ।

(II) राशि : वरिष्ठ अध्येतावृत्ति : 1000/=रुपये प्रति माह ।
कनिष्ठ अध्येतावृत्ति : 500/=रुपये प्रति माह ।

(III) संख्या : वरिष्ठ अध्येतावृत्ति । तीस, प्रति वर्ष ।
कनिष्ठ अध्येतावृत्ति : पचहत्तर, प्रति वर्ष ।

(IV) अवधि : परियोजना के अनुसार एक वर्ष या दो वर्ष ।
या तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य ।

(V) आयु : न्यूनतम आयु 25 वर्ष ।

4. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्त्ताओं को छात्रवृत्तियां ।

(1) पात्रता : संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला/मूर्तिकला तथा परम्परागत कला-रूपों के क्षेत्रों में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए ।

(II) राशि : 400/-रुपये प्रति माह

(III) संख्या : 150 छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष ।

(IV) अवधि : दो वर्ष । विशिष्ट मामलों में छात्रवृत्ति को और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

(V) आयु : 18 से 28 वर्ष तक का आयु वर्ग ।

राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

1007. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के विकास, अनुरक्षण और संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में उन प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा संरक्षित घोषित किये गये हैं;

(ग) इनमें से कितने प्राचीन स्मारक झालावाड जिले में हैं; और

(घ) उनके उचित संरक्षण के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्वीय मानदंडों और स्मारक विशेष की आवश्यकता के अनुसार, केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की रक्षा और देखभाल की जा रही है जिनमें प्राचीन मन्दिर भी शामिल है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। यह एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आम कार्य का एक हिस्सा है।

(ख) राजस्थान के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) झालावाड जिला के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या सात है।

(घ) इन स्मारकों की देखभाल करने के लिए पहरा और निगरानी कर्मचारियों की तैनाती के अलावा, विशेष मरम्मत और वार्षिक मरम्मत कार्यक्रम के उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किये जाते हैं। इन स्मारकों के लिए किए गए कार्यों के ब्यौरों में ये कार्य शामिल हैं फालतू घात-पात हटाना; पगडंडियां बनाना, दरारों को भरना और छत के छिद्रों को भरना, दीवारों के टूटे भागों, दरवाजों के पाखों को दुबारा बनाना और टूटे हुए छज्जों आदि को बदलना।

विवरण

राजस्थान में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

क्रम सं०		स्मारक का नाम/स्थल
1	2	3
		जिला अजमेर
1.	अजमेर	अढ़ैदीन का झोपड़ा
2.	—वही—	बादशाही हवेली
3.	—वही—	अजमेर-जयपुर मार्ग पर बावड़ी
4.	—वही—	एक तोरणद्वार वाला दिल्ली दरवाजा
5.	—वही—	तारागढ़ पहाड़ी का तोरणद्वार
6.	—वही—	संग्रहालय सहित अजमेर किले में शस्त्रागार भवन
7.	—वही—	आना सागर बांध पर संगमरमर के मण्डल और कटहारे तथा आना सागर बांध के पीछे मार्बल हमाम के खंडहर
8.	—वही—	दौलत बाग में सहेली बाजार भवन
9.	—वही—	"सोला खुम्बा" के नाम से प्रसिद्ध अल्लाउद्दीन का मकबरा
10.	—वही—	अबदुल्ला खान और उसकी बेगम का मकबरा
11.	—वही—	त्रिपोलिया दरवाजा
12.	अजमेर जयपुर मार्ग	बादशाह अकबर द्वारा निर्मित कोस मीनार

1	2	3
13.	अजमेर-जयपुर मार्ग	बादशाह अकबर द्वारा निर्मित कोस मीनार
14.	छतरी	—वही—
15.	—वही—	सराय
16.	चुयारा	—वही—
17.	हुशियारा	—वही—
18.	—वही—	—वही—
19.	कैर	—वही—
20.	खानपुरा	—वही—
21.	पुष्कर	महल बादशाही
		जिला अलवर
1.	अलवर	शिव मन्दिर
2.	भंगघ	प्राचीन स्थल
3.	पदरन्पोल	प्राचीन अवशेष
		जिला बांसवाड़ा
1.	अर्थना	शिव मन्दिर और खंडहर
2.	विट्ठल देव	प्राचीन अवशेष
		जिला भरतपुर
1.	बयाना	अकबर की छतरी
2.	—वही—	प्राचीन किला और इसके स्मारक
3.	—वही—	अहम्मावाद इदगाह
4.	— वही—	इस्लाम शाह का द्वार
5.	—वही—	जहांगीर का तोरणद्वार
6.	बयाना	अझरी
7.	— वही—	लोधी की मीनार
8.	— वही—	सराज साधुल्ला
9.	—वही—	उषा मन्दिर
10.	भरतपुर	भरतपुर किले के बाहर तोरणद्वार
11.	—वही—	अनाहल द्वार के पास फतेह बुर्ज
12.	—वही—	भरतपुर किले के अन्दर बुर्ज तथा अष्टधातु तोरणद्वार
13.	डीग	डीग अवन (महल)
14.	—वही—	लूटी हुई तोप
15.	—वही—	लंगभरभर का झूला

1	2	3
16.	कामन	चौरासी खम्बा मन्दिर
17.	मालाह	प्राचीन टीला
18.	नोह	—वही—
19.	—वही—	यक्ष की विशाल प्रतीमा
20.	रूपवास	लाल महल
21.	भरतपुर	चोबुर्जा और अष्टधातु द्वारों पर सम्पर्क पुतो और चोबुर्जा द्वार सहित किले की दीवारें
22.	—वही—	किले की दीवार के चारों ओर खाई ।
		जिला भीलवाड़ा
1.	जिझोली	महाकाल और दो अन्य मन्दिर
2.	—वही—	चट्टान शिलालेख (12वीं शताब्दी)
3.	—वही—	पार्श्वनाथ मन्दिर परिसर के अन्दर चट्टान शिलालेख 12वीं शताब्दी
4.	खादीपुर गांव	कन्हेरी की पुतली प्राचीन मन्दिर
		जिला बीकानेर
1.	बीकानेर	मंडस जैन मन्दिर
2.	मोरखाना	सुखानी देवी का जैन मन्दिर
		जिला बूंदी
1.	बूंदी	महल में हरदोती विद्यालय की दीवार चित्रकारी
2.	केशवराय पाटन	प्राचीन टीला
3.	नैनवा	प्राचीन टीला
		जिला चित्तौड़गढ़
1.	बादोली	घाटेश्वर
2.	—वही—	कुंड
3.	—वही—	श्रींगर बावड़ी
4.	—वही—	अष्टमाता का मंदिर
5.	—वही—	गणेश का मन्दिर
6.	—वही—	केशवायन का मन्दिर
7.	—वही—	शिव मन्दिर और कुंड
8.	—वही—	त्रिमूर्ति का मन्दिर
9.	—वही—	नारद मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध बादल अवतार मन्दिर
10.	चित्तौड़	चित्तौड़ का किला

1	2	3
11.	मेनाल	मेनाल (महानल) मन्दिर और मठ
12.	नगारी	प्राचीन अवशेष
13.	नगारी	सर्वेक्षण प्लांट सं० 301 के संलग्न भूमि सहित हाथी-वाड़ा तथा शिलालेख
14.	निलोड़	जिओड़ा में पुरातत्वीय स्थल और अवशेष
		जिला धोलपुर
1.	धोलपुर	जोगनी जोगना मंदिर
2.	—वही—	शेर गढ़ किला
3.	—वही—	बाबुर के बाग का स्थल
		जिला डूंगरपुर
1.	दहोदा	जैन मन्दिर शिलालेख
2.	देव सोमनाथ	सोमनाथ मन्दिर
		जिला गंगानगर
1.	बादोपाल	प्राचीन टीले
2.	बटोर	प्राचीन टीला
3.	मदरांकली	प्राचीन टीले
4.	मन्नार घेरी	—वही—
5.	बिजोर	देव प्राचीन टीले
6.	बाक 86	प्राचीन टीला
7.	घोकल	प्राचीन टीले
8.	हनुमानगढ़	किला माटनेर
9.	कालीबंगा	तीन प्राचीन टीले
10.	मानक	प्राचीन टीले
11.	माधुला	दो प्राचीन टीले
12.	मुंडा	प्राचीन टीले
13.	पीर सुल्तान	—वही—
14.	पीली बंगा	प्राचीन टीला
15.	रंग महल	प्राचीन टीला
16.	तरखान-वाला	डेरा
		जिला जयपुर
1.	अबोनरी	प्राचीन टीला
2.	—वही—	बावड़ी

1	2	3
3.	—वही—	हरसात माता का मन्दिर
4.	अगार	जामा मस्जिद
5.	—वही—	लक्ष्मी नारायण का मंदिर
6.	—वही—	श्री जगत सिरोमणी जी मन्दिर
7.	—वही—	सूर्य मन्दिर
8.	ब्रह्मपुरी	पुण्डरीकजी की हवेली एक कक्ष में चित्रकारी
9.	गलताजी	मन्दिर जिसमें भित्ति कलाचित्र हैं।
10.	लालसोते	भरहुत स्तूप की रैलिंग स्तम्भों के समान दो स्तम्भों वाली बनजारों की छतरी
11.	महेशरा	प्राचीन टीला
12.	राणीवास	प्राचीन टीला
13.	सांभर	उत्खनित स्थल
14.	सीकराई	प्राचीन टीला
		जिला जैसलमेर
1.	जैसलमेर	प्राचीन मन्दिर सहित किला
2.	तोडरवा पाटन	प्राचीन स्थल
		जिला झालावाड़
1.	बिनायगा (डाग)	बौद्ध गुफाएं और स्तम्भ
2.	—वही—	नारंजनी आदि की गुफाएं
3.	बालसागर (गंगाधर)	प्राचीन खंडहर
4.	दुग्धालिया (डाग)	प्राचीन खंडहर
5.	हाथियागोड़	बौद्ध गुफाएं
6.	कोल्वी (डाग)	बौद्ध गुफाएं, स्तम्भ, मूर्तियां
7.	झातरापाटन	चन्द्रभाग के निकट पुराने मन्दिर
		जिला जोधपुर
1.	मंडोर	किला
		जिला करोली
1.	करोली	महाराजा गोपाल लाल के महलों पर दीवार चित्रकारी
		जिला कोटा
1.	अतरू अर्थवा गणेश गंज	मन्दिरों के खंडहर
2.	बदवा	यूपा स्तम्भ

1	2	3
3.	बारान	मन्दिर (12वीं शताब्दी)
4.	चरचोमा	शिव मन्दिर और दो अप्रकाशित गुप्ता शिलालेख
5.	दारा अथवा मुकन्दारा	मन्दिर, किला दीवार और प्रतिमाएं
6.	कांसवा	मन्दिर तथा शिलालेख
7.	कुण्णाविलास	प्राचीन खंडहर और संरचनात्मक अवशेष
8.	केरगढ़	पुराने मन्दिर, प्रतिमाएं और शिलालेख
		जिला सवाई माधोपुर
1.	आलनपुर	एक बावड़ी में फारसी शिलालेख
2.	सवाई माधोपुर	जैन मन्दिर
3.	रणथम्भोर	रणथम्भोर किला
		जिला सीकर
1.	सीकर	हर्षनाथ मन्दिर
		जिला टोंक
1.	बीसालपुर	बिसाल देव जी का मन्दिर
2.	पुंडवाली डूंगरी	प्राचीन टीले
3.	गरियागढ़ (देवाई)	—वही—
4.	झालाई	देवपुरा बडोदिया टीले
5.	खेड़ा	हाथी भाटा
6.	नागर	प्राचीन टीला
7.	नागर	उत्खनित स्थल
8.	—वही—	किले में शिलालेख
9.	—वही—	मांड किला ताल शिलालेख
10.	—वही—	बिचयुरिया मन्दिर में यूपा स्तम्भ
11.	पनवार	शिलालेख
12.	रैर (नेवाल)	उत्खनित स्थल
13.	टोडाराय सिंह	काला पहाड़ मन्दिर
14.	—वही—	कल्याणराम जी का मन्दिर
15.	—वही—	लक्ष्मीनारायण जी का मन्दिर जो स्थानीय रूप में गोपीनाथ जी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है।
16.	—वही—	पुरानी बावली स्थानीय रूप से हाडी रानी का कुंड के नाम से प्रसिद्ध है।
17.	—वही—	पीपाजी का मन्दिर

1	2	3
	जिला उदयपुर	
1.	कल्याणपुर	प्राचीन खंडहर
2.	कुम्भालगढ़	कुम्भालगढ़ का सम्पूर्ण किला
3.	नागदा	सास बहु मन्दिर
4.	नवचोकी राजसमन्द	शिलालेखों, मंडपों और तोरणों के साथ घाट
5.	गिलद (भगवानपुरा)	पुरातत्वीय स्थल और अवशेष

हिमाचल प्रदेश में जल-मल निकासी सुविधा के लिए सहायता

[हिन्दी]

1008. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नगरों में जल-मल निकासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राज्य सरकार ने 30.47 करोड़ रुपये की लागत से शिमला में जल-मल व्ययन व्यवस्था के सुधार तथा विस्तार के लिये और मनाली के लिए 2 98 करोड़ रु० की लागत की जल-मल व्ययन योजना के लिये तकनीकी अनुमोदन तथा वाह्य सहायता मांगी है।

(ग) इन शहरों में जल-मल व्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये इस समय कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है।

नागपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिल

[अनुवाद]

1009. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की माडल मिल्स में हाल ही में भीषण आग लग गई थी; जिसके कारण मशीनें आदि क्षतिग्रस्त हो गई थीं;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की उक्त मिल के प्रबन्धन ने अब उत्पादन बन्द कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त मिल की जली हुई मशीनों को तत्काल बदलने और उत्पादन आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) माडल मिलों ने हाल ही में आंशिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। एन टी सी ने चरणों में मिल को चालू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(1) स्टाक में बड़ी मात्रा में पड़े साइन्ड बीम्स का उपयोग तथा कपड़े का उत्पादन चालू रखने के लिए सहवर्ती एककों के वैफट यानं का अन्तरण अथवा बाहरी बाजार से उसकी खरीद करना;

(2) फालतू ड्रा फ्रैम्स और इन्टर्स का सहवर्ती मिलों से माडल मिलों को अन्तरित किए गए ताकि रिंग फ्रैम्स का कार्य आंशिक रूप से किया जा सके; और

(3) चूंकि आग से क्षतिग्रस्त मशीनों की डिलीवरी अवधि बहुत लम्बी है, इसलिए एन टी सी ने सभी प्रमुख विनिर्माताओं से बिना-पारी-आधार पर अपेक्षित मशीनों की सप्लाई करने का अनुरोध किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार

1010. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने एवं इसे सुदृढ़ करने का विस्तार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुव्यवस्थित बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निरन्तर आधार पर प्रयास किये जाते हैं। अन्य उपायों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं में वितरण के लिए अपनी ओर से आम खपत की अतिरिक्त मदों को शामिल करें; यह सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रों, जिनमें दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्र शामिल हैं, में रहने वाली समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आ जाए; जमाखोरी तथा कालाबाजारी आदि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों तथा इसी प्रकार के कानूनों को सख्ती से लागू करें। उचित दर की दुकानों की संख्या जो मार्च, 1984 में 3.02 लाख थी, बढ़कर मार्च, 1990 में 3.6 लाख हो गई है।

'औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' में प्रवेश के लिए मार्ग निर्देश

1011. **श्रीमती जयवन्ती छबीलचन्द मेहता** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.आई०ई०) और औद्योगिक

इंजीनियरी अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी०जी०डी०आई०ई० आर०) में प्रवेश के लिये मूल मार्ग निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (एन०आई०टी०टी०ई०) के निदेशक को मार्ग निर्देशों को उदार बनाने का अधिकार है,

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (एम०आई०टी०टी० ई०) के निदेशक की तथाकथित अनियमितताओं की जांच कराने का कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित हैं :—

औद्योगिक इन्जीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(I) सामान्य उम्मीदवार

किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष संस्था से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/उम्मीदवारों को इन्जीनियरी में स्नातक योग्यता परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करनी चाहिए ।

(II) उद्योग द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार

इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी डिग्री और न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।

2. औद्योगिक इन्जीनियरी अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(I) प्रायोजित उम्मीदवार

(क) वर्ष 1985 से 1986 तक

इन्जीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी की किसी शिक्षा में प्रथम श्रेणी की डिग्री अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी अथवा भारतीय औद्योगिक इन्जीनियरी संस्था की स्नातक परीक्षा आदि जैसी समकक्ष अर्हता/और/ख्याति प्राप्त संगठनों में चार वर्ष का प्रासंगिक कार्य करने का अनुभव ।

(ख) वर्ष 1987 और इससे आगे

इन्जीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में प्रथम श्रेणी डिग्री अथवा भारतीय औद्योगिक इन्जीनियरी आदि की स्नातक परीक्षा जैसी समकक्ष अर्हता और ख्याति प्राप्त संगठनों में चार वर्ष का काम करने का अनुभव ।

दाखिले अनुसंधान की परीक्षा, साक्षात्कार और योग्यता के आधार पर किये जाते हैं ।

(III) आन्तरिक उम्मीदवार

इन्जीनियरी/प्रौद्योगिक में डिग्री की अर्हता रखते हुए 60 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा में 5 प्रतिशत अंकों तक छूट ।

(ख) जी, नहीं। परन्तु शैक्षिक परिषद और शासी बोर्ड को न्यूनतम योग्यता में छूट देने का अधिकार है।

(ग) और (घ) संस्थान द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि उक्त पाठ्यक्रमों के लिये उम्मीदवारों के दाखिले के मामले में कोई अनियमिता नहीं की गई है। अतः इस मामले में किसी प्रकार की जांच करना जरूरी नहीं समझा जाता है।

वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण कोष

1012. **श्री काशीराम राणा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुग्ण कपड़ा मिलों आदि को सहायता देने के लिए 750 करोड़ रु० की वस्त्रोद्योग आधुनिकीकरण कोष योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का रुग्ण कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्तार है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण) : (क) वस्त्र मिलों की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 1-8-1986 से 5 वर्ष के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि की एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि स्थापित की गई थी।

(ख) सरकार ने अर्थक्षम पाई जाने वाली बन्द/रुग्ण वस्त्र मिलों को फिर से चालू करने के लिए पैकेज विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्स्थापन के लिए निवारक, सुधारक एवं उपचारी उपायों को निर्धारित करने तथा लागू करने के लिए एक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनःसंरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) की भी स्थापना की है।

(ग) और (घ) इस स्थिति में जबकि आई डी बी आई का औपचारिक रूप से राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, वित्तीय संस्थान वस्त्र एककों को अपने सामान्य कार्यों के भाग के रूप में टी एम एफ एस के अन्तर्गत आधुनिकीकरण सहायता की स्वीकृति देना जारी रखेंगे।

पश्चिम बंगाल को चावल के कोटे में कमी

1013. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1990 में पश्चिम बंगाल के लिये निर्धारित चावल के कोटे में कटौती कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) त्यौहार के मौसम के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु सितम्बर, 1990 के महीने के लिये अतिरिक्त आवंटन कर पश्चिम बंगाल के चावल के आवंटन को बढ़ाकर 94,000 मीटरी टन कर दिया गया था। इसके उपरांत, मंडियों में धान की आमद के कारण जिन महीनों में खुले बाजार में उपलब्धता में सुधार हो जाता है, उस समय स्टाक को बचाकर रख लेने की आवश्यकता की दृष्टि में, इस राज्य तथा कई अन्य राज्यों के आवटन को कम कर दिया गया है।

भारतीय ऊन उद्योग

[हिन्दी]

1014. **प्रो० राजा सिंह रावत** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मुक्त आयात नीति के कारण भारतीय ऊन उद्योग के अस्त व्यस्त होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू ऊन और ऊनी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) गलीचों के निर्यात पर इस समय दिए जा रहे नकद प्रोत्साहन की स्थिति क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय गलीचों के निर्यात के लिए निम्नलिखित नकद मुआवजा सहायता प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	निर्यात उत्पाद का विवरण	एफ ओ बी मूल्य के प्रतिशत के रूप में नकद मुआवजा सहायता की दर
1	2	3
1.	ऊनी कालीन (मशीन निर्मित के अलावा)	
	(1) 650 रु० प्रति वर्ग मीटर से ऊपर एफ ओ बी मूल्य।	18
	(2) 250 रु० से ऊपर लेकिन 650 रु० प्रति वर्ग मीटर तक एफ ओ बी मूल्य।	15
	(3) 250 रु. प्रति वर्ग मीटर तक एफ ओ बी मूल्य।	8
2.	मशीन निर्मित कालीन (जिसमें 20 प्रतिशत से अधिक ऊन का इस्तेमाल होता है)।	5

सफदरजंग अस्पताल के कार्यकरण में अव्यवस्था

[अनुवाद]

1015. **श्री डी० एम० पुट्टे गौडा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्री ने नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल का हाल ही में आकस्मिक दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो वहां क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं;

(ग) क्या अस्पताल में मरीजों का ठीक इलाज नहीं किया जाता है और उन्हें ठीक दवा नहीं दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अस्पताल के कामकाज में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां । 26-11-1990 को ।

(ख) कोई बड़ी कमी नहीं पाई गई थी । बहरहाल, एलीवेटरों के काम न करने तथा अपर्याप्त रोशनी की ओर अस्पताल के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया था । उनका ध्यान मरीजों की शिकायतों और उनके प्रति ध्यान न देने की ओर भी आकर्षित कराया गया था । अस्पताल के अधिकारियों ने इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । रोगी अस्पताल के सभी विभागों/बीमारियों में अपना उपयुक्त उपचार प्राप्त कर रहे हैं । अस्पताल फार्मूलरी में शामिल दवाइयां रोगियों को दी जा रही हैं । यदि कोई जीवन रक्षक दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती है तो उसे स्थानीय खरीदारी से प्राप्त किया जाता है ।

चिकित्सा संबंधी उपकरणों के आयात में अनियमितताएं

1016. **श्री लोकनाथ चौधरी**
श्री कमल नाथ
डा० चिन्ता मोहन
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री जनार्दन तिवारी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली द्वारा चिकित्सा संबंधी उपकरणों के आयात में अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि के उपकरणों का आयात किया गया है;

(ग) इसके लिये किन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सभी अस्पतालों में चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों के आयात की प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, ताकि ऐसी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति न हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मामले की जांच करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 23 नवम्बर, 1990 को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। आरम्भिक रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच के आधार पर गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली के भंडार अधिकारी और भंडार लिपिक को निलम्बित किया गया है और इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को अस्पताल से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन के भ्रष्टाचारोधी विभाग ने इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज की हुई है।

(घ) इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति का एक कार्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए उपचारी उपाय सुझाना भी है।

पेप्सी परियोजना की समीक्षा के लिए समिति

1017. **श्री आर० गुण्डू राव**
श्री फूलचन्द वर्मा
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा
डा० विप्लव दास गुप्त
श्री सुधीर गिरि
श्री हर्ष वर्धन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स पेप्सी फूड्स प्रोजेक्ट के कार्यकरण की समीक्षा के लिए यह देखने के लिये कि यह निर्धारित दिशा में कार्य कर रही है या नहीं, एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ?

खाद्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुब्बदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्तमान हालत का पता लगाने की दृष्टि से मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं का दौरा करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के उप सचिव, तथा निदेशक (फल एवं सब्जी प्रसंस्करण) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक शामिल हैं। इस दल की रिपोर्ट 25 जनवरी, 1991 तक मिलने की आशा है।

केरल को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

1018. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री पी० सी० चाको
श्री ए० विजय राघवन
श्री के० मुरलीधरन } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस महीनों के दौरान केरल को चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रतिमाह कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या कोई आबंटन तदर्थ आधार पर भी किया गया था, और यदि हां, तो ऐसा आबंटन कितनी मात्रा में और किस अवधि के लिए किया गया;

(ग) क्या केरल सरकार ने चावल के आबंटन में वृद्धि करने की मांग का है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त मात्रा की मांग का है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें जनवरी, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक की अवधि के लिए चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल के मासिक आबंटन दर्शाए गए हैं।

(ख) केरल सरकार को अगस्त, 1990 के लिए 20,000 मी० टन तथा अक्तूबर, 199 0 के लिए 10,000 मी० टन चावल का तदर्थ आबंटन किया गया था। जहां तक लेवी चीनी का संबंध है, सितम्बर, 1990 व अक्तूबर, 1990 के प्रत्येक महीने के लिए 1800 मी० टन त्यौहार का कोटा आवंटित करने के अलावा केरल को 5000 मी० टन मात्रा अग्रिम आबंटन के रूप में आवंटित की गई थी। इस आबंटन को भविष्य के मासिक आबंटनों में समायोजित किया जाना था। अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर, 1990 के महीनों के दौरान आयातित खाद्य तेलों का आबंटन बढ़ी हुई मात्रा में किया गया था।

(ग) और (घ) जी हां। केरल सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रति महीने 1.60 लाख मी० टन चावल आवंटित करने का अनुरोध किया है। ये आबंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति तथा गत समय में उठाई गई मात्रा तथा अन्य राज्यों को तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल से होने वाली सप्लाई को पूरा करने के लिए नहीं होती है और वह राज्यों को समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होती तथापि, इस राज्य को जनवरी, 1991 के लिए चावल का 7500 मी० टन अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

विवरण

केरल को जनवरी, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन

(हजार मी॰ टन में)

महीना	निम्नलिखित का आवंटन				
	चावल	गेहूं	मिट्टी का तेल	आयातित खाद्य तेल	लेवी चीनी
1	2	3	4	5	6
जनवरी, 90	100.00	20.00	23.705	2.50	11.953
फरवरी, 90	125.00	20.00	23.750	2.50	11.953
मार्च, 90	125.00	20.00	20.229	3.00	11.953
अप्रैल, 90	125.00	20.00	20.229	3.00	11.953
मई, 90	125.00	20.00	20.229	3.50	11.953
जून, 90	125.00	20.00	20.229	3.50	11.953
जुलाई, 90	135.00	20.00	21.529	3.50	11.953
अगस्त, 90	15500.*	20.00	21.529	5.00	11.953
सितम्बर, 90	135.00	20.00	21.529	5.00	13.753
अक्तूबर 90	145.00@	20.00	21.529	6.00	13.753

* इसमें ओणम त्योहार के लिये किया गया 20,000 मी॰ टन का तदर्थ आवंटन शामिल है।

@ इसमें त्योहार ओणम के लिये किया गया 10,000 मी॰ टन का तदर्थ आवंटन शामिल है।

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के भंडागार

1019. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिला मुख्यालयों में भारतीय खाद्य निगम के भंडागार/कार्यालय नहीं हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य के प्रत्येक जिले में भारतीय खाद्य निगम का कम से कम एक भंडागार/कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के मध्य प्रदेश में निम्नलिखित 9 जिलों को छोड़कर सभी जिलों के मुख्यालयों और/अथवा अन्य स्थानों पर गोदाम/कार्यालय हैं :—

(1) दामोह
(2) मंदसौर
(3) पन्ना
(4) रायसेन
(5) शाजापुर
(6) सिहोर
(7) शिवपुरी
(8) रीवां
(9) राजगढ़

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम का मध्य प्रदेश में किसी अन्य स्थान पर गोदाम/कार्यालय का निर्माण करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं

1020. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गांवों में रहने वाली आम जनता को परिवार कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मौलिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) वर्तमान समय में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत "विलेज हैल्थ गाइडों" सहित कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारिवारिक कल्याण केन्द्र, स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र और उपकेन्द्र हैं और क्या यह संख्या ग्रामीण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) इनमें से कितने केन्द्रों में स्टाफ पूरा है स्टाफ कम है और कितने बिना स्टाफ के हैं तथा इन केन्द्रों में कब तक निर्धारित मानदंडों के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसंती चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 8000 उपकेन्द्र, 1048 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 186 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 8982 ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड कार्य कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ।

(ग) सहायक नर्स मिडवाइफों के बिना काम करने वाले उपकेन्द्रों की संख्या 926 है । उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कोई कमी नहीं है । कर्मचारियों को तैनात करना और काम पर लगाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

केरल को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

1021. प्रो० के० वी० थामस
श्री के० मुरलीधरन
श्री ए० चार्ल्स } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से अब तक केरल को चावल, गेहूं और चीनी का कितना-कितना आवंटन किया गया;

(ख) क्या केरल सरकार ने पूरी मात्रा में आवंटित वस्तुएं ले ली हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने शिकायत की है कि उसे सप्लाई किया गया चावल घटिया किस्म का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) जनवरी 1990 से जनवरी, 1991 तक के महीनों के लिए अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

(लाख मीटरी टन में)

	आवंटन	उठान
चावल	17.175	13.18*
गेहू	2.700	2.146*
लेवी चीनी	1.590**	

* उठान संबंधी आंकड़े अनन्तिम हैं और नवम्बर, 1990 तक के हैं।

** केरल सीधा आबंटी राज्य है और उठान की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) सितम्बर- 1990 में केरल सरकार ने चावल की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत की थी जो मुख्यतया शिथिलीकृत विनिर्दिष्टियों के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए चावल के बारे में थी। स्थायी अनुदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पहले निरीक्षण किए गए और स्वीकार किए गए स्टाक को ही केरल क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया जाता है, ताकि कोई शिकायत न हो।

हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

1022. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खंड में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। फिर भी, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में चमौली में एक बुनकर सेवा केन्द्र चला रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ सेवा के एक भाग के रूप में हथकरघा क्षेत्र में लगे बुनकरों बुनाई, डिजायन, रंगाई और छपाई में हथकरघा बुनकरों की तकनीकी शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

जबकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में और अधिक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चमौली स्थित बुनकर सेवा केन्द्र को यह निर्देश दिया गया है कि वह राज्य एजेंसियों द्वारा दर्शायी गई आवश्यकता अनुसार और राज्य सरकार की हथकरघा एजेंसियों के संयोजन में कुशल और अर्ध-कुशल बुनकरों के प्रशिक्षण कार्यकलाप चलाएं।

गहन पहाड़ी क्षेत्र विकास परियोजना ने एक गहन प्रशिक्षण संघटक को शामिल कर लिया गया है जिसकी मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने दे दी है। इस परियोजना को वर्ष 1985-86 में स्वीकृति दी गई थी और जिसका 5 वर्षीय कार्यान्वयन कार्यक्रम था। परियोजना की कुल लागत 798.73 लाख रु० है जिसे केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर बाँटा जाना है। अब तक भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए अपने अंश के रूप 399. 365 लाख रु० रिलीज किए हैं। इस परियोजना में करघों का अभिग्रहण; उत्पादन-सह- प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना, करघों का आधुनिकीकरण, बुनकरों को करघों का वितरण, रंजक गृहों और डिजाइन केन्द्रों आदि की स्थापना करना शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार गढ़वाल मंडल में 5 स्थानों पर तथा कुमाऊं मंडल में 3 स्थानों पर उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं :—

गढ़वाल मंडल

1. डुंडा (उत्तर काशी)
2. तेफना (चमौली)
3. चिका (चमौली)
4. नौगांव (उत्तर काशी)
5. हरसिल (उत्तर काशी)

कुमाऊं मंडल

1. बागेश्वर (अल्मोड़ा)
2. धारचुला (पिथौरागढ़)
3. काशीपुर (नैनीताल)

युवा नीति

[अनुवाद]

1023. **श्री हुम्मन मोल्लाह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही एक युवा नीति घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उसके लागू करने की प्रक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की जा रही है। यद्यपि, एक राष्ट्रीय युवा परिषद बनाई गई है जो युवाओं के लिए नीति-उपायों तथा कार्यक्रम संबंधी सुझाव देगी तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति को अंतिम रूप देने के बाद उसकी कार्य योजना के कार्यान्वयन के उपायों पर सरकार को सलाह देगी।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा धमकी

1024. **लक्ष्मी नारायण पाण्डे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघों ने अगस्त, 1990 में यह धमकी दी थी की यदि उनकी मांगें नवम्बर, 1990 तक नहीं मानी गई तो वे अपना स्थगित आन्दोलन फिर से शुरू कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता/आंदोलन की नवीनतम स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1990 को उनका प्राप्त किया गया ग्यारह सूत्री मांग पत्र निम्नलिखित है :—

(1) चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को तुरंत और पूर्णरूप में लागू करना।

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व।

(3) पुस्तकालयध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायकों और प्रयोगशाला परिचरों सहित शिक्षकों के विविध संवर्गों के लिए प्रोन्नति के कोटे में वृद्धि तथा प्रोन्नति के लिए नये पदों का सृजन।

(4) शिक्षकों के सभी संवर्गों को समयबद्ध चयन ग्रेड प्रदान करना।

(5) जे० सी० एम० भर्ती और प्रोन्नति के नियमों तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों का विवेक सम्मत पुनर्गठन।

(6) मार्च-मई, 1982, 19 अप्रैल, 1983 और 18 अगस्त, 1984 के लिए वेतन का भुगतान तथा संघ के पदाधिकारियों का उत्पीड़न बंद करना।

(7) +2 स्तर पर नये विषयों को शामिल करना तथा माध्यमिक सेवा शर्तों के लिए प्रधानाध्यापक के पद का सृजन करना।

(8) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सामान्य पूल से प्रत्येक शिक्षक को आवास का आवंटन; संगीत शिक्षकों को टी० जी० टी० ग्रेड तथा पुस्तकालयाध्यक्षों एस० यू० पी० डब्ल्यू और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को पी० जी० टी० ग्रेड दिया जाना।

(9) शिक्षकों के कार्यभार में कमी।

(10) जिलेवार केन्द्रीय विद्यालयों खोलना, केन्द्रीय विद्यालयों में स्थानीय बच्चों के दाखिले के लिए कुछ कोटा निर्धारित करना तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सी० ए० टी० के अधीन लाना।

(11) सी० जी० एच० एस० की सुविधाओं में वृद्धि चिकित्सा भत्ता प्रदान करना तथा सामूहिक बीमा योजना का तर्कसंगत पुनर्गठन करना।

(ग) विभिन्न संघों के साथ वार्ता का द्वार खुला रखा गया है। और संगठन में मुद्दों की जांच की जा रही है तथा किसी आंदोलन का सहारा नहीं लिया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त स्रोत पैदा करने के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करना

1025. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त स्रोतों के सर्जन के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस दृष्टिकोण पत्र में अतिरिक्त स्रोत जुटाने के लिए सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदेव गोबर्धन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार अतिरिक्त स्रोतों के सृजन का प्रस्ताव प्रारूप स्तर पर है व इसके विवरण को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा में जाजपुर में पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण

1026. **श्री अनादि चरण दास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जाजपुर (उड़ीसा की प्राचीन राजधानी) में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जाजपुर में एक संग्रहालय स्थापित करने और वहां स्थित मंदिर आदि जैसे पुरातत्वक महत्व के प्रचीन स्मारकों का रखरखाव कार्य अपने हाथ में लेने के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जाजपुर में उड़ीसा की प्राचीन राजधानी स्थल के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है तथा प्राचीन स्मारकों एवं अवशेषों का अध्ययन किया गया है और संरक्षण के लिए उनकी सिनाखत की गई है। इनमें प्राचीन मंदिर, बुद्ध-प्रतिमाएं, जैन-प्रतिमाएं और अन्य मूर्तियां शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मूर्तिशेड के निर्माण हेतु जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क किए हुए है ताकि इसे उचित समय में स्थल संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा सके।

कर्नाटक में स्टेडियम का निर्माण

1027. **श्री जोस फर्नान्डीज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक में केन्द्रीय सहायता से किन-किन स्थानों पर स्टेडियमों का निर्माण किया गया;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कर्नाटक में कितने स्टेडियमों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(ग) क्या बंगलौर सिटी में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कोई स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित स्थानों पर स्टेडियम के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई थी :—

क्र० सं०	परियोजना
1.	पेरडूर में स्टेडियम
2.	चितरादुर्गा में इन्डोर स्टेडियम
3.	बालनकाट्ट में स्टेडियम
4.	चितरादुर्गा में स्टेडियम
5.	कोलर में स्टेडियन
6.	सागर में स्टेडियम
7.	ओपन स्टेडियम, बेटामिरी

(ख) जबकि यह राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य और न्याय संगत प्रस्तावों पर निर्भर करेगा तथा अब तक दो परियोजनाएं निम्नलिखित के अनुसार मंजूर की गई है :—

1. रविन्द्र नगर, शिमोगर 2.00 लाख रुपये
2. भारती नगर, जिला मंडया में स्टेडियम 1.50 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

टौक्सीकोलौजी प्वायजन कंट्रोल सेन्टर, मद्रास का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता

1028. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए किसी भी आकस्मिकता का सामना करने के लिए मद्रास मेडिकल कालेज के सघन चिकित्सा केन्द्र एवं टौक्सीकोलौजी प्वायजन कंट्रोल सेन्टर का दर्जा, बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि

1029. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में दिल्ली में कितनी सहकारी सामूहिक आवास निर्माण समितियों को भूमि आवंटित की गई है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी सहकारी सामूहिक आवास समिति को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, अभी हाल ही में 423 समितियों को द्वारका (पपनकलां) तथा नरेला परियोजनाओं में भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पत्र भेज दिये गये हैं।

चीनी मिलों के संबंध में विवाद

1030. **श्री जगपाल सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 दिसम्बर, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में मिनिस्टर्स वार ओवर सुगर मिल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में उद्योग मन्त्रालय और खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के बीच विवाद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी उद्योग के विकास के हित में इस विवाद को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (ख) जी, हां।

(ख) और (ग) सहकारी नीतियां तैयार करते समय सम्बन्धित विभागों/मन्त्रालयों से परामर्श किया जाता है। इस मामले में खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय तथा उद्योग मन्त्रालय ने अलग-अलग विचार अभिव्यक्त किए थे। विभिन्न अन्तर्ग्रस्त मुद्दों पर विचार करने के बाद औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अपने दिनांक 23-7-1990 के प्रेस नोट द्वारा नई लाइसेंसिंग नीति के मार्ग-दर्शी सिद्धांतों की घोषणा कर दी गई थी।

दिल्ली में अस्पतालों के कार्यकरण में गिरावट

1031. **श्री बिलीप सिंह भूरिया**
श्री मदन लाल खुराना } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली/नई दिल्ली के सरकारी अस्तालों के कार्य-करण में अकुशलता एवं भारी गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अव्यवस्था के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) सरकार की दिल्ली में अस्पतालों सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं की जानकारी है जो असमक्षता की अपेक्षा मुख्यतया सेनाओं की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप होती हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा गठित की गई दिल्ली (शहरी क्षेत्रों) में चिकित्सा परिचर्या सुविधाओं के पुनर्गठन के लिए विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता के कारणों का पता लगा लिया है इस प्रकार हैं :—

1. भीड़-भाड़

2 निवास के क्षेत्र को ध्यान दिए बिना सभी अस्पतालों में मेडिकल चिन्हों-शॉपिंग-फी एंट्री/प्रवेश पर प्रतिबंध न होना/लोग जितने चाहे उतने अस्पतालों से चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लाभान्वित होते हैं।

3. चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने वाले बहुत सारे अभिकरण।

4. स्वास्थ्य सेवाओं का जोनल-वार बनाने का अभाव।

5. वित्तीय कठिनाइयों के कारण साधनों की सीमित उपलब्धता।

(घ) दिल्ली की आबादी को कारगर चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों, जिसमें प्रमुख अस्पतालों के आन्तरिक प्रबन्ध सुदृढ़ करने के लिए उपाय शामिल हैं, की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

जब भी सरकार का ध्यान रोगियों की किन्ही विशिष्ट शिकायतों की ओर दिलाया जाता है उनके शीघ्र निवारण के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं जो शिकायतों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं।

कपड़े का निर्यात

[हिन्दी]

1032. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़े के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) भारतीय कपड़े के निर्यात में क्या-क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं;

(ग) विभिन्न किस्म के धागे के निर्यात के सम्बन्ध में हुए समझौतों और उस पर लगाए गए प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कपड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) अप्रैल-नवम्बर, 1990 के दौरान वस्त्रों (कयर, पटसन तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं को छोड़कर) का निर्यात 5043 करोड़ रु० (अनन्तिम) मूल्य का हुआ।

(ख) भारत से वस्त्रों के निर्यात में प्रमुख अड़चनें हैं : विकासित देशों द्वारा लगाया गया कोटा प्रतिबन्ध, अन्य वस्त्र निर्यातक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, निर्यात क्षेत्र द्वारा आधुनिकीकरण की धीमी गति आदि।

(ग) सूती धागे का निर्यात इंडो-ई० ई० सी० तथा भारत-अमरीकी द्विपक्षीय वस्त्र करारों की शर्तों के अन्तर्गत कोटा प्रतिबन्धों से सम्बन्धित है। इसके अलावा, सरकार ने सभी काउंटों के सूती धागों के निर्यात पर स्वेच्छिक वार्षिक सीमा लगा दी है।

(घ) भारत से वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें उत्पादन आधार का विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी में वृद्धि द्वारा उत्पाद क्वालिटी का सुधार, निर्यात आयात नीति को उदार बनाना, अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनों को हटाना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों को भेजना आदि शामिल हैं।

खाद्य भण्डारण के लिए रबड़युक्त कवर

1033. **श्री चान सिंह यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने 5,000 जी० पी० आर० एफ० रबड़ युक्त कवरों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इन कवरों का मूल्य क्या है;

(ग) इन कवरों की विभिन्न गोदामों तक ढुलाई पर कितनी धनराशि खर्च की गई और राज्य-वार ऐसे कितने कवर दिए गए;

(घ) भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय ने इन कवरों की खरीद के प्रति सहमति प्रकट नहीं की और यदि हां, तो इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का इतना स्टाक नहीं है कि इन्हें "प्लिंथ" तक भंडारण किया जा सके, इन कवरों की खरीद करने का औचित्य क्या है;

(ङ) क्या इन कवरों की खरीद के मामले में बरती गई अनियमितताओं की जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले और यदि जांच नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) 5000 रबराइज्ड गैस प्रूफ (आर० जी० पी०) प्रघूमन चादरों की आपूर्ति करने के लिए मै० एशियन इण्डस्ट्रीज और मै० सप्तगिरि एग्री-इंजेनेज सिस्टम, कलकत्ता को अलग-अलग आर्डर दिये गये थे। मै० एशियन इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता ने सभी 5000 चादरों की आपूर्ति कर दी थी जबकि मै० सप्तगिरि एग्री-इंजेनेज सिस्टम, कलकत्ता केवल 1700 चादरों की ही आपूर्ति कर सका था। (शेष चादरों की आपूर्ति करने विषयक मामला न्यायाधीन है।) ये आर० जी० पी० चादरें स्टाक का प्रघूमन करने और न कि कैप अथवा प्लिंथ में स्टाक को ढकने के लिए खरीदी गई थीं।

(ख) 10,000 चादरों की कुल कीमत 8.59 करोड़ रुपये जमा कर है। सप्लाई की गई 6700 चादरों की कीमत 5.75 करोड़ रुपये जमा कर है।

(ग) सप्लाई की गई 6700 चादरों में से 6200 चादरों की ढुलाई करने के लिए 6,25,482,48 रुपए के ढुलाई प्रभार, जिनमें बीमा लागत शामिल है (क्षति के लिए वसूलियों सहित) अदा किए गए। इन 67000 चादरों के राज्यवार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान क्षेत्र ने 18 प्रघूमन चादरों को अन्य क्षेत्रों को भेज देने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया था कि उनके पास प्रघूमन के लिए पर्याप्त संख्या में पोलीथीन की चादरें उपलब्ध हैं। राजस्थान क्षेत्र के अनुरोध पर विचार करने के बाद उन्हें निदेश

दिए गए थे कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए वे प्रधूमन के प्रयोजन हेतु इन्हीं प्रधूमन चादरों का इस्तेमाल करें।

(ङ) यद्यपि विहित कार्यविधि का अनुसरण कर खरीदारी की गई थी लेकिन सौदे में तथाकथित कमीशन लेने से सम्बन्धित एक शिकायत की भारतीय खाद्य निगम जांच कर रहा है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर० जी० पी० प्रधूमन चादरों का क्षेत्रवार वितरण

	मैं० एशियन इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	मैं० सप्तगिरि एग्री-इंजीनेज सिस्टम, कलकत्ता
1	2	3
दिल्ली	124	—
पंजाब	930	—
हरियाणा	310	—
उत्तर प्रदेश	992	—
राजस्थान	310	—
तमिलनाडु	—	310
आन्ध्र प्रदेश	372	—
केरल	186	—
मद्रास (पी० ओ०)	—	124
कर्नाटक	62	—
विजाग (पी० ओ०)	—	124
महाराष्ट्र	460	428
मध्य प्रदेश	372	—
गुजरात	186	—
कांडला (पी० ओ०)	—	124
कलकत्ता (पी० ओ०)	248	156
बिहार	—	310
पश्चिम बंगाल	262	—
एन० ई० एफ०	62	124
उड़ीसा	124	—
जोड़	5000	1700

सीमेंट, खाद्य तेलों और दालों के मूल्य

[अनुवाद]

1034. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1989 को सीमेंट के एक बोरे का मूल्य कितना था और 1 नवम्बर, 1990 को यह कितना था; और

(ख) खाद्य तेलों वनस्पति घी और दालों के 1 दिसम्बर, 1989 और 1 नवम्बर, 1990 को मूल्य कितने थे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) दिसम्बर, 1989 और नवम्बर, 1990 में चुने हुए केन्द्रों पर सीमेंट के खुदरा मूल्य दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) दिसम्बर, 1989 और नवम्बर, 1990 के पहले सप्ताह में चुने हुए केन्द्रों पर खाद्य तेलों और दालों के खुदरा मूल्य दर्शाने वाला विवरण- संलग्न है।

विवरण-I

चुने केन्द्रों पर सीमेंट के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति 50 कि० ग्रा० का बोरा)

केन्द्र	दिसम्बर, 1989	नवम्बर, 1990
1	2	3
हैदराबाद	61.00	82.00
हिसार	80.00	95.00
बीजापुर	74.00	76.00
कोझीकोड	84.00	99.00
नागपुर	73.00	78.00
भवानीपटना	66.00	82.00
भटिण्डा	82.00	102.00
बीवर	75.00	90.00
आगरा	70.00	92.00
कानपुर	72.00	92.00
जलपाइगुड़ी	85.00	95.00
चण्डीगढ़	78.00	95.00

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मन्त्रालय

विवरण-2

चुने केन्द्रों पर खाद्य तेलों और दालों के खुदरा मूल्य

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

वस्तु/केन्द्र	निम्नांकित तारीख को	
खाद्य तेल	1-12-1989	2-11-1990
1	2	3
वनस्पति		
दिल्ली	27.00	36.00
बम्बई	28.00	41.00
लखनऊ	31.00	42.00
मूंगफली का तेल		
दिल्ली	30.00	40.00
बम्बई	26.00	35.00
मद्रास	24.50	33.00
हैदराबाद	23.40	32.40
सरसों का तेल		
दिल्ली	22.00	30.00
बम्बई	23.00	33.00
कलकत्ता	22.00	34.00
मद्रास	26.00	38.00
नारियल का तेल		
दिल्ली	40.00	46.00
बम्बई	35.00	39.00
कलकत्ता	40.00	48.00
मद्रास	30.00	39.00
जिंजली का तेल		
दिल्ली	30.00	35.50
मद्रास	24.00	27.00
गांधीनगर	24.00	35.00

1	2	3
लखनऊ	25.00	35.00
दालें		
चना		
दिल्ली	9.75	10.00
बम्बई	12.00	12.00
मद्रास	10.00	10.50
लखनऊ	9.00	9.00
अरहर		
दिल्ली	10.00	15.50
बम्बई	12.00	18.00
मद्रास	11.00	14.50
लखनऊ	11.00	18.00
मूंग		
दिल्ली	11.00	12.00
बम्बई	13.00	12.00
मद्रास	11.00	10.50
लखनऊ	12.00	13.00
मसूर		
दिल्ली	10.00	10.50
बम्बई	11.00	12.00
मद्रास	11.00	10.00
लखनऊ	9.00	11.00
उड़द		
दिल्ली	12.00	13.00
बम्बई	13.00	14.00
मद्रास	11.00	11.00
लखनऊ	12.00	13.50

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मन्त्रालय ।

खाड़ी देशों से वापस आये लोगों को विद्यालयों में प्रवेश

10. 5. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों से वापस आये लोगों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केन्द्रीय विद्यालयों में उनके बच्चों को प्रवेश देने से मना किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन के अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय के आयुक्त और मानव संसाधन के सचिव की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों और दूसरे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए खाड़ी देशों से लौट आये लोगों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के विद्यार्थियों के प्रवासी अभिभावकों से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

परिणामस्वरूप केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कुवैत और इराक से लौटे विस्थापितों के बच्चों तथा जम्मू और कश्मीर घाटी से लौटे प्रवासियों के बच्चों को अपने मन माफिक स्कूलों में विशेष संवर्ग के तहत कक्षा की क्षमता के अतिरिक्त तथा प्रवेश परीक्षा तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की पूर्व-शर्त के बिना केवल हलफनामे पर घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए दाखिले दिए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे।

(ग) और (घ) खाड़ी देशों से लौटे विद्यार्थियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए केरल सरकार के (शिक्षा और विधि) मन्त्री तथा केरल सरकार के सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग के साथ समिति, जिसमें सी० बी० एस० ई० के अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शामिल थे, की एक बैठक हुई थी और उसमें निम्न निर्णय लिए गए थे :—

(I) केन्द्रीय विद्यालय/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुवैत और इराक से लौटे विद्यार्थियों को दाखिले देने के लिए सामान्य प्राथमिकता के मानदण्ड में रियायत देते हुए किसी भी कक्षा/वर्ग के लिए, जहां भी आवश्यक हो विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकता है या उसमें क्षमता से अधिक प्रवेश दे सकता है।

(II) इस वर्ष दाखिल किए गए छात्र विद्यालयों में पाठ्यक्रम खत्म होने तक बने रहेंगे।

(III) केरल के विद्यालयों में दाखिल विद्यार्थियों को उपलब्ध 60% की उपस्थिति ही न्यूनतम उपस्थिति मानी जाएगी।

(IV) फ्रेंच जैसी भाषा या ऐसे दूसरे विषयों जो केन्द्रीय विद्यालय/सी० बी० एस० ई० विद्यालयों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, को पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनु-

मति दी जाएगी बशर्ते कि अभिभावक इन विषयों में निजी अध्ययन की व्यवस्था करने की जवाबदेही लेते हैं।

(v) तीसरी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने से छूट देने के लिए किए गए अनुरोधों पर सम्बन्धित शिक्षा बोर्ड उदारतापूर्वक विचार करेगा।

(VI) कक्षा XI में दाखिले के लिए दो विज्ञान ग्रुपों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में अनुपालन किए जा रहे न्यूनतम अपेक्षित अंक की व्यवस्था बनी रहेगी फिर भी स्टैंडर्ड XII में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसी शर्तें नहीं होंगी।

(VII) यदि प्रबन्धन मौजूद प्रावधानों के अन्तर्गत स्टैंडर्ड XI की कक्षा खोलने के लिए न्यूनतम जरूरतें निर्धारित करती है तो सी० बी० एस० ई० द्वारा संस्वीकृति दे दिए जाने की उम्मीद करते हुए सी० बी० एस० ई० से सम्बद्ध ऐसे स्कूलों में जहां केवल स्टैंडर्ड X तक की ही कक्षाएं चलती हैं, स्टैंडर्ड XI की कक्षा अस्थायी तौर पर खोली जा सकती हैं।

(VIII) कार्यरत ऐसे स्कूलों के मामले में जहां केवल स्टैंडर्ड IV या समकक्ष तक की ही कक्षाएं हैं, स्टैंडर्ड IV और VI की भी कक्षाएं इस वर्ष खोली जा सकती हैं ताकि खाड़ी देशों से आए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सके।

गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य

[हिन्दी]

1036. श्री मित्रसेन यादव
श्री सन्तोष कुमार गंगवार
श्री एम० बागा रेड्डी } क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न राज्यों में गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो गन्ने का राज्यवार मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने के मूल्य ढांचे में एकरूपता लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन निर्धारित चीनी फैक्टरियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य सभी राज्यों में एक समान रूप से लागू होता है। चीनी मौसम 1990-91 के लिए यह मूल्य 8.5% की रिकवरी पर तथा जिसमें अधिक रिकवरियां करने के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है, 23.00 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह मूल्य सभी राज्यों के लिए एक-समान है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय कला केन्द्र से वसूल किये दुरुपयोग प्रभार

[अनुवाद]

1037. **श्री आर० एल० राकेश** : क्या शहरी विकास मंत्री भारतीय कला केन्द्र से वसूल किये गये दुरुपयोग प्रभार के बारे में 11 अप्रैल, 1988 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 6594 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कला केन्द्र पर अपने भवनों को किराए पर देने के कारण दुरुपयोग प्रभार की कुल कितनी राशि देय है; और

(ख) वास्तविक रूप से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है और कितनी राशि बकाया है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) भारतीय कला केन्द्र ने दुरुपयोग प्रभार लगाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है । देय राशि पर सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । भारतीय कला केन्द्र से अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है ।

पेप्सी फूड्स द्वारा आश्वासन

1038. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सी फूड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अपने आवेदन में दिए गए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के आश्वासन को पूरा करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कम्पनी से अपना आश्वासन पूरा कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रोजगार के वे अवसर वास्तव में पैदा किए गए हैं जिनका कम्पनी ने आश्वासन दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस कम्पनी के विरुद्ध मशीनरी और अन्य उपकरणों का आयात करने के मामले में कम्पनी द्वारा अधिक मूल्य के बीजक जारी करने और अन्य कदाचार करने की गम्भीर शिकायतें हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री [illegible] नारायण यादव) : (क) और (ख) मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड को संसाधित आलू/अनाजों से बने पदार्थों, मृदु पेय सांद्रण और

संसाधित फल/सब्जी उत्पाद तैयार करने के लिये कुछ शर्तों पर आशय-पत्र मंजूर किया गया है। मै० पेप्सी फूड्स प्रा० लिमिटेड द्वारा औद्योगिक अनुमोदन की शर्तों का कोई उल्लंघन करने पर कानून के अधीन दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी।

(ग) से (ङ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली प्रशासन में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

1039. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति-पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात करने सम्बन्धी भारत सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत अन्य राज्यों के कुछ अध्यायकों ने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन में टी० जी० बी० के रूप में अपना कार्यभार सम्भाला है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 से आज तक प्रतिनियुक्ति पर आए उपर्युक्त अध्यापकों में से स्थाई रूप से नियुक्त कर लिए गये अध्यापकों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) शिक्षा निदेशालय में अन्य राज्यों से प्रति नियुक्ति पर ज्वाइन करने वाले प्रशिक्षित स्नातकों शिक्षकों के विवरण और 1983 में स्थाई आधार पर आत्मसात किए गए शिक्षकों का विवरण निम्नलिखित है :—

नाम एवं पदनाम	दिल्ली प्रशासन में प्रतिनियुक्ति की तारीख	स्थाई रूप से आत्मसात किए जाने की तारीख
श्रीमती गिरी मल्होत्रा पत्नी श्री एम० एन० मल्होत्रा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामान्य) के रूप में	22-3-83	13-5-86
(2) श्रीमती विजय कुमारी राठौर, पत्नी श्री एस० एस० राठौर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामान्य) के रूप में	7-8-87	1-8-88

तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में कार्यवाही योजना

1040. **श्री पी० आर० वेंकटेशन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है/कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में समन्वित स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दो क्षेत्र परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं। इनमें से एक दक्षिण अकार्ट और स्लेप जिलों में डेनिस सहायता से चलाई गई है और परियोजना का परिव्यय 16.26 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की अवधि तीन वर्ष है और यह अप्रैल 1989 से आरम्भ हुई है। दूसरी परियोजना मद्रास महानगर में विश्व बैंक की सहायता से 69.13 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की अवधि सात वर्ष है और यह सितम्बर 1988 में आरम्भ हुई है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुणात्मक और परिणात्मक सुधारों द्वारा परियोजना क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा जच्चा-बच्चा सेवाओं को बढ़ावा देना है।

कपास का मूल्य

1041. **श्री पी० नरसा रेड्डी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का भारतीय कपास निगम को आन्ध्र प्रदेश में एक हजार रुपए क्विंटल के न्यूनतम मूल्य पर बड़े पैमाने पर कपास की खरीद करने के लिए निर्देश देने का विचार है क्योंकि कपास उत्पादक भारी वर्षा एवं कीटों से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1990-91 मौसम के लिए रुई की विभिन्न किस्मों के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित की हैं। जब कभी कपास की बाजार कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित खरीद/न्यूनतम समर्थन कीमतों से नीचे गिरती है तब मात्रा सम्बन्धी बिना किसी प्रतिबन्ध के भारतीय कपास निगम इन कीमतों पर कपास की खरीद करता है। सी सी आई, एन टी सी, के वी आई सी, राज्य वस्त्र निगमों आदि जैसे संस्थागत खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक खरीदारियां भी करता है। ये खरीदारियां प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित खरीद/न्यूनतम समर्थन कीमतों से अधिक होती हैं।

आन्ध्र प्रदेश में आयुर्विज्ञान संस्थान आरम्भ करने का प्रस्ताव

1042. **श्री भू० विजय कुमार राजू** : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान संस्थान प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बलई चौधरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय शहरी विकास आयोग की सिफारिशें

1043. **डा० विप्लव दास गुप्ता** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी विकास आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में दिल्ली सहित कलकत्ता, मद्रास और मुंबई को "राष्ट्रीय शहर" घोषित करने सम्बन्धी सिफारिशों का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा इन मुख्य शहरों को क्या स्थिति प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का कलकत्ता भूमिगत रेलवे का गरिया तक विस्तार करने और शहर में दो मुख्य रेल टर्मिनलों को जोड़ने के लिए पूर्व-पश्चिम रेल लाइन का भी निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) चूंकि आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है इसलिए अन्तरिम रिपोर्ट पर अलग से विचार नहीं किया जा रहा है। अन्तरिम रिपोर्ट में "राष्ट्रीय शहरों" की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) और (घ) 1971-75 में एम. टी. पी. (रेलवे) द्वारा किये गये एक अध्ययन ने कलकत्ता मेट्रो के चरण II के रूप में दमदम टोलीगंज कोरीडोर का विस्तार गरिया और साल्टलेक शहर-रामराजतला-पूर्वी-पश्चिम कोरीडोर तक करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में टोलीगंज-गरिया विस्तार से सम्बन्धित व्यवहार्यता अध्ययन को अद्यतन करने का कार्य मैसर्स राइट्स को सौंपा है। इस अध्ययन के पूर्ण होने में नौ माह का समय लगने की आशा है।

वर्ष 1990 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

[हिन्दी]

1044. **प्रो० सैफुद्दीन चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में "यूनेस्को" के भारतीय राष्ट्रीय आयोग के तत्वावधान में विभिन्न राष्ट्रीय

कार्यशालाएं किन-किन नगरों में आयोजित की गई और इस सम्बन्ध में कार्यशालावार कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के अन्तर्गत विदेशों से आमन्त्रित किए गए विद्वानों के देशवार नाम क्या हैं और विदेशों को भेजे गए विद्वानों की संख्या और नामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : क) भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग द्वारा 1990 के दौरान किसी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया। अतः भारतीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई व्यय भी नहीं किया गया। तथापि, निम्नलिखित कार्यशालाएं निम्नलिखित संस्थाओं ने यूनेस्को के सहयोग और उनके साथ संविदा के अंतर्गत आयोजित कीं :

कार्यकलापों का विवरण	आयोजक	स्थान
1 2	3	4
1. एशिया और प्रशांत क्षेत्र के निदेशकों के लिये प्रशिक्षण कार्यशाला	सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली 23-26 अप्रैल, 1990	जयपुर
2. प्राथमिक और/अथवा निम्न माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में विकास कार्यकलाप पर कार्यशाला	क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अजमेर। 12-21 जून, 1990	अजमेर
3. शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवनानुभवों से जुड़ी प्राथमिक/निम्न माध्यमिक स्तरीय विज्ञान पाठ्यचर्या विशिष्टता का पता लगाने पर कार्यशाला।	महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पुणे। 26-29 जून, 1990	पुणे

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कश्मीर के विश्व भारती स्कूल के विस्थापित शिक्षक

[अनुवाद]

1045. **श्री मोरेश्वर साबे** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर के विश्व भारती स्कूल के विस्थापित शिक्षकों को गत एक वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन शिक्षकों का वेतन बहाल करने के लिये कोई निर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्व भारती महिला कालेज एक निजी संगठन है जो श्रीनगर में एक कालेज और एक स्कूल चलाता है। विभिन्न प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर इस संस्था को राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। इस संस्था के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण में राज्य सरकार भाग नहीं लेती। राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान आय और व्यय विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड तथा किसी संस्था विशेष की आवश्यकता के आधार पर नियंत्रित होती है।

विश्व भारती महिला कालेज को चालू वर्ष में 9.50 लाख सहायता अनुदान जारी किया गया है। एक निजी संगठन होने के कारण इसकी प्रबंध समिति ने उन कर्मचारियों को वेतन न देने का निर्णय लिया है जो कश्मीर घाटी से विस्थापित हो चुके हैं तथा जिनकी सेवाएं जम्मू में प्रयुक्त नहीं हो सकीं क्योंकि सहायता अनुदान कश्मीर घाटी में शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ही दिया जा रहा है। प्रबन्ध समिति के लिए बिना काम के वेतन का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में हड़ताल के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी

[हिन्दी]

1046. **श्री गंगाचरण लोधी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार के कर्मचारियों के गत 23 सितम्बर, 1990 से हड़ताल पर चले जाने के कारण उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपभोक्ताओं को समय पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) सुपर बाजार के कर्मचारियों ने 24 से 26 सितम्बर, 1990 तक काम रोक दिया था। सुपर बाजार के कर्मचारी एक बार फिर 23-11-1990 से 11-12-1990 तक हड़ताल पर चले गए। दिल्ली प्रशासन के अनुसार इस अवधि के दौरान सभी उचित दर की दुकानें, नामित एजेंसियां, जैसे दिल्ली

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, केन्द्रीय भंडार तथा दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार लि० आदि कार्य करती रहीं।

कालाजार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1047. **श्री छेदी पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कालाजार के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने के लिए बिहार में एक दल भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बलई चौधरी) : (क) और (ख) डा० सी० पी० ठाकुर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल ने विभिन्न स्तरों पर काला-आजार नियन्त्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का क्षेत्रीय मूल्यांकन करने हेतु बिहार के दरभंगा और साहिबगंज जिलों तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का दौरा किया।

विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई टिप्पणियां और सिफारिशें निम्नानुसार हैं :—

1. प्रमाणीकृत निदान हेतु कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा अधिकारी और एक तकनीशियन को प्रशिक्षण प्रदान करके और अस्थिमज्जा (बोन मैरो) तथा तिल्ली वेधन परीक्षण (स्प्लीनिक पंक्चर टेस्ट) के लिए उपकरण प्रदान करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर नैदानिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

2. जिला स्तर पर-अस्थि मज्जा (बोन मैरो) तथा सप्लीनिक पंक्चर टेस्ट उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

3. विकसित केन्द्र—बिहार व पश्चिम बंगाल के मेडिकल कालेज अस्पतालों को अनुसंधान व प्रशिक्षण के क्षेत्र में विकसित किया जाना चाहिये।

4. अनुवर्तन सभी स्तरों पर विशेष अधिकारियों के उत्तरदायित्व को निश्चित करके उपचार के दौरान व उसके पश्चात रोगियों का अनुवर्तन सुनिश्चित करना।

5. उपचार कार्यक्रम :—उपचार के प्रथम चरण के रूप में 20 मि०ग्रा०/कि०ग्रा० शारीरिक वजन (अधिकतम 150 मि० ग्रा०) की एक खुराक में 20 दिन जिसे बढ़ाकर 30 दिन किया जा सकता है। के लिए सोडियम स्टाइबो ग्लूकोनाइट दिया जाना चाहिए।

यदि औषध के प्रथम चरण में रोगी निष्प्रभावित रहता है तभी उपचार के दूसरे चरण के रूप में हर तीसरे दिन शारीरिक वजन के 4 मि० ग्रा० की खुराक दी जानी चाहिए।

6. डी.डी.टी.स्प्रे.—जमीन के स्तर से 6 फुट की ऊंचाई तक सभी अन्दर की दीवारों पर वर्ष में दो बार डी.डी.टी. का छिड़काव (फरवरी-मार्च और मई-जून)।

7. समय पर फंड की अदायगी – राज्य द्वारा जिला स्तर के अधिकारियों की सुविधा के लिए समय पर धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

8. विदेशी एजेन्सियों से धनराशि की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।

9. पूर्णतः विकसित प्रबन्ध सूचना प्रणाली की आवश्यकता है।

पान मसाला और सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाना

[अनुवाद]

1048. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत**
श्री आर० एल० राकेश } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान मसाला और सिगरेट के बारे में समाचार पत्रों पत्रिकाओं और पोस्टरों और रेडियो/टी०वी० पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है क्योंकि ये वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और विज्ञापनों से इनकी लोकप्रियता और बिक्री में वृद्धि होती है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री रवाई चौधरी) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन "पान मसाला" के प्रत्येक पैकेट और उससे सम्बन्धित विज्ञापनों पर निम्नलिखित चेतावनी होगी, अर्थात :—

"पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है"

सरकार ने लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से आकाशवाणी/दूरदर्शन पर "पान मसाला" पर विज्ञापन के प्रसारण को बन्द करने का निर्णय भी किया है।

सरकार ने आकाशवाणी/दूरदर्शन आदि जैसे सरकारी माध्यमों में सिगरेट और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों के विज्ञापनों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर खेल-कूद क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं सिग्रेट के पैकेटों आदि पर सांविधिक चेतावनी कि "धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" दी जा रही है।

दिल्ली की घटिया चावल देना

[हिन्दी]

1049. **श्री कल्पनाथ रोणकर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न राशन की दुकानों में घटिया चावल की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राशन कार्डधारियों को बेहतर किस्म के गेहूं और चावल की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम स्वीकृत विनिर्दिष्टयों के अनुसार उचित औसत किस्म के गेहूं और चावल की आपूर्ति कर रहा है। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम माल लेते समय स्टाक की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित दर की दुकानों को अच्छी किस्म का माल ही भेजा जाए। उचित दर की दुकानें अपनी-अपनी दुकानों पर खाद्य वस्तुओं के प्रतिनिधि नमूने प्रदर्शित करती हैं ताकि उपभोक्ता खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की तुलना कर सकें।

चूंकि भारी परिचालन अन्तर्ग्रस्त होते हैं, इसलिए कुछेक ऐसी घटनाओं के हो जाने की संभावना हो सकती है जहां अपेक्षाकृत घटिया किस्म के राशन की तथाकथित आपूर्ति हुई है। यदि विहित समय के अन्दर सूचना प्राप्त हो जाए तो ऐसे मामलों में खाद्य वस्तुओं को बदलने की व्यवस्था कर दी गई है।

"मास्टर प्लान" में पर्यावरणीय सुरक्षोपाय

[अनुवाद]

1050. **श्री हरीश पाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी (दिल्ली) के लिए मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बीरेन्द्र राम सारस्व) : (क) और (ख) वर्ष 2001 के संदर्भ में दिल्ली की संशोधित वृहद योजना, जो 1-8-90 से लागू हुई, में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में जल-आपूर्ति, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं आदि के प्रावधान की सिफारिश की है।

जे०जे० कालोनी सुल्तानपुरी में पानी की सप्लाई

1051. **श्री बालगोपाल मिश्र**
श्री वाई० एस० महाजन } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंगोलपुरी, नांगलोई और सुल्तानपुरी जे० जे० कालोनियों के निवासियों को पिछले कई वर्षों से वहां पानी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने वहां पानी की सामान्य सप्लाई बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि ग्रीष्म ऋतु के महीनों के दौरान, अधिक ऊंचाई पर स्थित कुछ उन पाकेटों में, जहां पानी का दबाव कम है, को छोड़कर सभी ब्लाकों में जलापूर्ति सामान्य है। तथापि, जलापूर्ति को जून, 1988 में (जब कालोनियां दिल्ली नगर निगम को अन्तरित की गई थीं) 2 मिलियन गैलन प्रतिदिन से बढ़ाकर 3.5 मिलियन गैलन प्रतिदिन किया गया है जलापूर्ति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए है :—

(I) सुल्तानपुरी जलाशय को भरने के लिए बाहरी रिंग रोड के साथ-साथ चल रही 1000 एम एम व्यास की मुख्य लाइन को टेपिंग करके 300 एम एम व्यास की एक अलग मुख्य लाइन बिछायी गई है।

(II) क्षेत्र में 15 नलकूप और 215 गहरे हैंड पम्प लगाए गए हैं।

(III) नांगलोई में जल-दबाव में बढ़ोत्तरी करने के लिए एक बूस्टर पम्पिंग स्टेशन चालू किया गया है।

दिल्ली नगर निगम में अंशकालिक सफाई कर्मचारियों के वेतनमान

1051. **श्री बालगोपाल मिश्र**
श्री आई० एस० महाजन } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1980 से दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक (बालक तथा बालिका) विद्यालयों में अंशकालिक सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है और उनकी सेवा शर्तें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्थायी करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन अंशकालिक कर्मचारियों को उचित वेतनमान दिए जाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेष गोवर्धन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1980 से दिल्ली नगर निगम के अधीन आंशिक आधार पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या 1011 है। उन्हें दी गई मजदूरी निम्नलिखित है :

250 बच्चों तक वाले स्कूल में	रु० 105/-प्रतिमाह
251 से 500 बच्चों वाले स्कूल में	रु० 145/-प्रतिमाह
500 से अधिक बच्चों वाले स्कूल में	रु० 185/-प्रतिमाह

आंशिक आधार पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को उपरोक्त मजदूरी के सिवाय और कोई सुविधा नहीं दी जाती ।

(ग) और (घ) आंशिक आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने 264 पद सृजित किए हैं। आगे भी 50 से अधिक आंशिक आधार पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया है ।

एक्युपंक्चर आयुर्विज्ञान को मान्यता देना

1053. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्युपंक्चर आयुर्विज्ञान को सरकार से मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) जो संस्थाएं उचित सरकारी मान्यता और सम्बद्धता के साथ इसका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना चाहती हैं उसके लिए उन्हें कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) से (ग) इस चिकित्सा पद्धति को भारत में औपचारिक मान्यता नहीं मिली हुई है । इसलिए इस चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कोई विनियम तैयार नहीं किए गए हैं । बहरहाल, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक्यूपंक्चर पद्धति से इलाज कर रहे कुछ चिकित्सकों को इलाज करने से नहीं रोका जाता है ।

आयुर्वेदिक दवाओं की सुरक्षा

1054. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में बेची जाने वाली दवाओं की अंधाधुंध बिक्री से होने वाले सम्भावित खतरे क्या हैं;

(ख) इनकी दावा की गई प्रभाविता व सुरक्षा की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी नियुक्त किए गए हैं; और

(ग) आयुर्वेद की जानकारी रखने वाले औषध नियंत्रण कर्मचारियों को क्या प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) समय-समय यथासंशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी आयुर्वेदिक औषधें बाजार में बेची जा सकती हैं जो निर्माण लाइसेंस के अन्तर्गत तैयार की जाती है ।

(ख) निर्माण के लिए लाइसेंस तकनीकी जांच-पड़ताल के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

(ग) भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा आयुर्वेदिक औषध निरीक्षकों के लिए समय-समय पर अल्पकालिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

गुजरात में बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

1055. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममट्ट** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी बन्द कपडा मिलें पुनः चालू की गई है और वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी कितनी मिलें चालू की जाएंगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में उक्तराज्य सरकार को कोई सहायता देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने ऐसे बन्द पड़े वस्त्र एककों के जोकि परिसमापन की स्थिति में पहुंच गए हैं, अधिग्रहण के इच्छुक किसी भी नए प्रबन्धक को दस वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर, क्रय कर तथा विद्युत शुल्क की वसूली में वित्तीय रियायतों के एक विशेष पैकेज की घोषणा की है।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान दो एककों को पुनः चालू किया गया है तथा विभिन्न प्रवर्त्तकों/कम्पनियों ने परिसमापन की स्थिति में पहुंचे बन्द पड़ी छः अन्य मिलों को दुबारा चालू करने तथा उनका अधिग्रहण करने में रुचि दिखाई है। वर्ष 1991 के दौरान मिलों को दुबारा खोलना उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी योजनाओं के क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा।

(घ) से (च) पैकेज के अन्तर्गत दी गई रियायतों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। फिर भी गुजरात सरकार ने वस्त्र कामगार पुनर्वासन योजना में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि इसे कामगारों के अन्तिम लाभ के भुगतान, आंशिक रूप से बन्द पड़ी मिलों के मामलों में इस योजना के लाभ प्रदान करने, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण सम्बन्धी मानदण्डों में ढील देने तथा यार्न/फैब्रिक पर 50% उत्पाद शुल्क को छूट देने/स्थगित करने के लिए लागू किया जा सके। इन मामलों पर राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा इन्हें सम्बन्धित संगठनों के साथ उठाया गया।

पुरानी दिल्ली से उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करना

[अनुवाद]

1056. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पुराने शहर के संदर्भ में दूसरा मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के पुराने शहर से उद्योगों को अन्यत्र स्थापित करने की समस्या की जांच करने के लिए वर्ष 1986 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की थी;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली के उप-राज्यपाल ने अप्रैल, 86 में एक समिति गठित की थी। समिति अननुरुप क्षेत्रों में स्थित जोखिम पूर्ण और प्रदूषण वाले उद्योगों को इस प्रकार के उद्योगों के लिए उद्दिष्टि क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के पक्ष में नहीं थी।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने 31 दिसम्बर, 1989 तक स्थापित अननुरूप क्षेत्रों में स्थित ऐसी औद्योगिक ईकाइयों को दिल्ली नगर निगम द्वारा तदर्थ पंजीकरण की अनुमति दे दी है। तथापि, तदर्थ पजीकरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां पात्र नहीं है :—

(I) सुनियोजित कालोनियों अर्थात् दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के लागू होने के पश्चात्, विकसित की गई कालोनियों, अनधिकृत कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ी समूहों, स्टाफ आवास कालोनियों और नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित इकाईयां।

(II) भूतल के अलावा अन्य तलों पर स्थित ईकाइयां।

(III) प्रदूषणयुक्त/खतरनाक/हानिकारक व्यवसाय।

(IV) स्वास्थ्य/आग की दृष्टि से खतरनाक व्यवसाय।

संसद सदस्यों के बगीचों के लिए बीजों की सप्लाई

[हिन्दी]

1057. **श्री हरीश पाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर रहने वाले संसद सदस्यों को केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनके बगीचों में प्रयोग हेतु काफी मात्रा में बीज, पौधे और खाद उपलब्ध की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु सप्लाई की गई मदों का तथा संसद सदस्यों के लिए नियुक्त मालियों की संख्या क्या है; और

(ग) संसद सदस्यों के घरों के बगीचों हेतु उद्यान विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का उद्यान निदेशालय, मांग पर, संसद सदस्यों को बीज, पौधे तथा उर्वरक की पर्याप्त मात्राएं सप्लाई करता है।

(ख) वृक्ष, झाड़ियां, बहुवर्षी और फल पौधे, गोबर खाद, ओखला अवमल और यूरिया सहित सभी प्रकार के सब्जी बीज, पौधे सप्लाई किये किए जाते हैं। क्रमवर्तन आधार पर एक सप्ताह में 12 फ्लैटों के रख-रखाव के लिए एक माली लगाया जाता है।

(ग) सामुदायिक मैदानों और सड़क पटरियों (बर्मस) में तथा फ्लैटों में भी, जहां स्थल उपलब्ध होता है, फूल वाले वृक्ष और झाड़ियां लगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, फ्लैटों के पृथक आवंटितियों को भी, मांग पर, मौसमी पुष्प बीज भी सप्लाई किए जाते हैं।

मेरठ, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल

[अनुवाद]

1058. श्री हरीश पाल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मउलास में एक चीनी का कारखाना स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) से (ग) मउलास, जिला मेरठ में एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से खाद्य विभाग को 20-2-89 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इस आवेदन पत्र पर खाद्य विभाग की जांच समिति द्वारा विचार किया गया था और जांच समिति के अवलोकन के बाद यह मामला राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था। राज्य सरकार के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

हैजे का प्रकोप

1059. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी अण्डमान में हैजे की महामारी के प्रकोप से 50 से अधिक जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह बीमारी पहले भी फैली थी, यदि हां, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय किए गए थे;

(घ) क्या सरकार का विचार और हैजा फैलने के कारणों की जांच करवाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पटल पर रख दी जाएगी ।

पटसन उत्पादों का निर्यात

1060. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कोई प्रोत्साहन सम्बन्धी योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी हां ।

(ख) योजना के ब्यौरे वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं ।

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन

1061. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में, स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहन देने और खेलों के अन्तर्गत जनता की सहभागिता उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोचर्धन) : (क) और (ख) भारत सरकार हमारे देश में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित स्कूलों में भी खेलों में सामूहिक तौर पर भाग लेने तथा देश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(I) खेल प्रतिभा की खोज तथा पोषण व स्कूलों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना जो आदिवासी क्षेत्रों में सर्वाधिक है; (II) विशेष क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्षेत्र खेल योजना; (III) अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेंट; (IV) महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव; (V) पुरस्कार राशि के जरिए स्कूलों में खेलों के विकास के लिए प्रोत्साहन योजना; तथा (VI) ग्रामीण स्कूलों में भूलभूत खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए योजना।

(ग) उपर्युक्त उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान 11.92 करोड़ रुपये का वित्तीय आबंटन किया गया है।

आयुर्वेदिक दवाओं की कीमत

1062. **कुमारी उमा भारती** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतों को नियंत्रण करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) और (ख) इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास आयुर्वेदिक औषधों के मूल्य नियंत्रण के लिए कोई तंत्र नहीं हैं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग

1063. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल**
श्री लाल कुञ्ज आडवानी
श्री अम्बरासु इरा } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों में कितने लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं;

(ख) ऐसी बस्तियों की कितने प्रतिशत आवास इकाइयों को पेयजल, जल निकासी, प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, स्ट्रीट लाइट, आम सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध की गयी हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुविधाओं को क्षेष गन्दी बस्तियों के निवासियों को उपलब्ध कराने की कोई योजना है यदि हां, तो इसकी कार्य योजना और समय सीमा क्या है;

(घ) क्या महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तीन वर्ष पूर्व ऐसे महानगरों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी-कितनी थी और इस समय इनकी संख्या कितनी-कितनी है; और

(ङ) इस वृद्धि को रोकने के लिए अब तक क्या प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित शहरी मलिनबस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत मूलभूत सेवाएं जैसे पेय जल, नालियां, पथप्रकाश, सामुदायिक शौचालय, पथ आदि मुहैया की जाती है। सामान्यत: महानगर माने जाने वाले 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 नगरों की अनुमानित मलिनबस्ती जनसंख्या, सम्बन्धित राज्यों में अनुमानित मलिनबस्ती जनसंख्या और छठी तथा सातवीं योजना के दौरान शहरी मलिनबस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत परिव्यय संलग्न विवरण-1 में दर्शाये गए हैं। महानगरों में लामान्वित मलिनबस्ती जनसंख्या के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, सम्बन्धित राज्य में लामान्वित कुल मलिनबस्ती जनसंख्या की प्रतिशतता दर्शायी गई है।

(घ) विभिन्न महानगरों में मलिनबस्ती जनसंख्या की वर्षवार वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1990 में अनुमानित मलिनबस्ती जनसंख्या से 1981 में पता लगायी गई मलिनबस्ती जनसंख्या के साथ तुलना करके वृद्धि की मात्रा के बारे से कल्पना संलग्न विवरण-2 में दी गयी है।

(ङ) मलिनबस्ती जनसंख्या में वृद्धि, शहरी जनसंख्या में सम्पूर्ण वृद्धि का एक भाग है ?

विवरण-I

(आंकड़े लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	महानगर का नाम	राज्य की मलिन बस्ती जनसंख्या का अनुमान (1990)	महानगर में 1990 में मलिनबस्ती जनसंख्या का अनुमान	छठी तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान ई. आई. यू० एस० के अन्तर्गत वित्तीय परिव्यय	राज्य स्तर पर ई० आई० यू० एस० के अन्तर्गत लाभान्वित मलिनबस्ती निवासियों की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	38.07	11.12	4050.00	90.10
2.	गुजरात	अहमदाबाद	31.01	11.33	1190.00	17.50
3.	कर्नाटक	बंगलौर	33.15	10.37	2815.00	22.47
4.	महाराष्ट्र	वृहद बम्बई	62.51	41.26	6759.00	43.78
		पूना		5.15		
		नागपुर		5.64		
5.	राजस्थान	जयपुर	23.14	4.90	975.00	23 42
6.	तमिलनाडु	मद्रास	42.76	21.08	6675.00	33.86
7.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	65.31	8.00	3598.00	28.91
		लखनऊ		3.94		
8.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	49.64	43.86	5963.00	26.87
9.	दिल्ली	दिल्ली	38.25	32.06	2460.00	55.95

विवरण-2

(आंकड़े लाखों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	महानगर का नाम	महानगरों की पता लगाई गई मलिन बस्ती जनसंख्या (1981)	महानगरों में 1990 में अनुमानित मलिन बस्ती जनसंख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	5.000	11.12
2.	गुजरात	अहमदाबाद	5.363	11.33
3.	कर्नाटक	बंगलौर	3.050	10.37
4.	महाराष्ट्र	वृहद् बम्बई	18 314	41.26
		पूना	2.743	5.15
		नागपुर	4.161	5.64
5.	राजस्थान	जयपुर	2.960	4.90
6.	तमिलनाडु	मद्रास	13.630	21.08
7.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	6.140	8.00
		लखनऊ	2.850	3.94
8.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	30.280	43.86
9.	दिल्ली	दिल्ली	18.000	32.08

हिन्दी, पंजाबी और उर्दू अकादमियों के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

[हिन्दी]

1064. श्री शिव शरण वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री 3 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) हिन्दी, पंजाबी और उर्दू अकादमियों के सम्बन्ध में सी० एंड० ए० जी० की टिप्पणियों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली की हिन्दी, उर्दू और पंजाबी अकादमियों के सम्बन्ध में मार्च, 89 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई

क्रम सं०	पैरा सं०	संक्षिप्त विषय	किया गया दोष निवारक/उपचारी कार्य सम्बन्धी टिप्पणी
1	2	3	4
1.	7.1	भूमिका	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं
2.	7.2	लेखा परीक्षण का क्षेत्र अकादमी ने वर्ष 1988-89 के लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था यद्यपि इन्हें उत्तरवर्ती वर्ष के मार्च माह के पूर्व अकादमियों की वार्षिक आम सभाओं में रखाना होता है ।	हिन्दी/पंजाबी अकादमी वर्ष 1988-89 के दौरान लेखाओं को तैयार किया जा रहा था और 1989-90 में इन्हें अंतिम रूप दिया गया । उर्दू अकादमी अपरीक्षित लेखे शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) द्वारा 9 जनवरी, 1989 की बैठक में अनुमोदित किए गए थे (सनदी लेखापाल की रिपोर्ट 7-6-90 को सम्पन्न शासी परिषद की अनुवर्ती बैठक में अनुमोदित की गई थी । अकादमियों को जी०एफ० आर० में निर्धारित कार्यक्रम के पालन का अनुदेश दिया गया है ।
3.	7.3	संगठनात्मक ढांचा	कोई टिप्पणी नहीं

1	2	3	4
4.	7.4	विशेषता में अकादमियों का मुख्य उद्देश्य पुस्तकें प्रकाशित करना और संदर्भ कार्य, इत्यादि सहित सृजनात्मक साहित्य का सृजन करना था। किसी भी अकादमी ने कोई शब्द कोश, विश्व कोश प्रकाशित नहीं किया था।	हिन्दी अकादमी ने वर्ष 1989-90 हिन्दी लेखकों की निर्देशिका प्रकाशित की है। उर्दू अकादमी ने 1987 में उर्दू प्रकाशकों की एक निर्देशिका प्रकाशित की थी। पंजाबी अकादमी, पंजाबियत पर एक विश्वकोश प्रकाशित करने का विचार कर रही है। बाजार में हिंदी/उर्दू में अनेक मानक शब्दकोश/विश्वकोश उपललब्ध हैं इसलिए इस सम्बन्ध में दुबारा प्रयास करना व्यर्थ है। विशेषताओं के अन्तर्गत उल्लिखित शेष पैराग्राफी का प्रत्येक विशिष्ट पैरे के सामने स्पष्ट उत्तर दिया गया है।
5.	7-5	उद्देश्य	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
6.	7-6-1	अकादमियों का पुनर्गठन 1984 में गठित पंजाबी अकादमी का तीन वर्ष के बाद 1984 में पुनर्गठन किया गया था जबकि यह कार्य दो वर्ष में ही होना था।	पंजाबी अकादमी की, अकादमी नियम और विनियम के अनुरूप अपने शासी परिषद के पुनर्गठन की हिदायत दी गई है। अन्य अकादमियों/साहित्यकला परिषद को भी हिदायतें दी गई हैं, दोनों अकादमियों को सलाह दी गई है कि वे शासी परिषद की सदस्यता निर्धारित सीमा तक रखें शासी परिषदों के पुनर्गठन के समय ये विचार दृष्टि में रखे जाएंगे। पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। अन्य अकादमियों/साहित्य कला परिषद को इसी प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं।
7.	7-6-2	अकादमियों की सदस्यता: पंजाबी और उर्दू अकादमियों में उप-राज्य पाल के अतिरिक्त 22 मनोनीत सदस्य है जिसमें विधान में परिकल्पित 20 के बजाय एक उपाध्यक्ष, एक पदेन सदस्य सचिव शामिल हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों ने नहीं किया है बल्कि अध्यक्ष ने मनोनीत किया है।	
8.	7-6-3	पंजीकरण के समय 1981 में गठित पंजाबी और उर्दू अकादमी की कार्यकारी समिति का 2 वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी पुनर्गठन नही हुआ है। हिंदी अकादमी के मामले में, 1983 के बाद किसी कार्यकारी समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ।	यद्यपि अकादमियों के कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान है, परन्तु अध्यक्ष ने एक समिति के बजाय शासी परिषद के सदस्यों में से अनेक उप-समितियों का गठन किया है ये समितियां हैं :— **हिन्दी अकादमी** 1. कार्य समिति 2. वाहन और पुस्तक क्रय समिति 3. कर्मचारी चयन समिति 4. प्रकाशन समिति

1	2	3	4
			उर्दू अकादमी 1. पुरस्कार और मुशायरा उप-समिति 2. शिक्षा उप समिति 3. अनुसंधान और प्रकाशन उप समिति 4. सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम उप समिति 5. वित्त उप समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है। **पंजाबी अकादमी** 1. वित्त और कर्मचारी चयन समिति 2. पंजाबी सांस्कृतिक कार्यक्रम उप समिति 3. साहित्यिक और भाषा शिक्षण कार्यक्रम उप समिति 4. पुस्तक और प्रकाशन समिति 5. पुरस्कर समिति 6. श्रव्य दृश्य समिति ये सभी उप समितियां सिफारिशी स्वरुप की है और उनकी सिफारिशों/सुझाव अनुमोदन के लिए अकादमियों की पूरी सभा के सामने रखे जाते हैं। तथापि यह उल्लेखनीय है कि इस मामले पर प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है और यदि आवश्यक समझा गया तो अकादमियों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए जाएंगे।
9.	7-6-4 जैसा कि नियमों के तहत अपेक्षित है, पंजाबी अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है दिल्ली विकास प्राधिकरण आयुक्त (स्लम) वर्ष 1981 से पंजाबी अकादमी का कार्य देख रहा है और इस कार्य के लिए अकादमी से मानदेय प्राप्त करता है।		पंजाबी अकादमी को शासी परिषद ने 16-10-81 को सम्पन्न अपनी बैठक में निश्चय किया कि कार्यकारी निदेशक के पद की कोई जरूरत नहीं थी। एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सचिव का पद पर्याप्त होगा। तत्कालीन उप-सचिव (वित्त) श्री मनजीत सिंह को स्थापना काल से ही पंजाबी अकादमी के सचिव का अतिरिक्त भार दिया गया था।
10.	7-6-55 1985-86 और 1987-88 में से प्रत्येक वर्ष में पंजाबी अकादमी की दो-दो बैठकें आयो-		आमतौर पर अकादमियों की शासी परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित होती रही है। केवल कुछ मामलों को छोड़कर

1	2	3	4
		जित की गई थी लेकिन 1986-87 वर्ष में केवल एक बैठक ही आयोजित की जा सकी। उर्दू अकादमी की 1985-86 में एक, 1986-87 में एक, 1987-88 में एक और 1988-89 में दो बैठकें आयोजित की गई।	जब केवल एक बैठक सम्पन्न हो सकी है। तथापि अकादमियों ने यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।
11.	7-7 वित्तीय लागत तीनों अकादमियों द्वारा 1985-86, 1986-87, 1987-88 में प्राप्त अनुदान और उनके उपयोग को सारिणीबद्ध कर दिया गया है।		टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
12.	7-8. स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का प्रकाशन : तीनों अकादमियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के प्रकाशन के लिए शिक्षा निदेशक को 4 लाख रुपये दिए। सर्वोत्तम पांडुलिपि के लिए एक लाख रु० की पुरस्कार राशि पर विचार हुआ परन्तु 6.50 लाख रुपये के 26 पुरस्कार दिए गए हैं। पांडुलिपि के मूल्यांकन पर 4.63 लाख रु० की राशि और 1.50 लाख रुपये निर्णायकों पर खर्च किए गए। यद्यपि पंजाबी और उर्दू अकादमियों ने परियोजना के लिए 4-4 लाख रुपये का योगदान दिया है परन्तु पांडुलिपियां केवल हिन्दी और अंग्रेजी में मंगाई गई थी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की 6000 प्रतियों के 3000 प्रत्येक हिन्दी व अंग्रेजी प्रकाशन के लिए		स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लेखन और प्रकाशन के लिए अलग से कोष की व्यवस्था की गई है। यह निर्णय लिया गया कि पांडुलिपियां केवल हिंदी और अंग्रेजी में मंगाई जाए और चुनी हुई पांडुलिपियों में से सर्वश्रेष्ठ घोषित पांडुलिपियों का उर्दू और पंजाबी भाषा में अनुवाद किया जाए। तीनों अकादमियों ने दिल्ली प्रकाशन की मंजूरी मे इस परियोजना के लिए 4-4 लाख रुपये का योगदान दिया। जहां तक पुरस्कारों के मूल्य, संख्या, सर्वमित पुस्तक के प्रकाशन एवं वितरणादि संबंधी टिप्पणियों का सवाल है ये शिक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं और इन पर शिक्षा निदेशालय के परामर्श से जांच की जा रही है।

1	2	3	4
		1.98 लाख रु० की राशि प्रदान की गई थी हिंदी और अंग्रेजी की 1000-1000 प्रतियां सरकारी प्रयोग एवं मानक प्रतियों के लिए रोकी गई थी तथा शेष 4000 प्रतियाँ प्रकाशन विभाग को भेजी गई थी जिनमें से 268 अंग्रेजी की 246 और हिन्दी की 22 प्रतियां बेची गई और 2 लाख रुपये मूल्य की 3732 प्रतियाँ (रु० 55 प्रति कापी) अक्तूबर, 1989 तक अनबिकी पड़ी हुई थीं।	
13-7-9	पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाबी अकादमी ने दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम तथा अन्य सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों में अंशकालिक भाषा शिक्षक उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की। पंजाबी अकादमी ने 400 से 600 रु० प्रति माह के वेतन पर 1986-87 में 451 अंशकालिक शिक्षक नियुक्त किए। ऐसे अध्यापकों की संख्या बढ़कर 1988-89 में 1207 तक हो और अप्रैल, 1987 से वेतन 500/- प्रति माह से बढ़ाकर 700/-प्रति माह कर दिया गया। पंजाबी अकादमी ने 36 अध्यापक नियुक्त किए जो नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में नियमित सेवा में थे और जिन्हें स्कूलों के समय के पश्चात् अंशकालिक आधार पर पंजाबी भाषा शिक्षण का काम सौंपा गया था। पंजाबी भाषा पढ़ाने के लिए 1986-87 में नियुक्त 36 अध्यापकों को	अकादमी ने 86-87, 87-88, 88-89 और 89-90 वर्षों में क्रमशः 451, 1167, 1234 और 1488 अंशकालिक पंजाबी भाषा शिक्षकों की नियुक्तियां की हैं। योजना आयोग ने इस योजना की इतनी सराहना की कि इस हेतु 88-89, 89-90 और 90-91 वर्षों में क्रमशः 65 लाख, 75 लाख और 90-90 लाख, रुपयों के अलग से विशेष योजना खर्चों की मंजूरी दी। जहां तक पंजाबी बढ़ाने के लिए नई दिल्ली नगर निगम के 36 नियमित अध्यापकों की नियुक्ति का सम्बन्ध है यहां यह उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली नगर निगम ने स्कूलों में पंजाबी भाषी बढ़ाने के लिए स्वयं अपने नियमित अध्यापकों की सेवाओं की पेशकश की। ऐसे अध्यापक स्कूल के समय के बाद प्रतिदिन दो घंटे से अधिक पंजाबी भाषा पढ़ रहे हैं। इसलिए अन्य अंशकालिक पंजाबी शिक्षकों की भांति इन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि नई दिल्ली नगर निगम निगम एस०आर०-12 के अन्तर्गत ऐसे स्कूलों में छात्रों की संख्या का पारिश्रमिकों के 1/3 भाग की वसूली कर रही है। जहां तक /संबन्ध है, पंजाबी भाषा के अंशकालिक अध्यापक, स्कूल के प्रधान द्वारा	

1	2	3	4
		2.40 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया तथा 87-88 में 3.46 लाख रुपये का भुगतान किया गया। स्कूल समय के पश्चात् कक्षा में जाने वाले छात्रों की संख्या का रिकार्ड या इनके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं थी।	विधिवत सत्यादित मासिक उपस्थिति प्रमाण-पत्र नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं ऐसे प्रमाण-पत्रों में छात्रों की संख्या नियमित रूप से दी जाती है। नई दिल्ली नगर निगम सहित सभी अध्यापकों के पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे प्रमाण पत्रों के पेश करने पर ही होता है। अपने स्कूलों में पंजाबी भाषा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली नगर के नियमित अध्यापकों की व्यवस्था करने की परम्परा 15-7-90 से छोड़ दी गई है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में भिन्न-2 क्षेत्रों में जन-संख्या का स्वरूप भिन्न-2 है। केवल प्रधाना-ध्यापक ही इस स्थिति में है जो यह बता सके कि स्कूल में पंजाबी सीखने वाले छात्र है या नहीं इस प्रकार, वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत केवल उन्हीं स्कूलों को अध्यापक उपलब्ध कराये जाते हैं जहां पंजाबी सीखने के इच्छुक छात्रों की संख्या 6 से कम नहीं है। दिल्ली नगर निगम के मामले में अकादमी द्वारा नियुक्त अंशकालिक अध्यापकों को पहले मंडलीय ए० ई० ओ० के यहां रिपोर्ट करना होता है। यह अल्पकलिक व्यवस्था है अकादमी द्वारा उपलब्ध कराये गए अंशकालिक पंजाबी शिक्षक तब तक वैसे ही बने रहेंगे जब तक दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली नगर निगम या दिल्ली प्रशासन नियमित अध्यापक उपलब्ध नहीं कराते।
	जिन क्षेत्रों/मंडलों या निर्धारित स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति अपेक्षित थी, उनसे सम्बन्धित कोई योजना या स्कीम तैयार नहीं की गई है। साथ ही पंजाबी अकादमी द्वारा अंश-कालिक अध्यापक उपलब्ध कराये जाने वाले स्कूलों के लिए छात्रों की न्यूनतम संख्या निश्चित नहीं की गई थी।	
	स्कूलों के चयन या अध्यापकों के चयन में कोई पूर्व निर्धारित मानदंड नहीं था। जब लेखा परीक्षा द्वारा पंजाबी भाषा शिक्षण स्कीम के मूल्यांकन की आवश्यकता बताई गई तो मार्च, 1988 में पंजाबी अकादमी के साहि-त्यिक और भाषा शिक्षण समिति के गठन का निर्णय लिया गया।	जहां तक अध्यापकों के चयन का सम्बन्ध है, ऐसे अध्यापकों की अर्हता पंजाबी भाषा कार्यक्रम समिति/शासी परिषद द्वारा संवीकृत की गई है। चयन एक विधिवत गठित बोर्ड द्वारा किया जा जा रहा है। शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम का एक प्रतिनिधि भी चयन बोर्ड के सदस्य है। चयन के इच्छुक उम्मीदवारों को लिखित और मौखिक परीक्षा देनी होती है और केवल ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है जो चयन बोर्ड द्वारा लिखित और मौखिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं।

पंजाबी या उर्दू अकादमी द्वारा भाषा अध्यापकों के लिए कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था।

पंजाबी अकादमी ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए दिनांक 20-1-89 को एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया। उर्दू अकादमी के मामले में अध्यापक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अपनाते हैं। उर्दू अकादमी के मामले में अंशकालिक शिक्षकों के लिए अर्हता यही है। केवल आयु सीमा लागू नहीं की गई है।

उर्दू अकादमी ने वर्ष 84-85 और 87-88 के दौरान 250 अध्यापक नियुक्त किए जिससे 7.73 लाख रुपये व्यय हुए। उर्दू के शिक्षकों को विज्ञान, इतिहास आदि विषयों को उर्दू में पढ़ाने में लगाया गया।

"स्कूलों में शिक्षण कार्यक्रम" नामक संस्वीकृत स्कीम के अंतर्गत उर्दू अकादमी द्वारा अंशकालिक अध्यापक उपलब्ध कराए जाते हैं। 7 वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने इसे मंजूरी दी थी और इसके लिए अलग से धन दिया जाता है। अकादमी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त उन प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापक उपलब्ध कराती है जहां भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाई जा रही हैं या जहां उर्दू शिक्षा का माध्यम है इस प्रकार जब तक दिल्ली प्रशासन/सहायता प्राप्त मान्यता स्कूलों के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियमित अध्यापक नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं।

14. 7-10 दिल्ली प्रशासन ने सम्मिश्रित कम्पोजिट पुस्तकालयों की स्थापना के लिए पंजाबी अकादमी को पहली किस्त के रूप में 113.00 लाख रुपये की राशि मार्च 87 में इस शर्त पर जारी की कि अनुदान सितम्बर 87 से पहले खर्च किया जाएगा। 1987-88 में 19 पुस्तकालयों और 3 वाचनालयों की स्थापना पर केवल 17.52 लाख रुपये खर्च हुए।

मार्च, 1987 में अनुदान जारी करते हुए मामले को कार्यकारी परिषद, दिल्ली में रखने का निर्णय लिया गया ताकि स्कीम को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। सितम्बर/अक्तूबर, 87 में कार्यकारी परिषद ने यह निर्णय लिया कि पंजाबी अकादमी तब तक स्कीम कार्यान्वित करे जब तक शिक्षा विभाग यह स्कीम अकादमी से न ले ले। 1989-90 में योजना आयोग ने पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सामान्य शिक्षा (जनरल एजूकेशन) क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रस्तावित एक पृथक स्कीम को स्वीकृति दी।

95-48 लाख रुपये की अमुक्त राशि 8% की दर से 91 दिन की अल्पावधिक जमा के बजाय 5% की दर पर बचत कोष खाते (सेविंग फंड

जहां तक ब्याज का संबन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि ऐसे अनुदानग्राही संस्था प्रशासन से प्राप्त करती है, सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत जमा नहीं किए जाते। सामान्यतः ऐसी रकम चालू

एकाउंट) में रखी गई। इस प्रकार ब्याज से कम आमदनी हुई और पंजाबी अकादमी ने स्वयं इसका उपयोग किया।

खाते में रखी जाती है, परन्तु विशेष मामले के रूप में, बैंक प्राधिकारियों को इस रकम को बचत कोष खाते में जमा करने के लिए राजी किया गया जहां तक ब्याज के अनुभाजन का सम्बन्ध है,इसे बैंक में उपलब्ध शेष राशि के अनुपात में किया गया।

15-7 11-1987-88 के पहले 16 पुस्तकालय पहले ही कार्य कर रहे थे। अकादमी ने 87-88 के बाद 35 पुस्तकालय स्थापित किए और प्रशासन द्वारा स्वीकृत 113.00 लाख रुपये की राशि में से 53.96 लाख रु० खर्च किए। आवास का अभाव एक मुख्य कारण बताया गया यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 65 स्थान उपलब्ध कराने का दावा किया।

कथित विशेष अनुदान जारी करने के पहले 14 सम्मिश्रित पुस्तकालय स्थापित किए गए थे परन्तु इन सम्मिश्रित पुस्तकालयों के रख-रखाव का खर्च भी इसी अनुदान से किया जाना था क्योंकि इनके रख-रखाव के लिए अलग से अनुदान नहीं जारी किया गया था। अकादमी ने पहले ही 57 सम्मिश्रित पुस्तकालय 3 वाचनालय और 2 चल पुस्तकालय वाहन चलाए हैं। बैठक के दौरान आयुक्त (स्लम) द्वारा प्रारंभ में उल्लिखित 65 की संख्या पूरे होने वाले केन्द्रों सहित केन्द्रों की कुल संख्या थी। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले हैं जहां उसी क्षेत्र में एक से अधिक संख्या में केंद्र स्थित हैं परन्तु पुस्तकालय केवल एक सामुदायिक केंद्र में है, सभी में नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम) द्वारा आबंटित लगभग सभी केंद्रों में सम्मिश्रित पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। अकादमी 113.00 लाख रु० के अनुदान में से 98.00 लाख रुपये अब तक पहले ही खर्च कर चुकी है। शिक्षा निदेशालय में अब तक इस स्कीम को नहीं अपनाया है यद्यपि फरवरी, 1989 में इस आशय का निर्णय ले लिया गया था।

16. 77-11-2 पुस्तकों की खरीद और प्रकाशन

हिन्दी अकादमी ने 1985-88 के दौरान 5000 रु० प्रत्येक पुस्तक के हिसाब से 79लेखकों और दो संस्थाओं को 4.15 लाख रुपये आर्थिकसहायता के रूप में दिए। एक संस्था को 10,000 लाख रु० की सहायता दी गई। यह पाया गया है कि 38 लेखकों

रिपोर्ट के अनुसार 38 लेखकों और 3 संस्थाओं ने पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अकादमी से प्राप्त वित्तीय सहायता के बदले निर्धारित संख्या में पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की थी। लेखा परीक्षा के समय इनमें से अधिकांश पुस्तकें प्रकाशन की प्रक्रिया में थी। 9 के अतिरिक्त इन सभी लेखकों और संस्थाओं से पुस्तकें प्राप्त हो चुकी है। शेष 9 लेखकों से भी पुस्तकें प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

और 3 संस्थाओं ने स्कीम में परिकल्पित निर्धारित संख्या में पुस्तकें नहीं भेजी थी। सितम्बर 89 तक 2.05 लाख रुपये की पुस्तकें अकादमी द्वारा अभी और प्राप्त की जानी थी।

वर्ष 1986-88 के दौरान 6,087 पुस्तकें सहायता प्राप्त लेखकों से प्राप्त हुई, जिसमें केवल 1,591 पुस्तकें वितरित की गई। शेष 4,496 प्रतियां, जिसकी कीमत 1.46 लाख रु० आंकी गई, अकादमी के पास बची हुई है। ई०/वर्ष 1987-88 के दौरान 9 लाख रु० की पुस्तकें हिन्दी अकादमी द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालय तथा पंजाबी अकादमी के अधीन पुस्तकालय सहपठन कक्षों को वितरित करने के लिए खरीदी गई पुस्तकों के शीर्षक तथा खरीदी गई और संमिश्रित पुस्तकालयों को भेजी गई प्रतियों की संख्या दर्शाने वाला कोई समेकित रिकार्ड हिन्दी अकादमी ने नहीं रखा।

सहायता प्राप्त लेखकों से प्राप्त पुस्तकों का शीघ्र ही वितरण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। और इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि सम्मिश्रित पुस्तकालयों का नियंत्रण और उनकी देखरेख पंजाबी अकादमी द्वारा की जाती है अतः समेकित रिकार्ड उनके पास रखा जाता है। हिन्दी अकादमी द्वारा खरीदी गई पुस्तकों तथा सम्मिश्रित पुस्तकालयों को की गई आपूर्ति के लिए हिन्दी अकादमी द्वारा रसीद इन पुस्तकों के बिलों/वाउचरों पर ली जाती हैं। फिर भी, हिंदी अकादमी को भी समेकित रिकार्ड रखने का निर्देश दिया गया है।

17. 7-11-3 वर्ष 85-89 के दौरान उर्दू अकादमी ने 9.03 लाख रु० की लागत से 34 शीर्षकों की 35,361 प्रतियां प्रकाशित की। 6 और 36 महीनों की अवधि के लिए 18,226 प्रतियां स्टाक में बची, रह गई। 1.04 लाख रु० का खर्च निर्देशिका के प्रकाशन पर किया गया। 3,097 प्रतियों में से केवल 1,087 प्रतियां ही वर्ष 87-89 के दौरान बिकी हुई दिखाई गई जिसमें 389 मानद प्रतियां भी शामिल हैं। एक लाख रु० से अधिक की शेष 2,008 प्रतियां अभी भी स्टाक में पड़ी थी (मार्च, 1989)। बची प्रतियों के बिकने की संभावना नहीं के बराबर है।

जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है उर्दू अकादमी ने मुद्रण का आदेश 1100 से घटा कर 310 कर दिया है? 31-8.90 तक नहीं बिके स्टाक को 18,226 से घटाकर 9,190 कर दिया गया। नहीं बिके स्टाक की कीमत 6,04 लाख रु० के मुकाबले 3,59,456 रु० है जिस पर 9.03 लाख रुपए का खर्च दिखाया गया है। अकादमी 7.06 लाख रु० की पुस्तकें बेच पायी। निर्देशिका के नहीं बिके स्टाक को 2008 से घटाकर 1844 कर दिया गया जिसकी कीमत 92,000/-रु० है। इस निर्देशिका के लिए आदेश (मांग) अब भी आ रहे हैं और आशा की जाती है कि अकादमी द्वारा नया संस्करण प्रकाशित करने के पूर्व पुराना स्टाक बेच दिया जाएगा।

18. 7-11-4 पंजाबी अकादमी ने 114 प्रकाशनों की 32,110 प्रतियां खुद खरीदी जिसमें से 26,261 प्रतियां दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों को वितरित की गई तथा शेष 1.20 लाख रु० मूल्य की 5849 प्रतियां अवितरित रह गई।

वर्ष 1983-84 के दौरान पंजाबी अकादमी ने 37 प्रकाशनों की 23, 250 प्रतियां प्रकाशित की, जिसकी कीमत 11.61 लाख रु० थी। पुस्तकों की कीमत तय करने का तरीका जुलाई, 87 में तय कर लिया गया था, जिसके मुताबिक पुस्तकों की कीमत कागज, मुद्रण आदि पर उठाये गये खर्च को ध्यान में रखते हुए तथा अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए इसे 20 प्रतिशत बढ़ा कर तय किया जाना चाहिए। फिर भी अकादमी ने अगस्त, 87 में केवल 15 प्रकाशनों की कीमत अधिसूचित की। मूल्य-निर्धारक समिति, जो दिसम्बर, 88 में गठित की गई थी, ने यह तय किया कि कागज की कीमत, क्षति अवमूल्यन आदि के लिए 100 प्रतिशत और बढ़ाया जाय और इसके परिणाम स्वरूप अगस्त, 87 में तय की गई कीमत लगभग दूनी हो गई। 37 प्रकाशनों की 23,250 प्रतियों में से एक भी प्रति नहीं बेची गई थी।

पंजाबी अकादमी द्वारा प्राप्त जवाब असंतोषजनक पाये गये। उन्हें मौजूद जमा स्टाक को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने की सलाह दी गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई हैं कि भविष्य में, पंजाबी पुस्तकों का मुद्रण/क्रय बाजार में पंजाबी पाठकों की मांग के मुताबिक ही किया जाए।

पंजाबी अकादमी ने वर्ष 85-86 के दौरान विद्यालयों में मुफ्त वितरण के लिए 0.300 लाख रु० की

पंजाबी अकादमी ने ऐसा सूचित किया है कि पंजाबी प्रचेषिका "सर्न पंजाबी थ्रू इंगलिश की खरीदारी की पुस्तकालय, साहित्य और प्रकाशन

"लर्न पंजाबी थ्रू इंगलिश" नाम की प्रवेशिका की 30000 प्रतियां खरीदी। वर्ष 86-87 में 1.23 लाख रु० की उसी लेखक की "पंजाबी भाषा ज्ञान" भाग-1 नाम की दूसरी प्रवेशिका की भी 24,-524 प्रतियां खरीदी गई। इन खरीदारियों को पुस्तकालय, साहित्य और प्रकाशन उप-समिति के समक्ष नहीं रखा गया। उचित रूप से गठित इस उप समिति की उपेक्षा करने के कारण पंजाबी अकादमी पर स्कूली बच्चों के निमित खरीदे परन्तु उनके लिए अनुपयुक्त पाये गये प्रकाशनों की खरीदारी का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया।

उप समिति ने 31 मार्च, 1984 की अपनी बैठक में पूर्ण स्वीकृति दे दी थी।

जहां तक उसी लेखक की दूसरी प्रवेशिका "पंजाबी भाषा ज्ञान-भाग-1 की खरीदारी का संबन्ध है, अकादमी ने यह सूचित किया है कि पंजाबी भाषा ज्ञान की खरीदारी पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई थी। इस समिति में दो प्रमुख पंजाबी लेखक थे। पुस्तकें उक्त समिति द्वारा इसकी सिफारिश करने के बाद ही खरीदी गई थी। बाद में, कुछ गलतियां पाने के बाद इस प्रवेशिका की आगे खरीदारी रोक दी गई।

अकादमी को यह सलाह दी गई है कि भविष्य में सभी पुस्तकें/प्रकाशन इस उद्देश्य के लिए उचित रूप से गठित समिति द्वारा सिफारिश करने के बाद ही खरीदे जाएं।

19. 7-12-1 वर्ष 1985-89 के दौरान पंजाबी अकादमी और हिन्दी अकादमी ने विभिन्न सम्मेलनों के प्रतिनिधि मंडलों के स्वागत पर 2.40 लाख रु० खर्च किए। ये समारोह अकादमी के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा इसके लिए शासी परिषद से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी।

4 वर्षों की अवधि के दौरान तीनों अकादमियों ने संयुक्त रूप से 2.40 लाख रु० विभिन्न सम्मेलनों के प्रतिनिधि मंडलों के स्वागत पर खर्च किए। पंजाबी अकादमी, जिसने इन स्वागत कार्यक्रमों को आयोजित किया, का शासी परिषद की स्वीकृति लेने का आदेश दिया गया है। सभी भाषा अकादमियों और साहित्य कला परिषद को यह सलाह दी गई है कि खर्च अपने अपने अकादमियों के उद्देश्यों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किए जाएं।

20. 7-12-2 उर्दू अकादमी प्रति वर्ष उप राज्यपाल के निवास पर इफ्तार भोज और मुख्य कार्यकारी पार्षद के निवास पर ईद मिलन आयोजित करता है। वर्ष 1985-86 के दौरान ऐसे आयोजनों पर कुल 5.89 लाख रु० खर्च किए गए। इन वर्षों के दौरान आयोजित इफ्तार भोज के लिए उप राज्यपाल के कार्यालय से वर्ष 1987-88 में 25,600 रु० तथा वर्ष 88-89 में

ये कार्यक्रम अकादमी के नियमित कार्यक्रम थे, जिसके लिए शासी परिषद/दिल्ली प्रशासन की स्वीकृति के तहत विशेष बजट प्रावधान किए जाते हैं। इफ्तार सह-भोज के लिए खर्च का कुछ भाग दिल्ली प्रशासन पूरा करता है, ईद मिलन के लिए पूरा खर्च अकादमी वहन करती है। साम्प्रदायिक एकता प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम अब केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अकादमी के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य दिल्ली की संयुक्त

29800 रु० की प्रति पूर्ति की गई 5.34 लाख रु० की रकम का खर्च अकादमी ने वहन किया। जैसा कि प्रतीत होता है ये राज्य के कार्यक्रम हैं, और अकादमी के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं।

संस्कृति को दिखाना भी है और राज्य के प्रमुख द्वारा के ऐसे कार्यक्रम का आयोजन अकादमी के उद्देश्यों की पूर्ति के अन्तर्गत आता है।

21. 7-13 हिंदी में अनुसन्धान अधिकारी की नियुक्ति।

अनुसन्धान अधिकारी को अकादमी से 10-11-1989 से सेवा मुक्त कर दिया गया है।

22. 7-14 पूंजीगत खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। वर्ष 1985-86 और वर्ष 1987-89 के दौरान हिंदी अकादमी ने पुरुषोत्तम हिन्दी न्यास समिति नामक संस्था को हिन्दी भवन भवन के निर्माण के लिए 3 लाख रु० की रकम दी। किन्तु इन अस्तियों पर अकादमी के आधार से संबंधित शर्त नहीं लगायी गई।

उक्त सहायता दिल्ली प्रशासन के अनुमोदन पर दिल्ली केन्द्र प्रशासित क्षेत्र में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार के अन्तर्गत दी गई थी। फिर भी आगे कोई भी सहायता लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी आधार पर नहीं दी गई है।

23. 7-15 अकादमी के अधिकार में भवन में एक स्टूडियो की सुविधा पहले ही दे दी गई है। अकादमी ने जुलाई, 86 में 2.53 लाख रु० की कीमत पर पोर्टेबल टेप-रिकार्डर का एक सेट खरीदा, पर रिकार्डिंग का काम अकादमी द्वारा अब भी बाहर की ऐजेन्सियों से कराया जा रहा है।

मेल्ट्रन टेप रिकार्डर एक छोटी पोर्टेबल मशीन है, जिसका इस्तेमाल हॉलों और दूसरे बाहर की जगहों पर आयोजित साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रिकार्ड करने के लिए किया जाता है। इन पोर्टेबल मशीनों पर 71 ऐसे कार्यक्रम अकादमी ने पहले ही रिकार्ड कर रखा है। आकाशवाणी के कार्यक्रम पूर्णतया शोर मुक्ति होते हैं और इसलिए ऐसे कार्यक्रम पूरी तरह उत्तम ध्वनि सम्बन्धी सुविधाओं से सम्पन्न स्टूडियो में रिकार्ड किए जाने चाहिए। अकादमी ने अब तक अपना कोई स्टूडियों नहीं बना रखा है। यदि कोई कार्यक्रम मेलट्रन टेप रिकार्डर पर भी रिकार्ड किया जाता है, तो इसके लिए सम्पादन की जरूरत होती है जिसमें संकेत करने या डब करने के लिए टेप को जोड़ने के लिए एक स्टूडियों की जरूरत होती है।

24. 7-16 वार्षिक लेखा जोखा

(I) नुकसान को तय करने के लिए

तीनों अकादमियों के लेखों को दिल्ली प्रशासन

सभी पावतियों की, चाहे किसी स्रोत से हो, सहायक अनुदान देने के उद्देश्य से आय माना जाएगा।

द्वारा मनोनीत तीन विभिन्न लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार किया जा रहा है। लेखों के विवरण जी० एफ० आर० में दिए गए निर्देशों के मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए अकादमी को अलग से निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(II) हिंदी अकादमी ने मार्च, 87 तक सम्पत्तियों की कीमत पर घिसावट (डेप्रीसिएशन) के लिए 5.34 लाख रु० का दावा किया। मार्च, 87 तक घिसावट के लिए 4.55 लाख रु० का दावा उर्दू अकादमी ने किया।

घिसावट सम्बन्धी खर्च का यह दावा अनुदान में से स्वीकार्य नहीं था।

हिन्दी अकादमी

मार्च, 1987 तक के घिसावट खर्च की राशि (5.34 लाख रु०) पीछे लिखी गई थी, और वर्ष 1987-88 के लेखों में समायोजित कर दी गई। इस तथ्य को रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है।

उर्दू अकादमी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा आंके गए 4,54, 990,00 (4.55 लाख रु०) के घिसावट खर्च को इस पर अकादमी की आय और उस के खर्च का आकलन करते समय खाते में नहीं लिया गया। यह सम्पत्तियों के स्क्रैप मूल्य निर्धारित करने के एक मात्र उद्देश्य से किया जाता है, जब भविष्य में इसकी सार्थकता नहीं रह जाती है। तथापि लेखा परीक्षा के निर्देशानुसार इस घिसावट खर्च को वर्ष 87-90 के लिए खाते के वार्षिक विवरण में पीछे लिख दिया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि जी० ई० आर० के प्रावधान के अन्तर्गत अकादमी द्वारा अलग से सम्पत्ति का रजिस्टर रखा जाता है और उसमें सम्पत्तियों का केवल खाता मूल्य दर्शाया जाता है।

(III) बैंक ओवर ड्राफ्ट और पुराने चेक : 31 मार्च, 1988 की वर्ष अवधि के लिए हिन्दी अकादमी के तुलन पत्र (बेलेंस शीट) में 5 70 लाख रु० का ओवर ड्राफ्ट दिखाया गया था इसके विपरीत 31 मार्च, 1988 को बैंक ने 1.89 लाख रु० के क्रेडिट बैलेंस की पुष्टि की। ओवर

जैसा कि पाया गया, चेक/भुगतान के लिए चेक जारी करते समय ओवर ड्राफ्ट की राशियों की क्रोडटिंग के सामान्य सिद्धांत पर गणना की गयी। इस विसंगति से बचा जा सकता था यदि अप्रस्तुत चेकों की राशि के कुल योग को "बकाया चेकों" के शीर्ष में अलग दिखाया जाता और इस राशि को बैंक को

ड्राफ्ट की अनिवार्यता स्पष्ट नहीं थी। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मामले में ऐसे चैकों, जिसकी समय सीमा खत्म हो गई थी तथा कुल 0.42 लाख रु० के थे, को रद्द नहीं किया तथा हिंदी अकादमी के खाते में भी राशि जमा नहीं की गई। भुगतान की गई राशि से घटा दिया जाता। इसे वर्ष 1988-89 के खाते में समायोजित किया गया है। निर्धारित तिथि पारित चैकों को रद्द कर दिया गया है और अकादमी के खाते में क्रेडिट कर दिया गया है।

ह०/—

सचिव (शिक्षा)

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली

पंजाब में कताई मिलें

[अनुवाद]

1065. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कताई मिलों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी उत्पादन और कार्य कितनी-कितनी है;

(ख) क्या ये कताई मिलें घाटे पर चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन मिलों को लाभप्रद बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या पंजाब में चार नई सूत कताई मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या मौजूदा कताई मिलों के घाटे में चलने के कारणों को देखते हुए उक्त मिलों की व्यवहार्यता की समीक्षा कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) पंजाब में इस समय 19 कताई मिलें हैं जिनकी कार्यचालन क्षमता 522 हजार तकुए और 2736 रोटर्स (31-3-1990 की स्थिति अनुसार) है। इन कताई मिलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(हजार किलोग्राम में)

वर्ष	सूती यार्न	सभी प्रकार के यार्न
1988-89	65071	88197
1989-90	74839	94990
1990-91 (अप्रैल/अक्तूबर)	45959	57474

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में पंजाब में कताई मिलें मुनाफा कमा रही हैं जबकि सहकारी क्षेत्र में घाटा हुआ है।

(यह जानकारी वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त हुई है ।

(ग) सहकारी क्षेत्र में घाटे के सही कारण की जानकारी नहीं है। फिर भी ए०आई०एफ०-सी०ओ०एम०पी०आई०एन० वार्षिक 1989 सामान्यतः के अनुसार अनेक सहकारी कताई मिलों के पिछले कुछ सालों से समग्र वित्तीय निष्पादन में सुधार होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसका मुख्य कारण परिवर्तन लागतों में स्थिर वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त रुई और यार्न की कीमतों में अप्रत्याशित तथा व्यापक उतार-चढ़ाव हुआ है। सरकार ने समस्त वस्त्र उद्योग की व्यवस्था में सुधार लाने तथा रुग्णता को रोकने के लिए जून, 1985 की वस्त्र नीति के अन्तर्गत उपाय शुरू किये हैं। देश में संभाव्य रूप से अर्थक्षम पाई गई वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में वित्तीय पैकेज बनाने और उसका प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की गई है। इसने वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इसकी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना भी की है। सरकार ने औद्योगिक रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना भी की है।

(घ) पंजाब में निम्नलिखित कताई एकक स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

1. मैसर्स ओसवाल काटेक्स मिल्स।
2. मैसर्स पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।
3. मैसर्स अभिषेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
4. मैसर्स पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

क्रमसंख्या एक पर निर्दिष्ट मिल कम्पनी के मामले में स्थान सम्बन्धी आधार पर आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया है। हमें अस्वीकृत के खिलाफ मिल कंपनी से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और हमने इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिए वस्त्र आयुक्त की टिप्पणियां मंगाई हैं क्योंकि मिल कंपनी ने महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मलारकोटला से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किया है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि मिल कंपनी स्थान संगरूर जिले के ग्रामीण एफ०ई०जेड० मास्टर प्लान के अन्तर्गत पड़ता है।

क्रमसंख्या दो में निर्दिष्ट कंपनी को 25-9-1986 को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

क्रमसंख्या तीन पर निर्दिष्ट मिल कंपनी को भी आशय-पत्र जारी करने की सिफारिश की गई है।

क्रमसंख्या चार पर निर्दिष्ट कंपनी ने अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और उसे औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 4-12-1990 की संख्या 2025/90 आई एल० के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। वस्त्र आयुक्त की टिप्पणियां मंगाई गई हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के परिणामस्वरूप स्थापित नोडीय अभिकरण ने देश में वस्त्र मिलों की अर्थक्षमता का पता लगाने के लिए उनकी जांच की है। फिर भी नोडीय अभिकरण ने अभी तक पंजाब में सहकारी कताई मिलों के मामलों की जांच नहीं की है।

(च) उपरोक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब शिक्षा बोर्ड के परिणाम

1066. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले वर्ष पंजाब शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध पंजाब के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट की जानकारी है;

(ख) क्या प्राइवेट स्कूलों, पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों के शिक्षा स्तर में कोई गुणात्मक अन्तर है;

(ग) क्या पंजाब में सभी स्कूल पंजाब बोर्ड से सम्बद्ध नहीं हैं;

(घ) क्या इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता भिन्न है; और

(ङ) यदि हां, तो पंजाब के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता

1067. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है और उनके वेतनमान तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार तथा आरंभिक इलाज के लिए प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके वेतनमान में वृद्धि करके उनकी सेवाएं नियमित करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलई चौधरी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य कार्मिकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) वे नियमित सरकारी कर्मचारी हैं। उनके वेतनमान और भत्ते राज्य सरकार नियमों के अनुसार हैं जो कि हर राज्य में अलग-अलग हैं।

विवरण

30-9-1900 तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्मिक

क्र० सं०	श्रेणी का नाम	संख्या (स्थिति)
1	2	4
1.	खण्ड विस्तार शिक्षक	5727
2.	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	24051
3.	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	81606
4.	स्वास्थ्य सहायक (महिला)/महिला स्वास्थ्य विजिटर	17937
5.	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)/सहायक नर्स मिडवाइफ	121094
6.	फार्मेसिस्ट	19589
7.	प्रयोगशाला तकनीशियन	9053
8.	नर्स मिडवाइफ	13032
9.	रेडियोग्राफर	392

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों में समय पाबन्दी का पालन न करना

1068. **श्री सी० एम० लेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्पेंसरी संख्या—1, गोल मार्किट, सेक्टर चार, आर० के० पुरम और होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली के अधिकांश कर्मचारी और डाक्टर रोगियों की ओर समुचित रूप से ध्यान नहीं देते हैं;

(ख) क्या डाक्टर और कर्मचारी समय पाबन्दी का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या वहां दवाइयों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) से (घ) जी, नहीं। समय पाबन्दी सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों

द्वारा नियमित/आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। तथापि, यदि कोई दवाई किसी औषधालय विशेष में उपलब्ध नहीं होती तो उसे सुपर बाजार से खरीद कर लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाता है।

गढ़वाल में केन्द्रीय अस्पताल खोलना

1069. **श्री सी० एम० लेगी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल में अच्छे और सुसज्जित अस्पतालों के न होने के कारण रोगियों को वहां से दिल्ली लाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में श्रीनगर में एक केन्द्रीय अस्पताल खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि रोगियों की समय पर उपचार की आवश्यकता पूरी की जा सके और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफदरजंग अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम हो सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इलई कौचरी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि जैसे पड़ौसी राज्यों के विभिन्न शहरों/गांवों के रोगी इलाज के लिये दिल्ली के अस्पतालों में भी आते हैं।

(ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए गढ़वाल और श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में अस्पताल खोलने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार का अस्पताल खोलने के लिए स्वास्थ्य मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए शिक्षा का माध्यम

[हिन्दी]

1070. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के अध्यापकों, विशेष रूप से केन्द्रीय विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए कोई शिक्षा का माध्यम निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापकों को हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है;

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माणेय गोपीचंद) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई विशिष्ट भाषा निर्धारित नहीं की है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालय और अपने सम्बद्ध कालेजों में शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को आयोग में लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस समय आयोग के पास केवल हिन्दी अथवा कोई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण देने हेतु विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

एड्स रोग की गुप्त जांच

[अनुवाद]

1071. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्तदाताओं और वेश्याओं के मामले में एड्स रोग की जांच गुप्त रूप से न करके खुले रूप से की जाती है जिसके कारण सम्बन्धित व्यक्ति अत्याधिक परेशान हो जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस जांच कार्य का गुप्त रूप से संचालन करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) रक्त दाताओं की एच०आई०वी० सम्बन्धी जांच रक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है संदूषित रक्तक को फैंक दिया जाता है और रक्त दाता की पहचान नहीं हो पाती है। एच०आई०वी० संक्रमण के लिए "निगरानी" के भाग के रूप में अधिक खतरे वाले समूहों में संक्रमणता का पता लगाने के लिए वेश्याओं की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग): एड्स निवारण और नियन्त्रण पर एक विधेयक पहले ही संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है। एड्स विधेयक को संसदीय संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के लिए एक प्रस्ताव चालू संसद सत्र में पेश किया जा रहा है। इस विधेयक में गोपनीयता रखने से सम्बन्धित तरीके के बारे में उपबन्ध शामिल किए जाएंगे।

पप्पनकलां में समितियों को भूमि का आवंटन

1072. श्री जनार्दन पुजारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन सहकारी सामूहिक आवास समितियों को, जिनके नाम सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा मंजूर किए गए हैं, के नामों की एक सूची प्रकाशित की है जिन्हें पप्पनकलां में भूमि दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो यह सूची कब तक प्रकाशित होगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री बीरेन्द्र राम सारण) : (क) से (ग) ऐसी कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई है और न ही इसे प्रकाशित करने का प्रस्ताव है क्योंकि पात्र अलग-अलग समितियों को पेशकश पत्र भेज गये हैं।

हस्तशिल्प उद्योग में लगे श्रमिकों को सहायता

[हिन्दी]

1073. **श्री राम लाल राही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हस्तशिल्प उद्योग में लगे लोगों के रहन सहन का स्तर उठाने और उनकी सहायता करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुरेन्द्र नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) सरकार द्वारा हस्तशिल्प उद्योग में कार्यरत लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने एवं लोगों को सहायता देने के लिए वर्तमान में किए गए उपायों के विस्तृत ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

क्रमांक	योजना का नाम	उद्देश्य
1	2	3
1.	अभिज्ञात शिल्प पाकेटों में शिल्प विकास केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सहायता	कच्चे माल की आपूर्ति डिजाइन एवं तकनीकी मार्गदर्शन, सामान्य सुविधा, विपणन एवं अन्य सम्बन्धित सेवाओं को पैकेज सहायता प्रदान करना।
2.	शिल्पकारों के लिए सहकारी समितियों को सहायता	हस्तशिल्प सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना।
3.	केन्द्रीय/राज्य निगमों एवं शीर्ष सहकारी समितियों में शेयर भागीदारी	बिक्री केन्द्रों को खोलने एवं नवीकरण के लिए केन्द्रीय/राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों एवं शीर्ष सहकारी समितियों को सहायता देना।

1	2	3
4.	डिजाइन एवं तकनीकी विकास	(1) परम्परागत किस्मों को अभिज्ञात करके और नए डिजाइनों का नवीकरण करके दोनों प्रकार के डिजाइनों को विकसित करने और बिक्री के लिए शिल्पकारों को सहायता देना। (2) उचित तकनीकी निवेश प्रदान करना।
5.	सामान्य सुविधा केन्द्र	उचित दरों पर कच्चा माल प्राप्त करने और खरीदने/परिष्करण की सुविधा के लिए शिल्पकारों को सहायता
6.	प्रशिक्षण	उच्च कौशल विकसित करना और अधिक मांग/निर्यातोन्मुख शिल्पों एवं नष्ट होते हुए शिल्पों दोनों में प्रशिक्षण देना।
7.	विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र एवं अन्य विपणन कार्यक्रम	(1) विशेषकर संकेन्द्रित क्षेत्रों में शिल्पकारों को विपणन एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना। (2) शिल्पकारों के कल्याण के लिए उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम, बाजार बैठकें, शिल्प बाजार आयोजित करना।
8.	विपणन विकास सहायता	शिल्पकारों के लिए रोजगार एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए बाजार विकसित करना, उनको विस्तृत करना और उसे बनाए रखना।
9.	प्रदर्शनी एवं प्रचार	(1) प्रदर्शनियां आयोजित करने में (निगमों, सहकारी समितियों स्वच्छिक संगठनों आदि) को सहायता देना; (2) विज्ञापन ब्रोशर कैटलाग आदि सहित बाजार सम्बन्धी प्रचार अभियान चलाने का उत्तरदायित्व सम्भालना एवं संगठनों को सहायता देना।

1	2	3
10.	निर्यात संवर्धन	हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ाना ।
11.	सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य कार्यकलाप	शिल्पकारों में अपनी योग्यता के लिए मान्यता प्राप्त करने और वृद्धावस्था/ दौर्बल्य में आगामी वित्तीय सुरक्षा/ विश्वास बढ़ाना ।
12.	सर्वेक्षण तथा अध्ययन	शिल्प विशेष एवं क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करना ।
13.	राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय एवं अन्य संग्रहालय	(1) परम्परागत शिल्पों का संरक्षण एवं प्रलेखन (2) उपरोक्त जानकारी का प्रसार करना (3) नष्ट होते हुए शिल्पों को पुनर्जीवित रखना ।
14.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम को सहायता	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास के लिए पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम को सहायता देना ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति

1074. डा० बंगाली सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में 20 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1676 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना अब एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी हां । दिनांक 20-8-90 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1676 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने संबंधी सूचना सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन रिपोर्ट संसदीय कार्य मन्त्रालय और लोकसभा सचिवालय को भेज दी गई है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के दुकानों का आवंटन

1075. डा० बंगाली सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1990 से अब तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने व्यक्तियों को बिना बारी के आधार पर दुकानें आवंटित की गई; और

(ख) इस प्रकार बिना बारी के आवंटन के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) 13 व्यक्ति ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल (I) सेवा काल के दौरान मृतक भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं (II) सेवा काल के दौरान मृतक सैनिकों की विधवाओं, और (III) नितान्त विपत्ति और अनुकम्पा के आधारों पर पृथक-पृथक व्यक्तियों के सुपात्र मामलों में दुकानें/स्टाल और कियोस्क आवंटित कर सकते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम पर आधारित क्लास रूम कार्यक्रम

[अनुवाद]

1076. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम पर आधारित एक देश-व्यापी क्लास रूप कार्यक्रम आरंभ करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब आरंभ किया जाएगा;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में देश के सभी स्कूलों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो किस वर्ष तक यह सुविधा पूरे देश में सभी स्कूलों में उपलब्ध करा दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नागेश गोदवर्मन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग का देश व्यापी कक्षा कार्यक्रम एक सतत् कार्यक्रम है तथा यह आठवीं योजना अवधि में भी प्रसारित किया जाता रहेगा ।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का देश व्यापी कक्षा कार्यक्रम अवरस्नातक छात्रों व सामान्य दर्शकों के लिए है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल नहीं आते । कुछ राज्यों में स्कूलों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भिन्न-भिन्न योजना के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं ।

"एक्यूपंकुर" चिकित्सा प्रणाली को लागू करना

1077. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम भारतीय नागरिक की बीमारी को दूर करने के लिए "एक्यूपंकुर" चिकित्सा प्रणाली लागू करने की गुंजाइश का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का आम भारतीय नागरिक के लाभार्थ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इस प्रणाली को लागू करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (घ) भारत में इस चिकित्सा पद्धति का क्षेत्र सीमित है। कुछ लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस पद्धति द्वारा इलाज कर रहे हैं। इस चिकित्सा पद्धति को अभी भारत में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए कोई कानून या विनियम औपचारिक रूप से तैयार नहीं किए गए हैं।

रक्त में एड्स रोग की जांच किए बिना रक्त की सप्लाई

1078. **श्री परसराम भारद्वाज** :: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरोध में आत्मदाह करने वाले व्यक्ति को ऐसा रक्त चढ़ाया गया था जो रेडक्रास ने एड्स रोग की जांच किए बिना ही जारी कर दिया था जबकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के निर्देशों के अन्तर्गत यह जांच आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। रेडक्रास से प्राप्त सूचना के अनुसार, एड्स की जांच किए बगैर गंभीर रूप से जले रोगी के लिए सफदरजंग अस्पताल ब्लड बैंक को आपातकालीन आधार पर रेडक्रास ब्लड बैंक द्वारा प्लेटलेट रिस्क प्लाज्मा की चार यूनिटें सप्लाई की गई। यह रक्त आपात स्थिति पर सप्लाई किया गया था और उस समय रक्त की जांच करने के लिए बिलकुल वक्त नहीं था। तथापि, उसके तत्पश्चात् चारों यूनिटों के रक्त के नमूनों की एलिसा और वेस्टर्न ब्लाट परीक्षण (विशिष्ट जांच) की गई थी और परिणाम गैर-प्रतिक्रियाशील अर्थात् एच•आई•वी• संक्रमण रहित पाए गए।

चीनी के लिए विकास परिषद की स्थापना

1079. **श्री मंगाराम मलिक** : क्या खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग विकास परिषद, चीनी मानक स्थायी सलाहकार समिति और स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति की स्थापना कब तक हुई थी;

(ख) उनके कार्यकाल, कार्यों और पदाधिकारियों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 अक्तूबर 1990 की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों की वर्तमान राज्य-वार संख्या क्या है, और

(घ) किन-किन राज्यों में अनुसंधान संस्थान और उपरोक्त समितियां स्थापित की गई हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) शर्करा उद्योग विकास परिषद का गठन पिछली बार औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 27-2-1989 के आदेश के तहत किया गया था। चीनी मानकों पर स्थायी सलाहकार समिति और स्थायी अनुसंधान सलाहकार समिति दोनों का गठन 17-7-1989 को किया गया था। शर्करा उद्योग परिषद की अवधि आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष के लिए होती है जबकि दोनों स्थायी समितियों की अवधि परिषद् की अवधि के साथ-साथ चलती है। शर्करा उद्योग विकास परिषद् और दो स्थायी समितियों के कार्यों एवं संरचना की एक प्रतिलिपि संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है।

(ग) 30 अक्तूबर, 1990 को चीनी मिलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-4 संलग्न है।

(घ) चीनी उद्योग से सम्बन्धित अनुसंधान संस्थान मुख्यत: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थापित किए गये हैं। शर्करा उद्योग विकास परिषद् और उपरोक्त स्थायी समितियां केन्द्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में गठित की गई हैं।

विवरण-1

शर्करा उद्योग विकास परिषद के कार्य एवं संरचना

कार्य

(1) उत्पादन के लिए लक्ष्यों की संस्तुति करना, उत्पादन कार्यक्रमों में समन्वय करना और समय-समय पर प्रगति की पुनरीक्षा करना।

(2) अपव्यय को हटाने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, गुणवत्ता सुधार तथा लागत में कमी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्षमता मानदण्डों का सुझाव देना।

(3) संस्थापित क्षमता के अधिकतम उपयोग के उपायों की सिफारिश करना तथा उद्योग की विशेष रूप से कम क्षमता वाली इकाइयों की, कार्यक्षमता में सुधार करना।

(4) अच्छे विपणन की व्यवस्था को बढ़ावा देना तथा वितरण की प्रणाली को युक्तियुक्त बनाने तथा उद्योग के उत्पादन की बिक्री में मदद करना जिससे कि उपभोक्ता संतुष्ट हो सके।

(5) उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।

(6) नई सामग्री, उपस्करों तथा पहले से ही प्रयुक्त तरीकों में सुधार सहित उत्पादन के तरीकों, प्रबन्धन एवं श्रम उपयोग को बढ़ावा देना या इनकी जांच करना, विभिन्न विकल्पों के लाभों का आकलन और प्रायोगिक स्थापनाओं को चलाना तथा व्यावसायिक स्तर पर जांच करना।

(7) उद्योग में कार्यरत और प्रस्तावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा उससे सम्बन्धित तकनीकी या कलात्मक विषयों की शिक्षा को बढ़ावा देना।

(8) उद्योग में कार्यरत या छंटनी किए गए व्यक्तियों के वैकल्पिक व्यवसाय में पुनः प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

(9) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, औद्योगिक मनोविज्ञान से सम्बन्धित अनुसंधान और उत्पादन से सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान तथा उद्योग द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग या प्रयोग को बढ़ावा देना।

(10) लेखा और लागत विधियों तथा व्यवहार के सुधार तथा मानकीकरण को बढ़ावा देना।

(11) श्रमिकों के लिये सुरक्षित तथा अच्छी कार्य परिस्थितियां उपलब्ध करवाना उनकी सुख सुविधाओं में सुधार का प्रावधान तथा प्रोत्साहनों सहित श्रम उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को अपनाने के लिये बढ़ावा देना।

(12) प्राप्त सूचना उद्योग को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना तथा विकास परिषद के किसी भी कार्य से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने की व्यवस्था करना।

(13) नियन्त्रित सामान के वितरण में सहायता करना तथा उद्योग के लिये सामान प्राप्त करने के लिये व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

(14) आंकड़े इकट्ठा करने और तैयार करने के कार्य को बढ़ावा देना।

(15) संबंध लघु और कुटीर उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्पादन के चरणों तथा प्रक्रियाओं के विकेन्द्रीकरण की संभावनाओं की जांच करना।

(16) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर उद्योग से सम्बन्धित किसी भी मामले पर (पारिश्रमिक तथा रोजगार की शर्तों के अलावा) सलाह देना तथा विकास परिषद को सलाह देने के मदद करने के उद्देश्य से जांच करना।

संरचना

अध्यक्ष

(1) सचिव, खाद्य विभाग, भारत सरकार

सदस्य-सचिव

(2) संयुक्त सचिव, शर्करा कार्य प्रभार, खाद्य विभाग, खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय, नई दिल्ली ।

सदस्य

(3) श्री ए. टी. काम्बले, संसद सदस्य (लोकसभा)
(4) श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी, संसद सदस्य (लोकसभा)
(5) श्रीमती प्रतिभा पाटिल, संसद सदस्य (लोकसभा)
(6) डाइरेक्टर जनेराल आफ टेकनिकाल डेवलपमेन्ट, उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली ।
(7) मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली ।
(8) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ।
(9) आर्थिक सलाहकार, नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली ।
(10) संयुक्त सलाहकार, उद्योग एवं खनिज प्रभाग, योजना आयोग नई दिल्ली ।
(11) कार्यकारी निदेशक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
(12) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या उनके प्रतिनिधि, सीरा इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास नई दिल्ली ।
(13) अध्यक्ष, भारतीय चीनी मिल संघ, शुगर हाऊस, 39, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 ।
(14) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ वैकुण्ठ वैकुंठ तीसरा तल, 82-83 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 ।
(15) निदेशक, दक्कन सर्करा संस्था, पुने ।
(16) निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोएम्बाटूर ।
(17) निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ।

विवरण-2

चीनी मानकों पर स्थाई सलाहकार समिति के कार्य एवं संरचना

कार्य

इस समिति के कार्यों में चीनी फैक्ट्रियों, सरकारी संस्थाओं आदि में प्रयोग के लिए भारतीय चीनी मानकों (आई. एस. एस.) की प्रति वर्ष सिफारिश करना तथा चीनी के विभिन्न ग्रेडों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए कीमत अवकलों की समीक्षा करना शामिल है ।

संरचना

संयोजक

(1) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, डाकघर कल्याणपुर, कानपुर।

सदस्य

(2) मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय, कृषि भवन नई दिल्ली।
(3) निदेशक (शर्करा त०) शर्करा निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(4) निदेशक, खाद्य और कृषि उत्पाद, भारतीय मानक संस्थान, मानक भवन, नई दिल्ली या उनके नामजद।
(5) साइन्टिस्ट (अपटिकस) नैसनल फिजिकल लेबरेटरी, नई दिल्ली या उनके नामजद
(6) प्रबन्धक (गुणवत्ता नियन्त्रण), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
(7) मुख्य विपणन प्रबन्धक (शर्करा), भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली
(8) अध्यक्ष, भारतीय चीनी मिल संघ, नई दिल्ली
(9) अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, नई दिल्ली
(10) अध्यक्ष, शुगर टेकनोलोजिस्ट एसोसिएशन आफ इंडिया, डाकघर एन. एस. आई. कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

विवरण-3

स्थाई अनुसंधान सलाहकार समिति के कार्य व संरचना

कार्य

इस समिति के कार्यों में चीनी फैक्ट्रियों, वैज्ञानिक संगठनों और अन्य संबंधित संगठनों से चीनी उद्योग में अनुसंधान करने के लिए सहायक अनुदान की मंजूरी के लिए प्राप्त अनुसंधान योजनाओं की जांच करना, अनुमोदित अनुसंधान कार्य तथा अन्य संबंधित मामलों में हुई प्रगति को मनिटर करना शामिल है।

संरचना

(1) संयुक्त सचिव (शर्करा), खाद्य विभाग, नई दिल्ली

सदस्य एवं संयोजक

(2) निदेशक (शर्करा तकनीकी), शर्करा निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

सदस्य

(3) मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(4) निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर (उ० प्र०)
(5) निदेशक, दक्कन शर्करा संस्थान, पुणे।
(6) निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

(7) निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर।
(8) उप महानिदेशक, आई.सी.ए.आर. (गन्ना विकास)।
(9) सचिव, केन्द्रीय जल और वायु प्रदूषण बोर्ड, नई दिल्ली।
(10) विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के प्रतिनिधि, नई दिल्ली।
(11) सी.एस आई.आर. के प्रतिनिधि, नई दिल्ली।
(12) रसायन एव पेट्रो रसायन विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि (खीरे और अल्कोहल से सम्बन्धित)
(13) उद्योग विभाग के प्रतिनिधि (पेपर उद्योग में खोई के उपयोग से सम्बन्धित) भारत सरकार।
(14) अध्यक्ष, भारतीय चीनी मिल संघ, नई दिल्ली।
(15) प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, नई दिल्ली।
(16) निदेशक, सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च, इंस्टीट्यूट, पिलानी या उनके नामजद।

विवरण-4

30 अक्तूबर, 1990 को मौजूदा चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	105
2.	बिहार	30
3.	पंजाब	13
4.	हरियाणा	8
5.	पश्चिम बंगाल	2
6.	आसाम	3
7.	नागालैंड	1
8.	राजस्थान	3
9.	मध्य प्रदेश	8
10.	उड़ीसा	5
11.	महाराष्ट्र	101
12.	गुजरात	17
13.	गोआ	1
14.	तमिलनाडु	31
15.	कर्नाटक	29
16.	पांडिचेरी	2

1	2	3
17.	आंध्र प्रदेश	34
18.	केरल	3
19.	मणीपुर	—
20.	दादरा नगर हवेली	—
	कुल	396

पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत "मिल्टोन का वितरण

1080. **श्री मंगाराज मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोषाहार कार्यक्रम और अनुपूरक आहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों में "मिल्टोन" का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिल्टोन किन-किन चीजों से बनाया जाता है; गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार इसका कितना उत्पादन और वितरण हुआ; और

(ग) मिल्टोन के संयंत्र अब तक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और किन-किन स्थानों में, विशेषकर उड़ीसा में, ये संयंत्र स्थापित किये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकिआट्री, रांची को सहायता

1081. **श्री मंगाराज मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकिआट्री) रांची पर सरकार का किस सीमा तक नियन्त्रण है और इसे प्रतिवर्ष कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ख) क्या इस संस्थान को 1960 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया का उत्कृष्ट संस्थान माना जाता था यदि हां, तो इसके पतन के कारणों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे एक स्वायत्तशासी केन्द्रीय संस्थान बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसंत चौधरी) : (क) केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन भारत

सरकार का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस प्रकार हर वर्ष इस संस्थान का बजट संस्थान की अपेक्षाओं के आधार पर तैयार किया जाता है।

संस्थान के लिये 1989-90 और 1990-91 के दौरान उपलब्ध बजट प्रावधान इस प्रकार है :—

वर्ष	प्लान	नान-प्लान
1989-90	15,00,000	1,69,00,000
1990-91	10,00,000	1,99,00 000

(ख) संस्थान ने अपना स्नातकोत्तर अध्यापन 1962 में शुरू किया और अपना मौजूदा नाम 1977 में प्राप्त किया। यह संस्थान प्रशिक्षण और अनुसन्धान के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान रखे हुए है।

(ग) इस समय संस्थान को स्वशासी संगठन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कास्टर बीजों के वायदा व्यापार को मान्यता देना

1082. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कास्टर (अरंडी) बीजों के वायदा व्यापार को मान्यता देने की मांग के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) जी हां। देश में एरंड में वायदा व्यापार की दो केन्द्रों बम्बई और अहमदाबाद में अनुमति दी गई है। मै० सौराष्ट्र आयल एंड आयलसीड्स एसोसिएशन, राजकोट से सौराष्ट्र क्षेत्र में एक और केन्द्र खोलने तथा उन्हें इस प्रयोजन के लिये मान्यता देने हेतु एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस अभ्यावेदन की वायदा बाजार आयोग द्वारा जांच की गई थी। आयोग ने सौराष्ट्र आयल एंड आयलसीड्स एसोसियेशन, राजकोट को मान्यता मंजूर करने की सिफारिश नहीं की, हालांकि उन्होंने यह महसूस किया कि सौराष्ट्र क्षेत्र में एरंड में वायदा व्यापार केन्द्र खोलने की गुंजाइश है। तथापि, आयोग सौराष्ट्र क्षेत्र में एरंड में वायदा व्यापार केन्द्र खोलने की सम्भावना पर विचार कर रहा है। इसने 27 नवम्बर, 1990 को एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें एरंड में वायदा करारों के लिये मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एसोसिएशनों से आवेदन मांगे गये हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

1083. **श्री बलवंत मणवर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1990 तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम और इसकी सहायक कंपनियों में रिक्त पड़े अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त निगम में सामाजिक और जन प्रतिनिधियों के मुकाबले सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जाएंगी ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) 31-12-1990 की स्थिति अनुसार एन टी सी (धारक कंपनी), एन टी सी (उ० प्र०), एन टी सी (एम० पी०), एन टी सी (एन पी के के व एम) और एन टी सी (डब्ल्यू बी ए बी ओ) के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक के पद रिक्त पड़े हुये हैं ।

(ख) इस समय एन टी सी (धारक कंपनी) और इसके सहायक निगमों के बोर्ड में 27 सरकारी अधिकारी हैं 21 व्यावसायिक व्यक्ति, सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी निदेशकों के रूप में कार्य कर रहे हैं । वित्तीय संस्थानों और बैंकों के 22 प्रतिनिधि हैं । अन्तिम रूप से विभिन्न सामाजिक तथा सरकारी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 व्यक्ति हैं ।

(ग) एन टी सी में सी एम डी के रिक्त पदों को भरने के लिये कार्रवाई पहले ही कर ली गई है । फिर भी यह बता पाना संभव नहीं होगा कि इन रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा ।

चीनी मिलों को प्रोत्साहन

1084. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ने की अधिक पैदावार होने तथा डीजल की कमी तथा परिवहन की वजह से भी चीनी मिलें उपलब्ध गन्ने की पूरी फसल की पेराई नहीं कर पाएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को हानि न होने देने के लिये चीनी मिलों को नकद प्रोत्साहन देने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) देश में उत्पादन किये जाने वाले सारे गन्ने की केवल चीनी मिलों द्वारा ही पेराई नहीं की जाती है । गन्ना उत्पादन का कुछ भाग का गुड़/खांडसारी तथा बीज और अन्य उद्देश्यों के लिये भी उपयोग किया जाता है । सरकार ने चालू पेराई मौसम के दौरान गन्ने की ढुलाई के लिये डीजल तेल की पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये अनुदेश जारी किये हैं ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो ।

(ख) और (ग) चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिये मांग की गई है । 1 अक्तूबर से 15 नवंबर, 1990 की अवधि के दौरान जल्दी पेराई को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा चीनी फैक्ट्रियों को अतिरिक्त खुली बिक्री कोटे के रूप में पहले ही प्रोत्साहन दिये जा चुके हैं । सरकार स्थिति पर नजर रखे हुये है तथा यदि आवश्यक हुआ तो यथा समय और उपाय किये जाएंगे ।

चीनी से नियन्त्रण हटाना

1085. **श्री बाबासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी पर से नियन्त्रण हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार फिलहाल वर्तमान आंशिक नियन्त्रण की नीति को जारी रखना वांछनीय समझती है ।

"दक्कन शुगर इन्स्टीट्यूट" पुणे को अनुदान

1086. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा "दक्कन शुगर इंस्टीट्यूट" पुणे, महाराष्ट्र को कुल कितना अनुदान दिया गया और उसका क्या उद्देश्य था;

(ख) क्या "नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट" कानपुर को उसी उद्देश्य के लिये अनुदान नहीं दिया जाता है जिसके लिये "दक्कन शुगर संस्थान" को दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) दक्कन शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, महाराष्ट्र को अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिये खाद्य विभाग को चीनी विकास निधि से निम्नानुसार अनुदान प्रदान किया गया ।

1987-88	—	शून्य
1988-89	—	शून्य
1989-90	—	81.49 लाख रुपये
	जोड़	81.49 लाख रुपये

(ख) और (ग) चूंकि राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर खाद्य विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, इसलिये इस कार्यालय द्वारा जो भी अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की जाती हैं उन सभी के लिये रुपये की व्यवस्था खाद्य विभाग के बजट में की जाती है ।

गन्ने का मूल्य

1087. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों ने वर्ष 1990-91 मौसम के लिये गन्ने के सरकारी मूल्य को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप चीनी उद्योग को हुई हानि पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) सरकार के पास गन्ना उत्पादकों से गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के बारे में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) चीनी मौसम 1989-90 के लिये गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 22/- रु० प्रति क्विंटल था। चीनी मौसम 1990-91 के लिये इसे बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 23/- रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के सन्दर्भ में लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। एक अस्थाई उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा 1990-91 के मौसम के उत्पादन में से 1989-90 के उत्पादन के लिये लागू निकासी मूल्यों पर लेवी चीनी वसूल की जा रही है। लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में वृद्धि करने विषयक प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मूल्य में वृद्धि कर देने की तारीख तक निकासी मूल्य की कम वसूली की क्षतिपूर्ति चीनी फैक्ट्रियों को कर दी जाएगी।

चीनी मिलों के लिए थोक लाइसेंस

[हिन्दी]

1088. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममट्ट** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1990 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में "स्टेट्स टोल्ड टू रेज शुगर मिल लाइसेंसस बाई 50 परसेन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को चीनी के थोक लाइसेंसों के अन्तर्गत चीनी के कोटे में प्रति वर्ष 50 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इन निर्देशों का पालन किया है और अगस्त 1990 से चीनी मिलों के लिये कितने नये लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने एक ही समय के उपाय के रूप में राज्य सरकार को पहली अगस्त, 1990 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में थोक लाइसेंसों की कुल संख्या की 50 प्रतिशत की सीमा तक चीनी के थोक व्यापारियों को नये लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी है।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपने संगत लाइसेंसिंग आदेशों के अधीन थोक व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं और उपर्युक्त आदेशों के अनुसरण में राज्यों द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूची नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा बाजार भाव

[अनुवाद]

1089. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
श्री प्यारेलाल खंडेलवाल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1988, 1989 और 1990 की पहली तारीख को और वर्ष 1990 के प्रत्येक महीने की पहली तारीख को आवश्यक वस्तुओं के खुदरा बाजार भाव और प्रशासित मूल्य कितने-कितने थे;

(ख) क्या मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) नवम्बर, 1988, 1989 और 1990 के प्रथम सप्ताह में एवं वर्ष 1990 के प्रत्येक महीने में आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य दर्शाने वाले विवरण-I और-2 संलग्न हैं। चावल, गेहूं और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य, पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण केन्द्रों से मूल्य तथा लोहा और इस्पात के मूल्य दर्शाने वाला एक अन्य विवरण-3 संलग्न है।

(ख) जी हां। विगत एक वर्ष की तुलना में (नवम्बर, 1990 में) मूल्यों में आमतौर पर वृद्धि का रुख दिखाई पड़ा है।

(ग) इस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

(1) तिलहन और दालों जैसी कुछ आवश्यक मदों के उत्पादन में कमी आना; (2) खरीफ और रबी दोनों की फसलों, जैसे धान, गेहूं, दालों, तिलहन आदि के न्यूनतम वसूली/समर्थन मूल्यों में वृद्धि होना; (3) पहले 1990-91 के केन्द्रीय बजट तथा बाद में 14-10-1990 को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होना और (4) 1990-91 के रेल बजट में रेल भाड़े और किराये

में वृद्धि होना; (5) अन्य बातें, जैसे अधिक नकदी और मुद्रक आपूर्ति में वृद्धि; उपभोक्ताओं की निरन्तर मांग, दालों और खाद्य तेलों जैसी मदों की मांग और उनकी आपूर्ति में अन्तर का संचित प्रभाव होना।

(घ) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिये दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। उठाये गये कदमों में मोटे तौर पर ये कदम शामिल हैं : आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, खाद्यान्नों की वसूली करना और उनका सुरक्षित भण्डार बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों और अन्य नियोजक उपायों को लागू करना और जहां कहीं आवश्यक हो, आयात के जरिए घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करना, ताकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में किसी असामान्य वृद्धि को रोका जा सके।

विवरण-1

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य (रु० प्रति कि० ग्रा०)

केन्द्र	नवम्बर 88	नवम्बर 89	नवम्बर 90
	4-11	3-11	2-11
1	2	3	4
	चावल		
बम्बई	4.80	5.00	5 00
मद्रास	4.80	5.00	5.00
लखनऊ	3.50	4.00	4.00
कलकत्ता	4.60	2.82	3.31
दिल्ली	4.75	4.00	5.00
	गेहूं		
बम्बई	3.80	4.00	5.00
मद्रास	3.80	3.80	3.80
लखनऊ	2.90	2.50	3.25
कलकत्ता	उ. न.	उ. न.	उ. न.
दिल्ली	2.80	3.00	3.00
	ज्वार		
बम्बई	3.60	4.50	4.50
मद्रास	2.20	2.70	2.70

1	2	3	4
लखनऊ	2.00	2.00	2.50
कलकत्ता	उ. न.	5.50	6.00
दिल्ली	3·50	3.50	3.50
		बाजरा	
बम्बई	4.00	3.80	4.00
मद्रास	2.10	2.70	2.70
लखनऊ	2.25	2.00	2.40
कलकत्ता	उ. न.	5.50	6.00
दिल्ली	3.25	3.00	3.50
		अरहर	
बम्बई	12.40	12.00	18.00
मद्रास	14.00	12.00	14.50
लखनऊ	10.50	11.00	18.00
कलकत्ता	12.00	12.00	16.00
दिल्ली	11.00	11.00	15.00
		चना	
बम्बई	उ. न.	उ. न.	13.00
मद्रास	11.50	12.00	11.00
लखनऊ	11.00	10.00	10.50
कलकत्ता	11.80	10.80	11.00
दिल्ली	12.00	10.50	11.00
		आलू	
बम्बई	4.00	3.50	4.00
मद्रास	3.50	2.50	5.00
लखनऊ	2.50	1.75	2.50
कलकत्ता	2.80	2.40	3.20
दिल्ली	4.00	4.00	4.00
		प्याज	
बम्बई	4.00	3.50	4.00
मद्रास	3.50	4.00	3.50
लखनऊ	4.00	3.00	8.40

1	2	3	4
कलकत्ता	6.00	5.00	6.50
दिल्ली	6.00	4.00	7.00
		चीनी	
बम्बई	7.30	9.20	8.80
मद्रास	6.80	8.70	8.10
लखनऊ	7.50	9.00	10.00
कलकत्ता	7.60	10.30	9.50
दिल्ली	7.75	9.00	9.25
		गुड़	
बम्बई	उ. न.	11.00	10.00
मद्रास	5.50	7.00	7.00
लखनऊ	4.00	7.00	6.75
कलकत्ता	5.00	6.00	7.50
दिल्ली	5.50	7.00	7.50
		मूंगफली का तेल	
बम्बई	22.00	28.00	35.00
मद्रास	21.00	29.00	33.00
लखनऊ	26.00	27.00	30.00
कलकत्ता	40.00	40.00	45.00
दिल्ली	32.00	30.00	40.00
		सरसों का तेल	
बम्बई	28.00	27.00	33.00
मद्रास	28.00	27.00	38.00
लखनऊ	23.00	21.00	32.00
कलकत्ता	23.00	22.00	34.00
दिल्ली	22.00	21.00	30.00
		वनस्पति	
बम्बई	27.00	30.00	41.00
मद्रास	26.00	30.00	41.00
लखनऊ	27.00	31.00	42.00
कलकत्ता	30.25	31.50	41.20
दिल्ली	24.50	27.00	36.00

1	2	3	4
		जोधरा	
बम्बई	40.00	40.00	46.00
मद्रास	40.00	42.00	42.00
लखनऊ	35.00	40.00	44.00
कलकत्ता	38.00	42.00	50.00
दिल्ली	36.00	40.00	42.00
		मछली	
बम्बई	उ. न.	20.00	30.00
मद्रास	20.00	32.00	25.00
लखनऊ	26.00	28.00	26.00
कलकत्ता	40.00	40.00	45.00
दिल्ली	36.00	36.00	36.00
		दूध	
बम्बई	10.00	10.00	10.00
मद्रास	5.00	5.00	5.00
लखनऊ	6.00	6.00	6.00
कलकत्ता	8.00	9.00	7.00
दिल्ली	6.50	6.50	7.00
		साधारण नमक	
बम्बई	—	—	—
मद्रास	0.70	0.60	1.25
लखनऊ	—	—	—
कलकत्ता	1.00	1.00	1 40
दिल्ली	2.00	2.00	2.00
		लाल मिर्च (100 ग्राम)	
बम्बई	—	—	—
मद्रास	4.50	4.25	3.50
लखनऊ	—	—	—
कलकत्ता	6.00	5.00	5.00
दिल्ली	4.50	4.00	3.00

1	2	3	4
		चाय	
बम्बई	38.00	60.00	70.00
मद्रास	उ. न.	उ. न.	उ. न.
लखनऊ	38.00	58.00	60.00
कलकत्ता	40.00	55.00	50.00
दिल्ली	36.00	56.00	60.00
		गाह अन्न के मूल्य	
		मिट्टी का तेल	
बम्बई	2.10	2.17	2.66
मद्रास	0.26	2.23	2.95
लखनऊ	2.52	2.52	3.11
कलकत्ता	2.29	2.39	2.80
दिल्ली	2.25	2.25	2.76
		दियासलाई (प्रति डिबिया)	
बम्बई	0.30	0.30	0.35
मद्रास	0.25	0.30	0.30
लखनऊ	0.25	0.25	0.25
कलकत्ता	0.25	0.25	0.30
दिल्ली	0.25	0.30	0.25
		लॉग-बलास (प्रति मीटर)	
बम्बई	12.00	14.00	—
मद्रास	—	17.00	—
लखनऊ	—	—	—
कलकत्ता	9.35	9.35	—
दिल्ली	18.50	18.50	18.50
		कपड़े धोने का साबुन (प्रति कि०ग्रा०)	
बम्बई	9.00	8.00	4.00
मद्रास	10.00	10 00	10.00
लखनऊ	10.00	10.00	10.00
कलकत्ता			
दिल्ली	12.50	12.50	13.00

1	2	3	4
	सीमेंट प्रति बोरी 50 कि०ग्रा०		
बम्बई	98.00	90.00	90.00
मद्रास	47.82	71.00	उ. न.
लखनऊ	67.00	73.00	95.00
कलकत्ता	72.00	86.00	उ. न.
दिल्ली	49.15	उ. न.	उ. न.

——0——

स्रोत : अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय,
कृषि मन्त्रालय

उ. न. उल्लेख नहीं किया गया।

विवरण-2

वस्तु/केन्द्र	जन. 90	फर. 90	मार्च 90	अप्रैल 90	मई 90	जून 90
	5-1	2-2	2-3	6-4	4-5	1-6
1	2	3	4	5	6	7
चावल						
दिल्ली	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
बम्बई	5.00	—	5.00	5.00	5.00	5.00
कलकत्ता	2.82	2.82	2.82	—	—	—
मद्रास	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
गेहूं						
दिल्ली	3.00	3.00	3.00	3.00	2.80	2.80
बम्बई	4.00	—	4.00	4.00	4.00	4.00
मद्रास	4.00	4.00	4.00	3.80	3.80	4.00
लखनऊ	2.40	2.40	2.20	2.25	2.30	2.50
ज्वार						
दिल्ली	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
बम्बई	4.00	—	4.00	4.00	4.00	4.50

1	2	3	4	5	6	7
मद्रास	2.80	2.80	2.80	2.70	2.70	2.70
लखनऊ	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.20
बाजरा						
दिल्ली	2.75	2.75	2.50	2.75	2.75	2.75
बम्बई	3.70	—	3.70	3.70	3.50	3.50
मद्रास	2.80	2.70	2.70	2.70	2.80	2.80
लखनऊ	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
चना						
दिल्ली	9.25	8.75	85.0	9.00	9.25	9.00
बम्बई	12.00	—	12.00	12.00	11.00	11.00
मद्रास	9.50	10.00	10.00	10.50	10.50	10.00
लखनऊ	8.00	8.00	8·00	8.00	7.508	8.00
अरहर						
दिल्ली	9.25	9.00	9.50	11.00	11.00	11.00
बम्बई	12.00	—	12.00	11.00	12.00	12.00
मद्रास	10.50	11.00	12.00	12.00	13.00	12.00
लखनऊ	10.50	10.50	10.00	11.00	12.00	11.50

1	2	3	4	5	6	7
मूंग						
दिल्ली	11.00	11.00	11.25	12.00	12.00	12.00
बम्बई	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
मद्रास	11.00	11.50	11.50	11.50	11.00	11.50
लखनऊ	12.00	11.50	12.00	12.00	12.00	13.00
जयपुर						
दिल्ली	10.00	9.50	11.25	10.00	10.00	10.00
बम्बई	11.00	11.00	13.00	10.09	11.00	11.00
मद्रास	11.00	11.00	11.50	10 00	10.50	10.50
लखनऊ	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
उड़द						
दिल्ली	11.50	11.25	11.25	12.00	12.00	12.00
बम्बई	13.00	13.50	13.00	13.00	13.00	13.00
मद्रास	10.50	11.00	11.00	11.50	11.00	11.00
लखनऊ	10.50	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00
आलू						
दिल्ली	2.00	1.50	2.00	2.50	2.50	4.00
बम्बई	3.00	3.00	3.50	3.00	4.00	4.00

1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	2.50	2.50	2.50	2.00	3.00	3.00
लखनऊ	1.50	1.25	1.25	1.50	2.00	2.50
प्याज						
दिल्ली	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	3.00
बम्बई	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00	2.00
मद्रास	2.50	2.00	1.50	1.75	1.50	2.00
लखनऊ	2.50	2.00	2.00	2.00	2.50	2.00
दूध (गाय का)						
दिल्ली	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.75
मद्रास	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
लखनऊ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
मछली						
दिल्ली	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
मद्रास	30.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
लखनऊ	26.00	27.00	29.00	25.00	24.00	24.00
घी						
दिल्ली	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
बम्बई	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	40.00	40.00	40.00	45.00	44.00	44.00
मद्रास	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
मिट्टी का तेल						
दिल्ली	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2·25
बम्बई	2.17	2.17	2.17	—	2.17	2.17
मद्रास	2.28	2.28	2.28	—	—	2.40
कलकत्ता	2.27	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
आटा						
लखनऊ	3.20	3.20	3.20	3.20	3.00	3.20
दिल्ली	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.40
कलकत्ता	3.70	3.70	3.80	3.80	—	3.50
बम्बई	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
लाल मिर्च सूखी (100 ग्राम)						
दिल्ली	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
बम्बई	6.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
कलकत्ता	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.50
मद्रास	4.25	4.00	3.50	3.50	3.50	3.50

1	2	3	4	5	6	7
चीनी						
दिल्ली	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
बम्बई	8.40	8.80	8.70	9.00	8.50	—
कलकत्ता	8.50	9.00	9.00	9.50	9.40	9.30
मद्रास	8.00	8.00	8.40	8.40	7.70	8.20
गुड़						
दिल्ली	5.75	6.00	5.50	5.50	6.00	6.00
कलकत्ता	5.70	5.50	5·50	6.00	5.50	6.50
मद्रास	6.00	6.00	6.00	6.50	6.50	6.75
नक्सलद	4.50	5.00	4.50	4.50	5.00	5.00
नमक						
दिल्ली	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
बम्बई	2.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
कलकत्ता	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
मद्रास	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70
खाद्यतेल						
दिल्ली	25.00	26.00	27.00	30.00	29.50	30.00
बम्बई	28.00	28.00	29.00	30.00	32.00	33.00

1	2	3	4	5	6	7
लखनऊ	28.00	28.00	30.00	29.00	32.00	32.00
मूंगफली का तेल						
दिल्ली	30.00	30.00	30.00	32.00	32.00	32.00
बम्बई	24.00	26.00	27.00	29.00	29.00	30.00
मद्रास	25.00	27.00	25.00	27.00	26.00	31.00
हैदराबाद	23.00	23.00	25.40	6.40	27.00	29.00
सरसों का तेल						
दिल्ली	21.00	21.00	21.00	23..00	22.00	23.00
बम्बई	25.00	26.00	26.00	26.00	27.00	27.00
कलकत्ता	23.00	23.00	23.00	24.00	25.00	24.00
मद्रास	26.00	26.00	27.00	28.00	28.00	29.00
नारियल का तेल						
दिल्ली	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
बम्बई	33.00	34.00	34.00	38.00	38.00	38.00
कलकत्ता	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
मद्रास	30.00	30.00	31.00	31.00	30.00	30.00
बिन्जली का तेल						
दिल्ली	30.00	30.00	36.00	35.00	35.00	35.00

1	2	3	4	5	6	7
मद्रास	27.00	28.00	28.00	29.00	30.00	29.00
गांधीनगर	26.00	27.00	26.00	28.00	33.00	35.00
लखनऊ	22.00	22.00	28.00	32.00	--	—
खाद						
दिल्ली	56.00	56.00	58.00	60.00	60.00	60.00
बम्बई	62.00	65.00	65.00	67.00	70.00	70.00
कलकत्ता	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
लखनऊ	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00
कपड़ धोने का साबुन						
दिल्ली	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
गांधीनगर	12.00	—	—	12,00	12.00	12.00
लखनऊ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
दियासलाइयां (ब० प्रति डिब्बियां)						
दिल्ली	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25
बम्बई	0.30	0.30	0.30	—	0.30	0.30
कलकत्ता	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25
लखनऊ	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मन्त्रालय

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

वस्तु/केन्द्र	जुलाई 90	अगस्त 90	सितंबर 90	अक्टूबर 90	नवंबर 90
	6.7	3.8	7.9	5.10	2.11
8	9	10	11	12	13
चावल					
दिल्ली	4.25	4.50	4.50	—	5.00
बम्बई	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
कलकत्ता	3.31	3.31	3.31	—	3.31
मद्रास	4.80	5.00	5.00	5.00	5.00
गेहूं					
दिल्ली	2.80	2.80	2.85	3.00	3.00
बम्बई	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
मद्रास	3.50	3.50	3.60	3.60	3.60
लखनऊ	2.50	2.60	2.80	2.80	3.25
ज्वार					
दिल्ली	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
बम्बई	4.50	4:50	—	4.50	4.50
मद्रास	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
लखनऊ	2.50	2.60	2.60	2.60	2.50

8	9	10	11	12	13
बाजरा					
दिल्ली	3.00	3.25	3.25	3.50	3.50
बम्बई	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00
मद्रास	2.80	2.80	2.80	2.70	2.70
लखनऊ	2.40	—	2·50	2.50	2.40
चना					
दिल्ली	9.00	10.00	10.00	10.00	10 00
बम्बई	11.00	11.00	12.00	13.00	12.00
मद्रास	9.00	10 50	10.50	10.50	10.50
लखनऊ	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
अरहर					
दिल्ली	12.00	13.00	13.00	14.00	15.50
बम्बई	14.00	14.00	14.00	16.00	18.00
मद्रास	13 00	13.50	13.50	14.50	14.50
लखनऊ	13.00	13.00	13.00	14.50	18.00
मूंग					
दिल्ली	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
बम्बई	13.00	13.0 0	13.00	—	12.00

8	9	10	11	12	13
मद्रास	10.00	10.50	10.00	10.50	10.00
लखनऊ	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00
मसूर					
दिल्ली	10.00	10.50	10.00	10.00	10.50
बम्बई	11.00	11.00	11.00	13.00	12.00
मद्रास	10.50	10.50	9 60	10.00	10.00
लखनऊ	10.00	9.50	10.00	9.00	11.00
उड़द					
दिल्ली	12.00	12.50	12.00	12.00	13.00
बम्बई	13.00	13.00	13.00	11.00	14.00
मद्रास	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
लखनऊ	13.00	13.00	13.50	13.50	13.50
आलू					
दिल्ली	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
बम्बई	4.00	4.50	4.00	4.00	4.00
मद्रास	3.50	4.00	3.50	—	3.50
लखनऊ	2.50	2.50	2.75	2.00	2.50

8	9	10	11	12	13
प्याज					
दिल्ली	4.00	4.00	4.00	6.00	7.00
बम्बई	2.50	3.00	4.00	5.00	4.00
मद्रास	3.00	3.00	3.00	4.75	3.50
लखनऊ	3.00	4.00	4.00	5.50	8.00
दूध (गाय का)					
दिल्ली	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
मद्रास	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
लखनऊ	6.00	—	6.00	—	6.00
मक्खन					
दिल्ली	35.00	35.00	36.00	36.00	36.00
मद्रास	32.00	32.00	32.00	25.00	25.00
लखनऊ	24.00	—	22.00	—	26.00
मांस					
दिल्ली	40.00	40.00	40.00	40.00	42.00
बम्बई	42.00	40 00	44.00	44.00	46.00
लखनऊ	44.00	—	40.00	—	44.00
मद्रास	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00

8	9	10	11	12	13
मिट्टी का तेल					
दिल्ली	2.25	2.25	2.25	2.76	2.76
बम्बई	2.17	2.17	2.17	2.17	2.66
मद्रास	2.40	—	2.40	—	2.95
कलकत्ता	2.29	2.29	2.29	2.40	2.80
आटा					
लखनऊ	3.25	3.50	3.50	3.25	3.75
दिल्ली	3.25	3.50	3.50	3.50	3.60
कलकत्ता	3.50	—	3.70	—	3.70
मद्रास	4.50	4.20	4.20	4.20	4.20
लाल मिर्च सूखी (100 ग्राम)					
दिल्ली	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
बम्बई	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
कलकत्ता	5.50	5.00	5.00	—	5.00
मद्रास	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
चीनी					
दिल्ली	9.00	9.00	9.00	9.00	9.25
बम्बई	8.60	8.60	9.00	9.00	8.80

8	9	10	11	12	13
कलकत्ता	9.00	9.00	9.20	—	9.50
मद्रास	8.00	8.20	8.40	8.10	8.10
घृत					
दिल्ली	6.50	7.00	7.00	7.50	7.50
कलकत्ता	7.50	7.50	7.50	—	7.50
मद्रास	7.00	6.50	7.00	7.00	7.00
लखनऊ	5.50	5.75	—	6.50	6.75
नमक					
दिल्ली	—	—	2.00	2.00	2.00
बम्बई	2.00	2.00	—	2.00	2.00
कलकत्ता	1.00	1.00	1.00	—	1.40
मद्रास	0.70	0.70	1.00	1.00	1.95
वनस्पति					
दिल्ली	32.50	36.00	35.00	38.00	36.00
बम्बई	35.00	40.00	40.00	39.00	41.00
लखनऊ	34.00	38.00	39.00	38.00	42.00
मूंगफली का तेल					
दिल्ली	36.00	36.00	38.00	38.00	37.00

8	9	10	11	12	13
बम्बई	32.00	34.00	35.00	35.00	35.00
मद्रास	31.00	34.00	32.00	35.00	33.00
हैदराबाद	30.50	31.50	32.40	32.80	32.40
सरसों का तेल					
दिल्ली	28 00	29.00	28.00	—	30.00
बम्बई	28.00	32.00	34.00	33.00	33.00
कलकत्ता	29.00	30.00	30 00	—	34 00
मद्रास	31.00	33.00	34.00	36.00	38.00
नारियल का तेल					
दिल्ली	40.00	40.00	40.00	45.00	46.00
बम्बई	38.00	37.00	38.00	38.00	39.00
कलकत्ता	44.00	45.00	45.00	—	48.00
मद्रास	33.00	33.00	36.00	38.00	39.00
बिनौली का तेल					
दिल्ली	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
मद्रास	28.00	29.00	27.00	26.00	27.00
गांधीनगर	35.00	35.00	35.00	38.00	35.00
लखनऊ	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

8	9	10	11	12	13
चाय					
दिल्ली	60.00	62 00	60.00	60.00	64.00
बम्बई	70.00	—	70.00	70.00	—
कलकत्ता	55.00	50.00	—	50.00	—
लखनऊ	60 00	60.00	60.00	6.000	65.00
कपड़ा धोने का साबुन					
दिल्ली	12.00	12.50	12.50	12.50	13.00
गांधीनगर	—	12.00	12.00	12.00	12.00
लखनऊ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
दियासलाई (प्रति डिब्बा)					
दिल्ली	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
बम्बई	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
कलकत्ता	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30
लखनऊ	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मन्त्रालय

विवरण-3

I चावल गेहूं और चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

चावल (रु० प्रति क्विंटल)

निम्नांकित तारीख से	कामन	फाइन	सुपरफाइन
01-10-87	239.0	264.0	274.0
25-01-89	244.0	304.0	325.0
25-06-90	289.0	349.0	370.0

गेहूं (रु० प्रति क्विंटल)

निम्नांकित तारीख से	
01.05-87	195.0
25-03-88	204.0
01-5-90	234.0

चीनी (रु० प्रति कि० ग्रा०)

निम्नांकित तारीख से	
15-12-86	4.85
01-01-88	5.10
01-01-89	5.25

II पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण केन्द्रों से मूल्य

	मिट्टी का तेल घरेलू उपयोग के लिए	डीजल	(रु०/किलो लीटर) घरेलू उपयोग के लिए एल पी जी
1989 से मार्च 1990 तक	1956.93	3095.55	3448.98
20-03.90 से	1956.93	3633.53	3448.98
15-10-90 से	2446.16	4541.91	3448.98

स्रोत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग

ज्वाइंट प्लांट कमेटी द्वारा नियत स्टैंडर्ड/परीक्षित लोहा और इस्पात के मूल्य (रेल शीर्ष स्टेशन के लिए) दर्शाने वाला विवरण

(रु० प्रति मीटर)

श्रेणी		12-1-88	8-1-89	1-3-89	2-6-89	19-9-90
1	2	3	4	5	6	7
1. प्लेटें						
(1)	5 मी० मी०	7750	8525	8735	8880	9435
(2)	5 से ऊपर 10 मी० मी० तक	7750	8400	8630	8775	9325
(3)	10 मी० मी० से ऊपर	8320	9070	9300	9445	10030

1 2	3	4	5	6	7
2. स्ट्रक्चरल्स					
(1) ज्वायस्ट्स	7110	7410	7555	7660	8155
(2) चैनल्स	6910	7210	7355	7460	7945
(3) अबटमेन्ट ऐंसल्स एंड जेड सेक्शन्स (जेड पाइलिंग सहित)	7810	8110	8255	8360	8890
(4) अन्य	6610	6910	7055	7160	7630
3. सेक्शंस					
(1) ब्यूम्स	4710	5010	5155	5260	5635
(2) स्लैब्स	4910	6210	5355	5460	5845
(3) बिलेट्स, आर सी स्क्वेयर्स, कंटीन्युअसली कास्ट बिलेट्स	5110	5410	5555	5660	6055
4. कायल्स/स्लेट लेंथ में बार व रोड					
(1) 5.5 से 12 मी० मी०	6060	6360	6505	6610	7055
(2) 12 से अधिक 36 मी० मी० तक	5810	6110	6255	6360	6790
(3) 36 मी० मी० से ऊपर	5860	6160	6305	6410	6845
5. प्लेट्स					
(1) 5 मी० मी० व कम मोटे	6125	6425	6635	6740	7190
(2) 5 मी० मी० से अधिक मोटे	6225	6450	6595	6700	7260

1	2	3	4	5	6	7
	6. जी पी शीट्स/कावस्त					
	(1) 16-20 जी० 1.6 से 1.0 मी मी मोटी	9150	9850	10130	10275	10900
	(2) 20 जी० से पतली (1.0 मी मी) से 24 जी (0.93 मी मी)	9570	10270	10550	10695	11340
	(3) 26 जी० (0.5 मी मी)	9650	10350	10630	10775	11425
	(4) 28 जी०/30 जी० (0.4/0.3 मी० मी०)	9810	10510	10790	10935	11595
	7. जी सी शीट्स/कावस्त					
	(1) 16-20 जी० (1.6 से 1.0 मी० मी० मोटी)	9200	9900	10190	10325	10955
	(2) 20 जा० से पतला (1.0 मी० मी० से 24 जी० (0.63 मी० मी०)	9620	10320	10600	10745	11395
	(3) 26 जी० (0.5 मी० मी०)	9700	10400	10680	10825	11480
	(4) 28 जी०/30 (0 4 मी० मी/ 0.3 मी० मी०)	9860	10560	10840	10985	11645

1	2	3	4	5	6	7
	8. एच० आर० कायल्ल/स्केल्स/शीट्स					
	(क) स्केल्स					
	(1) 3.15 मी मी और अन्य मोटे	7405	8325	8535	8680	9225
	(2) 3.15 मी मी से ऊपर	7245	8165	8375	8520	9060
	(ख) एस० आर० कायल्ल					
	(1) 3.15 मी मी व कम	7665	8785	8995	9110	9710
	(2) 3.15 से ऊपर 5 मी मी से कम मोटे	7535	8655	8865	9010	9575
	(3) 5 मी मी मोटा	7700	8765	8975	9120	9690
	(4) 5 मी मी से ऊपर 10 मी मी तक मोटे	7700	8620	8765	8910	9580
	(ग) बार आर शीट्स					
	(1) 14 जी (2 मी मी) तथा मोटे	7965	9085	9295	9440	10025
	(2) 16 जी से 20 जी (1.6 से 1.0 मी मी) मोटा	8065	9185	9395	9540	10130
	(3) 20 जी (1.0 मी मी) से पतला	8565	9685	9895	10040	10655
	9. सी आर कायल्ल					
	(1) 14 जी (2 मी मी) और मोटा	8860	9830	10025	10170	10790
	(2) 20 जी (1.0 मी मी) से नीचे 14 जी (2 मी मी) मोटा	9070	10040	10235	10380	11010

1	2	3	4	5	6	7
	(3) 20 जी (1.0 मी मी) मोटाई से कम मोटा	9400	10370	10565	10710	11300
10.	सी वाइर शीट्स					
	(1) 14 जी (2 मी मी तथा मोटा)	8939	9990	10185	10330	10960
	(2) 20 जी (1.0 मी मी) से नीचे 14 जी (2 मी मी) मोटे	9140	10200	10395	10540	11180
	(3) 20 जी (1.0 मी मी) से कम मोटे	9470	10530	10725	10870	11525
11.	ढलवा लोहा					
	एल एम ग्रेड-4	3200	3600	3730	3870	4260

नोट : 1-4-88 व 8-1-89 के बीच में कुछ श्रेणियों के बारे में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :—

(1) संतुलननकारी आयात पूल निधि (बी आई पी एफ) के लिए 13-10-88 से एच आर कायल्स/शीट्स तथा स्केल्स पर 270 रु० प्रति मी० टन तथा 22-12-88 से ढलवा लोहे पर 200 रु० प्रति मी० टन लेवी लगाई गई ।

(2) निम्नलिखित मदों के सामने प्रदर्शित उत्पादन शुल्क लेवी 2-11-88 से लगाई गई :—

(क) प्लेट्स (5 मी मी से ऊपर)	25
(ख) प्लेट्स (5 मी मी) मोटा	125
(ग) एच आर कायल्स 5 मी मी) मोटा	145

रूई की गांठों का निर्यात

1090. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट
श्री जी० एस० वासवराज
श्री पी० सी० थामस } क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई सलाहकार बोर्ड ने अक्तूबर में निर्णय किया है कि रूई का निर्यात और बढ़ाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान रूई की कितनी गांठों का निर्यात किया और चालू वर्ष में कितनी गांठों का निर्यात किए जाने की सम्भावना है;

(घ) निर्यात का कपास उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या सरकार ने रूई के धागे के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रूई वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान क्रमश: 0.77 लाख गांठ 13.72 लाख गांठ का निर्यात किया गया । चालू रूई मौसम के दौरान सरकार ने अभी तक रूई की 11.55 लाख गांठों के निर्यात के कोटे रिलीज किए हैं ।

(घ) रूई उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें प्रदान की जाती हैं ।

(ङ) जी हां, सरकार उच्चतम सीमा के भीतर सूती यार्न के निर्यात की अनुमति प्रदान करती है ताकि घरेलू विकेन्द्रीकृत विद्युतकरण और हथकरघा क्षेत्रों में उचित कीमतों पर पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ।

पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा योजना का कार्यान्वयन

1091. **श्री श्रीकांत वत्स नरसिंहराव वाडियर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यावरण सम्बन्धी कोई शिक्षा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की जा रही है,

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नागेश गोवर्धन) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पर्यावरण अनुस्थापना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1988-89 से आरम्भ की गई थी।

(ख) प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) आठवीं योजना में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित परिव्यय की राशि 60.00 करोड़ रुपये है।

(घ) इस योजना का लक्ष्य स्थानीय पर्यावरण सम्बन्धी परिस्थितियों के साथ स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों के एकीकरण को प्रोत्साहित करना है।

विवरण

स्कूली शिक्षा के लिए पर्यावरण अनुस्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम

1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरूणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश
8.	कर्नाटक
9.	केरल
10.	मध्य प्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	मिजोरम
13.	उड़ीसा
14.	राजस्थान
15.	तमिलनाडु
16.	त्रिपुरा
17.	उत्तर प्रदेश
18.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
19.	दिल्ली
20.	पांडिचेरी

महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

1092. श्री हरिशंकर बहाले : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के स्कूलों में स्कूल भवन और अध्यापक पर्याप्त संख्या में विद्यमान हैं;

(ख) क्या सरकार को मनमाड (नासिक) के केन्द्रीय विद्यालय भवन के निर्माण हेतु स्थानीय जनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों में भवनों और अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री रामंगल पांडे) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के नागरिक और रक्षा क्षेत्रों के अन्तर्गत 45 नवोदय विद्यालय है जिनमें से 25 नवोदय विद्यालयों के पास स्थायी भवन हैं और 13 भवन निर्माणाधीन हैं। महाराष्ट्र में संस्वीकृत शिक्षकों की संख्या 2152 है और 1905 कार्यरत हैं। जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने स्वयं के भवन का निर्माण नहीं करवा लेता तब तक प्रायोज्य एजेन्सियों द्वारा अस्थायी भवन प्रदत्त किए जाते हैं। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए तदर्थ नियुक्तियों, एक केन्द्रीय विद्यालय से दूसरे में प्रतिनियुक्ति अथवा स्कूलों के बीच साझा शिक्षकों के प्रबन्ध किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में मनमाड़ (नासिक) के स्थानीय लोगों से वहां केन्द्रीय विद्यालय भवन के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

घटिया स्तर की दवाओं पर प्रतिबन्ध लगाना

[अनुवाद]

1093. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1990 के "मध्य प्रदेश क्रोनिकल" में टवंटी-सिक्स सबस्टैंडर्ड मेडिसन हेव बिन बैंड शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है और क्या सरकार का इन प्रतिबन्धित आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ औषधों को घटिया घोषित किया है और इस बारे में उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित की है। जब कोई औषध परीक्षण करने पर घटिया पाई जाती है तो राज्य औषध नियंत्रक द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उस औषध को बाजार से

वापस लेने, मान्यता को निलम्बित करने/उसे रद्द करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

किसी औषध/प्रसाधन सामग्री के हानिकारक अथवा अनुचितसंगत पाए जाने पर जनहित में उस औषध/प्रसाधन सामग्री की बिक्री के लिए निर्माता को रोकने हेतु केवल केन्द्रीय सरकार को शक्तियां हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नेत्रहीन उम्मीदवारों की लैक्चरर के रूप में नियुक्ति

[हिन्दी]

1094. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 20 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1771 के उत्तर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में नेत्रहीन उम्मीदवारों की लैक्चरर के रूप में नियुक्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि कालेजों से प्राप्त सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान राजनीति विज्ञान में किसी भी नेत्रहीन उम्मीदवार को लेक्चरर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि 1989-90 के दौरान श्री राम मुतुर सिंह, एक नेत्रहीन उम्मीदवार की राजनीति विज्ञान विभाग ने भिन्न-भिन्न पांच कालेजों में साक्षात्कार के लिए सिफारिश की थी परन्तु चयन समिति ने उन्हें इसके योग्य नहीं पाया।

महाराष्ट्र में विद्यालय

1095. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों सहित कुल कितने विद्यालय हैं; और

(ख) इन विद्यालयों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1988 को महाराष्ट्र में स्कूलों की कुल संख्या तथा इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: 65,421 और 1,54,85,000 है।

साधारण बीमा निगम में प्रशिक्षण के लिए छात्रों का चयन

1096. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम में प्रशिक्षण के लिए महानगरों से विद्यालय-वार छात्रों का चयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विद्यालय-वार और नगर-वार कितने छात्रों का चयन किया गया है;

(ग) क्या आवश्यक प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोवर्धन) : (क) से (घ) वर्ष 1988-89 में दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता और चण्डीगढ़ में स्थित 16 स्कूलों में +2 स्तर पर सामान्य बीमा में व्यावसायिकरण का पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। स्कूलों का चयन सामान्य बीमा निगम द्वारा सी० बी० एस० ई० से परामर्श करते हुए किया गया था। सम्बद्ध विद्यालय या शिक्षा निदेशालय इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उस क्षेत्र के सुपात्र विद्यालयों से दाखिले के लिए आवेदन आमन्त्रित करता है। तदुपरांत इस पाठ्यक्रम को वर्ष 1989-90 के दौरान मुम्बई के दो और स्कूलों में शुरू किया गया।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के मुताबिक वर्ष 1990 की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के नगर वार और स्कूलवार नामांकन नीचे दिए गए हैं।

क्रम सं०	विद्यालय का नाम	नामांकन
1	2	3
	मद्रास	
1.	केन्द्रीय विद्यालय आई० आई० टी०, मद्रास-600036	08
2.	पी० एस० वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 15, अलारमल मोंगापुरम, मेलापोर, मद्रास-600004	27
3.	पद्मा शेषाद्रि बाल भवन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 7, लेक फर्स्ट मेन रोड, मद्रास-500035	39
4.	एस० बी० डी० ए० स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय अम्मा नगर, वेस्टर्न एक्सटेंशन मद्रास-600011	32

1	2	3
5.	विजयन्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एच० वी० एफ० इस्टेट, आवडी मद्रास-600054	27
	चण्डीगढ़	
6.	राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 18, चडीगढ़	35
7.	राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर 37, चण्डीगढ़	39
8.	केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर 31, चन्डीगढ़-160031	17
	कलकत्ता	
9.	केन्द्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कलकत्ता-21	11
	दिल्ली	
10.	राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गुलाबी बाग, दिल्ली	35
11.	राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नम्बर 2 किदवई नगर नई दिल्ली	32
12.	राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बी-ब्लाक जनकपुरी नई दिल्ली	39
13.	राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चन्दर नगर, दिल्ली	28

1	2	3
14.	राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुतुब रोड, दिल्ली	35
15.	बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगा राम हॉस्पिटल मार्ग, नई दिल्ली	16
	मुम्बई	
16.	के० एम० एस० शीरोदकर हाई स्कूल 142/49, डॉ० बर्गिस रोड पारेल, मुम्बई-400012	21
17.	भारतीय शिक्षा समाज हिन्दू कालोनी, दादर, मुम्बई-400014	पहली परीक्षा वर्ष 1991 में होगी।
18.	सेठ डी० जी० टी० हाई स्कूल कनिष्ठ वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय, वी० पी० रोड, गिरगांव मुम्बई	—वही—

वर्ष 1990 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा अपेक्षित स्तर प्राप्त कर लेने वाले विद्यार्थियों को अक्तूबर, 1990 से जी० आई० सी० द्वारा प्रशिक्षण प्रशिक्षुता पर लगाया गया है।

दिल्ली नगर निगम में शिक्षकों के रिक्त पद

1097. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों के कई पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे रिक्त पदों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (ङ) वर्ष 1990-91 के सत्र में दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में श्रेणीवार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा निम्नवत है ।

दिल्ली नगर निगम

	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	सामान्य श्रेणी	अनु० जाति/अनु जनजाति
1.	प्रधानाध्यापक	50	42	8
2.	सहायक अध्यापक	620	500	120
3.	नर्सरी अध्यापक	25	20	5

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के सभी श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है । जिससे वर्तमान रिक्तियों को भरने के लिए यथाशीघ्र शिक्षकों की भर्ती करने का अनुरोध किया गया है ।

नई दिल्ली नगर पालिका

	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति
1	2	3	4	5
1.	प्रधानाचार्य	1	1	1
2.	उपप्रधानाचार्य	4	3	41
3.	स्नातकोत्तर अध्यापक	8	4	4

1	2	3	4	5
4.	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	48	73	15
5.	घरेलू वरिष्ठ शिक्षक	32	1	2
6.	ड्राइंग अध्यापक	2	2	—
7.	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	1	1	—
8.	संगीत शिक्षक	1	1	—
9.	सहायक अध्यापक	1	—	1

स्कूलों के मामले में पद निर्धारण नवम्बर, 1990 में संस्वीकृत हुआ। कुछ श्रेणी के पदों को भर लिया गया है और शेष पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उम्मीदवारों के चयन के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तिथियां तय कर दी गई हैं।

पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र आदि के कारण समय-समय पर शिक्षकों की रिक्तियां होती रहती है और खाली पदों को भरने के लिए हमेशा प्रयास चल से रहते हैं।

स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने सम्बन्धी समिति

[अनुवाद]

1098. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुंगी समाप्त करने की स्थिति में स्थानीय निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के मामले की जांच कर रही समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में राज्यों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में पालन के लिए राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) सभी राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि वह चुंगी समाप्त करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति, स्थानीय निकायों को कोई अन्य वैकल्पिक आय स्रोत उपलब्ध करने के लिये उन्हें अनुमति नहीं देती।

(ख) और (ग) चुंगी लगाना अथवा समाप्त करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। अतः इस बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का केन्द्र सरकार का कोई विचार नहीं है।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों की सदस्यता का सत्यापन

1099. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री 5 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4547 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या सहकारी सामूहिक आवास समितियों की सदस्यता का सत्यापन करने के बारे में अपेक्षित जानकारी अब मंगा ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जावेगी।

दिल्ली और नोएडा में मच्छरों का प्रकोप

1100. **श्री कमल चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नोएडा और दिल्ली में मच्छरों और मक्खियों के प्रकोप में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मच्छरों और मक्खियों के प्रकोप को रोकने तथा इनका उन्मूलन करने के लिए उठाये गये कदम प्रभावशाली और पर्याप्त साबित हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली और नोएडा में मच्छरों और मक्खियों का प्रकोप मुख्य रूप से खुली नालियों और उनकी ठीक से सफाई न होने के कारण बढ़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां। दिल्ली और नोएडा में मच्छर और मक्खियों का बढ़ जाना एक मौसमी घटना है जिसके पर्यावरण और जलवायु सम्बन्धी कारण हैं।

(ख) मच्छर और मक्खियों के खतरों को रोकने के लिए स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं। दिल्ली में अनेक एजेंसियों जैसे दिल्ली नगर निगम, रेलवे, रक्षा और अन्य स्वायत्त संगठन हैं जो कि रसायन पदार्थ डालकर, लार्वीभक्षी मछली के प्रयोग से, नालियों की छटाई और सफाई, गड्ढों का भराव और पानी की ढलान को ठीक करना आदि मिले-जुले तरीकों से मच्छरों की संख्या को कम करती है।

नोएडा में इसी प्रकार की कार्रवाई नोएडा काम्प्लेक्स के प्रशासन द्वारा की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मच्छरों और मक्खियों की विभिन्न प्रजातियों प्रजनन के लिए विभिन्न वास स्थलों पर बैठती हैं। जहां मच्छर विभिन्न किस्मों के रुके पानी पर, जिसमें नालियां और रुका पानी शामिल है, पनपते हैं, वहीं मक्खियां आर्गेनिक पदार्थों की कुछ मात्रा के साथ कूड़े-कचरे में पनपती हैं।

स्थानीय निकाय मच्छर के पनपने के स्रोतों को समाप्त करने के लिए नालियों में से खरपतवार और गाद निकालने, गड्ढों को भरने आदि जैसे उपाय करते हैं।

मंत्रियों के बंगलों पर किया गया व्यय

1101. **डा० ए० के० पटेल**
श्री शंकर सिंह वघेला
डा० बंगारू लक्ष्मण : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मन्त्री के आवास के रख-रखाव और साज-सज्जा नवम्बर, 1989 से निर्धारित सीमा से अधिक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निर्धारित सीमा से अधिक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति किस प्रकार की गई ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मन्त्रियों के निवास में कोई सजावट का कार्य नहीं किया जाता। मरम्मत तथा रखरखाव

पर होने वाला व्यय भवन की अवस्था तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है। अतः, इस संबंध में एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) में घाटा

1102. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध के अधीन चल रही कपड़ा मिलों को होने वाले घाटे में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले नौ महीने के दौरान ऐसी प्रत्येक मिल को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुब्बदेव नारायण यादव) : (क) जी हां।

(ख) एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) के अधीन मिलों को हुए मिल वार अनन्तिम घाटों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०), कलकत्ता के अधीन वस्त्र मिलों को हुए घाटों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मिलों का नाम	शुद्ध घाटा (जनवरी 1990 से सितम्बर 1990) (लाख रु० में) अनन्तिम
1	2	3
1.	बंगाल टेक्सटाईल मिल्स	73.20
2.	लक्ष्मी नारायणन	123.48
3.	आरती मिल	69.62
4.	बंगाल फाईन नं :—II	45.13
5.	कानोरिया मिल	48.17
6.	सौदपुर मिल	62.31
7.	ऐसोसिएटेड मिल	41.58
8.	बिहार को-ओपरेटिव	71.98
9.	उड़ीसा टेक्सटाइल मिल	52.18
10	केन्द्रीय काटन मिल	341.78
11	बंगाल फाईन नं०-I	93.63
12.	बंगाल लक्ष्मी	254.86

1	2	3
13.	महालक्ष्मी	250.98
14.	रामपुरिया टेक्सटाइल मिल	220.13
15.	बंगासारी मिल	117 26
16.	ज्योति मिल	106.70
17.	गया काटन मिल	125.36
18.	मनिन्दरा मिल	90.28
		2188.63

प्लास्टिक की बोतलों में पानी के इस्तेमाल का प्रभाव

1103. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
श्री शांताराम पोटदुखे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे में पानी और अन्य पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल के हानिकारक प्रभाव के बारे में हाल ही में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पानी और अन्य पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दलई चौधरी) : (क) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ने जल और अन्य तरल पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करने के हानिकारक प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) से (घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार में हड़ताल

1104. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री यशवंतराव पाटिल
श्री जनार्दन तिवारी
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा
श्री बी० कृष्ण राव
श्री छेदी पासवान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार दिल्ली के कर्मचारी नवम्बर-दिसम्बर, 1990 के दौरान हड़ताल पर रहे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पड़ताल के कारण सरकार को कुल कितना वित्तीय घाटा हुआ;

(घ) सुपर बाजार के कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) सुपर बाजार दिल्ली के कर्मचारी 23-11-1990 से 11-12-1990 तक पड़ताल पर थे।

(ख) सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने सितम्बर, 1990 में एक दीर्घकालिक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने तथा औद्योगिक शान्ति बनाए रखने की शर्त पर कुछ लाभ देने की पेशकश करते हुए कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयास किया था, परन्तु कर्मचारी संघ ने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया और वे हड़ताल पर चले गए।

(ग) सरकार को कोई हानि नहीं हुई परन्तु इस भंडार को बिक्री की हानि हुई है।

(घ) कर्मचारियों की मुख्य मांगों में विशेष वेतन मंजूर करना जैसाकि फार्मेसिस्टों को दिया जाता है, सभी सरकारी राजपत्रित छुट्टियों को अपनाना, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभों व छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा देना आदि शामिल हैं।

(ङ) कर्मचारियों की मांगों पर सुपर बाजार के प्रबन्धों द्वारा विचार किया जा रहा है।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम की पुनरीक्षा

1105. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री काशीराम राणा
श्री बसवन्त मनवर } क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों से देश में बढ़ते हुये अवैध निर्माणों पर नियंत्रण लगाने में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री बीजेत राम सारण) : (क) से (ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 में समुचित संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

[हिन्दी]

1106 प्रो० यदुनाथ पाण्डेय
श्री मदन लाल खुराना
श्री तारीफ सिंह } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान नियमित की गयी अनधिकृत कालोनियों का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष, 1990-91 के दौरान कुछ और अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) इन कालोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) पूर्वी दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का ब्योरा क्या है, जहां पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ग) 30 जून, 1977 से पहले बनी अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण हेतु सरकार ने 1977 में आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 607 अनधिकृत कालोनियां इसमें शामिल थीं। अब तक इनमें से 553 कालोनियों नियमित की जा चुकी है। वर्ष 1988 से अन्य 3 कालोनियां 1989 में 2 तथा 1990 में 10 कालोनियों नियमित की गई थी। इनमें से 48 और कालोनियों के नियमितकरण के लिए उपराज्यपाल, दिल्ली ने दिल्ली नगर निगम को अपनी अनुमोदन को सूचना दी है। 1977 के पश्चात् कुछ और नई अनधिकृत कालोनियां बनी है किन्तु उनकी सही संख्या मालूम नहीं है क्योंकि कोई वास्तविक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इन कालोनियां के नियमितिकरण का प्रश्न केवल सर्वेक्षण करने तथा नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में पता लगाये जाने के पश्चात् ही उठेगा।

(घ) 1977 से पूर्व की कालोनियों के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान 1 करोड़ का अनुमोदित परिव्यय है।

(ङ) पूर्वी दिल्ली की 121 कालोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है जबकि पूर्वी दिल्ली की 113 कालोनियों में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था का कार्य विभिन्न चरणों में है।

दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा विलम्ब से उपस्थित होना

1107. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली/नयी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, विशेष रूप से जहांगीरपुरी के स्कूल में, शिक्षक कक्षाओं में समय पर नहीं पहुंचते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन को शिक्षकों के समय पर अपनी कक्षाओं में, विशेषकर जहांगीरपुरी के स्कूलों में, न जाने के विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। शिक्षकों की उपस्थिति और समयनिष्ठा पर नियंत्रण रखने के विचार से दिल्ली प्रशासन समय-समय पर निर्देश जारी करता है और इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अनेक अधिकारियों के जरिए आकस्मिक जांच भी करता है। इसलिए दिल्ली प्रशासन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है।

बिहार में व्यावसायिक शिक्षा के लिये धनराशि

1108. श्री तेज नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ करने, विज्ञानोन्मुख शिक्षा में प्रोत्साहन देने और एकीकृत विद्यालय खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) और (ख) व्यवसायिक शिक्षा :—

बिहार सरकार को वर्ष 1987-88 में 43 स्कूलों में 129 सैक्शनों में 12 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए 136.09 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। फरवरी, 1989 में, वर्ष 1988-89 के लिए 108 और स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्क्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि भारत सरकार द्वारा पहले ही संस्वीकृत धनराशि का राज्य सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, अत: भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए और धन संस्वीकृत कर पाना संभव न हो सका। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम के विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव में यथेष्ट संशोधन की आवश्यकता है इसलिए राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह योजना के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपने प्रस्ताव में संशोधन करें। संशोधित प्रस्ताव प्रतीक्षित है।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार :

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के तहत इस मंत्रालय ने बिहार सरकार को निम्नलिखित धनराशि संस्वीकृत की है :—

1988-89	रुपये 3,65,43,500
1989-90	रुपये 11,24,500

बिहार सरकार से वर्ष, 1989-90 के लिए 630.68 लाख रुपए की राशि का वित्तीय अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु धन की कमी के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

चालू वित्त वर्ष के दौरान उपलब्ध सीमित धनराशि और लम्बित प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए, इस मंत्रालय ने बिहार राज्य सरकार तथा अन्य कई राज्य सरकारों से पहले प्रस्तावों को रद्द करते हुए नए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। बिहार सरकार से अभी तक कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत इस मंत्रालय ने बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित धनराशि संस्वीकृत की :—

1987-88	रुपए 10,17,000/-
1988-89	रुपए 1,70, 343/-
1989-90	रुपए 2,61,900/-

वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार सरकार ने 30-09 लाख रुपए की राशि का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की जांच के बाद 7.68 लाख रुपए की राशि संस्वीकृति योग्य पाई गई जिसकी स्वीकृति बिहार सरकार को दी जा चुकी है।

बिहार में एक नया विश्वविद्यालय खोलना

1109. **श्री तेजनारायण सिंह**
श्री रामेश्वर प्रसाद } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य में, विशेष रूप से आदिवासी जिलों में एक नया विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को बिहार सरकार से राज्य में, विशेष रूप से आदिवासी जिलों में एक नया विश्वविद्यालय खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्थापित प्राधिकरणों के पास पड़े लंबित मामले

1110. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गठित विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लागू किए जाने के पश्चात् जिला और राज्य स्तरों पर मंचों के गठन के समय जनसंख्या और क्षेत्र को ध्यान में नहीं रखा गया है; और

(ग) सरकार द्वारा मंचों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निराकरण के लिये, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (हर एक जिले में) तथा एक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राज्य आयोग) स्थापित करने की स्थापित करने की व्यवस्था की गई है ।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में उपभोक्ता शिकायतों का त्वरन्त तथा कारगर प्रतितोष प्रदान करने की व्यवस्था पहले से ही है । उनके अनुसार यदि उपभोक्ता शिकायतों के बारे में परीक्षण/विश्लेषण अपेक्षित न हो तो जहां तक सम्भव हो उनका निवारण 90 दिनों की अवधि और यदि परीक्षण/विश्लेषण की आवश्यकता हो तो 150 दिनों की अवधि के भीतर करना अपेक्षित है ।

हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय

[अनुवाद]

1111. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के लिये कितने नवोदय विद्यालय मंजूर किये गये हैं; और

(ख) अब तक कितने नवोदय विद्यालय खोले गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, आठ ।

नई वनस्पति और चीनी मिलें

1112. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने वनस्पति और चीनी मिलें कार्य कर रही हैं; और

(ख) इस वर्ष के दौरान मंजूरी दी गई मिलों तथा स्थापित की गई मिलों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) उद्योग वार कार्यरत इकाइयां निम्न प्रकार हैं :—

वनस्पति	77
(नवम्बर, 1990 के दौरान)	
चीनी	378
(1989-90 अक्तूबर-सितम्बर)	
(चीनी मौसम के दौरान)	

(ख) इस वर्ष अर्थात् 1990 (जनवरी-नवम्बर) के दौरान वनस्पति और चीनी उद्योग की जिन इकाइयों को आशय-पत्र जारी किए गए उनका ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और 2 पर है।

विवरण-I

जनवरी से नवम्बर, 1990 के दौरान वनस्पति उद्योग की स्थापना के लिए मंजूर किए गए आशय पत्रों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं०	इकाई का नाम	स्थान	क्षमता (एम० टी० पी० ए०)
1	2	3	4
1.	उ०प्र० स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	फतेहपुर	15,000
2.	उ०प्र० स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन	गजरौला	15,000
3.	स्टेट इण्डस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र	चोंड पुणे	15,000
4.	मैसर्स हरियाणा स्टेट को० आप० सप्लाई एंड मार्किटिंग फेडरेशन लि०	सिरसा	15,000
5.	नागालैंड स्टेट को-आप० मार्किटिंग एण्ड कंज्यूमर फेडरेशन लि०	दीमापुर नागालैंड जिला कोहिमा	15,000

विवरण-2

जनवरी से नवम्बर 90 के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए मंजूर किए गए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंसों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं०	स्थान तथा जिले सहित फैक्ट्री का नाम	एस०/आई०/आई० एल०/ सी० आई० एल० की तारीख	दैनिक गन्ना पेराई क्षमता (टन)	क्षेत्र
1	2	3	4	5
	पंजाब			
1.	पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रिज कारपोरेशन लि०, (पी० ए० आई० सी०), एस० सी० ओ० सं० 315-316, सेक्टर-35बी, चण्डीगढ़-160 036 (मकेरियन, तह० दसुया, जि० होशियारपुर में स्थित)	23-2-90	2500	संयुक्त
2.	पंजाब एग्रो इण्डस्ट्रिज कारपोरेशन लि०, नजदीक लोपोके, जि० अमृतसर	9-10-90	2500	निजी
3.	पंजाब स्टेट फैड० आफ को० सुगर मिल्स लि० तह० दसुया, जिला होशियारपुर	26-10-90	2500	सहकारी
	महाराष्ट्र			
4.	श्रीमती सूर्याकान्त पाटिल जयवंत पाटिल एस०एस०के० लि०, प्रियदर्शनी, कैलाशनगर नांदेड-431 602 (हदसानी, तह० हदगांव, जिला नांदेड में स्थित)	21-3-90	1750	सहकारी
5.	श्री सुरेश ए० वारपुडकार नरसिंहा एस०एस०के० लि०, न्यू मोन्धा रोड, ता० व जि० परभानी, (लोहगांव, जिला प्रभानी में स्थित)	21-3-90	2500	सहकारी
6.	जय अम्बिका एस०एस०के० लि०, डा० कुन्दूर बाया नैगांव, तह० बिलोली, जि० नांदेड (सोमचाना, तह० बिलोली, जि० नांदेड में स्थित)	23-3-90	1750	,,

1	2	3	4	5
7.	जाठ टी० के० सेतकारी एस०एस०के० लि०, डा० तिपेहाली, ता० जाठ, जिला सांगली	26-3-99	2500	सहकारी
8.	श्री संत तुकाराम एस० एस० के० लि०, हिंजावाडी, ता० मुलशी, जिला पुणे	26-3-90	2500	,,
9.	इन्दिरा एस० एस० के० लि०, पुसेगांव ता० हिंगोली, जिला परभानी	28-3-90	1750	,,
10.	बालघाट, सेतकारी एस० एस० के० लि०, रघुकुल महात्मा फूले नगर, अहमदपुर, जिला लटूर-413 515 (उजाना, तह० अहमदपुर जिला लटूर में स्थित)	28-3-90	1750	,,
11.	पुष्पावती एस० एस० के० लि०, डा० पुसाद, जिला यवतमाल, (चिखाली, तह० पुसाद जिला यवतमाल में स्थित)	28-3-90	2500	,,
12.	इन्दिरा एस० एस० के० लि०, अकालकोट, शोलापुर-413 216 (मीराजागी, तह० अकालकोट, जि० शोलापुर में स्थित)	28-3-90	2500	,,
13.	घोदगंगा एस० एस० के० लि०, ता० सिरूर, जि० पुना (नहनेरी, तह० सिरूर, जि० पुना में स्थित)	12-4-90	2500	,,
14.	बहुराव चौवान एस० एस० के० लि० शिवाजी नगर, नांदेड (मुडखेड, तह० व जि० नांदेड	2-5-90	2500	,,
15.	श्री बागेश्वरी एस० एस० के० लि० परटुर जि० जलना (रोहिना/अम्बा, तह० परटुर जिला जलना में स्थित	30-5-90	2500	,,
	उत्तर प्रदेश			
16.	विनस शुगर मिल्स लि०, 78,बैंकस्ट्रीज मेरठ-250001 (मझावली (भारता) त० सिभोली, जिला मोरादाबाद में स्थित)	7-3-90	2500	संयुक्त

1	2	3	4	5
17.	श्री ककण राज नारंग, 5, डा० जी०, नारंग मार्ग, दिल्ली-110007 (सोहरगढ़, जिला सिद्धार्थ नगर)	10-4-90	,,	,,
18.	धामपुर शुगर मिल्स लि०, 13, सिविल लाइन्स, बरेली (रोजागांव, तह० राम स्नेही घाट, जि० बाराबंकी)	12-4-90	,,	,,
19.	बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, 5, लोअर रोवडन स्ट्रीट, कलकत्ता-700020 पश्चिमी बंगाल (रामगढ़, तह० मिसरीख जिला सीतापुर में स्थित)	12-4-90	,,	,,
20.	जगतजीत शुगर मिल्स कं० लि०, धनौरा, जिला मोरादाबाद	7-8-90	,,	,,
21	पंच फूड लि०, टिटावी, जिला मुजफ्फरनगर	7-8-90	,,	,,
22.	बिन-मेडीकेयर लि०, मलकपुर, जि० मेरठ	7-8-90	,,	,,
23.	मै० के०के० बजौरिया, अगोता, जि० बुलन्दशहर	7-8-90	,,	,,
24.	धामपुर शुगर मिल्स लि०, असमोली तह० सम्भल, जि० मुरादाबाद	26-10-90	,,	,,
25.	मैसर्स मुकेश जसनानी माडर्न मिल्क हाऊस, गदौरा, तह० निच्छलुअल, जि० महाराजगंज	26-10-90	,,	,,
	उड़ीसा			
26.	इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कोर० आफ उड़ीसा लि०, आई०पी०आई०सी०ओ०एल० हाऊस जनपथ, भुवनेश्वर-751007 (आनन्दपुर, जिला कंझार)	13-2-90	,,	,,
27.	इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कोर० आफ उड़ीसा लि०, तह० बौध, जि० फूलबानी	26-10-90	2500	संयुक्त
28.	इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कोर० आफ उड़ीसा लि०, तह० भजनगढ़, जि० गंजम	26-10-90	,,	,,

1	2	3	4	5
	कर्नाटक			
29.	बन्नारी अम्मान शुगरस लि०, डेगूर, जिला मैसूर	25-7-90	,,	,,
	पांडिचेरी			
30.	साऊस इस्टर्न शुगर एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रिज लि०, सेतूर गांव, तिरूनल्लौर कूमुने करईकल्ल ता० पांडिचेरी-609607	28-3-90	,,	,,
	गुजरात			
31.	श्री येदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, लेदुत सहकारी जिन, कोसम्बा, ता० संगरोल जिला सूरत-394120 (रोहिद, तह० हसौर जिला बडौच में स्थित)	19-1-90	,,	सहकारी
32.	श्री वालोदा प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, वीरपुर, ता० वालोद, जिला सूरत	20-2-90	,,	,,
33.	श्री दामनगंगा सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, डा० वापीवलसाड (सरौंदा तह० अमवेरगांव जिला वलसाड)	26-3-90	,,	,,
34.	श्री उकई विभाग असर ग्रस्त सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, मार्फत जिला पंचायत आफिस, दरियामहल सूरत-395003 (सरूसा, तह० सोंगाध, जि० सूरत)	28-3-90	,,	,,
	तमिलनाडु			
35.	तमिलनाडु को० शुगर फैडरेशन, 2, महाराजा सूर्य रोड अलवरपेट, मद्रास-18 (चिन्नासेलम तह० कल्लाकुरची सौरठ आरकोट में स्थित)	12-4-90	2500	,,
36.	टी० एन० को० शुगर फैडरेशन लि०, मुमुदीपुन्डी, जि० चेंगईअम्मा	27-7-90	,,	,,

1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
37.	भोपाल शुगर इण्डस्ट्रिज लि०, गणेश मन्दिर रोड़, सिहोरे-466003 (बम्बई जिला होसंगाबाद में स्थित)	3-5-90	,,	संयुक्त
	आंध्र प्रदेश			
38.	मैसर्स डा० एस० जगतरक्षाकन, सुगन्धम शुगरस, मिठाकन्दीगई, तह० के० वी० पुरम मंडलम, जिला-चित्तूर (आंध्र प्रदेश)	7-11-90	,,	संयुक्त

सेब और आम का रस प्रसंस्कृत करने वाले एकक

1113. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेब के रस और आम के रस को प्रसंस्कृत करने और उन्हें दूसरे देशों के निर्यात करने सम्बन्धी कार्यान्वित की जा रही और विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके निर्यात हेतु किन एजेंसियों की स्थापना की जायेगी ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में एक स्कीम है जिसके अन्तर्गत या तो फल तथा सब्जियों के नए प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना करने के लिये या विद्यमान फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों का विविधकरण, आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिये राज्य सरकार के उपक्रमों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। राज्य सरकार के उपक्रम सेब और आम के रस सहित फल तथा सब्जियों पर आधारित यूनिटों की स्थापना करने के लिये स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं।

कृषि और संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण की सूची में शामिल कृषि उत्पादों के निर्यात से सम्बन्धित सभी मामलों में वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कृषि और संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण एक मोडल एजेंसी है। सेब और आम के रस सहित फल तथा सब्जियों से बने पदार्थों का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से कृषि और संसाधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इनका निर्यात किया जाता है।

वस्त्र निर्यात के लिये विपणन नीति

[हिन्दी]

1114. **श्री जनार्दन यादव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक बाजार नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस नीति के अनुसरण में विदेशों में व्यापार सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वस्त्रों के निर्यात, जिसमें विदेशों में निर्यात संवर्धन सम्बन्धी गतिविधियों में सुधार भी शामिल है, को बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते हैं।

भगेया, बिहार में निर्यात कार्यालय

1115. **श्री जनार्दन यादव** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र के भगेया गांव में एक निर्यात कार्यालय खोलने का विचार है;

(ख) उक्त निर्यात कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) भगेया में तैयार किए जाने वाले तसर और रेशम के कपड़े का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) इस समय सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) तसर और रेशमी कपड़े के ग्राम-वार उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

बिहार के लिए हुडको से धनराशि

1116. **श्री जनार्दन यादव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको का विचार बिहार के संथाल/परगना, गोड्डा, देवगढ़ दुमका और साहेबगंज जिलों के नगरों के विकास के लिये धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण): (क) हुडको विशेष शहरों/कस्बों इत्यादि के लिए राशियों का कोई अलग से नियतन नहीं करता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में हुडको राज्यवार राशियों का अनन्तिम नियतन करता है। यह राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन करने वाली उसकी एजेन्सियों का दायित्व है कि वह हुडकों मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशिष्ट आश्रय योजनाएं तैयार करें तथा हुडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करें।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार में परिवार कल्याण केन्द्र

1117. श्री जनार्दन यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कुल कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) क्या राज्य के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिये इनकी संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में ऐसे और केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) परिवार कल्याण सेवाएं स्वास्थ्य के सम्पूर्ण ढांचे के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिसमें मेडिकल कालेज, जिला/उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र आते हैं। बिहार में निम्नलिखित प्रकार के केन्द्र खोले गए हैं जो पूरी तरह राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं :

1.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	587
2.	ग्रामीण उपकेन्द्र	14799
3.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	81
4.	जिला स्तर पर प्रसवोत्तर केन्द्र	37
5.	उप सम्भागीय स्तर के अस्पतालों में प्रसवोत्तर केन्द्र	45

इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए मानदण्डों को देखते हुए उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं। बहरहाल, परिवार कल्याण सेवा सुविधाओं को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

विदर्भ क्षेत्र में कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

1118. श्री बसन्त साठे : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादन क्षेत्र में कपड़ा उद्योगों के विकास हेतु प्रस्तावित/विचाराधीन विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) विदर्भ क्षेत्र में हथकरघा/विद्युतकरघा बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिये किये गये/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत तीन दशकों से भी अधिक समय से विदर्भ क्षेत्र में कपड़ा मिलों का विकास रुक गया है जबकि यह क्षेत्र कपड़ा मिलों को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त रूप से उपयुक्त क्षेत्र है;

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने विदर्भ क्षेत्र स्थित एककों सहित संगठित वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की है । आधुनिकीकरण योजनाएं संबंधित एककों की प्रबन्ध व्यवस्थाओं द्वारा वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत की जानी होती है ।

(ग) से (च) यह कहना सही नहीं है कि विदर्भ क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की प्रगति में रुकावट है क्योंकि पिछले 5 वर्षों के दौरान विदर्भ क्षेत्र में वस्त्र एककों की स्थापना के लिए कई नए आशय-पत्र जारी किए गए है । हथकरघा बुनकरों की समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से सरकार ने जनता कपड़े पर देय उपदान में वृद्धि की है । सरकार जनता कपड़े का उत्पादन करने वाली एजेंसियों को अग्रिम उपदान भी रिलीज करती है और केन्द्रीय सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा हथकरघा वस्तुओं की खरीद एकल निविदा पद्धति पर आकाश के माध्यम से की जाती है । सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में विद्युत करघा संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में चार विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं ।

(छ) और (ज) औद्योगिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना के बारे में इस मन्त्रालय की कोई योजना नहीं है ।

बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र

[हिन्दी]

1119. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनकरों के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी राज्य-वार संख्या कितनी है तथा गत वर्ष के दौरान कितने प्रशिक्षित बुनकरों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत बुनकरों के लिये अलग से कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है । तथापि, विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय कुल 23 बुनकर सेवा केन्द्र चला

रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा क्षेत्र में लगे बुनकरों के लिए बुनाई, रंगाई एवं छपाई में हथकरघा बुनकरों की तकनीकी कुशलता को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तथा उत्कृष्ट डिजाइन प्रदान करते हैं। इन बुनकर सेवा केन्द्रों के स्थान नीचे दिये गये हैं :

क्रम सं०	राज्य	स्थान
1.	असम	गुवाहाटी
2.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
3.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
4.	बिहार	भागलपुर
5.	दिल्ली (संघ शासित प्रदेश)	दिल्ली
6.	गुजरात	अहमदाबाद
7.	हरियाणा	पानीपत
8.	कर्नाटक	बेंगलूर
9.	केरल	कन्नानौर
10.	मणिपुर	इम्फाल
11.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
12.	मध्य प्रदेश	रायगढ़
13.	महाराष्ट्र	मुम्बई
14.	महाराष्ट्र	नागपुर
15.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
16.	राजस्थान	जयपुर
17.	तमिलनाडु	मद्रास
18.	तमिलनाडु	कांचीपुरम
19.	त्रिपुरा	अगरतला
20.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
21.	उत्तर प्रदेश	चमोली
22.	उत्तर प्रदेश	मेरठ
23.	पं० बंगाल	कलकत्ता

7वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या 5810 है। बुनकर सेवा केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूदा बुनकरों, जो पहले से ही बुनाई की कला में कार्यरत हैं, की कार्य-कुशलता को बढ़ाने पर केन्द्रित है और इस प्रशिक्षण से इनकी अर्जन क्षमता में और वृद्धि होगी।

नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता से गायब हुए अखबार

1120. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता से अखबारों के गायब होने की कोई शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पुस्तकाध्यक्ष ने शिकायत की प्रारम्भिक जांच की है और उन्होंने यह पाया है कि केवल 12 अखबार-खण्डों का पता लगाया जाना है। इन खण्डों का पता लगाने का काम चल रहा है।

आवास निर्माण-कार्य को उद्योग घोषित करना

[अनुवाद]

1121. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास निर्माण को उद्योग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करके अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) सरकार ने आवास निर्माण को सुसाध्य बनाने के लिए कई उपाय किये हैं, जैसे कि —राष्ट्रीय आवास बैंक की ऋण से जुड़ी हुई संविदात्मक बचत योजना के माध्यम से संसाधनों का अतिरिक्त संग्रहलय, बैंकिंग क्षेत्र की निधियों का बढ़ा हुआ नियतन, आवास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये हुडको वित्त पोषण का विस्तार, लागत प्रभावी भवन-निर्माण सामग्रियों और प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा देना, इत्यादि। सरकार का मत है कि आवास को एक उद्योग घोषित करने मात्र से ही आवास निर्माण सुसाध्य नहीं बनेगा। इसलिये, इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन (उ० प्र०) को घाटा

1122. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन, उ० प्र० के घाटों में पिछले 6 महीनों के दौरान वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है एवं इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। अप्रैल-सितम्बर, 1990 अवधि के दौरान, एन टी सी (यू० पी०) के अधीन मिलों का अनन्तिम कुल घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 22.76 करोड़ रु० की तुलना में 26.25 करोड़ रु० का था।

घाटे को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सतत रणनीति बनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त बातें शामिल हैं :—

— मिलों का आधुनिकीकरण।
— गैर-आर्थिक क्षमताओं की छटाई।
— आर्थिक क्षमताओं को अनुकूल बनाना।
— चयनात्मक आधुनिकीकरण।
— उच्चतर उत्पादकता।
— श्रम युक्तिकरण।
— कच्चे माल की प्रतियोगी खरीद।
— उच्चतर यार्न उत्पादन
— निम्नतर वस्त्र उत्पादन।
— मूल्य को अनुकूल बनाना।
— उत्पाद उन्नयन

वनस्पति का उत्पादन और खाद्य तेलों का आयात

1123. श्री सनत कुमार मंडल
श्री प्रताप सिंह
श्री शांताराम पोदुवुले } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान, देश में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में वनस्पति के उत्पादन में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वनस्पति की कमी को दूर करने और इसके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये, उत्पादक एककों के इष्टतम क्षमता तक उत्पादन बढ़ाने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या वर्तमान वर्ष की शेष अवधि के दौरान खाद्य तेलों का आयात करने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो अनुमानत: कितनी मात्रा में, किस देश से आयात किया जायेगा और इसमें कितनी विदेशी-मुद्रा खर्च होगी; और

(ङ) राज्य सरकारों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण के लिये इस आयातित तेल में से कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी, हां।

(ख) वनस्पति के उत्पादन में कमी के ये मुख्य कारण प्रतीत होते हैं :—

1. वनस्पति के मूल्यों की तुलना में सस्ते परिष्कृत बिनौले के तेल, सोयाबीन के तेल आदि जैसे वैकल्पिक पकाने के माध्यमों की प्रचुर उपलब्धता।

2. खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि के कारण सस्ते कच्चे माल की सीमित उपलब्धता।

(ग) वनस्पति की कोई कमी नहीं है। वनस्पति के मूल्य किसी सरकारी विनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। सरकार वनस्पति के विनिर्माण में लघु/गैर परम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट दे रही है।

(घ) और (ङ) आयात किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा निरन्तर समीक्षा का विषय है जो तिलहनों का उत्पादन, देशी तेलों की उपलब्धता और मूल्य तथा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध विदेशी मुद्रा आदि जैसे कई तथ्यों पर आधारित होती है इसलिए चालू वर्ष के शेष भाग के दौरान आयात की जाने वाली खाद्य तेल की मात्रा दर्शाना संभव नहीं है।

पेइचिंग एशियाई खेलों में भारत का निराशाजनक प्रदर्शन

1124. श्री समत कुमार मंडल
श्री संतोष कुमार गंगवार
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी
श्री शांताराम पोटदुखे
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री धर्मन्ना मोण्डय्या सादुल
डा० विन्सेन्ट दास गुप्त
श्री बाबूभाई मेघजी शाह } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेइचिंग एशियाई खेलों में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में कोई जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है;

(ग) कुछ खेलों में खिलाड़ियों के इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिये उनका चयन किस हद तक जिम्मेवार है;

(घ) विभिन्न खेलों के लिये खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और चयन के स्तर में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) एशियाई खेलों के संबंध में पेइचिंग गये भारतीय खिलाड़ी दल और अन्य प्राधिकारियों पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भावेश गोवर्धन) : (क) और (ख) भारतीय दल के प्रदर्शन के बारे में चेफ-डी-मिशन तथा विभिन्न दलों के प्रबन्धकों की रिपोर्ट और

भारतीय ओलम्पिक संघ की टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण 15 अक्तूबर, 1990 को आयोजित बैठक जिसमें विभिन्न दलों के प्रबन्धक भी उपस्थित थे, तत्कालीन युवा कार्यक्रम और खेल उप-मंत्री द्वारा बीजिंग एशियाई खेलों के प्रदर्शन के बारे में प्रारम्भिक समीक्षा की गई। भारतीय दल के प्रदर्शन पर विषय वार विश्लेषण भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है। आगे की जांच उपर्युक्तानुसार विभिन्न रिपोर्ट और भारतीय ओलम्पिक संघ की टिप्पणियां प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

(ग) इन खेलों में भाग लेने वालों का चयन सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित पद्धतियों के अनुरूप किया जाता है ताकि उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके। अत: यह मानना उचित नहीं होगा कि चयन की वजह से प्रदर्शन निराशाजनक रहा।

(घ) ये उपर्युक्त रिपोर्ट तथा टिप्पणियों पर निर्भर करेंगे।

(ङ) भारतीय दल तथा अन्य कार्यकर्ता जो XIवें एशियाई खेलों के संबंध में बीजिंग गये उन पर 97.30 लाख रुपये का व्यय हुक होना संभावित है।

मध्य प्रदेश में फल प्रसंस्करण उद्योग

[हिन्दी]

1125. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के रीवां जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान आम के रस और सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये उद्योग कब स्थापित किये जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का रीवां जिले में चावल की भूसी से तेल निकालने तथा महुआ के फल से संबंधित उद्योगों को भी स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मृत्यु की परिभाषा

[अनुवाद]

1126. **डा० दौलतराव लोनूजी अहेर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मृत्यु की नई परिभाषा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो यह वर्तमान परिभाषा से किस प्रकार भिन्न हैं; और

(ग) नई परिभाषा का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बलई चौधरी) : (क) सरकार ने "मृत्यु" की कोई नई परिभाषा तैयार नहीं की है, तथापि सरकार कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर कार्यवाही कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मस्तिष्क मृत्यु के विचार को शामिल किया जाएगा।

(ख) "मृत्यु" शब्द को भारतीय दंड संहिता और जन्म तथा मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 46 में मृत्यु को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

> "मृत्यु से अभिप्रेत है किसी मानव-प्राणी की मृत्यु जब तक कि किसी प्रसंग में इसके विपरीत प्रतीत न हो"

जन्म और मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 की धारा 21 (ख) में "मृत्यु" को जीवित जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों का स्थायी रूप से लुप्त होना के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय विधानों में निर्दिष्ट मृत्यु की उपर्युक्त परिभाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे अगदाता से जिसकी अप्रतिसरणीय मस्तिष्क मृत्यु हुई हो लेकिन जिसके शरीर में रक्त अभी तक संचारित हो रहा हो जिगर, हृदय, फेफड़े और अगन्याशय के प्रतिरोपण प्रायोजनों के लिए मानव आंगों को निकालने के लिए मस्तिष्क मृत्यु की धारणा को शामिल किया गया है। (ग) मृत्यु की नई परिभाषा के दुरुपयोग की जांच करने की दृष्टि से प्रस्तावित विधान में डाक्टरों के एक पैनल द्वारा जो प्रतिरोपण में शामिल डाक्टरों से पृथक्तन्त्र और भिन्न है, "मस्तिष्क मृत्यु" के सत्यापन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है। आगे यह प्रस्ताव है कि कुछ नामोदिष्ट अस्पतालों को अधिसूचित किया जाए, जो मानव अंगों का ऐसा प्रतिरोपण कर सकते हैं। प्रस्तावित विधान में एक रजिस्टर रखने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें दाता और अनुग्राही के सभी ब्यौरे होंगे और उसका उपयुक्त प्रमाणिक महत्व होगा। मस्तिष्क मृत्यु का सत्यापन करने के लिए डाक्टरों के पैनल द्वारा मामले की एक चेक लिस्ट रखे जाने का भी प्रस्ताव है, ताकि प्रतिरोपण की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर विशिष्ट उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

"स्वास्थ्य" की परिभाषा

1127. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन "स्वास्थ्य" की परिभाषा बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को तभी "स्वस्थ" कहा जा सकेगा जब उसका स्वास्थ्य ठीक होगा और उसका वातावरण भी ठीक होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (डा० शकीलुर्रहमान) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उज्जैन में बच्चों की मृत्यु

1128. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर,**
श्री एडुआर्डो फलेरो } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री उज्जैन में खसरे का टीका लगाने के पश्चात् बच्चों की मृत्यु के मामले के बारे में 9 और 19 सितम्बर, 1990 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० शकीलुर्रहमान) : जी, हां।

(ख) आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

"एड्स" रोग की रोकथाम

1129. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर**
श्री बालेश्वर यादव
श्री शांताराम पोटदुखे
श्री डी० एम पुट्टे गोडा
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री के० मुरलीधरन
श्री बी० देवराजन
श्री एम० एम० पल्लम राजू
श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में "एड्स" रोग होने को गम्भीर चिन्ता का विषय बताया है;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को "एड्स" रोग से ग्रस्त पाया गया है;

(ग) इस रोग से कितनी मौतें हुई हैं; और

(घ) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वसई चौधरी) : (क) से (घ) एड्स का रोग/मानव प्रतिरक्षण कमी विषाणु (एच० आई० वी० संक्रमण भारत में अभी कोई मुख्य जन स्वास्थ्य समस्या नहीं है। तथापि, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है और अपेक्षतया बड़ी संख्या में लोगों का आचरण ऐसा है कि उसमें इसके खतरे अधिक हैं, इसलिए भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से निम्नलिखित बचाव के उपायों का पालन कर रही हैं :—

(I) यौन सम्पर्क के माध्यम से रोग के संचरण का बचाव करना।

(II) रक्त और रक्त उत्पादों के माध्यम से रोग के संचरण का बचाव करना।

(III) इन्जेक्शनों के माध्यम से रोग के संचरण का बचाव करना। एच० आई० वी० संक्रमण से बचाव की कोई वैक्सीन तथा एड्स के रोग के इलाज के लिए कोई दवाई न होने के कारण जरूरी है कि बचाव के उपायों पर ही बल दिया जाना होगा।

भारत में पूर्ण रूप से एड्स से ग्रस्त रोगी बहुत थोड़े, अर्थात 57 हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	पुरुष	महिलाए	कुल
भारतीय	36	08	44
विदेशी	10	03	13
	46	11	57

इन 44 भारतीयों में से सभी रोगी इस रोग से मर चुके हैं और 13 विदेशी रोगियों में से 6 देश में मर चुके हैं तथा बाकी को वापस भेज दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों के सहयोग से "खतरे वाले आचरण के व्यक्तियों में एच० आई० वी० संक्रमण का पता लगाने के लिए निगरानी कार्य शुरू किया है। दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, जांचे गए 5,86,182 व्यक्तियों में से 4134 व्यक्तियों में एच० आई० वी० संक्रमण पाया गया, अर्थात् "अधिक खतरे वाले आचरण" के व्यक्ति समूहों में से 0.7% व्यक्तियों के सीरम में इसके लक्षण पाए गए।

भारत सरकार ने 1990-91 से 1992-93 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए एक मध्यम अवधि योजना तैयार की है। इस मध्यम अवधि योजना के अधीन विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार होंगे।

(I) एच० आई० वी० संक्रमित व्यक्तियों/एड्स के रोगियों का पता लगाने तथा उनका क्लीनिकल प्रबन्ध करने के काम को सुदृढ़ बनाना।

(II) सीरों तथा प्रहरी निगरानी को तेज करना।

(III) स्वास्थ्य और सामुदायिक शिक्षा कार्यकलापों को सुदृढ़ करना।

बजट में उपलब्ध धन से भारत सरकार ने इस मध्यम अवधि योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। बाद में द्विपक्षीय दाताओं द्वारा और अधिक धन उपलब्ध कराई गई सीमित सहायता से भी महाराष्ट्र और मणिपुर में एक कार्य योजना कार्यान्वित किए जाने हेतु शुरू की गई है। इस कार्य योजना में पांच प्रमुख कार्य नीतियां है :— (1) सूचना, शिक्षा और संचार; (2) यौन संचारित रोगों का निवारण और नियंत्रण; (3) रक्त सुरक्षा; (4) क्लीनिकल प्रबन्ध; और (5) कार्यक्रम प्रबन्ध।

इसी तरह की कार्य योजना तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी चरणबद्ध ढंग से चलाई जाएगी जहां 'अधिक खतरे वाला व्यवहार" अपनाने वाले जन-समूहों का संकेद्रण है।

जाली राशन कार्ड

1131. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक स्वयंसेवी संगठन की मदद से बड़ी संख्या में जाली राशन कार्डों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या जाली राशन कार्डों को रद्द करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज-सहायता वाली सप्लाई से राजकोष पर पड़ने वाले परिहार्य बोझ को कम करने में तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिचौलियों द्वारा काला धन पैदा करने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने जाली राशन कार्डों को रद्द करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों से ऐसे कार्डों का पता लगाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन)। (क) बेलगाम जिले में मोटे तौर पर वर्ष 1987 से 1989 के दौरान काफी संख्या में जाली राशन कार्ड पाए गए थे।

(ख) जाली राशन कार्डों की समाप्ति से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मूल आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार आता है और कदाचार पर नियंत्रण होता है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं।

राष्ट्रीय तंत्रिका विज्ञान सूचना केन्द्र

1132. **श्री एच॰ सी॰ श्रीकांतय्या** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार बंगलौर में राष्ट्रीय तंत्रिका विज्ञान सूचना केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की स्थापना से क्या लाभ होगा;

(ग) इसकी कब तक स्थापना किए जाने का विचार है; और

(घ) प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना की अनुमति लागत कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान, आई॰ बैंगलूर से एक राष्ट्रीय तंत्रिका विज्ञान सूचना केन्द्र खोलने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह प्रस्ताव उनके विचाराधीन है। यदि यह केन्द्र खोला जाता है तो तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में, कार्यरत अनुसंधान वैज्ञानिकों को तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अद्यतन सूचना और अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों पर अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव की लागत और कार्यक्रम के बारे में ब्यौरों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

1994 के एशियाई में कबड्डी का शामिल किया जाना

1133. **श्री एच॰ सी॰ श्रीकान्तय्या** : क्या **मानव संसाधन विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए ऑलम्पिक परिषद को जापान द्वारा प्रस्तावित 22 प्रतियोगिताओं की सूची में से कबड्डी को हटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में कबड्डी को शामिल करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को सम्मत करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोयर्जन) : (क) और (ख) एशियाई खेल 1994 के लिए खेल विषयों के बारे में जापानी प्रस्ताव के ब्यौरों की जानकारी भारत सरकार को नहीं है। हालांकि, मार्च 1991 में रियाद में होने वाली एशियाई ओलम्पिक परिषद की बैठक में सूची को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भावित है, इसलिए सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ से अनुरोध किया है कि वे जापान में होने वाले एशियाई खेल 1994के लिए खेलों की सूची में कबड्डी को शामिल करने के लिए एशियाई ओलम्पिक परिषद तथा 12वें एशियाई खेल 1994 के लिये आयोजन समिति के साथ मामले को सख्ती से उठाएं।

शहरों के सुधार के लिए धन की स्वीकृति

1134. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन शहरों में सुधार करने के लिये धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या इस संबन्ध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) शहरी विकास राज्य का विषय है। शहरी विकास कार्यक्रम के लिये निधियों का निर्माण संबंधित राज्यों के अपने-अपने बजटों के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकासार्थ छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास नामक, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयनाधीन थी। छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कस्बों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

बम्बई के आवास तथा मलीनबस्तियों की विकट समस्याओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 100 करोड़ रुपये प्रधान मन्त्री अनुदान योजना नाम से ज्ञात विशेष अनुदान राशि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं।

नवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बम्बई तथा कलकत्ता शहरों में मलीन बस्ती उन्मूलन तथा मलीन बस्तियों से पर्यावरणीय सुधार एवं मूलभूल सुविधाओं की व्यवस्था हेतु क्रमशः महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल सरकार, प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये का एक मुफ्त अनुदान इस शर्त पर स्वीकृत किया गया है कि इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार भी समान राशि उपलब्ध करायेगी।

(ख) और (ग) पहली किस्त जारी करने से पूर्व केन्द्र द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। बाद की किस्तें उपयोग प्रमाण-पत्रों, प्रगति रिपोर्टों इत्यादि के द्वारा प्रबोधित परियोजनाओं की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति के बारे में केन्द्र को संतुष्टि होने के पश्चात् ही जारी की जाती है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, तथा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा इन योजनाओं के प्रभाव का पहले ही मूल्यांकन किया गया है। मुख्य निष्कर्ष ये है कि : छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास योजनाओं के लिए कस्बों का चयन तदर्थ था, भूमि मामलों पर लम्बी मुकदमे बाजी, छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न अभिकरण के मध्य विभिन्न, स्तरों पर समन्वय का निष्प्रभाव/कमी, क्षेत्र स्तर पर विशेषज्ञता का आभाव तथा कुछ राज्य सरकारें के पास समान राशि की उपलब्धता इन कमियों के बावजूद राज्यों ने सुझाव दिया है। विभिन्न छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास पर छोटे तथा मध्यम दर्जे की कस्बों की एकीकृत विकास योजना ने अनुकूल प्रभाव डाला था। और इसलिये राज्यों ने इसे आठवीं योजना के दौरान जारी रखने की सिफारिश की।

योजना आयोग को शहरी विकास क्षेत्र के लिए आठवीं योजना के प्रस्तावों की सिफारिश करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।

विवरण

31-3-90 की स्थिति के अनुसार छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों के लिए एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई राशियों से सम्बन्धी कस्बों की सूची

क्र० सं०	कस्बे
	आंध्र प्रदेश
1.	रामचन्द्रपुरम
2.	तेनाली
3.	अनाका पलाई
4.	विजयनगरम
5.	भीमावरम
6.	करीम नगर
7.	विपथी
8.	श्रीकाकूलम
9.	मेढक
10.	गुटाकल
11.	चित्तुर
12.	गाडवल
13.	नदयाल
14.	प्रोदात्तुर
15.	महबूब नगर
16.	भिमुनिपतीनम
17.	जहीराबाद
18.	सिदपट
19.	ओंगल
20.	गुडीवाड
21.	आदिलाबाद
22.	नलगोंडा
23.	कावेली
24.	यामिगपुरम
25.	पिडापुरम
26.	खम्मा
27.	मछली पट्टनम

क्र० सं०	कस्बे
	असम
1.	तिनसुखिया
2.	सिलचर
3.	तेजपुर
4.	जोरहट
5.	डिब्रूगढ़
6.	डिपु
7.	करीमगंज
8.	नौगाँव
9.	हाफलोंग
10.	बोगाई गाँव
	बिहार
1.	ग़ाजीपुर
2.	गोपालगंज
3.	सहरसा
4.	डालटन गंज
5.	छपरा
6.	दुमका
7.	चायबासा
8.	बेगूसराय
9.	हिलोचर
10.	आरा
11.	गिरीडिह्
12.	धनबाद
13.	कटिह्वार
14.	सिवान
15.	किशनगंज
16.	सीतामढ़ी
17.	बक्सर
18.	पूर्णिया
19.	नवादाह्
20.	बोध गया

क्र० सं०	कस्बे
21.	मधुबनी
22.	दरभंगा
23.	बिहार सरीफ

गोवा

1.	पणजी
2.	मरमागोवा

गुजरात

1.	आनन्द
2.	पतन नार्थ
3.	पोरबन्दर
4.	बलसाड
5.	बरावल पत्तन
6.	पालनपुर
7.	अंडदेश्वर
8.	वहीद
9.	अहमदाबाद
10.	गोधरा
11.	भुज
12.	अमरेली
13.	मेहसाणा
14.	कम्भति
15.	कलोल रोड
16.	सानन्द
17.	वहगाम
18.	दीसा
19.	महुव
20.	बिल्लीपोरा
21.	बिसा नगर
22.	उचलेता
23.	ऊंहा
24.	मोंडल

क्र० सं०	कस्बे
25.	नवसारी
26.	हिम्मत नगर
27.	जूनागढ़
	हरियाणा
1.	अम्बाला
2.	सिरसा
3.	सोहना
4.	करनाल
5.	कुरुक्षेत्र
6.	हिसार
7.	भिवानी
8.	साहबाद
9.	जींद
10.	सोनीपत
	हिमाचल प्रदेश
1.	कालुमपति (शिमला)
2.	मंडी
	जम्मू व कश्मीर
1.	अनन्त बाग
2.	कठुआ
	कर्नाटक
1.	हसन
2.	चित्रदुर्ग
3.	टुम्कूर
4.	रायचूर
5.	हासपेट
6.	चन्नपत्तन
7.	कनकपुरा

क्र० सं०	कस्बे
8.	मागछदी
9.	हुमनाबाद
10.	होलनर्सीपुर
11.	सागर
12.	साहापुर
13.	जामखंडी
14.	कुणाल नगर
15.	रानी बेनोर
16.	करकल्ला
17.	चिक्काबल्लापुर
18.	रामनगरम
19.	सिरसी
20.	हरिहर
21.	सिधानोर
22.	कालीगल
23.	गोकाक
	केरल
1.	गुरुवयूर
2.	कोट्टायम
3.	त्रिचूर
4.	कोयामलम
5.	तेलचेरी
6.	तिकर
7.	चिंगलाचेरी
8.	बड़ागारा
9.	मालापुरम
10.	रोडुपुज्जा
11.	मंजीरी
12.	पालघाट
13.	कनूर
	मध्य प्रदेश
1.	बिलासपुर
2.	खुजराहो

क्र० सं०	कस्बे
3.	देवास
4.	इटारसी
5.	रीवा
6.	कटनी
7.	बुरहानपुर
8.	मुरैना
9.	डोंगरगढ़
10.	राजनांदगाँव
11.	बालाघाट
12.	छिंदवाड़ा
13.	हरदा
14.	वैद्यान
15.	गुना
16.	सीधी
17.	होशंगाबाद
18.	गदरवाड़ा
19.	पंचमढ़ी
20.	अमरकंटक
21.	कोटा
22.	शहडोल
23.	भंडर
24.	महू
25.	जबलपुर
26.	रतलाम
27.	भिलाई दुर्ग
28.	सतना
29.	छतरपुर

महाराष्ट्र

1.	मनमाड
2.	बाद्सी
3.	पालबैजनाथ
4.	योतमाल
5.	सतारा

क्र० सं०	कस्बे
6.	रत्नागीरि
7.	कलोल
8.	अमलनेर
9.	परभानी
10.	कैमटी
11.	किनवाट
12.	असमनाबाद
13.	मोरसी
14.	इंगनाघाट
15.	जालना
16.	अम्बे गोगाये
17.	सिलू
18.	दायीग्रास
19.	भंडारा
20.	वसीम
21.	इस्लामपुर
22.	बड़ामती
23.	पंडरपुर
24.	रामटेक
25.	नीलावंर
26.	चिपलुन
27.	अकोट
28.	तुलजापुर
29.	वर्धा
30.	इगतपुरी
31.	फुसाद
32.	खरडं
33.	बीट
34.	चन्द्रपुर
	मणिपुर
1.	जीरीबंम
2.	काकचिंग
3.	लामलाई
4.	बिष्णुपुर

क्रम सं०	कस्बे
	मेघालय
1.	शिलांग
2.	तुरा
3.	जोवाई
4.	नोगस्टन
5.	विलियमनगर
	मिजोरम
1.	एमल
2.	लुंगलेर
	नागालैंड
1.	कोहिमा
2.	वयूनसांग
3.	मुकाकचुन
	उड़ीसा
1.	पुरी
2.	बालासाट
3.	सम्बलपुर
4.	राउरकेला
5.	जेयपपुर
6.	धेनुकनाल
7.	क्योंझर
8.	बारीपांडा
9.	बंलगगीर
10.	पाराद्विप
11.	नोरापुर
12.	फुलबनी
13.	भिवानी पत्तन
	पंजाब
1.	पठानकोट
2.	होशियारपुर

क्र० सं०	कस्बे
3.	संगरूर
4.	मोंगा
5.	फलवाड़ा
6.	खन्ना
7.	मटिंडा
8.	बटाला
9.	बरनाला
10.	कपूरथला
11.	गुरदासपुर
12.	नाभा
13.	रोपड़
14.	पटियाला
15.	गोविन्दगढ़

राजस्थान

1.	पाली
2.	बरान
3.	भीलवाड़ा
4.	सीकर
5.	चुरू
6.	झुमेर
7.	नाथद्वारा
8.	बाड़मेर
9.	गंगानगर
10.	जैसलमेर
11.	चित्तौड़गढ़
12.	जालौर
13.	सिरोही
14.	माऊंट आबू
15.	बासवाड़ा
16.	झिनमाल
17.	डूंगरपुर
18.	भरतपुर

क्रम सं०	कस्बे
	सिक्किम
1.	जोरथंग
2.	नामची बाजार
3.	गंगटोक
	तमिलनाडु
1.	उकटमांड
2.	करुर
3.	धर्मापुरी
4.	पुद्दुकोटाइल
5.	चिरुचंग गुड्डी
6.	पालानी
7.	गोबीचिट्टीपालियाम
8.	मन्नारगुड्डी
9.	वरापुरम
10.	मित्तुपतायाम
11.	सिंगलपेट्टू
12.	कोन्नूर
13.	अतुर
14.	तिथानामलाई
15.	उद्दामलपेट
16.	नमाक्कल
17.	कोविलपट्टी
18.	वेल्लाचि
19.	चिनिआलीनयरम
20.	नागापट्टनम
21.	रामीपेट-अरुठ-वालाज
22.	पानरुति
23.	हुसूर
24.	करायकुड्डी
25.	कालाकुरुचि
26.	अरनो
27.	अराकोनम
28.	शिवगंगा

क्र० सं०	कस्बे
29.	मदुरानटक्कम
30.	अंडीपट्टी
31.	पुट्टीकोटाई
32.	अरापुकोटाय
33.	आरंगटंगी
34.	रामनाथपुरम
35.	रामेश्वरम
36.	अरियालूर
37.	सत्यमंगलम
38.	टूटीकोरिन
39.	सलेम
40.	कोडाईनाल
41.	तुचनिलवेली
42.	तिरुपुर

त्रिपुरा

1.	उदयपुर
2.	कलासाहर
3.	धर्मनगर
4.	अगरतला

उत्तर प्रदेश

1.	जौनपुर
2.	फतेहपुर
3.	आजमगढ़
4.	हाथरस
5.	बांदा
6.	बाराबांकी
7.	रायबरेली
8.	अल्मोड़ा
9.	एटा
10.	बलिया
11.	गोंडा
12.	काशगंज

क्रम सं०	कस्बे
13.	गाजीपुर
14.	सीतापुर
15.	मैनपुरी
16.	हरदोई
17.	बिजनौर
18.	उरई
19.	देवरिया
20.	बदायूं
21.	अकेली
22.	कांशीपुर
23.	पडरौना
24.	सुलतानपुर
25.	बिसवान
26.	सामली
27.	मवोई
28.	मलनाथ भंजन
29.	पांदीला
30.	पिलीभीत
31.	बहराइच
32.	ललितपुर
33.	मिर्जापुर
34.	इटावा
35.	संबल
36.	हल्द्वानी

पश्चिम बंगाल

1.	खड़गपुर
2.	मितनापुर
3.	बंकुरा
4.	कालीपुंग
5.	कुचबिहार
6.	पुलिया
7.	इग्लीस बजार
8.	कृष्णनगर
9.	सूरी

क्रम सं०	कस्बे
10.	तारकेश्वर
11.	जलपाईगुड़ी
12.	सिलीगुड़ी
13.	दार्जिलिंग
14.	बेहरामपुर
15.	बालुरघाट
16.	बिसनपुर
17.	बसीह् घाट
18.	रायगंज
19.	रानाघाट
20.	कटवा
21.	बोलपुर
22.	आरामबाग
23.	कुंटाई
24.	हावड़ा
25.	रानीगंज
26.	हलदिया
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
1.	पोर्टब्लेयर
	दादर तथा नागर हवेली
1.	सिलवासा
	पांडिचेरी
1.	कराईकल
2.	माहे
3.	पांडिचेरी

औषधियों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण

1135. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि औषधि निर्माता छोटी कंपनियां बाजार में घटिया स्तर की औषधियां सप्लाई कर रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का इस कंपनियों द्वारा निर्मित दवाइयों की गुणवत्ता पर सख्त नियन्त्रण रखने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण का दायित्व राज्य नियन्त्रण प्राधिकारियों पर होता है। प्रत्येक छोटे, मध्यम और वृहद विनिर्माता को अधिनियम/नियमों में दिए गए अनुसार लाइसेंस की शर्तों को पूरा करने के पश्चात् राज्य औषध नियन्त्रक से लाइसेंस लेना पड़ता है।

राज्य औषध निरीक्षकों द्वारा विनिर्माताओं का निर्रीक्षण और औषधों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जब भी औषध का कोई सैम्पल मानक गुणवत्ता वाला नहीं पाया जाता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जैसे औषध को बाजार से उठा लेना, लाइसेंस रद्द/निलम्बित करना, उस पर अभियोग चलाना आदि।

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निरन्तर सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्यों में विनिर्माण की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखें।

वसन्त विहार में पानी की सप्लाई

[हिन्दी]

1136. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवास परिसर वसन्त विहार, नई दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) और (ख) दिल्ली में पानी की बल्क आपूर्ति में समग्र कमी को देखते हुए सरकारी आवास कम्प्लेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली में पेय जल की आपूर्ति सामान्यतया पर्याप्त है। दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाने वाली बुल्क आपूर्ति को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चालित 4 नलकूपों द्वारा अनुपूरित किया जाता है। दिल्ली

नगर निगम द्वारा लगभग 2 वर्ष की अवधि में एक दूसरा 100 एम० जी० डी० जल शोधन संयंत्र पूरा कर लिए जाने के पश्चात् स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

वसन्त विहार कम्प्लेक्स में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

1137. **श्री सूर्यनारायण यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय सरकार आवास कम्प्लेक्स, वसंत विहार में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह औषधालय उक्त क्षेत्र में कब तक कार्य करने लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बसई चौधरी) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सरकार आवास काम्प्लेक्श, वसंत विहार में एक अलग औषधालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनधारियों को समीप के क्षेत्रों में कार्य कर रही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों के साथ संलग्न कर दिया गया है।

पेप्सी फूड्स द्वारा आश्वासन आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मदें

1138. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[अनुवाद]

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम को अधिक तर्कसंगत बनाने और मुक्त बाजार प्रणाली के समरूप बनाने की दृष्टि से अधिनियम को 65 मदों में से 59 मदों को निकालने के लिये सुझाव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) से (ग) सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित वस्तुओं को सूची में से विभिन्न मदों को हटाने के लिये भिन्न-भिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध में समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और उपयुक्त निर्णय किये जाते हैं। इस बारे में हाल में की गई पुनरीक्षा के बाद पांच मद/मदों के वर्ग आवश्यक वस्तुओं की सूची में से हटा दिए गए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल

[हिन्दी]

1139. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से अब तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कितनी बार हड़ताल हुई है और हड़ताल के कारण कितने दिन तक संस्थान में काम बन्द रहा;

(ख) क्या सरकार को अस्पतालों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का कानूनी अधिकार है; और

(ग) क्या सरकार का अस्पताल में हड़ताल के कारण हुई मौतों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने तथा मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजा देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वर्ष 1985 से 1990 के दौरान रेजिडेन्ट डाक्टरों, नर्सों और समूह "ग" और "घ" कर्मचारियों द्वारा 28 बार हड़तालें की गई हैं । तथापि इस संस्थान का कार्य एकदम बन्द न हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिये नर्सों, डाक्टरों की कार्मिकों द्वारा हड़ताल किये जाने की स्थिति में अस्पताल सेवाओं को चलाने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये ।

(ख) सरकार को अनिवार्य सेवाएं बनाये रखने का अधिनियम, 1981 के तहत अस्पतालों में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है ।

(ग) जी नहीं, गंभीर रोगियों को देखने और आपातकालीन रोगियों को भर्ती करने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किए गए हैं और हड़ताल की अवधि के दौरान आपरेशन किये जाते हैं ।

राजस्थान में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

1140. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत राजस्थान को कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के व्यय पर निगरानी रखने की कोई व्यवस्था की है, और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पांडे) : (क) अभी तक केन्द्र ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 से वर्ष 1990-91 के लिये राजस्थान को 7051.41 लाख रु० का आवंटन किया है ।

(ख) राज्य सरकारों से इस योजना के अन्तर्गत योजना को लागू करने में हुई प्रगति तथा इस पर हुए खर्च की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

(ग) सितंबर, 1990 तक 4543.64 लाख रु० का खर्च सूचित किया गया है।

राजस्थान में साक्षरता

1141. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का "राजस्थान में सबके लिये शिक्षा" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से 'लोक जुम्बिश योजना" आरंभ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या इस योजना को उनके मन्त्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है, यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) राजस्थान में पुणे साक्षरता का लक्ष्य कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार दूसरे राज्यों से राजस्थान में साक्षरता की प्रतिशतता दूसरे निम्नतम स्थान पर है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) "लोक-जुम्बिश परियोजना" के प्रथम चरण के लिये एक प्रस्ताव प्रसौदा तैयार कर लिया गया है, जो अप्रैल 1991 से शुरू होने वाली दो वर्षों की अवधि के लिये है। यह प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिये स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को भेज दिया गया है।

(ङ) राजस्थान में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिये एक निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

[अनुवाद]

1142. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से ब्रिटेन के "ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अथारिटीज", के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने के लिये 17.55 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) ओवरसीज डेवलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटेन से सहायता हेतु प्रस्ताव को संस्तुत कर दिया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश को देय धन-राशि

1143. श्री जे० चोक्का राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को अनुदान की अदायगी के रूप में कितनी धन-राशि देय है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायतानुदान के रूप में 4429.14 लाख रुपये रिलीज के मुकाबले 4823.94 लाख रुपये के व्यय की सूचना दी है। राज्य सरकार को देय अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ-साथ प्रति-पूर्ति दावों के प्राप्त होने पर ही ज्ञात होगी।

परिवार नियोजन अभियान

1144. श्री जे० चोक्का राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1990-91 के दौरान परिवार नियोजन अभियान फीका पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बसई चौधरी) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त निम्नतम उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1990-91 (नवम्बर, 1990 तक) के दौरान विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों के स्वीकारकर्ताओं की कुल संख्या वर्ष 1989-90 की इसी अवधि की संख्या की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक है। बहरहाल, नसबन्दी और आई०यू०डी० तरीकों का कार्य कार्मिकों और सेवाओं को जुटाने पर निर्भर करता है और इसलिए राज्यों में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति में परिवार नियोजन कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों की 20 और 27 नवम्बर, 1990 को विभिन्न परिवार नियोजन तरीकों के कार्य निष्पादन और अन्य संबंधित विषयों पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी और राज्यों की कमियां दूर करने के लिए यथा अपेक्षित विशेष अभि-यान चलाने की सलाह दी गई थी।

राशन के गेहूं व चीनी के बिक्री मूल्य में वृद्धि

1145. श्री जे० चोक्का राव : क्या खाद्य नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाली अच्छी किस्म के गेहूं और चीनी के बिक्री मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) और (ख) धान और गेहूं के समर्थन मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए धान की कोई आपूर्ति नहीं की जाती है। पहली मई, 1990 से प्रभावी गेहूं का वर्तमान केन्द्रीय निर्गम मूल्य 234/- रु० प्रति क्विंटल है और 25 जून, 1990 से साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के चावल के मूल्य क्रमशः 289/- रुपए, 349/- रुपए और 370 रुपए प्रति क्विंटल हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जा रही चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 1.1 1989 से 5.25 रु० प्रति किलो है।

उड़ीसा में "विल्लेज हैल्थ गाइडों" को मानदेय का भुगतान न किया जाना

1146. **श्री मजमन बेहरा**
श्री शिवाजी पटनायक } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "विल्लेज हेल्थ गाइड" योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में आरंभ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उड़ीसा में इस समय जिला-वार, इन गाइडों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन गाइडों के एसोसिएशनों से ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्हें सांकेतिक मानदेय न किए जाने, दवाइयों, मेडिकल किट की सप्लाई न किए जाने इत्यादि के बारे में शिकायत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथा समय पर मानदेय, दवाइयां दिए जाने, उन्हें नियमित किए जाने, बढ़ी दर पर मानदेय देने तथा बहुउद्देशीय कामगार योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रशिक्षित करने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलई चौधरी) : (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को सौंपे गए कार्यकलापों में ग्रामीणों को होने वाली छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के साथ साथ सुरक्षात्मक और निवारक स्वास्थ्य परिचर्या शिक्षा देना शामिल है। उड़ीसा में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों से संबंधित जिलावार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) जी हां।

(ग) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय का भुगतान न किए जाने के बारे में मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से सूचना मिली थी। तद्नुसार ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को बकाया राशि की अदायगी करने के लिए उड़ीसा सरकार को मार्च, 1990 में 177.28 लाख रुपये की राशि पहले ही रिलीज कर दी गई थी। ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को 50/- रु० प्रतिमास का मानदेय देने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय कठिनाइयों के कारण औषध किटों आदि जैसे अन्य घटकों की आपूर्ति नहीं की जा रही है और न ही बढ़ी दर पर मानदेय दिया गया है। स्वास्थ्य गाइड, समुदाय द्वारा चुने गए स्वयंसेवक हैं। जिनका अपना पेशा होता है। उन्हें नियमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

विवरण

उड़ीसा में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की जिलावार स्थिति
(13-12-1989 के अनुसार)

जिला	कार्यरत ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की संख्या
कटक	4073
पुरी	2425
गंजाम	2266
फूलबनी	656
कालाहांडी	1222
बालासोर	1894
मयूरभंज	1350
क्योंझर	816
सुन्दरगढ़	478
ढेंकनाल	1305
संभलपुर	1740
बोलंगीर	1228
कोरापुट	1740
योग	21193

केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पद

1147. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरंतर प्रयास किये जाने के बावजूद केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित शिक्षकों एवं गैर/शिक्षक कर्मचारियों के वर्तमान तथा बकाया पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तथा वर्तमान शिक्षा सत्र के दौरान भरे गये तथा पदोन्नति द्वारा एवं सीधे अभी भरे जाने वाले ऐसे रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) रिक्त पदों के न भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या संगठन इन विद्यालयों का दर्जा कम करने पर विचार कर रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राममंगल पांडे) : (क) से (ग) विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों के गतिरोध को समाप्त नहीं किया जा सका क्योंकि अ०जा/अ०ज०जा० के सुपात्र उम्मीदवार, जिनके पास निर्धारित अर्हताएं हों तथा जो इन पदों के लिये इच्छुक हों, की कमी है। एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं।

विवरण

30-4-1990 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अ०जा०,अ०ज०जा० की स्थिति

संवर्ग	कुल संस्वीकृत	कार्यरत संख्या	अ०जा० संख्या	अ०ज० जा०	पिछली रिक्तियां	अ०ज० जा०	अ०जा०	वर्तमान स्थिति अ०ज०जा०
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. प्रधानाचार्य	578	543	16	6	20	12	10	10
2. उप-प्रधानचार्य	413	388	—	—	—	—		
3. स्नातकोत्तर प्रशिक्षित	4381	3559	140	15	232	133	168	125
4. स्नातक प्रशिक्षित	8013	7345	530	86	169	165	—	—
5. प्रधानाध्यापक	312	191	11	7				
6. पी०आर०टी०	9939	9170	803	127	161	191		
7. संगीत शिक्षक	751	680	45	2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	पी०ई०टी	1050	675	16	1	वही	वही		
9.	ड्राईंग टीचर	448	390	33	7	वही	वही		
10.	एस०यू०पी० डब्ल्यू०	1026	759	20	3	वही	वही		
11.	योगा शिक्षक	492	334	11	3	वही	वही		
12.	पुस्तकालयाध्यक्ष	725	619	40	4	वही	वही		
13.	गैर शिक्षक कर्मचारी	7942	6978	2453	373	44	43		
		36070	31631	4118	634				

केन्द्रीय विद्यालय के अध्यापकों को उच्च वेतनमान

1148. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों को उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्च वेतनमानों में उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया है और संबंधित अध्यापकों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणी, क्षेत्र और वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उस पर क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संबद्ध शिक्षकों के वेतन-निर्धारण और बकाया भुगतान आम प्रक्रिया के तहत होता है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में इसके कोई ब्यौरे अनुरक्षित नहीं रखे गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

1149. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री मित्रसेन यादव } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू शिक्षा सत्र के दौरान अब तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को ब्लाक वर्ष 1987-90 हेतु नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिये दी गई स्वीकृति समाप्त हो गई थी इसलिए वर्तमान शैक्षिक सत्र में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले जा सके।

केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के संगीत अध्यापकों के वेतनमान

1150. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री मित्रसेन यादव
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग्यता तथा कार्य की अपेक्षाएं समान होने पर भी केन्द्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालयों में संगीत अध्यापकों के वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका क्या औचित्य है; और

(ग) क्या इन्हें समान बनाने के लिये कोई प्रस्ताव पेश किया गया है/निर्णय किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) श्रीमान यह सही नहीं है कि केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में संगीत शिक्षकों की योग्यताएं पूरी तरह से समान हैं। योग्यताएं और वेतनमान विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) पद के लिए अर्हताओं और दिन के स्कूल में संगीत को सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के रूप में सिखाने का कर्तव्य मात्र होने के कारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन संगीत शिक्षकों के वेतनमान में सुधार का कोई इरादा नहीं रखता।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालयों में संगीत शिक्षकों की योग्यताएं और वेतनमान

केन्द्रीय विद्यालय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में उपाधि अथवा निम्नलिखित में से किसी के साथ अर्थात गंधर्व महाविद्यालय बंबई अथवा भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ (मध्य प्रदेश) अथवा संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत विशारद प्राप्त हायर सैकण्डरी अथवा अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष योग्यता। प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित डिग्री/डिप्लोमा को भी संगीत निरीक्षक के पद के लिये समकक्ष योग्यता माना जाएगा/-

(I) संगीत भास्कर सहित किसी भी विषय में स्नातक

(II) किसी भी विषय में स्नातक के साथ संगीत/नृत्य भूषण

(III) सीनियर सैकण्डरी/इंटरमीडिएट/त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में भाग। सहित संगीत भूषण

(IV) सीनियर सैकेण्डरी/इंटरमीडिट/त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के भाग I की परीक्षा सहित संगीत/नृत्य विशारद्।

वेतनमान : 11200-30-1560-ई०बी०-402040 रुपये।

नवोदय विद्यालय : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री और बी०एड० अथवा हायर सैकेण्डरी सहित निम्नलिखित में से कोई एक गंधर्व महाविद्यालय, बंबई का संगीत विशारद अथवा भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ अथवा इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, (मध्य प्रदेश अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा। प्राचीन कला केन्द्र, चंडीगढ़ द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित डिग्री/डिप्लोमा भी संगीत शिक्षक के पद के लिए समकक्ष योग्यता के रूप में माना जाएगा :

(क) किसी विशेष विषय में स्नातक सहित संगीत भास्कर

(ख) किसी विशेष विषय में स्नातक सहित संगीत/नृत्य भूषण।

(ग) सीनियर सेकण्डरी इंटरमीडिएट/त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भाग 1 की परीक्षा सहित संगीत भूषण अथवा संगीत/नृत्य विशारद्।

वेतनमान 1400-40-1600-50-2300-ई०बी०-60-2600

पैकेटों पर स्टिकर चिपकाना

1151. **श्री मन्नालाल मीणा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाट और माप के मानक (डिब्बाबन्द वस्तु) नियम, 1977 के अन्तर्गत पैकेट पर मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य लेना तथा छपे हुए मूल्य को मिटाना, गंदा करना, उस पर स्टिकर चिपकाना इत्यादि एक अवैध कार्य है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उनके मन्त्रालय तथा दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है तथा इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुए) नियम, 1977 के तहत पैकेज पर छपे "सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य" से अधिक मूल्य वसूल करना निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त, खुदरा व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति को पैकेज पर या उस पर लगे लेबल पर विनिर्माता/पैकर द्वारा दर्शाए गए खुदरा बिक्री मूल्य को मिटाने, धुंधला करने या बदलने का निषेध है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन को चालू वर्ष में अधिक मूल्य वसूल करने सम्बन्धी आठ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की गई है।

विधवाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को फ्लैटों का पारी के बिना आबंटन

1152. **श्री मन्नालाल मीणा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनुदेशों के अनुसार प्रति वर्ष निर्मित फ्लैटों में से 2½ प्रतिशत फ्लैट, पारी के बिना विधवाओं और शारीरिक रूप से 50 प्रतिशत से अधिक अक्षम विकलांग व्यक्तियों तथा अत्यन्त कणामूलक आधार पर (कठिन परिस्थितियों में) आबंटित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989 के दौरान और 1990 में (अब तक) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और इनमें से कितने फ्लैट 2½ प्रतिशत आबंटन की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या वर्ष 1989 और 1990 के दौरान उपर्युक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित कोटा आवंटित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लंबित पड़े आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को सरकार के अनुदेशों का पालन कर लंबित पड़े संबंधित आवेदन पर विचार करने हेतु निर्देश देगी ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हां।

(ख) बिना बारी आवंटन के लिए ढाई प्रतिशत कोटा का हिसाब किसी वर्ष विशेष के दौरान आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या के संदर्भ में लगाया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान श्रेणीवार आवंटित फ्लैटों की स्थिति तथा कोटे के अन्तर्गत बिना बारी आवंटन के लिए उपलब्ध फ्लैटों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्र० सं०	कलैन्डर वर्ष	आवंटित फ्लैट	(श्रेणीवार)	2½ कोटे के अन्तर्गत फ्लैटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	1989	स्ववित्त पोषित	9630	
		मध्यम आय वर्ग	2179	
		निम्न आय वर्ग	7638	
		जनता	5481	
		योग	24928	623
2.	1990	स्ववित्त पोषित	4167	
		मध्यम आय वर्ग	1291	
		जनता	6075	
		योग	18657	466

(ग) जी, नहीं।

(घ) केवल मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आने वाले तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए किए गए मामलों में ही फ्लैट नियम/आवंटित किए गए थे।

(ङ) और (च) लंबित आवेदनों (लगभग 3600) का जांच कार्य एक सतत् प्रक्रिया है तथा जैसे ही अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, मामले सक्षम प्राधिकारी के पास आदेशार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

राष्ट्रीय आवास नीति

1153. **श्री बी० एम० रेड्डी**
श्रीमती वसुन्धरा राजे
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री जी. एस वासवराज
डा० वेंकटेश काबड़े
श्री नाथू सिंह } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास नीति के मसौदे पर चर्चा करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों के आवास मन्त्रियों और सम्बन्धित स्थानीय सरकारी अधिकारियों का दो दिन का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय आवास नीति को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री बीरेन्द्र राम सारण) : (क) और (ख) आवास एवं शहरी विकास मंत्रियों और स्थानीय शासन के अधिकारियों का दो दिवसीय एक सम्मेलन 9-10 अक्तूबर, 1990 के दौरान नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय आवास नीति प्रारूप के अलावा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं अर्थात् नेहरू रोजगार योजना, कम लागत की स्वच्छता, मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति के कार्यक्रम शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं एवं पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति पर विचार-विमर्श किया किया गया था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आवास नीति के प्रारूप को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। नीति के प्रारूप में आवास मानदण्ड, भूमि की आपूर्ति तथा प्रबन्ध, ग्रामीण आवास, मलिन बस्ती तथा आबादकार कालोनियां आवास वित्त, भवन निर्माण सामाग्रियां तथा औद्योगिकी, सरकार तथा सार्वजनिक अभिकरणों की भूमिका; राज्य स्तर पर निवेश योजनाएं तथा कार्रवाई योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है। आवास नीति के प्रारूप में इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार की भूमिका अनुकूल वातावरण सृजित करने, आवास क्रियाकलापों की बाधाओं को समाप्त करने तथा आवास और आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि को प्रोत्साहित करने की है।

पंजाब आवासीय बोर्ड द्वारा आवंटित मकानों का हस्तांतरण

1154. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब आवासीय बोर्ड और चण्डीगढ़ आवासीय बोर्ड द्वारा आवंटित फ्लैटों को आवंटितयों द्वारा हस्तांतरण का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित मकानों में न रहने वाले आवंटितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आवंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए आवंटित मकानों के हस्तांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ङ) ऐसे मकानों के संदर्भ में खैरातनामे के पंजीकरण को प्रतिबन्धित करने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना

1154 **क. श्री डी० अमात** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है;

(ग) परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लाभ हेतु कोई परियोजना शुरू की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राजमंगल पांडे) : (क) जी, हां।

(ख) हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों तथा दिल्ली और बड़ौदा के नगर निगमों ने इस परियोजना को शुरू किया है।

(ग) से (ङ) इस परियोजना में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों सहित सभी विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है। परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्न है :—

(I) विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की आयोजना और प्रबन्ध के लिए संयुक्त क्षेत्र दृष्टिकोण

(II) विविध संवर्ग के प्रशिक्षित संसाधन शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी सहायता के माध्यम से सामान्य शिक्षा की मूलभूत ढांचों का उपयोग।

(III) पुनर्वास के पहलुओं की मदद के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और महिला तथा बाल विकास जैसे सेक्टरों से उपलब्ध ढांचों का उपयोग।

(IV) कार्य सम्बन्धी मूल्यांकन पर आधारित विशेष शिक्षा, शिक्षण सहायता तथा सामग्रियों का प्रावधान।

(v) अभिभावकों तथा सामुदायिक समर्थन को गतिशील बनाना।

(vi) परियोजना क्षेत्र में बच्चों की प्रगति का निरन्तर पर्यवेक्षण।

ह्यूमन इंटरफेरान अल्फा इंजेक्शनों के भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस

1154-ख **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक कैंसर औषधि, ह्यूमन इन्टरफेरॉन अल्फा इन्जेक्शनों के भंडारण और बिक्री के लिए कोई नये लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों को कितनी-कितनी मात्रा के लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ग) क्या भारतीय बाजार में इन औषधों के उपलब्ध न होने के कारण ये लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन औषधियों की कमी कब से महसूस की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बंसी चौधरी) : (क) और (ख) ह्यूमन इन्टरफेरॉन अल्फा एन० एल० इंजेक्शन एक कैंसर-रोधी औषध है और यह आई० टी० सी० नीति 1990-1993 के ओ० जी० एल० परिशिष्ट-6, सूची 3, मद क्रम संख्या 1 (XII) के अन्तर्गत आती है। इस नीति के परिशिष्ट-6, क्रम संख्या 37 के अनुसार सभी व्यक्ति परिष्कृत रूप में औषधें आयात कर सकते हैं। औषध और प्रसाधन सामग्री नियम के प्रपत्र 10 में एक लाइसेंस, औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची ग और ग (1) में उल्लिखित जैविक तथा विशेष उत्पादों के आयात के लिए अपेक्षित है। यह प्रपत्र 10 लाइसेंस मे० जेनेटिक्स साइंसेज (आई) लिमिटेड, बंगलौर को वर्ष, 1990 में जारी किया गया था। लाइसेंस में आयात किए जाने वाली औषध की मात्रा और मूल्य का कोई विनिदेश नहीं है।

(ग) और (घ) ह्यूमन इन्टरफेरॉन अल्फा एन० एल० इन्जेक्शन देश में निर्मित नहीं किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न अन्य जीवन रक्षक कैंसर-रोधी औषधों के साथ-साथ इस औषध को ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत लाया गया ताकि यह उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके।

12.00 **मध्याह्न**

केन्द्रीय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में—(जारी)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : पहले आप बताइए कि किस बात की माफी मांगने आए थे। यह तो कोई बात नहीं हुई, सदन में इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यह मामला किसी अकेले व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं है। यह मामला एक संस्था की मर्यादा और विशेषाधिकार का मामला है। यदि यह एक अकेले व्यक्ति का मामला है तो संबंधित संसद सदस्य आ सकता है और वह व्यक्तिगत हैसियत से आपसे मिल सकता है तो वह अकेला सदस्य आपसे जो बातचीत अथवा विचारों का आदान-प्रदान आदि जो आपसे करना चाहता है वह कर सकता है। मेरा अनुरोध है कि यह विषय व्यक्तिगत नहीं है, यह संस्थागत विषय है और क्योंकि यह विषय संस्थागत है, यह किसी व्यक्तिगत रुचि अथवा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र से बाहर है। मेरे पास यह विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है जब माननीय प्रधान मन्त्री खड़े होकर यह कहते हैं कि यहां तक कि यदि इस तरह की अफवाहें आती है, तो तत्काल ही सम्बद्ध व्यक्ति को आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री तथा उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो कुछ कहा है उससे मुझे यह जानकारी मिली है।

[हिन्दी]

"यह सत्य नहीं है, सत्य से परे है। जो अखबार में छपा है वह सत्य नहीं है, सत्य से परे है।"

[अनुवाद]

जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ प्रधान मन्त्री ने कहा और जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है यह मामला अभी भी एक संस्था की मर्यादा और विशेषाधिकार का बनता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुचाविनी अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधानमन्त्री जी ने सदन के सामने कहा कि मैंने अध्यक्ष जी से माफी मांगी, उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि जो रिपोर्ट है वह गलत है। मैं जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों माफी मांगी थी, क्या सुबह से शाम तक वे आपसे माफी मांगा करते हैं, क्योंकि उनके मंत्री ऐसे हैं जो कि कोई न कोई अभद्र व्यवहार करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए कि प्रधानमन्त्री जी आपके सामने क्यों माफी मांगने आए।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुचाविनी अली : अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ नहीं हुआ था तो प्रधानमन्त्री जी आपसे माफी मांगने क्यों आए, क्या वे इस तरह से रोज-रोज माफी मांगा करते हैं, काहे की माफी मांगने आए थे आपसे, यह बताइए। (व्यवधान)

किस बात की माफी मांगने आए थे, पहले हमको यह पता लगना चाहिये कि किस बात की माफी प्रधानमंत्री जी आपसे मांगने आए थे, यह स्पष्टीकरण आना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का सवाल उठाना चाहती थीं, लेकिन यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री आडवाणी ने, विपक्ष ने नेता के रूप में सुझाव दिया है, किसी भी तरीके से मर्यादा का गंभीर उल्लंघन है या तो केन्द्रीय मन्त्रि परिषद के एक सदस्य द्वारा मर्यादा का गंभीर उल्लंघन किया गया है जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है अथवा समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करते हुए अथवा आपके और केंद्रीय मन्त्रिपरिषद् के सदस्य के बीच जो कुछ हुआ उसके कथित समाचार प्रकाशित करने के मामले में गम्भीर उल्लंघन किया गया है। जो भी हो, आप अब तटस्थ व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि इसमें निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। आप यह नहीं कह सकते कि माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा अथवा संसदीय कार्यमन्त्री ने जो कुछ कहा उसके बाद निर्णय लिये जाने की आवश्यकता नहीं है; किसी भी तरीके मर्यादा का गंभीर उल्लंघन किया गया है और कोई न कोई इस मर्यादा के गंभीर उल्लंघन का दोषी है, या तो केन्द्रीय मन्त्रि परिषद् का सदस्य अथवा समाचार पत्र का सदस्य इसके लिए दोषी है। जो भी हो, आपको अपनी व्यक्तिगत हैसियत के लिए नहीं बल्कि इसमें एक संस्था शामिल है, उसके लिए निर्णय लेना होगा। मेरे नेता ने जो कुछ कहा है मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यदि हिन्दुस्तान टाइम्स ने यह समाचार दिया है जो कि पूरी तरह से गलत है, वह पक्षपातपूर्ण है, तो यह हमारे लिए विशेषकर आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि हिन्दुस्तान टाइम्स से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाए। यदि हिन्दुस्तान टाइम्स ने ऐसा कोई पक्षपातपूर्ण समाचार नहीं दिया है, तब स्पष्टतया: केन्द्रीय मन्त्रि-परिषद् के एक सदस्य ने, जिन्होंने कार्यरत रूप से यह सब कुछ कहा है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए।

इसका केवल एक ही तरीका है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव, (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, आप ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। आपको निर्णय लेना होगा क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह एक संस्था का मामला है। (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप कृपया यह कहे कि आप इस पर विचार करेंगे, आप इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे और आप जो निर्णय लेंगे उसे इस सभा को बताएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अनुसार संसद के आप प्रतीक हैं। आप केवल अध्यक्ष नहीं हैं, संसद के अधिकारों के संरक्षक मात्र नहीं हैं बल्कि आप महत्पूर्ण संसद के प्रतीक हैं। केवल संसद पर ही नहीं हमारे देश के संविधान पर होता है। जहां संविधान का उल्लंघन होता है तो इसका अर्थ है वहां पर व्यवस्था का प्रश्न उठता है। श्रीमन्, हमारे देश के संविधान के अनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न तब उठता है जब किसी माननीय सदस्य को उसके कर्तव्य-निर्वाह में बाधा डाली जाती है। मैं एक साधारण सदस्य हूं, मैं संसद के प्रति कर्तव्य-निर्वाह करना चाहूं और इसमें कोई बाधा डाले तो यह विशेषाधिकार का हनन है। अगर एक सदस्य के कर्तव्य निर्वाह में कोई बाधा डालना चाहे तो विशेषाधिकार का हनन करता है संसद के प्रतीक, संसद के अधिकारों के संरक्षक अध्यक्ष के कर्तव्य-निर्वाह में जो कोई धमकी देता है और बाधा डालने का प्रयास करता है और यहां तक दुस्साहस करता है कि "गिरफ्तार करवा देंगे" तो वह संविधान का उल्लंघन करता है और मन्त्रिमण्डल में एक क्षण भी वह रह नहीं सकता।

माननीय प्रधान मन्त्री जी ने स्पष्ट कहा है और उन्होंने आपसे क्षमा-याचना की है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए। जब उन्होंने क्षमा-याचना की है तो इसका अर्थ यह कि बात कुछ हुई है। अगर कोई बात नहीं होती तो वे क्षमा-याचना नहीं करते। जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर कहा है, उन्होंने इसको और भी उलझा दिया है। "यह बात सत्य नहीं है, सत्य से परे है" यह कहने से प्रकरण समाप्त नहीं होता। श्रीमन्, हमारे देश की संसद के इतिहास में यह पहला अवसर है, सन् 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ है, कि एक मन्त्री संसद के अध्यक्ष को धमकी दे। यह पहला अवसर आया है इस देश के इतिहास में। इसलिए श्रीमन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हल्के तरीके से न लिया जाए। मेरी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, जितना मैंने चाहा उतना कह दिया, लेकिन यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं चुप नहीं रह सकता। इस लिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। इससे अधिक उपयुक्त कोई प्रश्न नहीं है जो विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। (व्यवधान)

यह मामला विशेषाधिकार समिति के सामने रहता है तो तब तक श्री स्वामी को मन्त्रिमंडल से अलग किया जाए.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : मेरी बहुत ही साधारण मांग है। यदि धमकी दी गई है, तो सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यदि समाचार गलत है, तो देश और संविधान पर गम्भीर आक्षेप की वजह से दी हिन्दुस्तान टाइम्स के मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजकर इस मामले को ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकता।

यदि यह समाचार गलत है, तो इस समाचार पत्र के मालिक अथवा इस समाचार के रिपोर्टर जिसने यह गलत समाचार छापा है उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सरकार को दोनों में से किसी एक तरीके को अवश्य अपनाना चाहिए। मेरी यही मांग है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम इस पर पूर्ण बाद-विवाद चाहते हैं। यह एक बहुत ही साधारण मामला नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण अडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि सबके जो विचार आपके सामने प्रकट हुए हैं, उन पर आप विचार कीजिए। हमारा यह आग्रह नहीं है कि अभी आप निर्णय करें। आप इस पर सुविचारित निर्णय हमको कल दीजिए। हम यह मानते हैं कि व्यक्तिगत सवाल नहीं है। ....(**व्यवधान**) बड़े से बड़ी गाली देने वाले व्यक्ति को भी मैं क्षमा कर सकता हूं। यह सदन का सवाल है और सदन की मर्यादा का सवाल है। इसमें व्यक्तिगत सवाल बिल्कुल नहीं है। आप इस पर विचार करके निर्णय लें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें इस सभा को स्थगित कर देना चाहिए और इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। हमें इस मामले को स्थगित कर देना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का मन्त्री अपने पद पर बना रहे।

श्री बसुदेव आचार्य : हमें इस पर पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें इस बात का फैसला करना चाहिए कि इसके लिये अगला कदम क्या होना चाहिए। आप इस सभा को स्थगित कीजिए। हम आपके कक्ष में बैठकर इस मामले पर चर्चा करेंगे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : आपने बताया कि आप सभा को विश्वास में लेंगे। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके अधिकार का हनन करना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हमें आपके कक्ष में मिलना चाहिए। आप सभा स्थगित कर दें।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने दलगत विचारों से हटकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। निःसन्देह प्रधान मन्त्री जी इस बीच बोले हैं। श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने भी एक विशेष वक्तव्य दिया और उन्होंने इस सम्बन्ध में और अधिक उलझन उत्पन्न कर दी, क्योंकि अगर वह कहते हैं कि सारी रिपोर्ट गलत है तो इसका यह अर्थ हुआ कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी आप से भी नहीं मिले। इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। इसलिये मैं यहां पर यही कहता हूं कि आप पहले ही विभिन्न माननीय सदस्यों के विचार सुन चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सभा में यह भारी आवेश है····(व्यवधान) मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस सभा में एक परिपाटी रही है। एक बार विशेषाधिकार पर उठाये गये प्रश्न पर एक ही दिन में पांच घण्टे की चर्चा हुई। अब इस सभा में यह तीव्र भावना है कि यह मामला इतना संवेदनशील है कि आप भी परेशानी महसूस कर रहे हैं; आप समझते हैं कि यह आपसे सम्बन्धित है। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप आज ही नेताओं से मिलें जैसा कि अनेक सदस्य कह रहे हैं। कृपया समय तय कीजिए····(व्यवधान) इस मामले पर पूरे विस्तार से चर्चा हो। कृपया विशेषाधिकार नोटिस को रद्द करने का प्रयास न करें। आज ही एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आप इसके लिये कोई भी समय तय कर सकते हैं। महोदय, आप नेताओं को अपने कक्ष में बुला सकते हैं। आप इसके लिये समय निर्धारित कर सकते हैं। आखिरकार स्थगन प्रस्ताव इसी प्रकार किया जाता है। प्रस्ताव पर ही चर्चा हो। ऐसा पहले भी हुआ था। हमने एक विशेषाधिकार के नोटिस पर इस सभा में पांच घन्टे तक चर्चा की थी। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह एक गंभीर मामला है। हम समझते हैं कि इस विषय पर आज ही चर्चा होनी चाहिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बतायें भोगेन्द्र जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस घटना के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि संसद जो कि देश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है उसमें लोकसभा की मर्यादा का प्रश्न है। तथ्य के बारे में जहां तक मामला है, आप खुद मौजूद थे, आपके सामने बात हुई थी इसलिये व्यक्तिगत रूप से नम्रतापूर्वक आप इनकार कर सकते हैं, गौण कर सकते हैं या इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत मामला नहीं है। व्यक्तिगत मामला एक ही मामले में है कि तथ्य के बारे में आप मौजूद थे, आपके सामने ये बातें हुईं। यह सारे देश का मामला है, सारे सदन का मामला है, अब यह व्यक्तिगत मामला नहीं है····(व्यवधान)···आप हल्ला न करें, मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : आप स्पीकर से बोलें ।

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिए मेरा आग्रह यह है कि आपने सुन लिया, आप सदन से समय ले लें, आप विचार करें, 1 घण्टा या दो घण्टे में विचार करें, और लोगों से राय लेकर कोई प्रक्रिया तय करें ताकि सदन में इसको अलस्सुबह लिया जाये । माननीय सदस्यों ने कहा है कि मन्त्री जी ने यह क.ा, शब्द ऐसे कहे या भाव ऐसा था, लेकिन किसी भी तरह से यह बर्दाश्त के बाहर की बात है । यह प्रधान मन्त्री का व्यक्तिगत मामला नहीं है, उनके मन्त्रिमण्डल के निर्णय का मामला नहीं है । यह मन्त्री के व्यवहार का मामला है । अगर नहीं कहा तो अखबार ने छाप दिया, यह भी एक गंभीर मामला है कि कोई अखबार सारे देश को और इस सदन को उलझन में डाल दे । किसी भी हालत में यह उपेक्षा का मामला नहीं है । आप सदन से समय लें और विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करके तय करें ताकि आगे कार्यवाही बढ़ सके । यही मेरा निवेदन है ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : आप अपने चैम्बर में सभी नेताओं को बुलायें और आधे घन्टे के लिये सदन स्थगित कर दें । क्योंकि यह बड़ा गंभीर मामला है इसकी प्रतिक्रिया पूरे विश्व में होगी । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक संस्था लोक सभा के अध्यक्ष को धमकी दी जाये, गिरफ्तार करने की, मेरा निवेदन है कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए आप आधे घन्टे के लिये सदन को स्थगित कर दें । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कृपया सभा को स्थगित कर दीजिए ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, कृपया अपने कक्ष में नेताओं की एक बैठक कीजिए । (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मामला इतना गंभीर है कि सदस्यगण उत्तेजित हैं और आप कृपया सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाइए और आज चर्चा करने के लिए समय निर्धारित कीजिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात है ।

अध्यक्ष महोदय : नाथू सिंह जी, पहले आडवाणी जी, जसवन्त सिंह जी और दूसरे नेता बोलेंगे, उसके बाद ही आप कुछ कहियेगा····

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक वाक्य में कहिये ।

श्री सत्य नारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, इतनी गंभीर बात हुई और वह केवल एक वक्तव्य में कहूं । सदन की अवमानना का गंभीर मसला है ।

"सत्य को असत्य ने घेरा है, प्रकाश को चुनौती दी है अंधेरे ने, किसी को इजाजत नहीं है कि संसद की इस तरह से कोई अवमानना करे।"

यह हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाथू सिंह जी, केवल एक वाक्य में कहें।

श्री नाथू सिंह : मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि बैक बेंचर्स का कभी कभी आप नम्बर ले लेते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। आप जानते हैं कि मैं पीछे वाले सदस्यों का ख्याल रखता हूं।

श्री नाथू सिंह : कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि यह मामला प्रीवजले कमेटी में भेज दिया जाये ··

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री नाथू सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं एक मैम्बर का सवाल नहीं है यह सारे कार्डिनल ऑफ मिनिस्टर्स की ज्वायंट रिस्पांसबिलिटी होती है ···(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मन्त्री ने एक बात कही जिससे सरकार की टेंडेंसी झलकती है कि सरकार का एटीट्यूड क्या है ? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही डेंजरस मामला है कि सरकार अध्यक्ष को धमकी दे। इसका मतलब यह हुआ कि डैमोक्रेटिक से हिन्दुस्तान में काम नहीं हो सकता है। जब सदन के अन्दर डैमोक्रेटिक वे से काम नहीं हो सकता है तो बाहर किस तरह से सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम चला सकती है ? जहां तक बेसिक फंडामेंटल राईट्स का सवाल है ···

एक माननीय सदस्य : जनता की हालत क्या है ?

श्री नाथू सिंह : संविधान का जो बेसिक प्रिंसिपल है, यह उसका सवाल है, इसलिये इसे हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिये। मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ काम कर चुका हूं, मैं उनकी मेंटलिटी को जानता हूं और उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सब लोगों की बात सुन चुका हूं। मैं किसी को नजर अंदाज कहां करता हूं ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर अध्यक्ष महोदय को ही गिरफ्तार करने की धमकी दी गई है तो यह पूरे देश के विरुद्ध एक अपराध है। फिर अगर ऐसी कोई धमकी दी ही नहीं गई, और कोई समाचारपत्र यह प्रकाशित कर दे कि ऐसी धमकी दी गई है, तो यह देश के विरुद्ध दुगुना अपराध हुआ।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबू, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह मामला बहुत गंभीर है। यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि प्रधान मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा दिए गए इन वक्तव्यों से यह मामला उलझ गया है। इसलिए केवल आप ही बता सकते हैं कि सत्य क्या है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, आप फैसला करें तो हाऊस आगे चले।

अध्यक्ष महोदय : हमारी बात तो सुनिये। आप सब लोग बैठ जाएं।

मि० कुण्डू आप बैठ जाएं। लोकनाथ जी, अब क्या हुआ ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी आप बैठ जाएं। क्या मैंने आप लोगों को बोलने के लिए इजाजत नहीं दी ? नाथू सिंह जी, आप भी बैठ जाएं।

[**अनुवाद**]

लोकनाथ जी, मैं आपका वक्तव्य पहले ही सुन चुका हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री लोकनाथ सिंह चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, क्या वह अध्यक्ष को परेशानी में डाल सकते हैं ? इस बारे में आज ही चर्चा होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ चौधरी जी, आप बैठ जाएं। मैं आपको सुन चुका हूं और आप निवेदन कर चुके हैं। आप कृपया बैठ जाएं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० के० राय।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं समझता हूं कि आपने मुझे इस बारे में बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपको रोक सकता हूं ?

श्री ए० के० राय : महोदय, कुछ माननीय सदस्य आपके लिये चिन्ता प्रदर्शित करना अपनी ही जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मैं भी अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री ए० के० राय : महोदय, मेरा कहना यह है कि इससे पहले कि आप यह चर्चा समाप्त करें, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इस पर आगे चर्चा करें इस सभा के माननीय सदस्यगण यह जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी घटना वास्तव में घटी है अथवा नहीं। हम 'हां' या 'ना' में उत्तर जानना चाहते हैं। आप कृपया यह बताइए। इसके बाद आप जो चाहते हैं निर्णय लें। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री के हस्तक्षेप के बाद स्थिति की गंभीरता और अधिक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में सत्य नहीं जानते। केवल आप ही सत्य से अवगत हैं। और डा० स्वामी भी सत्य जानते हैं। क्योंकि डा० स्वामी गए हुए हैं; इसलिए केवल आप ही बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है।

दूसरे, प्रधान मन्त्री की बातों से भी यही प्रतीत होता है कि आपको कुछ कहा गया था। यह कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। अगर आपको कुछ कहा गया है तो यह इस सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मेरी विनम्र राय यह है कि आपको यह निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं कि यह एक गंभीर मामला नहीं है। प्रधान मन्त्री ने जिस ढंग से बात कही उससे प्रतीत होता है कि आपने उनको बताया है कि यह कोई गंभीर मामला नहीं है। मेरे विचार में यह निर्णय इस सदन को लेना है कि यह गंभीर मामला है या नहीं क्योंकि इससे संसद की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए, मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए तथा इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, इस पर चर्चा यहीं की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र जीत : हां, महोदय, इस मुद्दे पर यहीं चर्चा की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सत्यरेन्द्र कुन्दू (बालासोर) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्दू, आप एक अनुभवी संसदविद हैं। आप अपनी बात कुछ सैकिण्ड में व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सत्यरेन्द्र कुन्दू : हां, मैं कर लूंगा। महोदय, इस मामले में एक तीसरी पार्टी आ गई है—श्री मालवीय। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही श्री मालवीय के वक्तव्य का हवाला दे दिया है। आप इसे कितनी बार दोहरायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सत्यरेन्द्र कुन्दू : महोदय, मुझे यह बताया गया है कि श्री मालवीय का यह कहना है कि यह सच नहीं है। परन्तु, मेरी जानकारी यह है कि और बहुत कुछ भी हुआ है जो कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। मुझे यह बताया गया है कि मन्त्री महोदय ने आपको यह धमकी दी है कि

अगर आप जनता दल (एस) के सदस्यों को दलबदल के मामले में उत्तर देने के लिये अवधि को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाते, तो आपको मतदान द्वारा आपके पद से हटा दिया जाएगा। समाचार पत्रों ने इसे बड़ी सौम्यता के साथ प्रकाशित किया है। अब मन्त्री महोदय ने यह कह कर मामला और भी पेचीदा बना दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। परन्तु, मेरी जानकारी के अनुसार, जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हुआ है। मुझे बताया गया है कि आपने उन्हें कहा है कि वह चुप रहें तथा आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर आप जवाब देने के लिए अनिश्चित अवधि नहीं देते, तो वह आपको न्यायालय की अवमानना के मामले में गिरफ्तार करवा देंगे क्योंकि मामला न्यायालय में दायर किया जा चुका है। फिर भी, वह वहां से गए नहीं तथा श्री मालवीय ने उन्हें खींच कर कमरे से बाहर निकाला। (व्यवधान)। यह स्थिति है। इतना ही नहीं। आपका कक्ष भी इस सदन का हिस्सा है। एक दिन हम सरकारी पक्ष में थे; आज यहां बैठे हैं। यह प्रश्न विपक्ष बनाम सत्तारूढ़ दल का नहीं है। मैं कांग्रेसी मित्रों का समर्थन करता हूं जो कि मूल समर्थन दे रहे हैं (व्यवधान)। इसलिए मेरी आप से पुरजोर अपील है कि आपको यहीं, आज ही लोकसभा में निर्णय लेना होगा। (व्यवधान) यही विकल्प सत है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप मेहरबानी करके खामोश रहिये। असल में मैंने विरोधी दल के नेता, श्री आडवाणी जी, माननीय प्रधान मन्त्री जी, फिर पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब और आप सारे माननीय सदस्यों को सुना। इसलिये कि यह चीज ऐसी है, आप सब लोगों ने इस पर काफी एक्सरसाइज की है।

[अनुवाद]

आप इस मुद्दे पर काफी उत्तेजित हैं। मैंने आपकी बात सुन ली है। मैं आपकी दलीलों पर गौर करूंगा। अब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस मुद्दे पर पहले चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ मैं कहूंगा कि····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइये। मैंने आप से जो कुछ कहा, उसके साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि जब हाउस लंच के लिये उठेगा तो मैं हर एक दल के नेता से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके, इस विषय पर बात करने के लिये, वे मेरे चैम्बर में आ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा था। आप तो हिन्दी अच्छी तरह समझते हैं। मैंने कहा कि आप लोगों ने जो निवेदन किया है, वह मेरे विचारार्थ है और मैं आपको सभी पार्टियों के नेताओं को अपने चैम्बर में बुला रहा हूं। जब मैं हाउस को लंच के लिये एडजर्न करूंगा तो मेहरबानी करके आप हमारे चैम्बर में आ जाइए।

अब पेपर्स लेड ऑन दि टेबल।

12.31 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय खेल प्राधिकरण का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, इत्यादि,

[अनुवाद]

माननीय संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।—

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-1619/91]

अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद;
मुम्बई वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन मुम्बई;
दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर;
उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद
के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण
की समीक्षाएं इत्यादि।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री कृष्णदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1620/91]

(दो) मुम्बई वस्त्र अनुसंधान (एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1621/91]

(तीन) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1622/91]

(चार) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1623/91]

(2) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद, मुम्बई वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, मुम्बई, दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, कोयम्बटूर तथा उत्तरी वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 162 /91]

(3) (एक) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1624/91]

(4) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1625/91]

(5) (एक) संक्षिप्त तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संक्षिप्त तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1626/91]

(6) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1627/91]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अदालती मामलों पर व्यय के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1418 के 21 मार्च, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे, आवासीय तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अदालती मामलों पर व्यय के बारे में श्री हुकमदेव नारायण यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1418 के 21 मार्च, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1628/91]

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1629/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आवासीय तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवासीय तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1630/91]

संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 1990 इत्यादि

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत संसद में विपक्षी नेता (भत्ते चिकित्सीय तथा अन्य सुविधायें) (संशोधन) नियम, 1990, जो 17 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 715 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र, जो 17 सितम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 779 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1631/91]

जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र बंगलौर, बड़ौदरा, चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, दिल्ली इत्यादि के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और किदवई मेमोरियल आफ ओनकोलॉजी बंगलौर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा० शकीलुर्रहमान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1632/91]

(2) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, बड़ौदरा के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1633/91]

(3) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1634/91]

(4) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1635/91]

(5) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, चंडीगढ़ दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1636/91]

(6) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, गांधीग्राम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1637/91]

(7) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1638/91]

(8) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, पटना के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1639/91]

(9) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1640/91]

(10) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, करियावट्टम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1641/91]

(11) जनसंख्या अनुसन्धान केन्द्र, कर्नाटक के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० डी० 1642/91]

(12) (एक) किदवई मेमोरियल इन्सटीट्यूट आफ ओनकोला जी, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) किदवई मेमोरियल इन्सटीट्यूट आफ ओनकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) किदवई मेमोरियल इन्सटीट्यूट आफ ओनकोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 1643/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986, केन्द्रीय भण्डागारण निगम (दूसरा संशोधन) निगम, 1990 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरवर हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 616 (अ), जो 7 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं का विखण्डन किया गया है ।

(दो) का०आ० 617(अ), जो 7 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1837 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(तीन) का०आ० 618(अ), जो 7 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अगस्त, 1968 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2878 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(चार) का०आ० 619(अ), जो 7 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जनवरी, 1967 की अधिसूचना संख्या का० आ० 84 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

(पांच) का०आ० 620(अ), जो 7 अगस्त 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 जुलाई, 1966 की अधिसूचना संख्या 2135 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छह) का०आ० 624(अ), जो 7 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या का० आ० 681 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सात) दालें, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेलों (भण्डारण नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1990, जो 13 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 711(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) चीनी (वर्ष 1989-90 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1990, जो 25 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 812(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) चीनी (वर्ष 1990-91 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1990, जो 23 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 855(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1644/91]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो, अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी (संस्करण) :—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के नियंत्रण तथा शर्तें) संशोधन विनिमय, 1990, जो 22 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासनिक वित्तीय तथा अन्य पदों में भर्ती) दूसरा संशोधनन विनिमय, 1990, जो 22 अगस्त 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला के तकनीकी पदों में भर्ती) संशोधन विनिमय, 1990, जो 22 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 726(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के नियंत्रण तथा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1990, जो 21 सितंबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 808(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) का०आ 850(अ), जो 7 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मई, 1989 की अधिसूचना संख्या का०आ० 376(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1645/91]

(3) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डागारण निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 जो 11 अक्तूबर 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 836(अ) में प्रकाशित हुये थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1645/91]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1647/91]

(5) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1648/91]

12.32 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को दे देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 27 दिसम्बर, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1990 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।"

12.32½ म० प०

भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन विधेयक, 1990

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : मैं भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1990, राज्य सभा द्वारा यथा पारित; को सभा पटल पर रखता हूं।

12.33 म० प०

प्राक्कलन समिति

तेरहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भारतीय चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की उसमे सम्बन्धित बैठकों का कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.33½ म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं भारतीय तेल निगम लिमिटेड - बगलौर में दो रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्रों की स्थापना के संबंध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (आठवीं लोकसभा) के 55वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.33III म०प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री भुवान चन्द्र जोड़ा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.34 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

संसद सदस्यों की अनुशंसा पर दिए जाने वाले रसोई गैस के प्राथमिकता कोटे में वृद्धि किया जाना ।

पेट्रोलियम रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय मैं इस सम्माननीय संसद के माननीय सदस्यों को, संसद सदस्यों की अनुशंसा पर दिए जाने वाले एल० पी० जी० के प्राथमिकता-कोटे में वृद्धि करने के संबंध में लिए गए निर्णय से अवगत कराना चाहता हूं ।

2. वर्तमान खाड़ी संकट तथा एल० पी० जी० की समिति उपलब्धता की वजह से चालू वर्ष में नए एल० पी० जी० उपभोक्ताओं का नामांकन करना सम्भव नहीं पाया गया है । जैसाकि पहले किया जाता था । इसमें परिणामस्वरूप, प्रतीक्षा सूची में सम्भावित उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो गई है । लोगों की भारी मांग को पूरा करने के लिए संसद-सदस्य अपनी अनुशंसाओं पर दिए जाने वाले प्राथमिकता वाले एल० पी० जी० कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करते रहे हैं । समुचित विचार के बाद, संसद-सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक सदस्य की अनुशंसा पर दिए जाने वाले एल० पी० जी० कनेक्शनों के कोटे में एक कलेन्डर वर्ष में अपने वर्तमान 24 कनेक्शनों में वृद्धि करके पहली जनवरी, 1990 से 48 कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है ।

2.35 म० प०

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

तारांकित प्रश्न संख्या 24 से सम्बन्धित पूरक प्रश्नों का 28 दिसम्बर 1990 को उत्तर देते हुए वित्तमंत्री श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा की गई टिप्पणियां

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, 28 दिसम्बर, 1990 को 'निर्माताओं को उत्पाद शुल्क की वापसी" से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 24 का लोक सभा में उत्तर देते हुए वित्तमंत्री श्री यशवन्त सिन्हा ने विधि और न्याय की फाइल में टिप्पणी और महान्यायवादी द्वारा फाइल में दी गई अपनी राय के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणी की थी ।

वित्त मन्त्री ने अपनी टिप्पणी में कहा था "मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि यह फाइल भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा पदभार छोड़ने के काफी दिन बाद तक उनके पास रही और यह मुझे 5 दिसम्बर, 1990 को प्राप्त हुई ।"

वित्तमंत्री की इस टिप्पणी से यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि फाइल में अन्तर्विष्ट टिप्पणी को दबाने के लिए मैंने जानबूझकर यह फाइल अपने पास रखी हो और वित्त मंत्रालय के पास दी गई टिप्पणी न हो ।

प्रक्रिया नियमों के अनुसार 28 दिसम्बर, 1990 को प्रश्न काल के दौरान मुझे अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं थी। अतः मैं नियम 357 के अन्तर्गत अब अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

सभी जानते हैं कि विभिन्न तारांकित प्रश्नों वाद-विवाद, लेखों, साक्षात्कारों और मंत्रालय से संबंधित मामलों के लिए मंत्री को अपने निवास पर तैयारी करनी होती है। अतः यह परम्परा है कि वह प्रायः अपने निवास में बनाए गए कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज फाइल रखता है। मंत्री जी के निवास पर बनाए गए कार्यालय में कुछ कर्मचारी भी होते हैं।

जब कोई मंत्री अपना पद छोड़ता है तब मंत्री के निजी कर्मचारियों को मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारिक कागजातों जिसमें वह कागजात भी शामिल होते हैं जो मंत्री के निवास पर स्थित कार्यालय में होते हैं. उन्हें वापिस करने के लिए एक माह का समय दिया जाता है। वित्त मंत्रालय से मुझे यह मालूम पड़ा कि यह समापन कार्य 9 दिसम्बर, 1990 तक पूरा हो जाना चाहिए। अतः वित्त मन्त्रालय के दो कर्मचारियों को मैंने इस कार्य को देखने के लिए कहा मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि मेरे निवास पर स्थित कार्यालय में से वह सभी अधिकारिक पत्रों, फाइलों को मेरे निजी पत्रों, लेखों, साक्षात्कार की रिपोर्टों और मेरे द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार अध्ययन टिप्पणों से अलग कर सभी अधिकारिक पत्रों, फाइलों को 9 दिसम्बर 1990 से पहले वित्त मंत्रालय को लौटा दें।

प्रेस रिपोर्टों से मुझे यह मालूम पड़ा कि 5 दिसम्बर, 1990 को उप वित्त मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने एक साक्षात्कार में यह बताया कि शुल्क वापसी के मामले में महान्यायवादी द्वारा दी गई राय गायब हैं और वह इस मामले की जांच कर रहे हैं।

मैंने वित्त मन्त्रालय के एक कर्मचारी से अनुरोध किया कि जिस फाइल का मैं दो-तीन बार पहले भी उल्लेख कर चुका हूं उस सम्बन्धित फाइल को वह मेरे निवास को ढूंढ कर ले जायें। कर्मचारी ने तदनुसार कागजात में से महाग्यायवादी की राय वाली फाइल और न्याय मन्त्री की टिप्पणी वाली फाइल को ढूंढ निकाला। मैंने उसी दिन फाइल राजस्व सचिव को इस निर्देश के साथ भेज दी कि वह उसे वित्त मन्त्री को अविलम्ब सौंप दें।

मुझे राजस्व सचिव ने फोन पर विश्वास दिलाया कि राजस्व विभाग के पास महान्यायवादी की राय की एक प्रतिलिपि है जो मेरे निवास स्थान पर रखी फाइल में थी।

5 दिसम्बर, 1990 को मैंने वित्त मन्त्री को फोन पर इसकी सूचना दी और बाद में मुझे उनसे फाइल के मिलने की सूचना भी प्राप्त हुई।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि फाइल में महान्यायवादी की राय और वित्त और न्याय मन्त्री की टिप्पणी के अलावा उत्पाद शुल्क की वापसी से सम्बन्धित कोई और विवरण नहीं था। यह विवरण केवल वित्त मन्त्रालय में ही उपलब्ध थे। मैं इस सुझाव के साथ पूर्णतया सहमत हूं कि केन्द्रीय नमक उत्पादकता शुल्क अधिनियम 1944 में उचित संशोधन करके उपभोक्ता कोष बनाने का प्रावधान किया जाये जिससे अनुचित लाभ के आधार पर उत्पादकता शुल्क वापसी की राशि रोक

ली गई है उसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराया जा सके। मैंने इसी तरह के एक प्रस्ताव के लिए पूर्व सूचना दे रखी है।

सभा के सदस्यों के इस संदेह को दूर करने के लिए कि उत्पादकता शुल्क वापसी के मामले पर कुछ संवेदयशील जानकारी को मैंने जानबूझकर रोके रखा है, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों और गोपनीयता की शपथ की ओर मेरी पूरी वचनबद्धता है और मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरे कार्यकाल या उसके बाद के समय में मैंने न तो स्वयं और न ही किसी दबाव में इस वचनावद्धता का उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, पंजाब समस्या के बारे में श्री सिमरन जीत सिंह मान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के साथ वार्ता हुई है। जो मैमोरण्डम उन्होंने दिया है उसके बारे में कुछ अखबार में यू० एन० आई० के द्वारा छपा है। उसके कारण अनेक प्रकार की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं। उसके बाद श्री मान का स्टेटमेंट भी आया है कि

[अनुवाद]

उग्रवादियों को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए और साथ उन्होंने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की।

[हिन्दी]

इस तरह की जो बातें हैं वह बहुत ही गम्भीर हैं, सीरियस हैं। मेरा निवेदन है कि एक तो जो मैमोरण्डम है उसको सदन के पटल पर रखा जाए और क्या टाक्स हुई है उसके बारे में ब्रीफ नोट रखा जाए और उस पर पूरी बहस हो क्योंकि पंजाब की समस्या के बारे में जिस तरह से वहां खालिस्तान बनाने की साजिशें हो रही है, ज्यादती हो रही है भाषा के ऊपर, पोषाक के ऊपर, राष्ट्रीय गान के ऊपर जिस तरह से बैन लग रहा है, जिस तरह से बेगुनाहों की हत्याएं हो रही हैं और पिछले कुछ दिनों से जो मामला बढ़ रहा है, वह देश के लिए बहुत चिन्ताजनक है। सैल्फ डिटरमीनेशन की मांग के बारे में प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था जिसको बाद में उन्होंने कुछ और तरीके से कहा कि संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। मैं चाहूंगा इस बारे में पूरी बहस सदन में हो और उसके बाद आप कोई निर्णय पर पहुंचें। मेरा निवेदन है कि मेमोरण्डम और श्री मान से जो बातचीत प्रधानमन्त्री की हुई है वह दोनों सदन के पटल पर रखे जाएं और उस पर पूरी बहस हो। (व्यवधान)

श्री एम० एस० पाल (मेंगीलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर नोटिस दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। आप बैठ जाएं, मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

डा० वेंकटेश कावडे (नांदेड़) : मान्यवर, नर्मदा का जो आन्दोलन चल रहा है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। वहां पर बहुत सारे आदीवासी भाई गुजरात में जा रहे हैं और इस समय बहुत बड़ा संघर्ष गुजरात और महाराष्ट्र की बाउन्ड्री पर होने की सम्भावना है। इसमें जो प्रश्न लगा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय सरकार की जो नीति है कि एक ओर ऐनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस समय नर्मदा सरोवर का काम रोक देना चाहिए।.... (व्यवधान) यह मन्त्री महोदय ने कहा है और दूसरी ओर बाबा आम्टे उनसे बातचीत करने के लिए पूरे ढग से तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री लेख नारायण सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीमकोर्ट के आदेश के मुताबिक रेलवे विभाग ने यह नोटिस जारी किया कि 31-3-87 से जिस कैजुअल लेबर्स ने रेल विभाग में काम किया है वे आवेदन-पत्र दे दें। बक्सर और दिलदार नगर के कैजुअल लेबर्स ने ऐसे में अपना आवेदन-पत्र दिया लेकिन आज तक दानापुर प्रमण्डल ने कैजुअल लेबर्स का वरीयता लिस्ट प्रकाशित नहीं किया है। इस बात को लेकर बक्सर और दिलदार नगर के करीब पांच हजार मजदूर आन्दोलन पर हैं और वे ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ भी आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा रेल मन्त्री और प्रधान मन्त्री जी से आग्रह है कि वह कैजुअल लेबर्स का वरीयता लिस्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कराने के आदेश दें एवं ठेकेदारी प्रथा समाप्त करायें। अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई तो वे 11-1-91 को बक्सर में रेल का चक्का जाम करेंगे जिसका दुष्प्रभाव रेल विभाग पर पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अरविंद नेताम (कांकेर) : अध्यक्ष जी, नर्मदा घाटी की बाबत जो आन्दोलन हो रहा है वह गुजरात के खिलाफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो समस्यायें आदिवासियों की है उनकी समस्याओं को चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे गुजरात सरकार हो या चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, सुनने का कष्ट करे। आदिवासियों की समस्यायें किसी स्टेट के खिलाफ नहीं हैं। और न ही विकास के खिलाफ हैं। मैं चाहता हूं उनकी समस्याओं को आप सुनने का कष्ट करें और उन पर पुनर्विचार करें। इस देश में आदिवासियों ने हमेशा त्याग किया है। क्या वह हमेशा त्याग ही करते रहेंगे? उनकी कहीं तो सुनवायी होनी चाहिये। इतना ही मुझे कहना है। (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) अध्यक्ष महोदय, हजारों आदिवासियों को लेकर बाबा आम्टे ने संकल्प लिया है कि अगर बांध इतनी ऊंचाई तक बनेगा तो मैं जल-समाधि लूंगा। इधर गुजरात गवर्नमेंट उन लोगों को आने नहीं देना चाहती है। आज मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर 6 हजार आदिवासी कड़ाके की ठंड में ऐसे ही पड़े हुए हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिये और उनसे सीधे बात की जानी चाहिये। उप-प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह उनसे बात करें। अगर उनकी पुनर्वास की समस्या है या जमीन की समस्या है तो उनको वह हल करायें। हमारे आदिवासियों के बारे में नेताम जी ने कहा ही है। आदिवासी विकास में भागीदार होने चाहियें।

वह उन आदिवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर बाबा आम्टे जो धरना देकर बैठे हुए हैं उसको आप समाप्त करायें। इतना ही मुझे कहना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, अभी आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे तो ही आपको बुलाऊंगा। **(व्यवधान)**

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा पर नर्मदा सागर जैसा बड़ा बांध जो बनाने जा रहे हैं उसमें आदिम जाति के लोगों की जमीन ली जा रही है। मैं खुद वहां दो बार गया था वहां पुनर्वास का काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। यह बांध तो बनाना ही चाहिए, बांध बनाना तो बहुत जरूरी है लेकिन पुनर्वास का काम होना भी जरूरी है। यही मेरी मांग है।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा आम्टे नर्मदा बांध के बारे में जो आन्दोलन आज चला रहे हैं, वह आन्दोलन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक विघटन का काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार की ओर से पर्यावरण मंत्रालय ने सार्टिफिकेट दिया है, केन्द्र सरकार ने परमीशन दी है और जो भी कण्डीशंस पर पर्यावरण मंत्रालय ने और केन्द्र सरकार ने लगाई है, उनका पूरा-पूरा इम्पलीमेंटेशन किया है। पुनर्वास का नाम लेकर जो आन्दोलन आज बाबा आम्टे चला रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन्हें इन्वीटेशन दिया था, ऑफर रखा था कि आइये और देखिये, हमने पुनर्वास के लिए पूरी व्यवस्था की है लेकिन बाबा आम्टे और मेधा पाटेकर वगैरह का जो भी रिजेण्टमैण्ट है वह गलत है। आज वह जो आन्दोलन चलाते हैं इससे गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में एक प्रदेशवाद की भावना पनपी है....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हो गया न? नो रिपीटीशन।

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्यावरणवादियों को कितनी ही बार क्लैरीफिकेशन मिल गया लेकिन फिर भी माननीय प्रधान मन्त्री जी परसों उनसे मिले और उसमें प्रधान मन्त्री जी ने जो इण्टरफिरेंस किया है, वह गलत है, अनैसेसरी किया है, क्योंकि ऐसे पर्यावरणवादियों को बार-बार प्रोत्साहन देकर, उनकी बात सुनकर आपने वहां जो टीम भेजी है....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है: हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, बैठ जायें।

श्री काशीराम राणा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी की ओर से जो टीम गुजरात में गई है और गुजरात में पुनर्वास का काम देखने गई है, वह ठीक नहीं है। यह काम गुजरात सरकार के करने का है। मैं आपके जरिये प्रधान मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि आपने जो टीम भेजी है; गुजरात में और महाराष्ट्र में भी लेकिन गुजरात वाले इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं इससे कई गांवों में जो पानी पहुंचाने का काम है....

अध्यक्ष महोदय: आप बार-बार क्यों पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इससे समस्या का कोई हल नहीं होता है।

श्री काशीराम राणा : यह काम प्रधान मन्त्री जी ने गुजरात के खिलाफ किया है। मैं मानता हूं और आपके जरिये कहना चाहता हूं कि टीम भेजने का आदेश दिया गया है, वह वापस लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटन) : मैं बाबा आम्टे द्वारा चलाये गए आन्दोलन के बारे में बोल रहा हूं। बाबा आम्टे चाहते हैं कि अनुसूचित जातियां वनवासी ही बनी रहें। अन्तर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण ने चारों सम्बन्धित राज्यों की बातें सुनी और 1979 में अपना निर्णय दिया जिससे सभी राज्य सहमत थे।

आज यदि एक वृक्ष कट जाता है तो गुजरात सरकार 40 वृक्ष लगाती है। पुर्नवास कार्य भी बहुत अच्छे ढग से चल रहा है इससे वहां के आदिवासी बहुत प्रसन्न हैं। अब आदिवासी जंगलों में नहीं रहते हैं वे मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे हैं और हमारे मैदानी क्षेत्र के लोगों के समान हो गए हैं। इसलिये देश के सामने प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या हम इस बात से सहमत हैं कि क्या आदिवासी जंगलों में ही बने रहें अथवा देश के अन्य लोगों की तरह मैदानी क्षेत्रों में रहने लगें। (व्यवधान) अब तक 700 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चावड़ा, इस बात को मत दोहराइए, मैं इसे समझ चुका हूं।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : मैं अपनी एक और बात कहने के बाद बैठ जाऊंगा।

यदि पानी और भोजन का विवाद है तो किसका चयन करना उत्तम है ? उस स्थिति में पानी का चयन सर्वोत्तम होता है। भोजन, पर्यावरण अथवा किसी अन्य के बीच विवाद की स्थिति में हम भोजन का चयन करेंगे। इस प्रकार गुजरात इन सभी से पीडित है। कृपया मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए जिसके लिए मैंने आज नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री तारीक सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दूरदर्शन के पक्षपात पूर्ण रवैये की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 30 दिसम्बर को मेरे क्षेत्र में दो लाख लोगों की सभा हुई, इसके लिये दूरदर्शन को मैंने तीन दिन पहले नोटिस दिया था कि हमारी सभा को कवर किया जाये। उसमें भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री पासवान, श्री अजित सिंह और श्री शरद यादव के साथ मैंने स्वयं सम्बोधित किया था, लेकिन तीन दिन पहले नोटिस देने के बावजूद भी दूरदर्शन की कोई टीम उस सभा को कवर करने के लिये नहीं पहुंची। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पक्षपात पूर्ण रवैये की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा को एक ही बुलेटिन में तीन बार दिखाया गया लेकिन हमारी सभा का कुछ भी हिस्सा टी० वी० पर नहीं दिखाया गया। मैं इस पक्षपात पूर्ण रवैये की कड़ी निन्दा करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप करके, इस पक्षपात पूर्ण रवैये पर उचित कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : कश्मीर घाटी में बड़ा भारी हिमपात हुआ है। इसने विगत 12 वर्षों के रिकार्ड तोड़ दिए है। सभी आवश्यक सेवाएं ठप्प हो गयी हैं और वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। वहां बिजली नहीं है इससे कश्मीर के लोग पूरी तरह अंधेरे में रह रहे हैं। श्रीनगर शहर और अन्य स्थानों पर सड़कों से बर्फ नहीं हटायी गयी है। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। उप प्रधानमन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे इसके बारे में नवीनतम स्थिति जानना चाहता हूं। कश्मीर घाटी में दो सलाहकार पूरे शीतकाल रहें। उन्हें चौबीसों घण्टे बिजली देनी चाहिए, आवश्यक सेवाओं को पुनः शुरू किया जाना चाहिए और अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जानी चाहिए क्योंकि जम्मू और श्रीनगर के बीच सड़कें बन्द होने के कारण अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जानी चाहिये। मैं उपप्रधान मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर की जनता के सामने पहले से ही अनेक कठिनाइयां रही हैं मेरा उप प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह मुझे इस बात का आश्वासन दें कि कश्मीर में चौबीसों घन्टे बिजली दी जाएगी, बर्फ को साफ किया जाएगा इसके लिये अधिक संख्या में मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, आवश्यक सेवाओं, अस्पताल सेवाओं और अन्य सेवाओं को पुनः शुरू किया जाएगा। मिट्टी का तेल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कश्मीर के लिये अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जानी चाहिए। मेरा उप प्रधान मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि मुझे इस बात का आश्वासन दें कि सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां उपस्थित हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उनकी क्या प्रतिक्रिया है? कश्मीर की जनता के लिये आपका क्या संदेश है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप यही चाहते हैं न —कश्मीर के बाशिन्दे खुश रहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हमारा देश एक जनवरी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। खाड़ी विवाद बहुत जटिल होता जा रहा है। इसके बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि खाड़ी संकट के बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है? दूसरे, युद्ध बहुत निकट है। हम यह जानना चाहते हैं कि यदि युद्ध होता है तो क्या हमने इस बात का कोई अध्ययन किया है कि इसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सीमाओं के बारे में कोई अध्ययन किया है कि क्या इससे हमारी सीमायें प्रभावित होंगी। इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है? हमारा अनुरोध है कि सरकार को इसके बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए। अन्यथा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

[हिन्दी]

1.00 म० प०

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, एयर-बस 320 के विषय में सरकार की जो अस्पष्ट नीति है, उसके विषय में तो मैं कल बात करूंगा आज आपका ध्यान मैं एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । मैंने दो विषय दिए थे, यदि आपकी कृपा होगी तो 320 एयर बस का मामला मैं कल उठाऊंगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला है और वहां पर यू० पी० आटो ट्रेक्टर कारखाना स्थापित है । लेकिन घाटे में चलने की वजह से इस कारखाने को बन्द कर दिया गया है । यहां पर 1300 कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको नौकरी से हटा दिया गया है । इससे करीब 50000 परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, जिनकी आजीविका चल रही थी, आज वे भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं । हमने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया था, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उनके पास इतनी टेक्नीकल कांपीटेंसी नहीं है कि इस फैक्ट्री को चलवा सके । मेरा भारत सरकार से अनुरोध है, विशेष तौर पर डिप्टी मिनिस्टर इंडस्ट्री यहां पर हैं, उनसे और पैट्रोलियम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यू० पी० गवर्नमेंट से और इंडस्ट्री मिनिस्टर से बातचीत करके इस कारखाने को फिर से शुरू करवाया जाए, ताकि 1300 लोग, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनकी आजीविका चल सके और जो 50000 लोग इस कारखाने से जुड़े हुए हैं भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, उनका कल्याण हो सके, यह भारत सरकार की बहुत बड़ी उन पर कृपा होगी ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में और खासतौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र योगेश्वरी में तीन दिन पहले दंगा हुआ । दुर्भाग्य से इस दंगे में पुलिस फायरिंग में 3 लोग मारे गये । यह दंगा दो मुस्लिम गुटों के बीच हुआ था, लेकिन दूसरे दिन अखबार में आया कि मुम्बई में दंगा हुआ और तीन मरने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए जो कि मुसलमान थे । इससे पढ़ने वालों को यह लगा कि हिन्दू-मुस्लिम दंगा होगा और इसके कारण दंगे भड़क गए और जो दंगा मुस्लिम गुटों में हुआ था और पुलिस से संघर्ष हुआ था, वह चीज सामने नहीं आई, यह चीज हिन्दू-मुस्लिम दंगे में बदल गई । जातीय दंगों पर यहां पर चर्चा की गई, जिस तरह से मन्दिर, मस्जिद, चर्चा की जगह पर ऐसे मौकों पर मंदिर, मस्जिद या चर्च का नाम न लेकर प्रार्थना स्थल शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसी तरह से मेरा सुझाव है कि जैसे यह कहा जाता है कि प्रार्थना-स्थल पर हमला हुआ, तो जब तक दंगे पर काबू न पा लिया जाए, लोगों को यह बता नहीं चलना चाहिए कि मरने वाले व्यक्तियों का नाम क्या है । इस दंगे में दुर्भाग्य से मुसलमान मारे गए, अखबारों में उनके नाम छपने से यह हो गया यह दंगा हिन्दू और मुसलमानों के बीच हुआ होगा । इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह से मन्दिर, मस्जिद या चर्च का नाम न लेकर प्रार्थना स्थल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब तक दंगों पर काबू न पा लिया जाए और दंगों को काबू में रखने के लिए मरने वाले व्यक्तियों के नाम भी नहीं आने चाहिए । राज्य सरकारों को इस तरह

का सुझाव दिया जाए कि जब तक दंगे काबू में न आ जाएं तब तक मरने वाले लोगों के नाम घोषित न किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मुम्बई में यह जो दंगा हुआ, इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से करवाई जाए, इससे साफ हो जाएगा कि दंगे के कारण क्या थे। (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर्जा माफ करने की योजना के अनुसार लाखों किसानों का कर्जा माफ किया गया है। परन्तु राजस्थान में सहकारी बैंक द्वारा आज्ञा दी गयी कि 31 दिसम्बर तक जो व्यक्ति ब्याज जमा नहीं करवायेंगे उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। किसान पिछली बार के कर्जे से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, दुःखी हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि ब्याज जमा कराने की तारीख 31 दिसम्बर जो कट-डाउन है उसे बढ़ाकर जून तक एक्सटैंड कर दिया जाए ताकि लाखों किसानों को फायदा हो जाए। आज सदन में देवीलाल जी बैठे हुए हैं जो किसानों के हितों के लिए बार-बार कहते रहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि लाखों किसानों के 10 हजार तक के कर्जे माफ करने के साथ-साथ ब्याज जमा कराने की अवधि 31 दिसम्बर से बढ़ाकर जून, 1991 कर दी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय मैंने एक पूर्व सूचना दी थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मालिनी जी, मैंने आपके नोटिस को देखा, आप बोल लीजिएगा।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गम्भीर मामले के संबंध में नोटिस दिया था। प्रधान मन्त्री जी अकाली नेताओं से पंजाब के मामले पर बातचीत कर रहे हैं, मान साहब से बातचीत कर रहे हैं। उसी समय पंजाब के अकाली नेता सिमरन जीत सिंह मान का वक्तव्य आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सैल्फ डिटरमिनेशन से नीचे बात नहीं करना चाहते। इस वक्तव्य के आने के साथ साथ एक तरफ माननीय प्रधान मंत्री जी का बयान छपा है जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सिस को मिलिटैंटस के खिलाफ कार्यवाही करने से रोकने के लिए कहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। आज पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं। अकाली नेताओं और प्रधान मन्त्री जी के बीच में क्या गुप-चुप बातचीत चल रही है? इस सदन के सभी दलों के नेताओं ने मांग की है कि आपके बीच में जो गुप-चुप वार्ताएं चल रही हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से बताया जाए। विभिन्न पार्टियों के नेताओं को कांफीडैंस में लिया जाए। आज देश को पता नहीं है, विभिन्न दलों के नेताओं को पता नहीं है कि प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर और अकाली नेताओं के बीच में क्या बातचीत हो रही है, वे क्या बातचीत कर रहे हैं। उप प्रधान मंत्री श्री देवीलाल जी को कांफीडैंस में लिया है या नहीं? इनका तो पड़ौसी राज्य है। मैं जानना चाहूंगा कि चन्द्रशेखर जी मिलिटैंटस और अकाली नेताओं से क्या बातचीत कर रहे हैं। देवीलाल जी को क्या इस बारे में जानकारी है? प्रधान मंत्री जी ने जो सिक्योरिटी फोर्सिस को कहा है कि मिलिटैंटस के खिलाफ कार्यवाही रोक दें, यह बहुत ही सीरियस बात है। हमारे देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले पर मैंने ऐडजर्नमेंट नोटिस दिया है, कालिंग अटैंशन दिया है।

मैं जानना चाहूंगा, उप-प्रधान मंत्री श्री देवीलाल जी बैठे हुए हैं, ये सदन को खड़े होकर जानकारी दें कि क्या चन्द्रशेखर जी ने उस बातचीत में इनको कांफीडेंस में लिया है या नहीं ? यह स्पष्ट किया जाये कि विभिन्न दलों के नेताओं को कांफीडेंस में लिया जाएगा और देश की एकता और अखण्डता के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की जायेगी।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, यह एक तथ्य है कि यह मुद्दा सदन में उठाया जा चुका है। अब पंजाब की स्थिति तेजी से बदतर होती जा रही है। एक विशेष जाति के लोग गांव छोड़ कर शहर आना शुरू हो गए हैं और शहरों से अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। वहां प्रेस के व्यक्तियों पर हमला किया गया। वहां एक तथाकथित आचार संहिता भी है, जो पंजाब में एक आतंकवादी दल के द्वारा समय-समय पर जारी की जाती है।

आतंकवादी गतिविधियों में और भी तेजी आई है और स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। प्रधानमंत्री की आतंकवादियों के साथ संभावित वार्ता के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है। बहुत ही उलझन भरी और विकट स्थिति श्री मान द्वारा दिए गए तथाकथित वक्तव्य है, जिसमें पंजाब समस्या के कुछ पहलुओं को दर्शाया गया है। किन्तु यह सिर्फ पंजाब समस्या का ही प्रश्न नहीं उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वे देश की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित हैं। श्री मान के वक्तव्य के बारे में हमें प्रेस के द्वारा जो पता चला है, उसमें दर्शाया गया है कि यह देश का दूसरा विभाजन है जो पूरे देश के लिए भयंकर और विनाशकारी परिणामों से परिपूर्ण है। यह संविधान के मूलभूत ढांचे सहित संविधान के उल्लंघन का एक खुला आमंत्रण है। श्री मान का वक्तव्य एक सिख राज्य के निर्माण का खुला बुलावा है और देश की धर्मनिरपेक्षता पर एक खुला प्रहार है यह स्पष्ट रूप से साम्राज्यवादियों और अन्य देशों के षड्यंत्र का एक भाग है जिससे देश की एकता और अखण्डता को अस्थिर किया जा सके। इन परिस्थितियों में यदि बहुत समय से चली आ रही पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए इसे चर्चा का आधार मान लिया जाता है, तो यह देश के प्रति एक अपराध होगा।

प्रधानमन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान का संशोधन क्या है ? मेरे विचार से, जब तक ये बातें स्पष्ट नहीं होती, तब तक राष्ट्र चिन्ताग्रस्त रहेगा। मैं आपके द्वारा, सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे एक वक्तव्य दें और आप कृपया पंजाब की स्थिति पर एक पूर्ण-कालिक बहस की अनुमति दें।

निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : पंजाब पर एक बहस होनी चाहिए। संसदीय कार्य मन्त्री यहां उपस्थित हैं। मेरे विचार से, उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि पंजाब पर बहस के लिए एक तिथि और समय निर्धारित कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री पी० सी० चाको (मुवत्तुपुझा) : मैं मादक औषधियों की समस्या के बारे में चिंतित हूं विशेषकर देश के कुछ भागों में गांजे की खेती के बारे में और मैं केरल के कुछ

भागों में व्यापक रूप से होने वाली गांजे की खेती का उल्लेख कर रहा हूं। प्रैस में ऐसा समाचार है कि केरल के कुछ वनों के अन्दरूनी भागों में व्यापक स्तर पर गांजे की खेती हो रही है? विशेषकर इदुक्की जिले में यह एक समस्या बनी हुई है। ऐसा सुना गया है कि केरल सरकार के कुछ अधिकारियों ने इस खेती पर छापा मारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। किन्तु, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल सरकार के गांजे के कुछ उत्पादकों से सांठ-गांठ की है। यह भी पता चला है कि इदुक्की जिले के जिलाधीश, जो अन्त: वन प्रदेश में होने वाली खेती पर छापा मारने वाले थे। उनका तुरंत स्थानांतरण कर दिया गया। अन्य कुछ अधिकारी भी जो कार्यवाही करने वाले थे उनका भी तुरंत स्थानांतरण कर दिया गया। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे इसे एक अत्यन्त गम्भीर मामला मानकर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केन्द्र से खोजी दल वहां भेजें जो इदुक्की के वनों में खोज करें और अपराधियों को पकड़ कर उनके खिलाफ अत्यन्त कड़ी कार्यवाही करें।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री की श्री सिमरन जीत सिंह मान के साथ हुई नब्बे मिनट की वार्ता के बारे में समाचार पत्रों में काफी कुछ छपा है.... **(व्यवधान)** जहां तक श्री मान के साथ वार्ता का प्रश्न है, हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि संसदीय कार्यमन्त्री मेरी बात सुन रहे हैं ..**(व्यवधान)** यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि सिख मानस बुरी तरह आहत हुआ है और किसी भी उपचारक उपाय-इन्द्रजीत दादा अपने भोजन के लिए दस मिनट प्रतीक्षा कर सकते हैं - का हम स्वागत करते हैं। उस तरह से कोई भी इस पर विवाद नहीं करेगा कि ऐसी चर्चा क्यों हुई। किन्तु, दो-तीन ऐसी बातें हुई हैं जिनके कारण और अधिक भ्रम पैदा हुआ है। समाचार पत्रों में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नब्बे मिनट तक श्री मान के साथ चर्चा की और इस पर अपना संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के ढांचे में रह कर आत्मनिर्णय भी सम्भव है। यह एक अत्यन्त विस्मयकारी बात है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हुआ, तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। हम यह नहीं कहते कि संविधान में संशोधन नहीं करना चाहिए। यह मांग भी की गई है कि पंजाब को पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यवर्ती राज्य बना देना चाहिए। इसके साथ ही, आतंकवादी और विभिन्न खेमे यह भी आग्रह कर रहे हैं कि कार्यसूची में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि एक प्रभुसत्ता सम्पन्न खालिस्तान राज्य होगा। ने इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा था कि वे आतंकवादियों से बातचीत करने को तैयार हैं। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है? किन्तु प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री ने अकेले ही नब्बे मिनट तक चर्चा की; तो यह उनका कर्त्तव्य है, कि वे राष्ट्र को एक वक्तव्य दें कि उस चर्चा में क्या हुआ था, हमें इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविदों और अन्य लोगों का विचार है कि 'आत्म-निर्णय' की आवश्यकता तब होती है जब कोई देश एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बनता है। अगर संविधान के ढांचे के अन्दर आत्म-निर्णय' का कोई अन्य विशेषार्थ है, तो हम भी इसे जानना चाहेंगे। इसलिए, मैं प्रधानमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही, वे इस पर स्पष्ट वक्तव्य दें। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि श्री मान और अन्य लोगों के साथ चल रही बातचीत पर एक पूर्णकालिक बहस होनी चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, पंजाब के प्रति सदन की चिंता में हम भी सम्मिलित है। हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि पंजाब के मुद्दे पर

क्या किया जा रहा है और ऐसा संविधान के किन प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। हमारे नेता ने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इसलिए सदन में एक चर्चा और सरकार के एक वक्तव्य से, अभी बना हुआ भ्रम समाप्त हो जाएगा। और मैं सोचता हूं कि इस विषय पर सदन में एक चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.19 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म० प०

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : महोदय, सभा को यह जानने का हक है कि आज सुबह किस विषय पर चर्चा हुई है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, वह भी बैठक में थे तथा वह इस संबंध में जानते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : परन्तु मैं सदन को सूचित नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय ने बैठक बुलाई है। अतः कोई भी अन्य कार्य आरम्भ करने से पूर्व हमें निर्णय जानना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, सभा की कार्रवाई में कोई व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया है कि सभी नेता कल 10.00 बजे मिलेंगे तथा श्री मालवीय प्रधान मन्त्री जी से बात करेंगे तथा उनके निर्देश लेंगे। वह इस बारे में जानते हैं तथा सभा को भी इस सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। इस मामले पर चर्चा की गई थी तथा क्या चर्चा की गई थी, यह मुझे ज्ञात नहीं है। हमें यह सब बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं करनी चाहिए। यदि किसी मामले में कोई निर्णय किया जाता है, तब उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सभा में सुबह लगभग सारा समय इसी मामले पर चर्चा की गई थी। यह मेरे जानने का प्रश्न नहीं है। विशेषकर इस मामले के ऊपर पूरा सदन उत्सुक था। उसके पश्चात यह तो अध्यक्ष महोदय की उदारता थी कि उन्होंने इस मसले पर बैठक में चर्चा की। अध्यक्ष जी के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सभा को भी जानना चाहिये। उस बैठक में जो भी चर्चा की गई थी, उसके बारे में सभा को बताया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि सुबह जिस घटना को लेकर सदन उत्तेजित था और वह बहुत ही गंभीर मामला था, इस सवाल के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। सुबह सारा का सारा टाइम इस सवाल पर दिया गया और दोबारा जब हम यहां पर बैठे हैं तो हम यह जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या नतीजा निकला ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले के बारे में सूचना देने के लिए मुझ पर अधिक जोर न डालें। जो माननीय सदस्य बैठक में उपस्थित थे, वे जानते हैं कि क्या हुआ है जबकि मुझे इस मामले की पूर्ण जानकारी नहीं है। अतः यह मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं आपको वास्तविक स्थिति जो कि मुझे ज्ञात नहीं है, वह बताकर कुछ गलत तथ्य बताऊं। आप मामले की नाजुकता, गंभीरता को समझने का प्रयत्न कीजिए तथा उस पर जोर नहीं दीजिए। आपने अपने विचार अभिव्यक्त कर दिए हैं तथा मैं समझता हूं कि सभी सम्बन्धित व्यक्ति इस मामले को बहुत गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं तथा वे निश्चित रूप से उचित निर्णय लेंगे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यह बैठक किसी व्यक्ति द्वारा निजी तौर पर नहीं बुलाई गई बल्कि, पीठासीन अधिकारी द्वारा यह बैठक बुलाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसके लिए आप मुझ पर इतना दबाव कैसे डाल सकते हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : पीठासीन अधिकारी ने यह बैठक बुलाई है। इस समय आप पीठासीन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अतः आपको जानकारी रखनी चाहिए तथा सभा को सूचित करना चाहिए क्योंकि सुबह पूरा सदन इस सम्बन्ध में उत्तेजित था। हमने यह निर्णय लिया है कि हम सदन की कार्यवाही को इतनी देर तक नहीं जारी रहने देंगे चूंकि इसका निर्णय ली। किया गया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रेस करने की बात नहीं है। **(व्यवधान)** जिनके साथ दुर्घटना हुई है वह तो वैसे नहीं बोल सकते और आप जानते नहीं इसलिए आप नहीं बोल सकते, फिर उस घटना का क्या होगा ? **(व्यवधान)**

प्रो० रामगणेश कापसे (अचे) : आप यह इनफोरमेशन क्यों नहीं दे सकते ? **(व्यवधान)**

श्री शोपत सिंह मक्कासर : सदन के इतिहास में यह शर्मनाक हादसा हुआ है। सारा सदन जानता है कि यह मामला खड़ा हुआ है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठक में उपस्थित थे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इससे मतलब नहीं है। पूरा सदन उपस्थित था तथा पीठासीन अधिकारी ने हमें बैठक के लिए आमंत्रित किया था। अतएव या तो आपको अथवा संसदीय मामलों के मन्त्री को इस सम्बन्ध में हमें सूचना देनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा तथा यदि मुझे सूचना मिल जाती है तो उसे मैं सदन को बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इस समय लखनऊ में दंगे हो रहे हैं। अलीगढ़ में फिर से दंगे शुरू हो गए हैं। पी०ए०सी० द्वारा की गई पक्षतापूर्ण भूमिका के बारे में काफी शिकायतें की गई हैं। इस समय पी०ए०सी० द्वारा की जा रही तलाशियों में ज्यादतियों तथा अत्याचारों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन सभी संवेदनशील स्थानों से पी०ए०सी० को हटाना आवश्यक है तथा केन्द्रीय बलों को वहां तैनात किया जाना चाहिए। जहां तक अलीगढ़ का सम्बन्ध है, वहां पर सेना तैनात की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र दिल्ली में बोट-क्लब पर क्रमिक भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं तथा यह मांग कर रहे हैं कि पी०ए०सी० को वहां से तुरन्त हटाया जाए तथा साम्प्रदायिक दंगा-विरोधी बल का तुरन्त गठन किया जाए तथा उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है तथा जिसमें अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट तथा बिजनौर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। माननीय प्रधान मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह भूख-हड़ताल पर बैठे हुए छात्रों में से कुछ को बुलायें, उनसे बात करें तथा उन्हें आश्वासन दें तथा देश में विश्वास, सद्भावपूर्ण वातावरण बनायें जिससे इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में मदद मिल सके

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस अनुरोध पर पूरा ध्यान देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में जो मामला उठाया गया था, उसके सम्बन्ध में मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है।

मामला अध्यक्ष के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के बारे में वह सभा को कल सूचित करेंगे।

इस समय अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को उठाएंगे।

2.32 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु से होकर जाने वाले त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रखरखाव की मांग

श्री एम० डेनिस (नागरकोइल) : उपाध्यक्ष महोदय, त्रिवेन्द्रम—कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग का तमिलनाडु भाग काफी खराब स्थिति में है। इसमें तुरन्त सुधार किए जाने तथा इसका

तुरन्त रख-रखाव करने की आवश्यकता है। यह सड़क जो कि पहले भारत की सर्वाधिक लंबी सीमेंट की सड़क के रूप में विख्यात थी इस समय काफी खराब स्थिति में है। मानसून की वर्षा से सड़क के दोनों किनारे खराब हो गए हैं तथा जिन्हें तब से ठीक नहीं किया गया है। कुजियुरई नदी के पुल की किनारे की दीवारें कई स्थानों से टूट गई हैं। वे यात्रियों तथा वाहन-यातायात के लिए काफी खतरनाक हो गई हैं। वहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सड़क की दशा सुधारने के लिए तुरन्त कदम उठाए।

(दो) अरुणाचल प्रदेश के लिए वायुदूत सेवाएं पूर्वघोषी सारणी के अनुसार पुनः आरम्भ किए जाने की मांग

श्री लेइता अम्बरी (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, वायुदूत-सेवाओं को उत्तर-पूर्व राज्यों के महत्वपूर्ण कस्बों से जोड़ने के लिए आरम्भ किया गया था तथा यह उम्मीद की जाती थी कि इन सेवाओं से इस क्षेत्र की संचार सेवाओं की कमी में सुधार किया जा सकता था। परन्तु इसके विपरीत देश के अन्य भागों में दी गई वायुदूत सेवाओं में काफी अन्तर है। यहां तक कि बेहतर संचार सेवाएं उपलब्ध कुछ बड़े शहर जहां पर इंडियन एयरलाइन्स की नियुक्ति सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन क्षेत्रों में भी वायुदूत सेवाओं की सुविधा प्राप्त है।

अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कि कोई इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं की सुविधा प्रदान नहीं की गई है, उस क्षेत्र में आशा की किरण उस समय जगी थी जबकि अभी हाल ही में कुछ वर्षों में इस राज्य के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में वायुदूत सेवाओं को शुरू किया गया था। परन्तु दुर्भाग्यवश पिछले एक वर्ष से उड़ान की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि प्रति सप्ताह तीन पूर्व-निर्धारित उड़ानों के स्थान पर यहां से केवल तीन महीनों में केवल सात उड़ानें ही भेजी गई हैं।

अतएव, मैं अनुरोध करता हूं कि पूर्व-निर्धारित समयानुसार अरुणाचल प्रदेश में वायुदूत सेवाओं को तुरन्त फिर से आरम्भ किया जाए।

(तीन) नैचुरो-इलैक्ट्रो-होम्यो मैडिकोज आफ इंडिया लिमिटेड को संरक्षण प्रदान करने और देश में इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ सिंह (सीवी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित विषय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं—'नैचुरो इलैक्ट्रो होम्यो मैडिकोज ऑफ इंडिया, जनकपुरी, नई दिल्ली नवीन पांचवीं चिकित्सा पद्धति इलैक्ट्रोपैथी का प्रचार—प्रसार कर रही है। इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति ऐलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी से पूर्णतया भिन्न है। एन०ई०एच०एम० आफ इंडिया के अनुरोध पर स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अप्रैल, 1988 में इम्पावरी कमेटी का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट 24 दिसम्बर, 1990 को मन्त्रालय को भेजी गई है। एन०ई०एच०एम० ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के अन्तर्गत 62 मैडीकल संस्थान संपूर्ण भारत वर्ष में बी०ई०एम०एस० तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में कार्यरत हैं जिसमें हजारों छात्र, छात्रायें व चिकित्सकों का भविष्य

इलैक्ट्रोपैथी पद्धति से जुड़ा हुआ है। मेरा स्वास्थ्य मन्त्रालय के माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि वह संस्था एन०ई०एच०एम० ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को सरकारी संरक्षण प्रदान करें एवं इस पद्धति का भविष्य उज्ज्वल बनायें।

(चार) दिल्ली से कोटद्वार के लिए एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने तथा कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सी० एम० नेगी (गढ़वाल) : दो दशकों से, गढ़वाल प्रक्षण्ड के लोग दिल्ली से कोटद्वार तक एक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन की मांग कर रहे हैं। अधिक यातायात के कारण मसूरी एक्सप्रेस में दिल्ली—कोटद्वार यात्रियों के लिये पहले ही पांच यात्री डिब्बे लगा दिए गए हैं। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं भी कम हैं। छोटे से क्षेत्र को छोड़कर सारा प्लेटफार्म बिना छत का है। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिये कोई पुल नहीं है। प्लेटफार्म के सामने की रेलवे भूमि पर सैकड़ों गैर झुग्गी वालों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। प्लेटफार्म के सामने बहुत कूड़ा-करकट जमा है।

इसलिये रेल मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध कि वह दिल्ली से कोटद्वार तक एक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की मांग स्वीकार करें तथा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करें।

(पांच) गोपालपुर पत्तन से उड़ीसा के गंजम जिले के भीतरी भागों तक रेल लाइन का निर्माण किए जाने की मांग

श्री ए० एम० सिंह देव (आस्का) : उड़ीसा के गंजम जिले के तटीय क्षेत्रों को उड़ीसा के अन्दरूनी क्षेत्रों, फूलबनी जिले और आगे के उत्तरी जिले के साथ जोड़ने के लिए लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है। गोपालपुर पत्तन के स्थापित होने के बाद, पत्तन को लाभप्रद बनाने के लिए भीतरी प्रदेश को रेलवे से जोड़ना आवश्यक हो गया है।

केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह गोपालपुर पत्तन से एक रेलवे लाइन आरंभ करें और दरिंगबड़ी को फूलबनी जिले के द्वारा बहरामपुर मार्ग से जोड़ते हुए और फिर कालाहान्डी जिले से होते हुए रायपुर में बम्बई—कलकत्ता ट्रंक मार्ग से जोड़ें। यह मद्रास—कलकत्ता ट्रंक रेलवे मार्ग को बंबई—कलकत्ता मार्ग से जोड़ देगा और उड़ीसा के अन्दरूनी भागों को और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र को गोपालपुर समुद्र पत्तन से जोड़ देगा।

(छः) केरल में कासरगोड त्रिवेन्द्रम तक पर्वतीय राजमार्ग बनाए जाने की मांग

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : नेशनल हाईवे-17 केरल से गुजरती है और तटवर्ती क्षेत्र में रेलवे लाइन के लगभग समानान्तर है। इसमें कोई शंका नहीं है, कि यह मालाबार क्षेत्र में मुख्य मार्ग है जिस पर अधिकतर यातायात चलता है। घाट सेक्शन से कई महत्वपूर्ण सड़कें निकलती

हैं और पश्चिम की ओर जाती हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग-17 से मिलती हैं। इसके समानान्तर उत्तर-दक्षिण में कोई सड़क नहीं है। पूर्व-पश्चिम में सैकड़ों संपर्क सड़कें हैं। इसलिए, एन० एच०-17 मुख्य राजमार्गों में से एक बन गई और इस पर बहुत अधिक संख्या में वाहनों का यातायात रहता है।

मालावार के पूर्वी भाग में बागान फसलें जैसे रबर, चाय, कॉफी, नारियल, सुपारी और काजू तथा धान के अलावा अन्य फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इन्हें एन० एच०-17 तक ले जाना बहुत महंगा काम है। राष्ट्रीय राज मार्ग तक पहुंचाने के लिए औसतन 50 से 75 कि० मी० तक यात्रा करनी पड़ती है। महगी होने के साथ-साथ, इसमें समय भी बहुत लगता है। इसका एक ही समाधान है कि केरल के मालावार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के समानान्तर एक पर्वतीय राजमार्ग बना दिया जाए।

मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस योजना को शुरू करे और तुरन्त सर्वेक्षण कराए और केरल सरकार को निर्देश दें कि कासरगौड से त्रिवेन्द्रम तक पर्वतीय राजमार्ग का कार्य आरंभ करें और खर्च वहन करें।

(सात) पुनपुन दर्घा परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (अहानाबाद) : महोदय, भारत वर्ष एक विशाल देश है जहां भिन्न-भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। अनेकता में एकता है। आज देश में बेकारी का आलम खड़ा हो गया है जिसके कारण देश में आन्तरिक कलह तेज होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उग्रवादी, आतंकवादी व अलगाववादी तत्व देश को खण्डित करने के लिए जोर-शोर से कार्य कर रहे हैं। देश की एकता को मजबूत करना है तो इन शक्तियों को कुचलना होगा। गांव में विकास कार्य युद्ध स्तर पर कराए जाएं तथा जो योजनाएं राज्य सरकार से आई हैं उनको भी शीघ्र अनुमति दी जाए। बिहार राज्य से पुनपुन दर्घा परियोजना 1980 में केन्द्र की स्वीकृति के लिए आई है परन्तु अभी तक कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। इसमें भी सुधार होना चाहिए और इस योजना को अष्टम योजना में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की जाए।

(आठ) श्रीलंका से नारियल का तेल आयात करने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : महोदय, श्रीलंका से नारियल तेल के आयात किए जाने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। केरल के लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल उत्पादों पर निर्भर करते हैं। सरकार के इस निर्णय से

कि नारियल तेल के आयात से कीमतों को नियन्त्रित करने में मदद मिलेगी, केरल के लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है।

यह आग्रह किया जाता है कि वाणिज्य मन्त्रालय श्रीलंका से नारियल तेल आयात करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करने के लिए तुरन्त कदम उठाए।

---

2 41 म० प०

गोवा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं।

> "कि यह सभा गोवा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

गोवा के राज्यपाल की रिपोर्ट और उद्घोषणा की प्रतियां सदन के सभा पटल पर रखी गई हैं।

गोवा के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित अपनी 11 दिसम्बर, 1990 की रिपोर्ट में गोवा में चल रही राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन किया था। राज्यपाल ने उल्लेख किया था कि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एम०जी०पी०) द्वारा मुख्यमन्त्री डा० लुइस प्रोटो बारबोसा से समर्थन वापस लिए जाने के कारण राज्य में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित हो गई है। मुख्यमंत्री और भूतपूर्व उप मुख्यमन्त्री दोनों ही बिना किसी निश्चित सबूत के बहुमत का दावा कर रहे हैं। राज्यपाल ने यह भी संकेत दिया था कि दोनों ग्रुपों की संख्या का सदन के पटल पर परीक्षण करने के लिए उन्होंने 4 दिन का नोटिस देकर 10 दिसम्बर 1990 को विधानसभा का सत्र बुलाया है ताकि वे अपने-अपने दावों को सिद्ध कर सकें। राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि मुख्यमन्त्री ने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ 10 दिसम्बर 1990 को प्रातः ही त्यागपत्र दे दिया था।

गोवा में चल रहे मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के संदर्भ में राज्यपाल ने उल्लेख किया है कि कांग्रेस-ई विधान पार्टी के 13 सदस्यों, मोआल पीपल्स पार्टी के चार सदस्यों, एम०जी०पी० के दो सदस्यों और एक आजाद सदस्य ने 9 दिसम्बर 1990 को एक कामन फ्रंट जिसे "कांग्रेस डैमोक्रेटिक फ्रंट (सी०डी०एफ०) के नाम से जाना जाता है बना लिया है। इस फ्रंट ने गोवा विधान सभा में 9 दिसम्बर 1990 से एक पार्टी के रूप में काम करना था। फ्रंट ने यह भी निश्चय किया कि डा० विलफ्रेड डी 'सूजा, कांग्रेस विधान पार्टी के नेता गोवा विधान सभा में कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता होंगे।

श्री आर०डी० खलप के नेतृत्व वाला प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट 10 दिसम्बर 1990 को राज्यपाल से मिला और उनसे श्री खलप को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह उल्लेख किया था कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट को 20 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था जबकि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट को 19 सदस्यों का समर्थन था। इनमें अध्यक्ष जो एम०जी०पी० के सदस्य हैं, शामिल नहीं हैं। अध्यक्ष ने राज्यपाल को सूचित किया था यदि आवश्यक हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे और एम०जी०पी० के साधारण सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों पार्टियों की ४० सदस्यों के सदन में संख्या 20-20 थी।

राजनीतिक गतिरोध के परिणामस्वरूप राज्यपाल ने महसूस किया कि दोनों में से कोई भी पार्टी न तो स्थाई सरकार बना सकती है और न ही स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकती है। राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया था कि किस प्रकार विधानसभा सदस्यों की विश्वसनीयता और वफादारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तथा विधानसभा सदस्यों को दल बदलने के लिए अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है।

राज्यपाल ने आगे यह भी कहा था कि राज्य में राजनीतिक स्थिति अत्यधिक जटिल होती जा रही है क्योंकि गोआन पीपल्स पार्टी के सात सदस्यों, जिनमें से चार सी०डी०एफ० तथा तीन पी०डी०एफ० के साथ हैं, दल बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। इसके साथ एम०जी०पी० के दो सदस्यों के विरुद्ध भी जिन्होंने सी०एफ०डी० को समर्थन दिया है, दल बदल विरोधी कानून के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। सी०डी०एम० ने अध्यक्ष को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया था ताकि दल-बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत कार्रवाई न की जा सके।

राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साफ-सुथरा प्रशासन देने के लिए कोई भी पार्टी स्थाई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तदनुसार राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि राज्य विधान-सभा को भंग किया जाये और जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये।

संघ सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट और गोवा की स्थिति पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तथापि यह महसूस किया गया कि विधानसभा को भंग न किया जाए बल्कि उसे निलंबित रखा जाए। तदनुसार राष्ट्रपति को सलाह दी गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को उद्घोषणा जारी की गई और विधान सभा को निलंबित कर दिया गया।

महोदय, मेरे द्वारा अभी स्पष्ट की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं सिफारिश करता हूं कि गोवा राज्य के सम्बन्ध में यह माननीय सदन संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि यह सभा गोवा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

इस कार्य के लिए दो घंटे निर्धारित किये गये हैं। भाजपा के लिए 18 मिनट का समय है। मैं प्रो० राम कापसे को चर्चा शुरू करने की अनुमति देता हूं।

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस उद्घोषणा का विरोध करता हूं। वास्तव में गोवा के बारे में कुछ भी निर्णय करने से पूर्व हमें वहां की विगत एक वर्ष की स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए।

जनवरी, 1990 में गोवा विधान सभा का चुनाव कराया गया था। कांग्रेस (इ) को 20 तथा एम०जी०पी० को 18 और निर्दलीय को दो स्थान प्राप्त हुए जिनमें एक कांग्रेस (इ) में तथा एक एम०जी०पी० में शामिल हो गये। श्री राणे मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुए और सभी कार्य संविधान के अनुसार और आशा के अनुकूल हो रहा था। लेकिन, तीन माह के अन्दर कांग्रेस (इ) के सात सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी। उनमें से एक तत्कालीन अध्यक्ष महोदय भी थे और यहीं से राज्यपाल की भूमिका शुरू हुई।

तत्कालीन अध्यक्ष महोदय डा० बारबोसा के नेतृत्व में जब सात सदस्यों ने कांग्रेस (इ) को छोड़ दिया और चूंकि अध्यक्ष महोदय स्वतन्त्र होते हैं और किसी भी दल से जुड़े नहीं होते तो राज्य पाल से यह अपेक्षा थी कि वह दल बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत कार्य करते। अब गोवा विधान सभा के वर्तमान अध्यक्ष महोदय श्री सिरसत ने डा० बारबोसा को अयोग्य घोषित करने का निर्णय दिया है। वास्तव में एक तिहाई विधायकों ने दल को नहीं छोड़ा था। इसलिए उस समय दल-बदल विरोधी कानून लागू करने की अपेक्षा की जाती रही थी। इन सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की संभावना थी चूंकि दल-दल विरोधी कानून के अन्तर्गत अयोग्यता से बचने के लिए सात सदस्यों की आवश्यकता थी लेकिन, वे केवल छह सदस्य ही थे और तत्कालीन अध्यक्ष महोदय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं थे।

तत्पश्चात् एक विधायक को मुख्यमन्त्री निर्वाचित किया गया। तब उन्होंने डा० बारबोसा के लिये एक स्थान खाली कर दिया। अब जैसा कि बताया गया है, वहां दो गुट हैं जो और दोनों ही बहुमत प्राप्त होने का दावा कर रहे हैं। दोनों ही यह दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 20 सदस्य हैं। राज्यपाल ने भी कहा है कि किसी भी गुट का संख्या के आधार पर बहुमत नहीं है। यदि आवश्यकता होती तो हम राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को स्वीकार कर सकते थे। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि किस तरह विधान सभा को भंग नहीं किया गया। तब राज्यपाल प्रेस से मिले। संवाददाता सम्मेलन में जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कारण है कि विधान सभा

को निलंबित रखा गया है तो उनका यह उत्तर था कि गोवा के विधायकों को फिर से एक जुट होने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। 'विधायकों को फिर से एक जुट होने का मौका देने' से क्या तात्पर्य है ? इसका साफ मतलब यह है कि दल-बदल की गतिविधि को बढ़ावा देना। इस कार्य को सदस्यों की सौदेबाजी कह सकते हैं। इस प्रकार से सदस्यों की सौदेबाजी और दल-बदल को बढ़ावा देने के लिये हम दलबदल विरोधी कानून के उपयोग को स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार गोवा के विधायकों को पुनः एक जुट होने का मौका देने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया। यदि गोवा समस्या के समाधान का कोई उपाय है तो वह है विधान सभा को भंग किया जाना। एक और उपाय यह है कि कुछ महीनों के लिये वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये और फिर मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। कोई कारण नहीं कि गोवा में चुनाव नहीं कराया जाए। विधान सभा को भंग नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं है। इसलिये मैं अपने दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस पार्टी को इकतालीस मिनट दिये गये हैं। अब श्री संतोष मोहन देव बोलेंगे। अभी उस दल के दो सदस्य बोलने के लिये रह गये हैं।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता के 43 वर्षों के बाद जब हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये था, बजाये इसके पिछले डेढ़ वर्ष से हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें आपस में मिल गई हैं, जिससे पिछले पांच-छह वर्षों से हमारे देश में आतंकवादी पैदा हो गए हैं और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण हमें जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम और गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा है।

निस्संदेह गोवा में किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियां नहीं हुई हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने इस सभा में यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि गोवा विधान सभा किस तरह से गठित हुई थी, शुरू में राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का था और तत्कालीन अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी विशेष गुट के कारण गोवा में क्या घटना घटी थी।

इसके बाद जो कुछ हुआ उसे भी माननीय गृह राज्य मन्त्री महोदय ने उचित ढंग से स्पष्ट किया है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अनेक विधायकों ने धर्म, भाषा और राजनीतिक निष्ठा के आधार पर दलबदल किया है जिससे गोवा में जो देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है, गड़बड़ी पैदा हो गई है। यह सच है कि विचारधारा के आधार पर इतनी अधिक संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके पीछे धन शक्ति की निश्चय ही कोई भूमिका रही है।

जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि स्वतन्त्रता के 43 वर्षों के बाद हमें देश में स्थिरता पैदा करनी चाहिये इसके बजाए हम देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (अलीपुरदुआर) : इसका तार्किक निष्कर्ष यह है कि आपने श्री चरण सिंह को प्रधानमन्त्री बनाने में समर्थन दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : आप राज्य का शासन चलाने में असमर्थ रहे हैं इसलिए सही समय पर सही पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते हैं, यही आपकी समस्या है। (व्यवधान) जब हम गोवा की चर्चा करते हैं, विधान सभा को भंग करते हैं, तो वहां जनता की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। परन्तु, ऐसा वर्तमान स्थिति के कारण करना पड़ेगा। दोनों तरफ बीस-बीस विधायकों का होना बहुत ही कठिन कार्य है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जब पहली बार दलबदल से गोवा में अस्थिरता पैदा हुई थी, तो हम तत्कालीन राज्यपाल जिनकी श्री सुबोध कांत सहाय ने अब प्रोन्नति कर दी है, की सहायता से इस स्थिति को समाप्त करना चाहते थे। जब वह पिछली सरकार में राज्य मन्त्री थे, तो उन्होंने उन्हें यह इनाम दिया था और उसके बाद वहां सरकार गिरा दी गई। मुझे इसकी चिंता नहीं है। परन्तु मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल की सहायता से गड़बड़ी को समाप्त किये बिना हमें उच्च और उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ा। यह मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के पास लम्बित है। हम नहीं जानते कि उनके बारे में निर्णय क्या होगा। चुनाव चाहे इस छोटे से राज्य का ही क्यों न हो, सरकारी राजकोष की इस पर काफी धनराशि खर्च होती है। वहां जनवरी, 1989 में चुनाव हुए थे और वह बड़ी मुश्किल से केवल एक वर्षगांठ मना सके। हमें इस बीच 6 दिनों के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा था और दोबारा कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है। मैं माननीय गृह राज्य मन्त्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि अब योजना आयोग आठवीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष के लिए धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रहा है। गोवा का विभिन्न क्षेत्रों में विकास किए जाने की जरूरत है। अब क्योंकि वहां निर्वाचित सरकार नहीं है, अब वहां आपकी एक में दो प्रणाली है। एक राज्यपाल गोवा के लिए कार्य कर रहा है और वह कर्नाटक जा रहा है। आपको गोवा के लिए राज्यपाल की तत्काल नियुक्ति करनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चक्रवर्ती (डमडम) : यह बचत करने का उपाय है।

श्री संतोष मोहन देव : आपको देखना चाहिए कि इस तथ्य के बावजूद कि वहां मन्त्रिपरिषद नहीं है और वहां पर विधान सभा है और ये निर्वाचित विधायक है। आपको इन विधायकों की एक परामर्शदात्री संस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए जो कि सलाहकारों और नए नियुक्त किए गए राज्यपाल से बातें कर सके ताकि लोगों के प्रतिनिधियों की राष्ट्रपति के शासन के अधीन प्रशासन के कुछ सलाहकारों और अफसरों द्वारा उपेक्षा न की जाए। मेरा अफसरों से कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब लोगों ने विधायकों को चुना है, चाहे वे किसी भी पार्टी से सम्बन्ध क्यों न हो। वे निर्वाचित लोग हैं और उन्हें यह कहने का अधिकार है कि ये बातें हैं जो कि उनके लिए की जानी चाहिए। यही एक मंच है; जो आप उन्हें दे सकते हैं। कम से कम यह एक अच्छा पूर्वोदाहरण होगा। अपनी पार्टी की ओर से, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आपको एक असीमित अवधि तक यह देखने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि वहां पर एक व्यवहार्य सरकार है। यह एक अच्छी बात है कि राज्यपाल ने एक अवसर दिया है। उन्होंने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है लेकिन यह आपकी

बुद्धिमता पर निर्भर है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमें यह देखना होगा कि क्या वहां व्यवहार्य सरकार बनाई जा सकती है।

3.00 म० प०

जैसा कि मैंने कहा, इस तथ्य को देखते हुए यह एक अच्छा कार्य है कि हम विधान सभा चुनाव कराने के लिए काफी बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि विधान सभा को असीमित अवधि तक निलंबन की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि एक उपयुक्त और व्यवहार्य सरकार बनाना वहां सम्भव नहीं है, तो हमें वहां विधान सभा चुनाव करवाने चाहिए ताकि लोग वहां सरकार का निर्वाचन कर सके। वहां पर चुनावों का विचार करते समय, वहां पर चुनाव ऐसे समय कराए जाने चाहिए जब वहां चुनाव करवाए जाने के लिए स्थिति अनुकूल हो। इसी बीच, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछ विषयों को हल करें जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहां के विधायकों से चर्चा करके सुलझाए जा सकते हैं। भाषा का मामला ऐसा है जो कि वहां उत्तेजना का कारण बन गया है। वहां पर गृहमंत्री के अधीन बातचीत होनी चाहिए। यह विभाग आजकल प्रधान मंत्री के पास है। उन्हें विधायकों तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों को बुलाना चाहिए। वहां आज जो स्थिति पैदा की गई है वह भाषा समस्या की पैदा हुई है। भाषा की समस्या आज गोवा की ज्वलंत समस्या है। गोवा में एक और समस्या यह है कि वहां पर अलग-2 लाबियां हैं। एक बहुत ही आकर्षक पर्यटक स्थल है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या हममें से बहुत से यह जानते हैं कि आज गोवा में एक सशक्त लाबी है विशेषकर गोवा के मूल निवासी यह महसूस करते हैं कि गोवा में आने वाले पर्यटक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे उनकी संस्कृति और विरासत खतरे में है। कारण यह है कि पर्यटकों का एक वर्ग जो कि विश्व के कुछ भागों में वहां आते हैं उनका समुद्री किनारों तथा पर्यटक केन्द्रों पर मनोरंजन करने का अपना ही तरीका होता है। जिस स्थान पर वे अपने तरीके से मनोरंजन करते हैं वह हमारे देश की रुचि के अनुकूल नहीं है। मैं गृह मन्त्री और विशेष कर गृह राज्य मन्त्री से अपील करता हूं कि उन पर्यटक स्थलों पर कुछ अनुशासन लाया जाना चाहिए। कभी-कभी एक लोकप्रिय सरकार के लिए इस प्रकार का कठोर निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप एक प्रयोग शुरू कर सकते हैं जिसके द्वारा आप कुछ अनुशासन ला सकते हैं जिनसे कि यह उन पर्यटकों के लिए आंख का कांटा न बन जाए जो ऐसी बहुत-सी चीजें; जो वहां हो रही हैं, उन्हें देखना नहीं चाहते।

गोवा में एक अन्य बड़ी समस्या नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की है। बहुत बड़ी संख्या में हिप्पी वहां जाते हैं और वहां सामाजिक वातावरण को खराब करते हैं। इसकी वजह से गोवा के युवा वर्ग को भी खराब किया जा रहा है। मैंने सुना था; जब मैं सरकार में था। गोवा शिष्ट मंडल, सशक्त कार्यवाही करने के लिए कह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय के दौरान भी, कुछ नहीं हुआ था। और ऐसा इसलिए कि कभी-कभी, सरकार की ओर से कोई कठोर निर्णय लेना कठिन हो जाता है। गृहमंत्री अपने क्षेत्र में पूरी तरह कुशल हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यह परामर्शदात्री बनाते समय वहां पर होने वाली विभिन्न घटनाओं पर विचार करेंगे और वहां पर पैदा की गई कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार करेंगे क्योंकि इस समस्या की वजह से जिसका मैंने उल्लेख किया है, उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि इस पद्धति में सुधार

किया जाएगा और उसे ठीक किया जाएगा। अन्त में सही लेकिन जो कमी महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे एक राज्यपाल की नियुक्ति करने का अनुरोध करता हूं और वह राज्यपाल एक शालीन व्यक्ति होना चाहिए न कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो केवल गोवा में विश्राम करने के लिए जाए बल्कि वह एक अच्छा और सही कदम उठाए और स्वयं को वहां की गतिविधियों में लगाए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह देखें कि राष्ट्रपति का शासन अधिक समय तक जारी न रहे। जितना जल्दी संभव हो सके, या तो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए अथवा यदि सभी संभावनाएं समाप्त हो जाए और यदि वहां कोई अवसर न रहे, तब यथ शीघ्र, वहां पर चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि वहां लोकप्रिय सरकार बन सके। इन शब्दों के साथ. मैं गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का विरोध नहीं बल्कि समर्थन करता हूं। इन परिस्थितियों में, सरकार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था इसलिए राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा था और इसी वजह से मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, गोवा में अब राष्ट्रपति का शासन है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग किया गया है। वहां विधान सभा को भंग नहीं किया गया है। श्री बारबोसा की मोर्चा सरकार जो केवल नौ अथवा दस महीने पहले सत्ता में आई थी, उसकी अपनी गलतियों के कारण ही उसका सर्वनाश निश्चित था।

जैसाकि आप जानते हैं वहां कई विवाद थे। प्रथम तो वहां भाषा के विषय पर विवाद था, कि वहां पर कोकरी अथवा मराठी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद वहां विभागों के वितरण के बारे में विवाद था। जैसाकि बहुत ही मिली जुली सरकारों में देखा गया है। वहां बहुत ही स्वभाविक था। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से भी बारबोसा की सरकार का गठन किया गया था उसके बारे में भी एक समस्या थी। वहां दल-बदल किया गया था। वहां दल-बदल विरोधी अधिनियम पहले से ही लागू था। वहां पहले ही बहुत से आरोप हैं। कुछ मामले न्यायालय में हैं और मैं उनकी गहराई में नहीं जा रहा हूं। जो भी हो, जब महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने अपने ही स्वयं के कारणों की वजह से बारबोसा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार को गिराना ही था और वह गिर गई है।

अब वहां एक सुदृढ़ और स्थिर सरकार बनाने के लिये किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है। शायद वहां बहुत की कम बहुमत वाली सरकार स्थापित हो लेकिन मैं यह नहीं जानता हूं कि गोवा में आज जो स्थिति है उसमें यह सरकार बनी रहेगी अथवा नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यह धनराशि की यात्रा पर निर्भर करता है····

श्री सुदर्शन राय चौधरी : दल बदल को बढ़ावा देने के लिये धनराशि हर जगह, वहां भी हमेशा से उपलब्ध रही है।

जब हमारे संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रावधान है तो वैध रूप से और संवैधानिक दृष्टिकोण से गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना अनिवार्य था। लेकिन राष्ट्रपति शासन की

घोषणा और अनुच्छेद 356 को लागू करना बहुत ही घातक है और इससे भी खतरनाक है विधान सभा को निलम्बित रखना।

सर्वप्रथम, मैं नहीं जानता हूं कि राज्यपाल के लिए यह संभव था अथवा नहीं लेकिन सभा भंग कर देने का और नये चुनाव कराने का अनुरोध करने के लिये श्री बारबोसा को राजी किया जा सकता था। यह स्मरण रखना चाहिये कि अनुच्छेद 356 का बार-बार उपयोग किया जाना हमारे देश में लोकतंत्र की अवधारणा के प्रतिकूल है। शासन की इस संघीय व्यवस्था में लोगों का निर्णय ही अन्तिम होना चाहिए। मुझे गलत नहीं समझा जाना चाहिये लेकिन राज्यपाल केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और चाहें जैसी भी स्थिति हो राज्यों में केन्द्र सरकार का शासन लागू नहीं किया जाना चाहिए और अन्तिम निर्णय लोगों द्वारा ही लिया जाना चाहिए। लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिये चाहें वह सरकार अच्छी हो या बुरी।

फिर महोदय, हम किसी भी राज्य में केन्द्र शासन लागू क्यों करें? स्वतन्त्रता के समय से ही कम से कम 80 या 90 बार, मुझे सही आंकड़े याद नहीं है, अनुच्छेद 356 लागू किया गया और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गयी। मैं नहीं जानता हूं, शायद दो या तीन राज्य ही अपवाद हैं जहां कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किये गये थे। और कुछ मामलों को छोड़कर विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केन्द्र सरकार की इस कार्यवाही की अत्यधिक आलोचना की गयी है क्योंकि इससे राज्य और वहां की जनता के हितों के विरुद्ध अधिनायकवाद को बढ़ावा मिलता है।

फिर हम विधान सभा को निलंबित क्यों रखें? क्या ऐसा दलबदल को बढ़ावा देने अथवा दल बदलने वाले व्यक्तियों की सरकार बनाये रखने के लिए किया गया था? विधान सभा को निलम्बित रखने की यह प्रथा बहुत ही खतरनाक है। इससे सिर्फ दल बदल को बढ़ावा मिलेगा। इसे रोका जाना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि क्या अनुच्छेद 356 में संशोधन लाया जाना चाहिए ताकि दल बदल को बढ़ावा देने के लिए विधान सभाओं को अब से निलम्बित नहीं किया जा सके। हमने एक दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के बाद भी हर जगह दल बदल का प्रचलन मौजूद है। इसलिये इसे रोका जाना चाहिए और हमें इस दल बदल अधिनियम पर आगे गौर करना चाहिये।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने का तथा उस राज्य की जनता के लिये शीघ्र ही चुनाव कराने की अनुमति देने का अनुरोध करूंगा। एक सुदृढ़ और स्थिर सरकार की स्थापना की वहां कोई सम्भावना नहीं है। हम सभी वहां की दलीय स्थिति से अवगत हैं। हम सभी जानते हैं कि वहां एक सुदृढ़ सरकार की स्थापना संभव नहीं है। स्वभाविक है कि चुनाव के आदेश दे दिये जाने चाहिये। विधान सभा भंग कर दिया जाना चाहिये और राष्ट्रपति शासन शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गोवा के निवासियों की अनेक समस्यायें हैं। विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के विकास की अपनी समस्यायें हैं। अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति को

निर्वाचित किये बिना किसी भी राज्य के लोग अपनी विकास सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। वहां एक निर्वाचित सरकार की स्थापना की जाये ताकी गोवा के निवासियों के विकास सम्बन्धी कार्य को उचित रूप दिया जा सके और सरकार शीघ्र ही ऐसे कार्यों को शुरू कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तेज नारायण सिंह। वे यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री हाग्डू जी। सभी दलों को मिलाकर सिर्फ पांच मिनट का समय है। यहां सिर्फ आपका ही नाम है, इसलिए आप कुछ अधिक समय ले सकते हैं।

श्री प्यारे लाल हाग्डू (अनंतनाग) : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा के अधिन वर्तमान प्रस्ताव पर मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। राष्ट्रपति को दिये गये राज्यपाल के प्रतिवेदन के दृष्टिकोण से हर कोई शायद यही कहेगा कि तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को लागू करना अनिवार्य था। लेकिन वर्तमान चर्चा के द्वारा हमें उन कुछ मुद्दों पर विचार करने के अवसर प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय जनता पार्टी और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स०) के प्रतिनिधियों ने किया है।

आज देश में चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है। आप कश्मीर से शुरू कीजिए, पंजाब जाइये, असम जाइये और बीच में गोवा भी है।

एक बहुत ही विक्षुब्ध करने वाला प्रश्न और जिससे कि हर राष्ट्रभक्त को उत्तेजित होना चाहिए वह यह है कि विधान सभाओं के निलम्बन का प्रश्न कहां से उठता है? यदि आप यों ही अनुच्छेद 356 का अध्यन करें तो इसमें सिर्फ एक निर्वाचित सरकार के विकल्प की व्यवस्था करने का प्रावधान है लेकिन इसमें अस्थायी उपाय के रूप में विधान सभा को भंग किये बिना इसके कार्य-कलापों को निलंबित करने का प्रावधान नहीं है। शायद इसका उत्तर यह होगा कि चूंकि राष्ट्रपति विधान सभा को भंग कर सकते हैं इसलिये वे इसके कार्यकलापों को निलंबित भी कर सकते हैं मैं किसी राज्य में विधान सभा को भंग किये बिना इसके कार्यकलापों को निलंबित किये जाने के पक्ष में अथवा विपक्ष में तर्क नहीं कर रहा हूं। मैं यह मान रहा हूं कि अनुच्छेद 356 में विधान सभा के कार्यकलापों को करने का प्रावधान नहीं है।

लेकिन संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब हम किसी राज्य की शासन व्यवस्था को बनाये रखने में असफल हो जाते हैं तो वे मानदण्ड, वे अवसर कौन से हैं जब हमें उस राज्य की विधान सभा को भंग किये बिना उसके कार्यकलापों को निलंबित कर देना चाहिए? इसका सर्वोत्तम उदाहरण और शायद इस देश में एकमात्र उदाहरण जम्मू और कश्मीर राज्य है। जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्यपाल का शासन लागू करने की सहमति राष्ट्रपति ने जनवरी 1990 में दे दी और उन्होंने राज्य विधान सभा को भंग किये बिना इसके कार्यकलापों को निलंबित करने की सहमति भी दे दी। लेकिन राज्यपाल ने एक महीने के अन्तर्गत ठीक 18 फरवरी 1990 को विधान सभा भंग करने का निश्चय किया। उस समय जो प्रश्न उठा और तब से वह प्रश्न उस राज्य के लोगों और साथ ही पूरे देश की जनता के मन में उठ रहा है वह यह है :

जब राष्ट्रपति ने विधान सभा के कार्यकलापों को निलंबित करने की सहमति दे दी तो उसके एक महीने के भीतर ही माननीय राष्ट्रपति को एक विशेष अनुरोध कर विधान सभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को कहां से प्राप्त हुआ ? परिणाम यही है जो हम जम्मू और कश्मीर में देख रहे हैं ।

अब हम गोवा के मामले को लें । राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए संदेश को पढ़ने पर हमें वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारणों के बारे में पता चला जिसमें यह बताया गया है कि विधान सभा के सदस्य अथवा गुट किससे संबंध हैं यह सुनिश्चित करना मुश्किल है जिससे प्रथम दृष्टि में यह लगे कि वह एक सुदृढ़ सरकार दे सकता है । इस दलील के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करना क्या शक्ति का निरंकुश प्रयोग है और क्या उन्हीं विधायकों की संख्या के सम्बन्ध में यह कहना स्वविवेक पर आधारित है कि हम उन्हें फिर से एकजुट होने का अवसर देंगे ? उनसे यह कहना कि यदि वे पुनः एकजुट हो जाए तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा कि निलंबन से विधान सभा का कार्यकाल बना रहेगा इससे विशेषतः राज्यपाल द्वारा इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को भेजे गए संदेश को ध्यान में रखते हुए दलबदल को बढ़ावा मिलेगा । इस गणतन्त्र के किसी भी राज्य में संवैधानिक शासन की सम्पूर्ण अपधारणा पर इससे बढ़कर और कोई क्रूर मजाक नहीं हो सकता है । यदि आप राज्यपाल की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने साफ-साफ बताया है कि चुनाव का परिणाम यह है कि 20 विधायक कांग्रेस के पार्टी के साथ हैं और 18 विधायक स्थानीय यानि प्रांतीय दलों के साथ हैं । इस 20 और 18 के बीच कोई सा नया गठबंधन या नया गुट हो सकता है । इसका एक ही तात्पर्य यह है कि कांग्रेस (इ) के लोगों को स्थानीय पार्टियों में शामिल होने के लिये प्रेरित करना या स्थानीय पार्टियों के लोगों को दल बदल कर कांग्रेस में मिलने के लिये प्रेरित करना ताकि एक सुदृढ़ सरकार के गठन के लिए कम से कम 22 विधायक उनके साथ हो जाएं । इस मामले में हमारा नम्र निवेदन यह है कि अब एक मानदंड निर्धारित करने का समय आ गया है । राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता और विधानसभा को भंग किये बिना बनाए रखने जैसी संभावनाओं को हम अनदेखा नहीं कर सकते यद्यपि ऐसी स्थितियां दुर्लभ होती हैं । ऐसा कभी-भी नहीं होना चाहिये चूंकि राष्ट्रपति शासन का विकल्प एक निर्वाचित सरकार, और एक निर्वाचित सरकार का विकल्प जहां तक हो कम से कम समय के लिये राष्ट्रपति शासन है । यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो यह हमें सचेत करता है और बताता है कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते समय आत्मावलोकन की आवश्यकता है, विशेषकर उन मामलों के संबंध में जो अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत नहीं है लेकिन लागू करने की दृष्टि से वह अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत है ।

मुझे यही कहना है ।

श्री गोपालराव मायकर (पणजी) . उपाध्यक्ष महोदय, गोवा राज्य का एक सदस्य होने के नाते वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के विरुद्ध मुझे बेहद दुख के साथ अपना आक्रोश व्यक्त करना पड़ रहा है । इस सदन के निम्न माननीय सदस्यों के भाषण को सुनने के पश्चात् मुझे यही लगता है कि जो जानकारी उन्हें दी गई है वह सही नहीं है । यदि आप आंकड़ों पर गौर करें और यदि इसे अंक गणितीय प्रमेय कहें तो 11 दिसम्बर के बाद की स्थिति और राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

पुरानी है और उनके द्वारा दी गई सूची स्पष्ट है। उन्होंने दोनों तरफ 20-20 विधायकों की सूची दी और एक तरफ अध्यक्ष महोदय को भी शामिल किया गया है। तीन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की महत्त्वपूर्ण घटना 10 दिसम्बर के बाद घटी जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दल बदलू विधायकों को वैधानिक अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया। बारबोसा के मामलों में विधान सभा के द्वारा अधिकृत एक विधायक द्वारा विगत छह माह से जांच की जा रही थी और तदनुसार उन्होंने इन मामलों की जांच करने के बाद डा० बारबोसा को अयोग्य घोषित कर दिया।

यही बात हमारे दल के सदस्यों के साथ भी हुई है। यह बात प्रथम दृष्टि में स्पष्ट है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति स्वयं को दल से अलग कर लेता है वह अपनी सदस्यता तुरंत खो देता है। इसलिए अध्यक्ष ने उन दोनों ही सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया। इन आंकों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि एम०जी०पी० की ओर 20 सदस्य हैं और विपक्ष में केवल 17 सदस्य हैं। इसलिये यदि आप केवल विधायकों की संख्या को ही आधार मानें तो यह स्पष्टतः लोकतांत्रिक है और यह कहना चाहिये कि हमारे दल को संख्या के आधार पर समर्थन प्राप्त है। दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी गई। लेकिन आशा की एक ही किरण यह है कि विधानसभा को भंग नहीं किया गया है। मैं यह मानता हूं कि सरकार विधान सभा को समाप्त करने के मामले में जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेगी। उन्होंने भी राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा लोकप्रिय शासन को जारी रखने के बारे में सोचा होगा चूंकि लोकतंत्र का अन्तिम उद्देश्य यही है।

विवाद के बारे में तथा अन्य बातों के सम्बन्ध कई मुद्दे उठाए गए हैं। जहां तक दलबदल का सम्बन्ध है इन आंकड़ों के मुताबिक कोई दल बदल नहीं हुई है। सात सदस्य जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से दल बदल किया था उन्होंने एम जी पी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ली थी। उसके बाद उनकी संख्या 26 हो गई। अब वे जो जी०पी०पी० से अलग हुए हैं वे दूसरे गुट में शामिल हो गए हैं। दूसरे गुट से दल बदल कर एम०जी०पी० में कोई भी शामिल नहीं हुआ है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है चूंकि दल बदल के आधार पर एम०जी०पी० किसी सरकार का गठन नहीं कर रही है। यदि कोई दल बदल हुआ है तो सात विधायकों में से एक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और छह में से तीन दूसरे पक्ष में दल बदल कर मिल गये हैं। मैं पूरी कहानी नहीं सुनाना चाहता। अब विधान सभा को भंग नहीं किए जाने से यह खतरा पैदा हो गया है कि हमारे कुछ लोग विपक्ष के प्रलोभन में आकर दल बदल कर लें और इस प्रकार विपक्ष द्वारा मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। इसलिए यदि आप इस बात पर विचार करें तो स्पष्ट है कि गृह मन्त्रालय को तुरंत सक्रिय होना होगा और राष्ट्रपति शासन को वापस लेकर एम०जी०पी० को मंत्रिमंडल का गठन करने की अनुमति देनी होगी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी ने गोवा में लगातार 17 वर्षों तक शासन किया है और आधारभूत संरचनाओं की नींव मेरी पार्टी ने ही रखी है। उस समय मंत्रिमंडल का सदस्य होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ था। यदि लोकतांत्रिक तरीके से हमें पुनः सत्ता दे दी जाए तो हमारी पार्टी में यह शक्ति है इस छोटे से सुन्दर स्वप्न को जो कि पर्यटकों का स्वर्ग है निस्संदेह और अधिक शक्ति के साथ विकसित किया जा सकेगा।

मन्त्री महोदय से निवेदन के साथ मैं आशा करता हूं कि गोवा में राष्ट्रपति शासन को समाप्त करके लोकप्रिय मंत्रिमंडल को गठित किया जाएगा जो कि वहां के लोगों के लिए नववर्ष का उपहार होगा और वहां के लोग खुश हो जाएंगे। यदि आप विधान सभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको पूरा समर्थन देंगे। मैं यह नहीं कहता कि दल बदलुओं को मंत्रिमडल का गठन करने दिया जाये। अब दल बदलू बाधा पैदा कर रहे है। यह तीन दल बदलुओं को छोड़कर यह पार्टी स्पष्टत: प्रगतिशील और लोकतांत्रिक है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय पर जोर देकर यह कहता हूं कि गोवा में लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया जाए।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुनता रहा हूं और मैं निजी तौर पर समझता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही गलत थी। मैं नहीं समझता कि जब यह उद्घोषणा की गई, तो उन्होंने इसे पसन्द किया था। गोवा जैसे अत्यन्त शांत क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है, लोकतान्त्रिक परम्पराओं में विश्वास रखने वाले वहां के लोग उसकी प्रशसा नहीं करेंगे। मैं बांडोकर की सरकार तथा काकोडकर की सरकार के बारे में भी जानता हूं। लेकिन उस स्थान पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। राज्यपाल ने कहा है कि केन्द्र में हुई घटनाओं के फलस्वरूप ही यह हो सकता है। उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्द हम सब, विशेषकर लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जैसा कि अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने सुझाया है, केवल इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ही राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया।

हम कोई समाधान निकाल सकते हैं। कोई समाधान निकालना तो आप पर निर्भर करता है जिसके तहत आप अपनी सरकार कायम कर सकते हैं जो कि पैसे के जोर से गिराई नहीं जायेगी और इसके बाद आपके सदस्य लालच में नहीं आएंगे। मेरे विचार से अगर यह सम्भव नहीं है, तो हमें वहां पुन: चुनावों के लिए कहना चाहिए। लेकिन, लोगों को सावधान किया जाए कि वे उन्हीं लोगों को चुनें जो पार्टी के अनुशासन का पालन करें। पंजाब, कश्मीर और असम जैसे राज्यों में ऐसी भिन्न-भिन्न गतिविधियां चल रही हैं जो कि निश्चित रूप से देश के लिए खतरनाक हैं। लेकिन, गोवा में जो कुछ हो रहा है, वह बहुत अच्छी बात नहीं है। इस देश के लोग आचरण करने लगेंगे कि हमारे निर्वाचित सदस्यों में क्या कमी है और जब उन्होंने हमें अपने मत दिये हैं, तो ये सदस्य उन्हें एक स्थाई सरकार देने में असमर्थ क्यों हैं। इससे लोगों में गलत राय कायम होगी।

3.28 म० प०

[श्री निर्मल कांति चटर्जी पीठासीन हुए]

राज्य विधानसभा को भंग होने से बचाने के लिये हम सबको उस राज्य में एक सरकार गठित करने के प्रयास करने चाहिएं अगर यह संभव नहीं है तब मेरा सुझाव है कि हमें नए चुनाव करवाने चाहिएं। मुझे आशा है कि तब तक ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोग ऐसे सदस्यों को भेजेंगे जो अन्य पार्टियों के प्रलोभन में नहीं आएंगे।

श्री नाडू थापा (सिक्किम) : महोदय, हमने गोवा में जो कुछ देखा है या देख रहे हैं, वह सिक्किम जैसे छोटे राज्यों अथवा अन्य भागों में अन्य छोटे राज्यों के लिए खतरे की बात है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा को निलम्बित रखना केवल दलबदल को बढ़ावा देना है अर्थात इससे सौदेबाजी होगी। इसलिये, गोवा में जिस पार्टी के पास मूलत: अपना पूर्ण बहुमत है, उसे सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये। लेकिन, अगर यह संभव नहीं है और कोई भी पार्टी सरकार गठित करने में असफल रहती है, तो मेरे विचार से विधान सभा तुरन्त भंग कर दी जाए और नए चुनाव करवाएं जाएं ताकि लोग चुनावों में भाग ले सकें और एक पूर्ण समाधान के रूप में अपनी पसन्द की एक सरकार गठित कर सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : समापति महोदय, मैं केवल एक या दो टिप्पणियां करना चाहता हूं।

जब हम सभी यह समझते थे कि भारत के लिए केवल दो पार्टियों की प्रणाली वाला लोकतन्त्र उचित होगा तब दल-बदल विरोधी विधेयक पारित किया गया था। अब उपयुक्त समय है जब हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि क्या दो पार्टियों की प्रणाली, ब्रिटेन जैसी पार्टी प्रणाली और सरकार का गठन भारत में सभी राज्यों के लिए उपयुक्त रहेगा। हमारे यहां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं और गोवा जैसे छोटे राज्य भी हैं। फिर ऐसे राज्य भी हैं जहां पर अधिक सामाजिक समस्या नहीं है। पांडिचेरी, गोवा, असम जैसे कुछ छोटे राज्यों में आदिवासी समस्या तथा धार्मिक समस्या भी है। हर प्रकार की कठिनाईयां मौजूद हैं। इसलिये, मुझे अचरज होता है कि क्या दो पार्टियों की प्रणाली हमारे लिए अच्छी होगी और क्या हमें ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिएं जिन्हें मिली-जुली सरकार और सर्वदलीय सरकार कहते हैं जो कि स्विट्जरलैंड में है। यहां पर हमारे मित्रों के भाषणों और हमारे सम्मुख रखे पत्रों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं तीनों राजनैतिक पार्टियों से संबंधित लोग किस प्रकार की शरारत कर सकते हैं; एक गुट अन्य गुटों से मिलकर हमेशा अपनी स्थिति बदलता रहता है। हमें ऐसा कुछ अनुभव अपनी सभा में भी मिल रहा है। इसलिए, यह उपयुक्त समय है जबकि मेरे विचार से सभी पार्टियां यह सोचें कि इस दल बदल विरोधी विधेयक को किस प्रकार पुन: व्यवस्थित पुनर्गठित और संशोधित किया जाए और क्या राज्यपालों को यह हिदायतें दी जा सकती हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय पार्टियों, छोटी पार्टियों और गुटों की सहायता की जाये और उन्हें संगठित किया जाये तथा वे मिले-जुले तरीके से कार्य करें अथवा एक समिति की तरह कार्य करें जैसा कि स्विट्जरलैंड में होता है। अन्यथा हम समय-समय पर ऐसी असाध्य बिमारियों, राजनैतिक बिमारियों का सामना करते रहेंगे जैसे कि हम असम, गोवा और पांडिचेरी में भी देख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : महोदय, मैं गोवा में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसका विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने जो प्रतिवेदन दिया है उस प्रतिवेदन में यही है कि जो विधानसभा के मैम्बर हैं वे किस ढंग से इस समय रहेंगे कहना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि वहां जो विधानसभा के मैम्बर हैं वे किस दल और किस सिम्बल से चुनाव जीत

कर गए हैं उस दल और सिम्बल को उन्होंने छोड़ दिया है। मैं जहां तक समझता हूं कि वे लोग विधानसभा के मैम्बर रहने के योग्य ही नहीं हैं। कानून के मुताबिक चाहिए था उनकी सदस्यता समाप्त कर देना। लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की गई है। जिसके चलते राष्ट्रपति शासन लगाने का काम हुआ है। मैं जहां तक समझता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना ठीक नहीं है बल्कि जब किसी एक दल का बहुमत नहीं था, विधान सभा को भंग कर देना चाहिए। लेकिन अभी विधानसभा को निलम्बित किया गया है। निलम्बित करने से यह होगा कि विधायकों की खरीद-बिक्री होगी और फिर कोई दो-चार दिन के लिए अपना बहुमत साबित करेगा और दो चार दिन के बाद उसकी सरकार गिरेगी। इसलिए मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार वहां जल्द से जल्द विधानसभा भंग करें और चुनाव कराए। दूसरी बात, रंगा साहब ने कहा कि दल विधेयक कानून में परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि परिवर्तन ऐसा होना चाहिये चाहे वह लोकसभा का मैम्बर रहे या विधान सभा का मैम्बर रहे वह जिस किसी दल या सिम्बल से चुनाव जीत कर आता है अगर उसे वह छोड़ देता है तो उसी समय उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिये। ऐसा प्रावीजन एंटीडिफैक्शन लॉ में होना चाहिये। अभी यह जो प्रावधान है कि जिस दल से और जिस चुनाव चिन्ह पर जो कोई सदस्य चुनाव जीतता है उस दल के एक तिहाई मैम्बर अगर दल छोड़ देते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी, यह एक तरह से गलत है। अगर एक भी मैम्बर दल छोड़ देता है और उस दल को छोड़ कर दूसरे दल में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि गोवा में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाये और विधान सभा को भंग किया जाये।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 356 जब केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है या किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वह किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिये कोई हथियार नहीं है अपितु यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिये और उसकी रक्षा करने के लिये संविधान के अन्दर मौजूद है केन्द्र सरकार को जब कभी इस अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसको वह मजबूरी में करना पड़ता है। गोवा में जो समस्यायें खड़ी हुई उनको देखते हुये केन्द्र सरकार के समक्ष और कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा।

सभापति महोदय, वहां के मुख्यमन्त्री राणे साहब ने 26 तारीख को अपना त्यागपत्र दिया क्योंकि कांग्रेस के सात सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी थी। ऐसे में उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। 23 तारीख को उनकी सरकार अल्पमत में आई और दो दिन बाद उन्होंने गोवा के मुख्यमन्त्री पद अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद बाबोसा ने वहां का नेतृत्व सम्भाला और वह मुख्यमन्त्री बने। दो पार्टियों के सहयोग से और दो निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल का गठन किया। उसके बाद जिस तरह का राजनीतिक संकट गोवा में आया आज हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। यह वहां की बड़ी विषम स्थिति है। वहां के मुख्यमन्त्री को श्री शरद पवार ने एंटी-

डिफैक्शन कानून के अन्तर्गत डिसक्वालिफाई कर दिया। एंटी-डिफैक्शन का जो ऐक्ट है यह अपने आप में और आज की तारीख में अधूरा है। मेरे ख्याल में यह लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता है। यह एक तरह से लोकतंत्र को पंगु बनाने का एक तरीका है लोकतंत्र में जब अपनी इच्छा के माफिक कुछ सिद्धांतों और मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी के अन्दर मतभेद हो जाते हैं तो यह अधिकार होना चाहिये कि उस पार्टी का विभाजन करके सिद्धांतों और मुद्दों के आधार पर चाहे वह राजा हो या कैदी हो, एक अपना सही रास्ता अपना कर जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप समस्याओं से जूझने के लिये पीठ न दिखा कर बल्कि सिर ऊंचा करके आगे आ सकें।

सभापति जी, जैसाकि मैंने आपको निवेदन किया, गोवा में राज्यपाल ने बारबोसा जी को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए समय दिया लेकिन वे विधान सभा का सामना नहीं कर सके इसलिए उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यहां पर माननीय सदस्यों ने अपनी जो चिन्ताएं व्यक्त की हैं कि केन्द्र सरकार ने रुचि लेकर या अपनी शक्ति का दुरूपयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करवाया है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। केन्द्र सरकार ने यह जो कदम उठाया है, यह कदम सही है। इस कदम से गोवा के अन्दर विधान सभा का जो निलम्बन किया गया है, यह बिल्कुल सही है। माननीय सदस्यों ने यहां पर आवाज उठाई कि वहां की विधान सभा को बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी वहां की विधान सभा का कार्यकाल पूरा होने के लिए कम से कम 4 वर्ष की अवधि और बाकी है। बार-बार विधान सभाओं के चुनाव कराने से जनता के कोष का नुकसान होता है, समय की भी हानी उठानी पड़ती है। हमें जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हम बार-बार उनके प्रति ऐसी बातें कहें या हम उनके प्रति ऐसी भावना व्यक्त करें जैसे वह चोर हैं, जैसे वह डाकू हैं, जैसे वह बेईमान हैं तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है जिस जनता ने अपनी इच्छा के माफिक वहां पर प्रतिनिधि चुने, उनको उस राज्य का शासन चलाने के लिए पूरी छूट देनी चाहिए। लोकतंत्र में यदि मुद्दों और सिद्धान्तों को लेकर या किसी का नेतृत्व बर्बरता को लेकर विधायक दल या सदस्य उसको सहन नहीं करना चाहे और वह अपनी आवाज उठाना चाहें तो उनको पूरी छूट चाहिए और अपनी इच्छा के माफिक वहां पर उनको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की छूट होनी चाहिए। वहां पर केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने और गोवा की विधान सभा को निलम्बित रखने का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बार-बार चुनाव कराना ठीक नहीं है। वहां के जन-प्रतिनिधियों को उनके विवेक के अनुसार अपना फैसला करने का अधिकार है और वह अधिकार केन्द्र सरकार को सुरक्षित रखना है।

मैं आशा करता हूं कि गोवा का राजनैतिक संकट बहुत शीघ्र दूर हो जायेगा और केन्द्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं, यह बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। मैं सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के प्रति वह इतना अविश्वास व्यक्त न करें, उनमें पूरा भरोसा रखें। आप और हम भी उन्हीं जैसे हैं, जनता के द्वारा चुने गये हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, गोवा एक बहुत छोटा सा प्रदेश है लेकिन जो कुछ दिल्ली में घटा वही गोवा में हुआ है।

पिछले चुनाव में लगभग बराबर की सीटें कांग्रेस ई और महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी को मिली थीं। जनवरी में चुनाव हुए और मार्च में कांग्रेस ई के सदस्यों ने एक अलग गुट बनाकर कांग्रेस की सरकार तोड़ी थी। इसी सदन में जब चर्चा हुई थी तो उस समय का सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि यह सरकार; सरकार तोड़ने का प्रयत्न कर रहीं है, जो वहां कांग्रेस की सरकार। आज केन्द्र में विघटन के बाद उसी पार्टी की सरकार एक बैसाखी के सहारे चली। जब हम समर्थन करते थे तब तो दो बैसाखियों का समर्थन था लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे जन्म से पोलियो हो गया हो, इस सरकार को और उसको बहुत बड़ी बैसाखी लगी हुई है। उसको समर्थन देने के लिए, उस पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए गोवा की सरकार को अब तोड़ा गया। असेम्बली को निलबन में रखना और माननीय सदस्य आर्गुमेंट दे रहे थे कि ये जो चुने हुए लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जनवरी 1990 में चुनाव होते हैं, एक वर्ष में 2-3 बार सरकार टूट जाती है, सदस्य कभी निर्दलीय हो जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। अगर वे सचमुच में जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के पास जाने से घबराते क्यों हैं।

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : आप जैसों की कृपा से होता है।

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : कोई बात नहीं शास्त्री जी, आप जैसों की कृपा से फिर आ जाएगी। वैसे हमारी कृपा से नहीं हुआ, हमारी कृपा से तो सरकार टिकी हुई थी; आपने दल-बदल कर दिया, इसलिए सरकार चली गई। आप अगर टिके रहते तो ऐसा नहीं होता।

श्री कपिल देव शास्त्री : हमें तो आपके नेता ने निकाल दिया, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो दल के विरुद्ध हो।

प्रो० प्रेमकुमार धूमाल : शास्त्री जी मुझे दूसरी पार्टी का सदस्य समझ रहे हैं, शास्त्री जी वह आपको पार्टी का झगड़ा था, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। हमने आपको निकाला था। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : महोदय, अगर वह चाहते हैं तो वे इस सरकार में बोल सकते हैं। **(व्यवधान)** अगर आपको कोई स्पष्टीकरण देना है, तो कृपया बाद में बोलिए। आप इस समय बोल रहे हमारे सदस्य को क्यों तंग कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

सभापति सदस्य : हमें 4 बजे दूसरा विषय लेना है। कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल : सभापति महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से यही सादर, विनम्र निवेदन है कि एक तरफ तो आप बड़ा दावा करते हैं जनता के प्रतिनिधि होने का और दूसरी तरफ उसी जनता के पास जाने से घबराते क्यों हैं। जब जनता निर्णय देगी, जिसने राज्य चलाना होगा वह चलाएगा, पहले जो चुने गए थे वे तो नहीं चला सके, इनको बदलना है तो जरूर बदलें।

सभापति महोदय, सबसे पहली बात है कि वहां जो गवर्नर महोदय हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नर महोदय को तुरंत रीकाल किया जाए। उनकी गतिविधियां, जो आचरण उन्होंने किया है, वह ठीक नहीं रहा है, संदेहास्पद रहा है; उस आचरण पर शक जरूर होता है। इसलिए गवर्नर को तुरन्त रीकाल किया जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा को निलंबन में न रखकर उसको तुरन्त भंग किया जाए और वहां मई महीने से पहले चुनाव कराए जाएं। जिसको गोआ के लोग चाहें, उस पार्टी को बहुमत मिले, वही पार्टी सरकार बनाए, वही सरकार चले, वही सही लोकतंत्र होगा। खरीद-फरोख्त, क्रय-विक्रय, एम एल एज की सेल परचेज में जो पैसा लगता है, उससे अच्छा होगा कि वही पैसा चुनाव में लगे, जनता को फिर अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। इन शब्दों के साथ में धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की राय सुनी। अभी तक यह बहस होती रही है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया जाता और जैसा कि मैंने कहा था कि वहां की सरकार एक साल की अवधि भी पूरी नहीं कर सकी, जो वर्तमान सरकार थी, उसको मौका दिया गया, उन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं किया और इस्तीफा देकर चले आए। अब वहां दो पार्टियों के बीच जो बहुमत का सवाल है, उसके लिए मौका दिया गया है। हम पार्टियों के बीच जो बहुमत का सवाल है, उसके लिए मौका दिया गया है। हम आखिरी प्रयास कर रहे हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार चले। जहां-जहां चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, वहां सरकार की यह प्रतिबद्धता रही है कि डेमाक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन स्टेबलिश हो। इसके पीछे कहीं यह उद्देश्य नहीं है कि खरीद-फरोख्त हो, कम से कम इस सरकार का तो कहीं से यह उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं उन तमाम माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए कि वहां सरकार बने; लेकिन यदि सरकार नहीं बनती है तो उसका आखिरी इलाज चुनाव ही है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री संतोष मोहन देव जी ने कहा कि वहां अविलंब राज्यपाल को नियुक्त किया जाए जो पूरी तरह से गोवा राज्य को देखें और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म के सवाल उठाए गए, टूरिज्म के लिए गोवा खासतौर से चर्चित रहा है।

इन सारे सवालों को जब तक वहां प्रेजीडेंट रूल है। तो प्राथमिकता के आधार पर हम देखेंगे और यह उम्मीद करता हूं कि अगर वहां चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बन जाती है तो इसी उम्मी के साथ मैं फिर सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका अनुमोदन करें।

प्रो० राम गणेश कापसे : तीन सप्ताह हो गए तो कब तक सस्पेन्डेड एनीमेशन रहेगा। (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, अनेक सदस्यों ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे और माननीय मंत्री ने किसी भी मुद्दे के तहत यह स्पष्ट नहीं किया कि विधान सभा कब तक निलम्बित रहेगी और सरकार का गठन कब होगा।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए अभी भी हमारे पास पांच मिनट हैं। अगर आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो अब एक या दो मिनट में ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आगे आई है। उनको मौका देने के बाद उनका बहुमत सिद्ध हो जायेगा तो हमारे ख्याल से राष्ट्रपति अध्यादेश वापिस लिया जायेगा। निलंबित करने पर ऐसा हम समझ रहे हैं कि बहुमत हो जायेगा तो इसके बारे में कोई संदेह नहीं है सभागृह में यह निश्चित हो जायेगा कि जो महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी के लीडर हैं उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध की कोशिश की है, उनको कब वह संधि मिलेगी। वहां के राज्यपाल को फुल पावर्स देनी चाहिए, कोई इन्टरवीन न करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं किसी और कार्य के लिए समय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वामनराव महाडीक : गोवा में महाराष्ट्र गोमान्तक पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं उनके लिए अच्छा बर्ताव व अधिकार होना चाहिए या तो चुनाव हो जाए और लोगों की इच्छा को सपोर्ट करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : समापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का अनिश्चित निलंबन सदस्यों की खरीद-फरोख्त और अनैतिकता को बढ़ावा नहीं देगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि क्या सरकार के गठन के सम्बन्ध में गोवा में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति महोदय ने केन्द्र सरकार के गठन में अपनाया है अर्थात यह मालूम करने के बाद कि क्या यह प्रथम दृष्टि में व्यवहार्य सरकार का मामला है, उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय से लोक सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा था। क्या वह गोवा में औपचारिक रूप से यह मालूम कर सकते हैं अथवा राज्यपाल के द्वारा यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी संयुक्त पार्टी अथवा एकता पार्टी बहुमत का दावा कर रही है यदि उनका बहुमत है तो क्या उनसे विधान सभा में बहुमत और व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा ?

श्री संतोष मोहन देव : किस नियम के अन्तर्गत वह राज्यपाल की ओर से कहेंगे ? उन्हें राज्यपाल की ओर से कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। इसका निर्णय करना राज्यपाल का कार्य है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सावधानीपूर्वक कहा है; क्या वह राज्यपाल से इसके लिए सिफारिश करेंगे और इसका सुझाव देंगे ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सकता है वहां पर सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करा देंगे और वहां की नई गवर्नमेंट की स्थापना हो जाएगी ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गोवा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : शाम के 4 बजने वाले हैं । यदि सभा की सहमति हो तो हम अगला विषय शुरू करें अर्थात नियम 193 के अधीन श्री बसुदेव आचार्य के द्वारा चर्चा शुरू की जाए ।

श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे ।

3.58 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं कि वह मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं । इस बारे में चर्चा प्रत्येक सत्र का रिवाज बन गया है और हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की चर्चा करते हैं । इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निर्बाध रूप से वृद्धि हो रही है ।

प्रत्येक वर्ष हम देखा करते थे कि फसल कटाई के मौसम अर्थात नवम्बर के बाद मूल्यों में गिरावट आ जाती थी । परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इस अवधि के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और मुद्रा स्फीति की दर विशेषत: दिसम्बर के महीने में दो अंकों को पार कर गई है अर्थात् 15 दिसम्बर, 1990 को यह 11.5 थी ।

4.00 म० प०

दिनांक 16 नवम्बर, 1990 को विश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और जहां तक मुझे याद है कि सरकार बदलने के बाद जब प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर ने कार्य-भार ग्रहण किया था कि अर्थव्यवस्था के संकट को हल कर दिया जाएगा। परन्तु पिछली सरकार अर्थात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल में ऐसा संकट नहीं था। इससे पहले राजीव गांधी की सरकार के शासन में भी यह संकट था जो उस सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के कारण पैदा हुआ था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को दिवालिया अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जब 1990 के लिये सामान्य और रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, तो हमने चेतावनी दी थी क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों में भी वृद्धि की गई थी यद्यपि उस समय खाद्य संकट नहीं था। रेल भाड़े और किराये में भी वृद्धि की गई थी। हमने चेतावनी दी थी कि इसका आवश्यक वस्तुओं के मल्यों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा और वह प्रभाव सामान्य बजट और रेल बजट प्रस्तुत करने के बाद महसूस किया गया था।

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : इसके विपरीत उस समय आपकी पार्टी ने कहा था कि यह क्रान्तिकारी बजट है। मुझे यह बात याद है।

श्री वसुदेव आचार्य : उनकी दिवालियापन की नीति के कारण हमारे सामने मूल्य वृद्धि की यह स्थिति पैदा हो गई है। खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, दूध, अंडे मछली गोश्त आदि की मुद्रा स्फीति दो अंकों में बताई गई है। इन 20 वस्तुओं के सूचकांक में 36.6 प्रतिशत की वृद्धि से सामान्य मूल्य सूचकांक में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। खाद्य तेल के मूल्यों में 10 3 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। नवम्बर, 1989 में दाल का मूल्य 11 रुपये प्रति किलोग्राम था जो अब बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। प्याज का मूल्य 3 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 50 पैसे से लेकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि इसी अवधि के दौरान हुई थी इसके साथ ही 1990 में भी थोक और खुदरा मूल्यों में वृद्धि हुई है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इन वस्तुओं में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

4.05 म० प०

[श्री जसवंत सिंह पीठासीन हुए]

नवम्बर के दूसरे सप्ताह के दौरान इन दोनों के मूल्यों में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और दिसम्बर के बीच में 11.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। उस अवधि के दौरान यह संकट था और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को तत्काल 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। इसलिये, मूल्य वृद्धि का कारण उस धनराशि को पूरा करना बताया गया था। ऐसा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने से पहले किया गया था। हमने कुछ अन्य उपायों का सुझाव दिया था। वे उस धनराशि को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि किये बिना पूरा कर सकते थे क्योंकि इस वृद्धि का अन्य वस्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ा और सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। उसके बाद खाद्य संकट पैदा हो गया। इस संकट से सभी पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई

है। इसलिये, उस सरकार को अगस्त में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये मजबूर होना पड़ा था···(व्यवधान) उसके बाद सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और वृद्धि हो गई। उस समय यह संकट था। यह संकट राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने पैदा नहीं किया था। यह संकट राजीव गांधी की सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीति, उदार आयात, ऋण लेने की नीति तथा एक लाख करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज लेने के कारण पैदा हुआ था इससे लोगों पर बोझ बढ़ रहा है। ऋण व्यय में भी वृद्धि हुई थी। 1980-81 में यह ऋण व्यय 10 प्रतिशत था। लेकिन जब 1988-89 के दौरान उनकी सरकार सत्ता में थी, उस समय इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया था। यह वृद्धि 1980-81 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण और उस ऋण की अदायगी के कारण की गई है। इन सब का भार हमारे देश की जनता को ही वहन करना होगा इसके अलावा उदार आयात नीति, बजट घाटे की व्यवस्था इत्यादि भी इसके कारण हैं। प्रत्येक वर्ष कम से कम 15000 करोड़ रुपये का बजट घाटा था। इन सब ने हमारी अर्थव्यवस्था को डांवाडोल कर दिया। यह संकट और दिवालियापन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उनसे विरासत में मिला था। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता छोड़ी, उस समय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी। जब खाड़ी में संकट उत्पन्न हुआ, तो यह संकट और बढ़ा। हमने सदन में और सदन के बाहर इसकी आलोचना की थी। वामपंथी दल उस सरकार का समर्थन कर रहे थे लेकिन, तब भी हम उस सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना कर रहे थे।

बजट के दौरान जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों, रेल भाड़ा और किराये में वृद्धि की गई और जब औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, हमने उस नीति की आलोचना की क्योंकि वह राजीव गांधी सरकार के दौरान अपनाई गई नीति के ही समान थी। आज उसी नीति के कारण हम इस संकट का सामना कर रहे हैं। हम समय-समय पर कालेधन के होने और उसके प्रभाव की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं। अनेकों आयोगों ने यह कहा है कि देश में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का काला धन है जबकि हमारा वार्षिक बजट मात्र 39000 करोड़ रुपये का है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक कि काले धन को नियन्त्रित नहीं किया जाता।

कांग्रेस द्वारा समर्थित जनता दल (एस) की सरकार इस मोर्चे पर बुरी तरह असफल रही है क्योंकि दो महीने के इस शासन के दौरान मुद्रास्फीति बढ़कर दो अंकों में पहुंच गई है। सरकार इस ओर कोई ठोस कदम उठाने में पूर्णतया असफल रही है। जब पिछले साल राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी, उस समय मुद्रा-स्फीति 11.5 प्रतिशत नहीं थी। लेकिन दिसंबर में जिस समय यह सरकार कांग्रेस (इ) के समर्थन से सत्ता में आई, उस महिने में मुद्रास्फीति बढ़कर दो अंकों में पहुंच गई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने और बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में किसी नीति की उन्होंने कोई घोषणा नहीं की।

भुगतान संतुलन में यह संकट की स्थिति क्यों है ? इस सरकार के पास मात्र 32 दिन के निर्यात के लायक विदेशी मुद्रा है। राजीव गांधी के पांच वर्षों के शासन काल के दौरान निर्यात में बहुत कमी आई है और आयात बढ़ा है। विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ है और विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आई है। मैं आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 1980-81 में विदेशी मुद्रा भंडार 5544 करोड़ रुपए था जो 1989-90 में जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो घटकर 3600 करोड़ रुपये हो गया।

विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी होने से भुगतान संतुलन की स्थिति संकट पूर्ण हो गई है। खाद्य तेल जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर हमें निर्भर रहना पड़ रहा है विदेशी मुद्रा कोष में कमी के कारण खाद्य तेल का आयात नहीं किया जा रहा है। इसी कारण सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है। दिल्ली में सरसों का तेल 40 रुपए से कम नहीं मिल रहा। खाड़ी में संकट के कारण इसका आयात नहीं किया जा रहा है।

चूंकि सीमेन्ट की खुली बिक्री की व्यवस्था की गई इससे सीमेन्ट की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। सीमेन्ट पर लाइसेन्स मुक्त व्यवस्था को अपनाते समय ही हमने उन्हें इस सम्बन्ध में चेतावनी दे दी थी। सीमेन्ट 100 रुपए प्रति बोरी की दर से बिक रहा है। सरकार की नीतियों के कारण उस अवधि में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में उन्होंने अभी तक अपनी नीतियों की घोषणा नहीं की है। हमने इसी सदन में इस सम्बन्ध में अनेकों सुझाव दिए थे। इन सुझावों में एक सुझाव यह है कि 74 आवश्यक वस्तुओं को ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जिनको इसकी आवश्यकता हो उनको वितरित कराने के लिये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इन सभी 14 आवश्यक वस्तुओं को भिन्न-भिन्न राज्यों से प्राप्त करना चाहिए और तदुपरान्त उन्हें रियायती दर पर राज्य सरकारों को सप्लाई करना चाहिये जिससे कि इन वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित किया जा सके। जहां तक मुझे याद है कि यह सुझाव बहुत पहले 1980 में किया गया था। एक सुझाव यह दिया गया था कि समूचे राष्ट्र में एक समान सस्ती दर पर 14 आवश्यक वस्तुओं को इस वितरण व्यवस्था के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इस सम्बन्ध में आवश्यक राशि के निर्धारण के लिए एक अनुमान लगाया गया था। कपड़ा, औषधि, चीनी, माचिस आदि प्राप्त करने का अनुमान 700 करोड़ रुपए के लगभग था। आप इन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से राज्य सरकारों को रियायती दर पर उपलब्ध करा सकते हैं। हमें इसका अनुभव रहा है कि जब सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से पश्चिम बंगाल में समुचित रेपसीड तेल उपलब्ध था। सरसों के तेल के मूल्य में गिरावट आई थी। पिछले वर्ष यह घटकर 12-13 रुपये रह गया सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में रेपसीड तेल उपलब्ध था।

वित्त मन्त्री ने सदन में यह कहा था कि कड़े उपाय अपनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जो एक मात्र रास्ता बचा है, वह है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना। वर्ष 1981 में हमें इसका अनुभव रहा है उस समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक बड़ी राशि ऋण के रूप में ली गई थी। इसमें यह शर्त शामिल की गई थी कि खाद्यान्न की रियायती दर को कम करना होगा। किसानों को खाद रियायती मूल्य पर दी जाती है। कपड़ा, गेहूं और चावल पर भी रियायत दी जाती है। यही नहीं 1981 में आवश्यक सेवा अधिनियम लागू कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत सरकार पर रखी गई शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि श्रमिक वर्ग, कर्मचारियों पर उनके अधिकार लेने के उद्देश्य से आवश्यक सेवा अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। अतः इस सरकार ने ऋण लेने का निर्णय ले लिया है। पहले ही ऋण शोधन अनुपात बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये गये ऋण में से पिछले वर्ष 19000 करोड़ रुपये वापिस किये गए थे। सरकार ने फिर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसकी कठिन शर्तों पर ऋण लेने का निर्णय कर

लिया है। हम उनकी शर्तों का पहले भी अनुभव कर चुके हैं। उनकी शर्तों में से एक शर्त आयात को उदार करने की है। आयात को उदार करने के कारण ही विदेशी मुद्रा का संकट भुगतान संतुलन का संकट और देश की औद्योगिक स्थिति में संकट उत्पन्न हुआ।

अन्य विकल्प भी हैं। सरकार को उन विकल्पों पर विचार करना चाहिए। परन्तु इस कीमत पर नहीं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक से कठोर शर्तों पर ऋण ले तथा अपनी आत्मनिर्भरता को ही समाप्त कर दे जैसा कि वर्ष 1985 से 1989 के दौरान किया गया था। हमने देखा है कि हमने अपनी आत्मनिर्भरता कैसे खोई थी, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमन्त्रित किया गया था तथा किस प्रकार से उन वर्षों के दौरान एक-एक करके हमारे उद्योग को बन्द कर दिया गया था। हमारे देश में बेरोजगारी तथा गरीबी का बोलबाला था।

अतएव हम इस सरकार से कोई आशा नहीं रखते हैं। उनका चुनाव—घोषणा पत्र क्या है? क्या वे कांग्रेस (आई) के चुनावी घोषणापत्र का अनुपालन कर रहे हैं? तब तो बेरोजगारी का बोलबाला होगा ही। गरीबी भी और बढ़ेगी, कीमतों में भी और वृद्धि होगी तथा मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी जैसा कि हमने इस सरकार के इन दो महीनों के शासनकाल के दौरान देखा है। उनका चुनाव—घोषणापत्र क्या है? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए वे कौन-कौन से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। अभी भी पचास प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। उन्हें दिन में एक समय भी भोजन नसीब नहीं होता है। हमें ग्रामीण जनता, खेतिहर मजदूर तथा निर्धन किसानों की कठिनाइयों को समझना चाहिये। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण न केवल वेतनभोगी ही कठिनाई सह रहे हैं बल्कि, ग्रामीण, आदिवासी तथा खेतिहर मजदूर भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सरकार एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत कोई कार्यक्रम आरम्भ क्यों नहीं करती? रियायती दर पर गेहूं तथा चावल की सप्लाई करने का एक कार्यक्रम है। परन्तु केवल पैंतालीस प्रतिशत जनजातीय व्यक्ति आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों में रह रहे हैं तथा पचपन प्रतिशत जनजातीय जनता आई०टी०डी०पी० क्षेत्रों से बाहर रहती है। सरकार रियायती दर पर न केवल गेहूं तथा चावल बल्कि अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने के कार्यक्रम को और क्यों नहीं बढ़ाती। कम से कम इस कार्यक्रम को कमी वाली अवधि के दौरान अर्थात मार्च से सितम्बर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अन्य मदों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। खेतिहर मजदूरों, आदिवासियों तथा अन्य व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको भी रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कठोर शर्तों पर ऋण लेने से पूर्व सरकार एक बार फिर विचार कर ले। सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए तथा विभिन्न राज्यों से 14 आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करके उन वस्तुओं की राज्य सरकारों को रियायती दर पर सप्लाई की जानी चाहिए ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों में उन वस्तुओं को वितरित किया जा सके। इस प्रकार से उन व्यक्तियों को वे वस्तुएं रियायती दर पर मिल सकती हैं। यह तभी संभव हो सकता है जबकि सरकार प्रति वर्ष 700 करोड़ रुपए व्यय करे। जब सरकार कई हजार करोड़ रुपए अन्य कार्यक्रमों पर खर्च कर सकती है तब सरकार हमारे देश की पचास करोड़ जनता पर 77 करोड़ रुपए क्यों नहीं खर्च कर सकती तथा रियायती दर पर आवश्यक

वस्तुओं को वितरित क्यों नहीं कर सकती ? मैं समझता हूं कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी ।

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण चर्चा के लिये दो घन्टे का समय दिया गया था जिसमें से आधा समय पहले ही व्यतीत हो चुका है । तथा यह मेरा निर्देश है कि इसे आज 6.00 बजे तक समाप्त किया जाए । कांग्रेस दल को कुल चालीस मिनट का समय दिया गया है । उन्होंने छः वक्ताओं की सूची दी है ।

श्री अजीत पांजा : क्या इस चर्चा को कल जारी नहीं रखा जा सकता ? यह ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है । यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है तथा यदि यह चर्चा कुछ और समय तक और चलती है तब सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जाएगा । यह नई सरकार पूर्व सरकार द्वारा की गई सभी गलतियों को सुधार सकती है ।

सभापति महोदय : मुझे भरोसा है कि नई सरकार स्वयं ही सुधारात्मक अथवा नए कार्य करना आरम्भ करेगी । कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा दिए गए समय में ही मुझे सभा की कार्यवाही करनी है । मैं कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के बाहर नहीं जा सकता ।

श्री अजीत पांजा : जब यह सभा एक मन से यह मानती है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा इसके लिए कल तक का समय और दिया जा जा सकता है तो ऐसा किया जा सकता है ।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : वह कार्य मंत्रणा समिति पर आक्षेप कर रहे हैं ।

4.32 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री अजीत पांजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री आचार्य जी की बात को पूरे ध्यान पूर्वक सुन रहा था । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस चर्चा के सार्थक होने से देश की जनता को होने वाले लाभ की बजाय उनके दिमाग पर राजनैतिक प्रभाव अधिक है ।

हमें राजीव सरकार तथा उसके पश्चात् विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार करना चाहिए । मूल्य वृद्धि से जन साधारण के लिये जीवन-निर्वाह अत्यन्त कठिन हो गया है । जहां तक कुल मूल्य-वृद्धि का सम्बन्ध है वर्ष 1988-89 1989-90 तथा उसके पश्चात् पिछले ग्यारह महीनों की अवधि को देखने से लगता है कि उस दौरान कुछ बहुत गलत किया गया था ।

हमें यह देखना है कि क्या कारण है कि उत्पादन वृद्धि तथा किसानों द्वारा रिकार्ड उत्पादन किए जाने के बावजूद हर कोई यही कह रहा है तथा सोच रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ किया ही जाना चाहिए । कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के शासन के दौरान उन्होंने अपना ध्यान इस बात की ओर दिया ही नहीं है जिसके बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं जिक्र ही नहीं

किया गया। जब भी मूल्यों में मौसमी वृद्धि होती है तथा जब मौसम के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं तब बिना कोई आर्थिक नीतिगत उपाय किए अपने आप ही कीमतों में कमी आ जाती है। मांग और आपूर्ति के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार कीमतें स्वयं ही कम हो जाती हैं। भूतपूर्व सरकार के शासन के दौरान ऐसा बिल्कुल ही कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। जब हम मौसमी उत्पादों के प्रत्येक मद पर विचार करते हैं तब ऐसा लगता है कि कीमती में मौसमी-वृद्धि अत्यधिक थी जबकि मूल्यों में मौसमी-कमी काफी कम हुई थी। अतएव इस पूरी प्रक्रिया में निश्चित रूप से अत्यधिक गंभीर गलतियां की गई हैं। या तो सरकार मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी, अर्थात् इससे पहले की सरकार, या वे मामले को गंभीरता से तो ले रहे थे किन्तु वे अपनी वृद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए क्योंकि वे अन्य मामलों में उलझे हुए थे। यह भी लगता है कि इन दबावों से, जो कि सामान्य प्रकार के थे, निर्मित उत्पादों और मूल वस्तुओं के भी मूल्यों में काफी भारी वृद्धि हो गई थी। इस अवधि अर्थात् 1990-90 के वर्तमान वर्ष के दौरान वस्तुओं के मूल्यों पर दबाव और भी बढ़ गया। मैंने कारणों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि के लिए पांच महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि किसी भी प्रकार नियन्त्रित नहीं की जा सकती हालांकि प्रत्येक व्यक्ति इसी के बारे में सोच रहा है।

(1) कुछ अनिवार्य वस्तुओं जैसे दालें, चाय, चीनी, तिलहन, खाद्य तेल और सीमेन्ट की मांग और पूर्ति में असंतुलन।

(2) विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति के कारण कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की आपूर्ति में आयात के द्वारा वृद्धि करने में बाधाएं।

(3) कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्धारित मूल्य में वृद्धि।

(4) लागत में वृद्धि और

(5) अन्तिम कारण जो कम महत्वपूर्ण नहीं है कि पिछले वर्षों के अत्यधिक मुद्रा प्रसार और वित्तीय घाटे से उत्पन्न घाटे में वृद्धि।

मैंने विभिन्न वर्षों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 1989-90 के वित्तीय वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत काफी अच्छी रही। 4.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर और पांच वर्ष के राजीव सरकार के शासन के दौरान दो सालों के अकाल के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद में समग्र वृद्धि दर 5 प्रतिशत रही।

दूसरे, आप देखेंगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही के कुछ वर्षों में काफी आर्थिक असंतुलन थे जैसे व्यापक बजट घाटा, भुगतान शेष में वर्तमान लेखा घाटा और 1989-90 के दौरान मूल्यों पर काफी दबाव बना हुआ था यदि हम सरकार के स्वरूप और इसके गठन की परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए, निष्पक्षता से विचार करें तो वस्तु मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह भी प्रतीत होता है कि पहले कुछ वर्षों में एक अपेक्षित स्थिरता विद्यमान थी। हमें इस पर चर्चा करनी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में जो कि बहुत नाजुक वर्ष था, उसमें यह स्थिरता भंग हो गई। थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से विचार करें तो मुद्रा स्फीति दर ने सभी

पिछले रिकार्ड तोड़ दिए। 1988-89 के वर्ष में यह 5.7 प्रतिशत से बढ़कर 1989 के अन्त में 9.1 प्रतिशत हो गई।

नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में—मैंने इसे पढ़ा है—दिखाया गया है कि रिजर्व बैंक ने यह कहा था कि मूल्य वृद्धि कई कारणों से एक सामान्य बात बनती जा रही है, इनमें से तीन कारणों को रिजर्व बैंक ने इसके लिये उत्तरदायी ठहराया :

(1) क्षेत्रीय मांग-आपूर्ति असंतुलन

(2) अतिरिक्त बजट भार

(3) लागत में वृद्धि और वित्तीय असंतुलन के कारण अत्यधिक घाटे का लगातार बढ़ते जाना।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान मुद्रा स्फीति की स्थिति लगातार बदतर होती गई। क्यों ? थोक मूल्य सूचकांक जो मार्च, 1990 के अन्त तक 171.1 था, वह बढ़ गया, और अगले 9 महीनों में ही बिना रुके 8 दिसम्बर 1990 में 185.1 तक पहुंच गया। इस प्रकार मुद्रा स्फीति की दर में 10.9% की वृद्धि हुई, दूसरे यह भी स्पष्ट है कि : 13 अक्तूबर, 1990 के सप्ताहांत तक 7.9% से एक निरन्तर वृद्धि थी -- और वृद्धि 7.9 प्रतिशत से हुई थी। दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि : अगस्त, 1990 से थोक मूल्य सूचकांक मौसम के विपरीत वृद्धि दर्शा रहा है। मैं इस मुद्दे पर जोर दे रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राय: हर वर्ष मौसमी वृद्धि और मौसमी गिरावट आती है। किन्तु पिछले वर्ष, यह नहीं हुआ। हमें इस पर विचार करना होगा, सिर्फ एक या दूसरी सरकार को दोषी नहीं ठहराना है बल्कि यह विचार करना है कि ऐसा क्यों हुआ। जनता दुःखी हो रही है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, मुद्रा स्फीति की दर के मार्च, 1990 के अन्त तक 6.6% थी, वह अक्तूबर, 1990 में बढ़कर 10.8 प्रतिशत हो गई। अक्तूबर, 1990 के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 195 तक बढ़ गया—यह उस समय तक उपलब्ध नवीनतम जानकारी है।

अब थोक मूल्य सूचकांक पर विचार करें। प्वाइंट के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर (आधार वर्ष 1981-82) जो वर्ष 1987-88 में जबकि अकाल पड़ा था की उच्च प्रतिशत 10.7% से गिरकर 1988-89 में 5.7% हो गई, पुनः 1989-90 में बढ़कर 9.1% हो गई हालांकि खरीफ की फसल काफी अच्छी रही थी और उसके पश्चात् खूब अच्छी फसल हुई। इसके कारण ढूंढने होंगे और यहां इस उच्चतम संस्था में हमें इस पर चर्चा करनी चाहिये कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और अजीब तथ्य भी प्रकाश में आया है : वित्तीय वर्ष 1990-91 की पहली तिमाही में मूल्य स्थिति और भी बदतर हो गई। वर्ष 1990-90 की पहली तिमाही में सामान्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक 3.8% बढ़ गया, जबकि 1989-90 की पहली तिमाही में 3.8% की वृद्धि हुई थी। अगर हम सी०पी०आई० पर विचार करें—मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, बल्कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में कह रहा हूं—प्वाइंट और औसत दोनों ही आधार पर, औद्योगिक श्रमिक

के लिए (आधार वर्ष 1982) वर्ष 1989-90 के दौरान सी०पी०आई० की दृष्टि से मूल्य वृद्धि की दर 6 6 थी, जबकि 1988-89 में यह प्वाइंट के आधार पर 8.6% और औसत आधार पर 9.1% थी। ये बातें क्यों हो रही हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं। हमें विस्तार से यह देखना होगा। प्वाइंट के आधार पर सी०पी०आई० में खाद्य सूचकांक 1989-90 में 5.0% बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 10.5% की वृद्धि के आधे से भी कम था, इसका कारण था खाद्यान्नों के सस्ते मूल्य। अप्रैल-जून 1990 की पहले तिमाही में, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सी० पी०आई प्वाइंट के आधार पर 4.5% बढ़ गया, जबकि 1989-90 की पहली तिमाही में 2.4% की वृद्धि हुई। औसत आधार पर भी मैं एक या दो आंकड़े दूंगा : 1990-91 की पहली तिमाही की 8 1% की वृद्धि 1989-90 की पहली तिमाही की 7.7% की वृद्धि से ज्यादा थी। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर गहराई से विचार करना होगा। मई 1990 में एक दस्तावेज दिया था, और इसे दिखाते हुए मैंने जो बात कही थी वह इतनी जटिल नहीं थी कि उसे आम आदमी न समझ सकें।

अक्तूबर में जब राजीव गांधी सरकार सत्ता में थी, तब अक्तूबर और मई के आंकड़े उस समय हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को दिए; हमने उन्हें तेजी से बढ़ती हुई महगाई पर ध्यान देने की चेतावनी दी। मैं मई 1989 से इसकी तुलना कर रहा हूं। कुछ आवश्यक वस्तुएं जो 2.14 रुपये की बिक रही थीं उनकी कीमत 2.90 रुपये तक बढ़ गई हालांकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और इसके सभी सहयोगियों ने अपने घोषणा पत्रों में बढ़ चढ़ कर घोषणा की थी कि उनके सत्ता में आने के एक महीने के अन्दर ही वे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नीचे ले जाएंगे।

मेरे मित्र ने 14 आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख किया है। बंगाल में यह सब बंगाली में लिखा है। उन लिखावटों के अतिरिक्त कुछ और नहीं कहा है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार और उनके सहयोगियों के लिए वे मात्र सिर्फ दीवारों पर लिखे नारे हैं।

अक्तूबर 1989 में जब राजीव गांधी सरकार सत्ता में थी तो चीनी का मूल्य प्रति किलो 8.50 रुपये था। उस संक्षिप्त अवधि में यह 14 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गया और तब से प्रायः हर रोज बढ़ता ही जा रहा है।

जहां तक दाल का संबंध है, मैं पूरा वृत्तान्त देना नहीं चाहता। लेकिन आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी दालों के मूल्यों में 10 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

मई, 1990 में सरसों के तेल की कीमत 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 27 रुपये प्रति कि०ग्रा० हो गई जो बाद में और बढ़कर 32 रु० प्रति कि०ग्रा० हो गई। इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है क्योंकि मूल्य सूचकांक काफी अधिक है। अक्तूबर, 1989 में राजीव गांधी सरकार के समय में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें 2.14 रु० प्रति कि० ग्रा० थी जो मई, 1999 में बढ़कर 2.30 रु० प्रति कि०ग्रा० हो गई। अक्तूबर, 1989 में चीनी का मूल्य 8.50 रुपये प्रति कि०ग्रा० था और मई 1990 में यह 10 रुपये प्रति कि० ग्रा० हो गई। जो भी दाल आप लें, सबकी कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि आम आदमी उन्हें खरीद नहीं सकता है।

भवन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। अक्तूबर, 1989 में सीमेंट की कीमत 70 रुपये प्रति बोरी थी जो 105 रुपये प्रति बोरी हो गई और उसके बाद इसकी कीमत कुछ कम हो गई। हमें सच्चाई जानने के लिये विस्तार में जाना होगा।

जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार सत्ता में आई तब कुछ उत्तरदायी मंत्रियों ने वक्तव्य दिए जो जमाखोरों और मुनाफाखोरों द्वारा लाभ कमाने के लिए उत्तरदायी थे, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि राजकोष खाली पड़ा है। भारतीय इतिहास अथवा विकसित राष्ट्रों के इतिहास में कभी भी आप यह नहीं पाएंगे कि प्रधानमंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अपने पहले भाषण में यह कह रहा है कि राजकोष खाली है जब कि वास्तव में ऐसा नहीं हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देकर कि राजकोष खाली पड़ा है वह लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि वह शून्य की स्थिति से देश को समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्रिक देश में प्रधानमंत्री अथवा वित्त मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अथवा सर्वाधिकारवादी देश में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा वक्तव्य देने के बाद ऋण देने वाले व्यक्तियों में आतंक फैल जाएगा। जब वित्तमंत्री से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने दुबारा यही वक्तव्य दिया था; तत्कालीन वित्तमंत्री प्रो० मधु दण्डवते ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने एक आम बात कही थी। उन्होंने कहा कि "भारतीय अर्थव्यवस्था की यह निराशापूर्ण तस्वीर थी" जब कि ऐसा नहीं था। प्रधान मंत्री जी ने इस सभा में जो दूसरा वक्तव्य दिया था वह भी काफी खतरनाक था। हम सब को यह याद है। हम सबको यह याद है कि प्रधान मंत्री जी ने इस सभा में दिए गए वक्तव्य के दौरान भारतीय जनता से कहा था कि "मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।" एक युद्ध प्रिय प्रधान मंत्री जिसका गृहमंत्री भी वैसा ही था देशवासियों से मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। उस वक्तव्य से किसको लाभ हुआ था ? मुनाफाखोरों, जमाखोरों और कालाबाजारियों को फायदा हुआ। प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो गया तथा लोगों ने आम वस्तुएं इकट्ठी कर लीं जब कि उस समय युद्ध का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन प्रधान मन्त्री जी ने लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि युद्ध होने वाला है ताकि लोग मूल्य वृद्धि तथा अन्य बातों को भूल जाएं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : मैं माननीय मित्र का बहुत सम्मान करता हूं और भाषण के बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है। मुझे उनकी बातों से हैरानी हुई है। उनका विचार है कि जब राजकोष खाली है तो राष्ट्र को इस बारे में नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे उसका विश्वास नहीं रहेगा। तथ्य यही है कि राजकोष खाली था। यह बात केवल देशवासियों को नहीं बताई गई थी लेकिन प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इसे पहले से ही जानता था। वह हमारे वक्तव्यों की ओर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि तथ्यों को मानते हैं जो कि ज्ञातव्य हैं। मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री जी बैठे हैं। वह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों और विश्व जनमत का तथ्यों की जांच करने का अपना तरीका है और वे अपने आप तथ्यों की ढूंढ लेते हैं। आज मेरे माननीय मित्र वित्त मन्त्री जो इन सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। वह यह भी जानते हैं कि एक वर्ष पहले क्या स्थिति थी और राष्ट्र को यह बताने की कि राजकोष खाली है या नहीं उन्हें सही परामर्श दिया गया।

जिस दूसरी बात ने मुझे अधिक क्षुब्ध किया वह यह है कि वह सोचते हैं कि जब पड़ोस से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा था तब देश को इस बारे में बताया नहीं जाना चाहिए था। तत्कालीन मन्त्रीमण्डल के उत्तरदायी सदस्य के रूप में मैं यह समझता हूं कि प्रधान मन्त्री ने राष्ट्र को यह बताकर अच्छा कार्य किया कि राष्ट्र खतरे में है (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : मैं नहीं जानता कि उस समय युद्ध का खतरा था। मुझे पता है कि इस बारे में कुछ जानकारी भी नहीं मिली थी। वास्तव में क्या हुआ? कालबाजारियों और मुनाफाखोरों को किसने सहायता दी और किसने चीजें जमा कीं? हम सभी जानते हैं। मैं नहीं समझता कि राजकोष खाली होने के बारे में माननीय सदस्य की बात सही है। पहले मेरे पास राजस्व विभाग का प्रभार था। राजकोष में धन था। इसका समुचित रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। और मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। यदि ऐसा कहा गया है तो मैं माननीय सदस्यों को सही आंकड़े दे सकता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ने आपको दिया है।

श्री अजीत पांजा : जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार सत्तारूढ़ थी तब एक वर्ष में अप्रत्यक्ष कर के लिए स्वीकृत बजट प्राक्कलन से 10, 156.65 करोड़ रु० कम एकत्र हुए थे और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 8,992.36 करोड़ रु० कम वसूल हुए थे। क्या यह आंकड़े प्रोत्साहन जनक है?

जहां तक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के दौरान नियमित कर, आय कर, उपहार कर और सम्पत्ति कर का संबंध है उनमें संशोधित अनुमानों और स्वीकृत बजट प्राक्कलनों के बीच 8,074.07 करोड़ रु० का अन्तर था और इसलिए नवम्बर, 1990 तक 4,235.74 करोड़ रु० की कमी हुई थी।

मेरा यही विचार है। लेकिन उस समय सरकार के लोग अन्य मामलों में व्यस्त थे। स्वीकृत बजट प्राक्कलनों और उत्पाद शुल्क; सीमा शुल्क और आय कर की वसूली के बीच इतना अन्तर क्यों था?

अब इस सरकार को यह अन्तर पूरा करने अथवा 15,000 करोड़ रु० का प्रबन्ध करने के लिए तत्काल उपाय करने हैं। लेकिन समुचित चर्चा के बिना इस प्रकार के कर लगाने के उपायों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। इससे मूल्यों में और वृद्धि होगी। सीमा शुल्क तथा उत्पादक उत्पाद शुल्क बढ़ाने के इस सरकार के निर्णय पर मैं आपत्ति करता हूं। जैसा कि मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री, जो कि काफी योग्य व्यक्ति हैं, करों में बढ़ोतरी किए बिना कीमतों की वृद्धि रोकने के उपाय ढूंढ़ लेंगे। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की कमी है। श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली सरकार यह राशि तब लोगों से एकत्रित करने में असफल रही; जब धन उनके पास था। कल मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए कहा था कि यह राशि लोगों को बिना किसी उद्देश्य के वापस की गई तथा अगर इसे रोकने के आदेश न दिए जाते तो यह भुगतान एक विशाल राशि बन जाता।

महोदय, पिछली सरकार ने लोगों को ध्यान बढ़ती हुई कीमतों से हटाने के लिए कुछ तरीके अपनाये थे। उन्होंने यह घोषणा की कि खजाना खाली है तथा लोग एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए तैयार रहें। फिर जून महीने में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने मद्रास में व्यापारियों तथा जमाखोरों को एक महीने का समय देते हुए चेतावनी दी कि इस अवधि के भीतर कीमतें कम हो जानी चाहिए। कई महीने बीत गये; परन्तु कुछ नहीं हुआ तथा देश के लोगों द्वारा स्वयं प्रधान मन्त्री को गद्दी से उतार दिया गया। चेतावनी इस सम्बन्ध में बिना कोई कदम उठाए दी गई। फिर, बढ़ती हुई कीमतों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक और तरीका पिछली सरकार द्वारा अपनाया गया।

अचानक प्रधान मन्त्री मण्डल आयोग के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हैं। फिर उसके पश्चात् राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य लोगों का ध्यान बढ़ती हुई कीमतों से उत्पन्न आन्दोलन से हटा कर किसी दूसरी तरफ लगाना था। इसके कारण जिन लोगों के पास नेतृत्व था; उन्होंने अपने आपको किसी कठिन स्थिति की बजाय बड़ी सुखद स्थिति में पाया।

महोदय मेरे पास सरकार के ध्यानार्थ कुछ सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव यह है। इन बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए मुद्रा आपूर्ति विस्तार को 12 प्रतिशत वार्षिक तक सीमित रखना होगा तथा बजट घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के दो प्रतिशत से कम होना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है। मूल्यों के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण उत्पादन की तुलना में अधिक मुद्रा आपूर्ति है। पिछले दस वर्षों में, मुद्रा आपूर्ति में चक्रवृद्धि विकास की दर 14.4 प्रतिशत वार्षिक रही। उत्पाद में चक्रवृद्धि विकास की दर 4.9 प्रतिशत वार्षिक रही और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति की दर 8.9 प्रतिशत वार्षिक रही।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि कुछ हद तक अर्थात् लगभग पांच प्रतिशत तक कीमतों में वृद्धि संभाली जा सकती है। अन्ततः यह कहा जा सकता है कि आपूर्ति में स्थिरता कीमतों को स्थिर रखने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक तिहाई कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है; जिसमें कि उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पाद जीवन निर्वाह पर खर्चे को प्रभावित करते हैं जो कि मजदूरी और औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करते हैं जिससे कि मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।

महोदय, मुझे और बहुत-सी बातें भी कहनी हैं, परन्तु समय की कमी के कारण मैं इन्हें माननीय मन्त्री जी को सौंप रहा हूं।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आज समय का अभाव है तो हम इस चर्चा को कल भी जारी रख सकते हैं ताकि मन्त्री महोदय के प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देने का अवसर मिल सके। इस समय देश में बढ़ती हुई कीमतों से अधिक महत्वपूर्ण और कोई मुद्दा नहीं है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट नहीं किया कि किन परिस्थितिओं के कारण श्री वी०पी० सिंह की सरकार को इस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा इस संबंध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन कीमतों में वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है; तथा इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोंडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में दूसरी बार महंगाई पर विचार हो रहा है। मैं अभी पंजा साहब के विचार सुन रहा था और उससे पहले मैंने श्री वसुदेव आचार्य के विचारों को भी सुना। एक दूसरे पर महंगाई बढ़ाने का दोष लगाने से, मैं समझता हूं कि इस देश के गरीब लोगों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इस देश में अगर किसी को महंगाई का जन्मदाता कहा जा सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शासन काल में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी और वी०पी० सिंह की सरकार को बढ़ी हुई महंगाई विरासत में मिली। वी०पी० सिंह की सरकार चले जाने के बाद, अब देश में हाथी के समर्थन से एक चींटी की सरकार चल रही है, उसे भी यह महंगाई विरासत में मिली है। इसलिये महंगाई बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार पर है जो इस समय यद्यपि सत्ता में तो नहीं है परन्तु उसके समर्थन से चन्द्र शेखर जी की सरकार चल रही है। इस सरकार के चलते, हम देश में महंगाई को कम करा पायेंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं है परन्तु इसमें कोई शक नहीं है कि चींटी बहुत परिश्रमी होती है, बहुत परिश्रम करती है। चींटी के समान परिश्रम करके यदि हमारे वित्त मन्त्री जी महंगाई पर कुछ काबू पाने में कामयाब हो गये तो कम से कम इस देश की गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी। आज महंगाई की वजह से आम लोगों की हालत बहुत दयनीय हो गई है और महंगाई का सबसे ज्यादा असर गांव में रहने वाले गरीब लोगों पर पड़ रहा है, किसानों पर पड़ रहा है, जो लोग फुट-पाथों पर रहते हैं या झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उन पर पड़ रहा है। वे महंगाई की मार से अधिक मर रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए जितने कदम उठाए जा रहे हैं; उनका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ रहा है। आज हर क्षेत्र में डीजल का इतना भारी क्राइसेज है; खाड़ी संकट के चलते हमारे देश में डीजल और पैट्रोल की कीमतों में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी गई है, 12 रुपये कुछ पैसे प्रति लीटर की दर से पैट्रोल मिलता है लेकिन हिन्दुस्तान के गांवों में एक लीटर पैट्रोल के लिए लोगों को 25 रुपये तक देने पड़ते हैं। आज गांव के किसानों को 15 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल खरीदना पड़ता है। ब्लैक में चीजें खरीदने से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। एक ओर जहां उसे डीजल इतने महंगे भाव पर खरीदना पड़ता है, वहीं उसके द्वारा उत्पादित चीजों के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जहां किसान द्वारा खेती के काम में आने वाली चीजों के दाम बेहताशा बढ़ गए हैं, उसी रेश्यो में उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के दाम नहीं बढ़े हैं, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम गांवों में आवश्यक चीजों की सप्लाई नियमित करने की तरफ सरकार ने कोई ध्यान

नहीं दिया है । गांवों में किरासन तेल की भारी कमी है । बिजली के खम्भे तो जरूर लगा दिये गये हैं, तार भी जरूर बिछा दिए गए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर्स के अभाव में कहीं भी बिजली नहीं मिलती है । बिजली न मिलने के कारण न सिर्फ गांव ही, बल्कि छोटे मोटे शहर भी प्रभावित हैं । आज गांवों में किरासन तेल 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है । आप जानते हैं कि गरीब जनता को भोजन के लिये, खाने के समय प्रकाश की आवश्यकता होती है और अपने घरों में प्रकाश करने के लिए उसे 10 रुपये लीटर के हिसाब से किरासन तेल खरीदना पड़ता है । आज हर चीज पर महंगाई का असर है और हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं । यह देश किसानों का है परन्तु आज स्थिति यह है कि लोगों को खाने के लिए दाल भी नहीं मिल रही है । दालें इतनी महंगी हो गई हैं कि विदेशों से मंगवाई जा रही हैं । खाद्य तेलों का भी इस देश में अभाव है, वह भी आवश्यकता के अनुरूप पैदा नहीं हो रहा है । मैं यहां बिहार से आता हूं । बिहार में सरसों के तेल का उपयोग बड़ी मात्रा में होता है परन्तु महंगाई की वजह से सरसों के तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं, बिहार में सरसों के तेल का जो भाव है, यद्यपि सरकारी आंकड़ों में कुछ दूसरे ही भाव बताये जाते हैं, परन्तु बाजार में उस भाव पर सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है, आज हमारे यहां सरसों का तेल 45 रुपये किलो की दर से मिल रहा है । हमें देखना चाहिये कि आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई है । सरसों का उत्पादन इस वर्ष काफी अच्छा है फिर सरसों के तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं । सरकार की गलत आर्थिक नीति के चलते इस देश में महंगाई बढ़ रही है । रुई जो किसान पैदा करता है, उसकी कीमत नहीं बढ़ी है लेकिन कपड़े की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं । मेरा कहने का मतलब है कि किसान जो चीजें पैदा करता है, उसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं । महंगाई बढ़ने के लिये मैं सरकार की गलत आर्थिक नीतियों को दोषी मानता हूं । अतः मेरा वित्त मन्त्री जी से आग्रह है कि अगर वे देश में किसानो को वास्तव में राहत पहुंचाना चाहते हैं तो किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के दामों को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें । यद्यपि विभिन्न उत्पादों की कीमतें तय करने के लिये आपने एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनाया है, लेकिन इस देश में उद्योगपति जो माल बनाता है, उसके लिए तो आपने इंडस्ट्रियल प्राइस कमीशन नहीं बनाया है । अगर आप इंडस्ट्रियल प्राइस कमीशन बना देते, तो आज जो इंडस्ट्री में एक रुपये की लागत का माल बाजार में 10-12 रुपये में बिकता है, वह नही होता । इसलिये महंगाई के बढ़ाने में उद्योगपतियों का हाथ भी सबसे ज्यादा है । जो चीज किसान पैदा करता है उसकी कीमत कम होती है । वह सस्ती कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन उद्योगपति की कम लागत की चीज ज्यादा कीमत पर बेची जाती है । आज स्थिति यह है कि चीनी, केरोसीन तेल, दाल के भाव बहुत बढ़े हैं । खाद्य तेल का अभाव है, उसकी कीमत आसमान छू रही है । मध्यम वर्गीय परिवार जो सीमेण्ट प्रयोग करता है, उसका भी भाव बढ़ गया है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप भावों को घटाना चाहते हैं, तो आपको आर्थिक नियमों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी और ये जो घाटे का बजट है, इसको समाप्त करना पड़ेगा । यह घाटे का बजट सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि लगातार जब से इस देश में प्लानिंग शुरू हुई है, तब से इस संसद में बजट पेश हुये हैं, वे सब घाटे के बजट पेश हुये हैं और वही सिलसिला चल रहा । इसलिये अब आप अपने समय में यह घाटे का बजट पेश करना बन्द कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में महंगाई का कारण ब्लैक मनी भी है । पिछले सत्र में इसी सदन में साउ साहब ने बोलते हुये कहा था कि इस देश में 80 हजार करोड़ रुपया ब्लैक मनी के रूप

में है। जब देश में इतनी अधिक धनराशि ब्लैक मनी के रूप में परिचालित है, तो आप महंगाई को कैसे रोक पायेंगे। जब तक आप ब्लैक मनी को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक उस धन को आप जनता के विकास के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस देश में महंगाई समाप्त नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि महंगाई को कम करने के लिये आपको आर्थिक नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। इस देश में भाव के घटाने और बढ़ाने की जो माप-तौल आप करते हैं, उससे भी इस देश के आम लोग परेशान हैं। जिस हिसाब से आप लागत मूल्य को जोड़कर कीमत निकालते हैं, वह हिसाब गांवों में लागू नहीं होता है। इसलिये सचमुच में यदि आप महंगाई से पार जाना चाहते हैं, तो आपको आर्थिक नियमों की जानकारी गांव की झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को देनी होगी, उनके घर के द्वार तक पहुंचानी होगी, तभी आप महंगाई से छुटकारा पा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप इस देश से महंगाई को समाप्त करना चाहते हैं, तो उत्पादन बढ़ाइये और सही ढंग से, ईमानदारी से उसका वितरण करिये। आज गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें तो हैं, आप सामान भी भेजते हैं, लेकिन वहां के कंजूमर को वह सामान उचित मूल्य पर मिल नहीं पाता है। उसको बिचौलिये खा जाते हैं। गांव में छोटे बिचौलिये से लेकर केन्द्र में बड़े बिचौलिये तक जो बैठे हैं वे जनता की कमायी का 80 प्रतिशत खा जाते हैं। ऐसे लोगों को भी आपको निर्ममता के साथ समाप्त करना होगा, तब इस देश की महंगाई समाप्त हो सकती है। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लाभकारी मूल्य देकर, इस देश का जो खेतिहर मजदूर और गरीब है, पीड़ित है, उसके हाथ में रोजगार देकर, उसको सामान खरीदने के लायक बनाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में स्थिति यह है कि गरीब का बच्चा दवा के लिये तरस रहा है। आज गांवों में जो बच्चे बीमार हैं, उन्हें अच्छी दवा नहीं मिल रही है। खराब से खराब दवा उनको मिल रही है। इसलिये आपको इस देश के बड़े उद्योगपतियों के हाथों में जो उद्योग चल रहे हैं, उनका एकाधिकार धीरे-धीरे समाप्त करना पड़ेगा और गरीबों को प्रोत्साहन देना होगा, तभी महंगाई समाप्त हो सकती है और इस देश के लोगों को लाभ मिल सकता है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आर्थिक नियमों को सही ढंग से लागू करें, ईमानदारी से लागू करें, तभी हम महंगाई को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपकी सरकार के प्रति विश्वास इसलिए नहीं होता है कि 68 सांसदों की सरकार 210 सांसदों के समर्थन से जिस दल में है उस दल के लोगों को इस देश के गरीब लोगों से, मध्यम वर्गीय लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। वैसे लोगों को इस देश के बड़े-बड़े पूंजीपति, बड़े-बड़े ब्लैक मार्केटियर्स सिर्फ चुनाव के लिये धन प्राप्त करते रहे हैं, गरीब झोंपड़ी से जो पैदा होकर कांग्रेस की संस्कृति में गया है वह महल बनाने का जो काम कर रहा है, उनके समर्थन से आप कोई अच्छा काम कर पायेंगे इसका मुझे कोई यदि विश्वास दिला दे तभी हम आपके समर्थन में कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी नीयत पर मुझे भरोसा है कि आपकी सरकार महंगाई को कम करने के लिये विभिन्न गलतियों को दूर करके जनता को राहत पहुंचायेगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक निवेदन करूंगा कि जो बातें कही जा चुकी हैं उन्हें दुहराया न जाए।

श्री भोगेन्द्र झा : धन्यवाद, महोदय।

महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि आप कीमतों के इस मुद्दे के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मूल्य वृद्धि कुछ कारणों की वजह से होती है अत: इसका उपचार अपने आप नहीं होता। भारत की वर्तमान स्थितियों में मूल्य वृद्धि की प्रकृति से तात्पर्य है—लाखों उत्पादकों, प्राथमिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय सकारात्मक प्रयत्न के कीमत पर और थोक व्यापारियों और काला बाजारी करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिये उन्हें लूटना। यह एक विपक्ष है। यह प्राकृतिक विपदा नहीं है। यह नीति का प्रश्न है, जिसका अनुसरण कांग्रेस दल ने आरम्भ से ही विभिन्न स्तरों पर किया है और फिर राजीव गांधी सरकार ने पूर्ण रूप से इसका अनुसरण किया तथा पिछली सरकार ने भी, जिसका हमने समर्थन किया है, पूर्ण रूप से इस नीति का पालन किया है। यही त्रासदी है और तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सही कहा था, "हमें यह विरासत राजीव गांधी सरकार से मिली है।" राजीव गांधी सरकार ने कहा था कि उनके पास जनता दल सरकार की विरासत थी। दोनों ठीक थे। उस दिन मैंने कहा था कि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि यह विरासत है या नीति—एक ऐसी नीति जो आम आदमी को लूटने के लिये है और थोक व्यापारी की मदद करने के लिये है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, यह मूल्य वृद्धि बहुत तेजी हो रही है और लगभग पिछले एक वर्ष या पन्द्रह महीनों से लगातार जारी है। यह एक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने कहा एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन की कमी से सम्बन्धित है। दालों खाद्य तेल इत्यादि के मसले पर यह कहना है कि इनका उत्पादन हमारी आवश्यकता से कम होता है। राजीव गांधी सरकार ने केवल आयात करके की आपूर्ति की व्यवस्था की. उत्पादन नहीं बढ़ाया गया उन्होंने मूल्य वृद्धि और वितरण की उचित व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, अपितु आयात करके, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा—कोष की बरबादी हुई, काम चलाया। इसके परिणामस्वरूप सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में मूल्यों में वृद्धि हुई। किन्तु यह छठी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले कुछ कम ही थी। पिछली बार, जब हमारे प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे विदेशी मुद्रा के 'खाली भंडार' की बात कही थी, तो यह बात लगभग सत्य ही थी। यह एक वास्तविक तथ्य था।

अब, मैं यह कहना चाहता हूं कि उप-प्रधान मन्त्री श्री देवी लाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब शहर में मूल्य बढ़ते हैं, तो वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि इससे किसान उत्पादक को कुछ लाभ होने की सम्भावना बढ़ती है। क्या ऐसा ही है ? पिछले वर्ष, हमारी सरकार ने दुबारा गेहूं के दाम में वृद्धि की थी। यह उस समय की बात है जब गेहूं गांवों से जमाखोरों के गोदामों में आ गया था। वह उसी मौके पर गेहूं के मूल्य दूसरी बार बढ़ाए गए थे। इस प्रकार जमाखोरों को मदद दी गई और इससे कृषि-उत्पादकों को कोई फायदा नहीं पहुंचा। कृषि-उत्पादकों के लिए, फसलों की कटाई के समय मूल्यों में वृद्धि की जानी चाहिए और अनाज-वसूली की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसलिए, मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने चाहिएं, जिससे कि वे देश की आवश्यकता के अनुसार और अधिक उत्पादन करने के लिए

प्रोत्साहित हों। यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वास्तव में अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिले; केवल वसूली मूल्यों को बढ़ाने से उन्हें लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होते, क्योंकि बिचौलिये उनका लाभ उठा लेते हैं। इसलिए वसूली प्रक्रिया को दृढ़ करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि-उत्पादक को भुगतान किए गये वास्तविक मूल्य में और वास्तविक उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये मूल्य में अधिक अन्तर नहीं होनी चाहिए और यह 15 प्रतिशत से तो अधिक होना ही नहीं चाहिए। ऐसा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा।

महोदय, जैसा हमने पिछले वर्ष देखा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवम्बर, 1989 से नवम्बर 1990 तक तैयार किये गये सूचकांक के अनुसार सरसों के तेल के मूल्य 54 8 प्रतिशत बढ़े हैं; मूंगफली के तेल के मूल्य 35.8 प्रतिशत बढ़े हैं तथा नारियल के तेल के मूल्य 34.4 प्रतिशत बढ़े हैं और वनस्पति के 23.4 प्रतिशत, गेहूं के 10.9 प्रतिशत, अरहर की दाल के 39 6 प्रतिशत, आलू के 60 1 प्रतिशत और प्याज के मूल्य 71.6 प्रतिशत बढ़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका विश्लेषण भी किया है कि ऐसा क्यों हुआ और मूल्य वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ कम क्यों रही। उनका विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो जनवरी, 1990 में 174 था, वह अक्तूबर, 1990 में बढ़कर 195 हो गया। इसलिए, 1990-91 के पहले तीन महीनों में औसतन वृद्धि 8 1 प्रतिशत रही; यह वास्तव में पिछली समान अवधि से अधिक थी, चूंकि 1989-90 के पहले तीन महीनों वृद्धि 7 7 प्रतिशत रही थी। पिछले वर्ष के बजट में, अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 73 प्रतिशत था। यह एक जन-विरोधी बजट था, जिससे लोगों सबसे अधिक परेशान हुए; तब भी हमने सरकार को समर्थन दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यह सरकार गिरे। यदि देश संकट में हो, तो हमें ऐसी बातें सहन करनी पड़ती हैं। यहां मैं मूल्य नीति के बारे में बात कर रहा हूं। श्री गुजराल ने श्री पांजा द्वारा लगाए गए आरोप का बिलकुल ठीक खण्डन किया है कि युद्ध का कोई खतरा नहीं था। यह गलत है। वे लोग जो सारी स्थिति समझते हैं, वे जानते थे कि एक गम्भीर संकट था। इसलिए, यदि प्रधान मन्त्री ने देश को चेतावनी दी थी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिये कि जमा-खोरी इसका कोई लाभ न उठाए कुछ विशेष कदम उठाए जाने थे। इसलिये कृषि-उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने हेतु तथा वास्तविक उपभोक्ताओं को सस्ती और नियन्त्रित दरों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, थोक व्यापारियों पर अंकुश रखा जाना चाहिए। मैं इस सरकार से यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि वह अनिवार्य वस्तुओं के सम्पूर्ण व्यापार को अपने हाथ में ले ले। इस सरकार से यह आशा करना बहुत अधिक है मैं नहीं सोचता कि वह ऐसा कर सकती है। किन्तु, मैं वर्तमान वित्त मन्त्री से तक अनुरोध करूंगा, जो मैंने पिछली सरकार से भी किया था कि उन्हें जमाखोरों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो जनता के पैसे से जमाखोरी करते हैं। देश का कोई भी जमाखोर या थोक व्यापारी अपने पैसे से थोक व्यापार नहीं करता। उनके लिये राशि बैंक से आती है। जनता के पैसे की मदद से वे वास्तव में वस्तुओं की जमाखोरी करते हैं। वे उत्पादन नहीं करते, ना ही वे उपयोग करते हैं। वे श्रम नहीं करते। यहां तक कि वे अपने पेनों से लेखा भी नहीं लिखते क्योंकि हिसाब किताब रखने के लिये उनके पास मुनीम और क्लर्क होते हैं। उन्होंने अधिकांश लाभ जनता के पैसे से कमाया है। इसलिये, हम अपने ही पैसों से अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वर्तमान वित्त मन्त्री से

अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर थोड़ा ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि बैंक की राशि जनता की राशि थोक व्यापारियों को जमाखोरी के लिये नहीं दी जाएगी। अगर सारी वस्तुओं में नहीं तो कम से कम कुछ वस्तुओं में तो वित्त मंत्री को देखना चाहिए कि थोक व्यापारियों को जमाखोरी के लिये हमारा पैसा, जनता का पैसा प्राप्त न हो सके। वे अपने काले धन का उपयोग करें। यह एक छोटा कदम होगा और वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए।

मंहगाई के बारे में, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमारा खाद्यान्न का उत्पादन स्वतन्त्रता से लेकर अब तक सबसे अधिक था। यह 1715 लाख टन से अधिक था। सीमेंट उत्पादन भी काफी ज्यादा था। विनिर्माता चिल्ला रहे थे कि सीमेंट बाजार में अतिरेक हो जाएगा। किन्तु फिर भी मूल्य बढ़ गये और यहां तक कि सरकार ने वितरण से नियन्त्रण भी हटा लिया। किन्तु फिर भी मूल्य बढ़ते ही रहे। चीनी का उत्पादन भी आशा से अधिक ही हुआ था। यह 105 लाख टन था। फिर भी मूल्य बढ़ गये। पूरा आर्थिक सिद्धान्त ही फेल हो गया। 'अधिक वस्तुएं और सस्ते मूल्य' यह नहीं हुआ बल्कि यह हुआ कि "अधिक वस्तुएं और अधिक मूल्य" और हमारी जनता को जमाखोरों और बिचौलियों के इस वर्ग की चालाकी का शिकार होना पड़ा जो जनता के पैसे का ही उपयोग कर रहे हैं।

अब, इसे बदलने के लिए, नीति बदलनी पड़ेगी। बजट आने वाला है। पिछले वर्ष बजट के समान नहीं जिसमें 70 प्रतिशत राजस्व अप्रत्यक्ष करों के द्वारा था, इस वर्ष वित्त मंत्री को यह देखना चाहिए कि राजस्व का मुख्य भाग अप्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त हो। किन्तु वे इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वे पहले ही बजट पूर्व कर लगा चुके हैं जो भविष्य की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में सहायक नहीं हैं। आगामी बजट में, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएं। यह अपरिहार्य वस्तुओं पर, विलासिता की वस्तुओं पर और आयातित वस्तुओं पर होना चाहिए। हमारे बजट राजस्व का मुख्य भाग प्रत्यक्ष करों के द्वारा सम्पत्ति कर, अनुपार्जित सम्पति पर कर और उन लोगों पर कर लगाकर होना चाहिए जो अमीर हैं और जो हमारे देश के विकास में कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। जब तक इस उपाय का पालन नहीं किया जाता तब तक हमारी जनता का शोषण होता रहेगा, जैसे कि पिछले वर्षों में उनका शोषन होता रहा है।

इससे अधिक आशा रखे बिना, मैं वित्त मन्त्री और वर्तमान सरकार से चाहता हूं कि वे कम से कम जमाखोरों की सहायता तो न करें। बैंकिंग क्षेत्र की राशि, जनता की राशि सार्वजनिक क्षेत्र में ही जानी चाहिए; जनता की राशि राज्य व्यापार निगम में जानी चाहिए और किसी सरकारी व्यापार निगम खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर खर्च होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार मूल ढांचे पर एक दबाव डाल सकेगी। पिछले समय की तुलना में लोगों को कम मुश्किलों का सामना करना होगा। मुझे कुछ आशा है कि मेरे मित्र कुछ गृह कार्य करेंगे और उनकी नीति के द्वारा वास्तविक उपभोक्ता और वास्तविक उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी।

[अनुवाद]

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : जिस विषय पर आज यह सभा चर्चा कर रही है, वह आम आदमी के लिए बहुत महत्व का विषय है, क्योंकि पिछले ग्यारह महीनों में आव-

ध्यक वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक बढ़ गए हैं जितने पिछले सालों में कभी नहीं बढ़े थे। दूसरे पक्ष के मेरे मित्रों ने जो कुछ कहा है, मैं उसे ध्यान से सुन रहा था। उनकी बातों से मुझे यही आभास मिला कि जब कभी किसी व्यक्ति की अकुशलता और निकम्मापन सामने आता है, वह दूसरे पर आरोप लगाने का प्रयास करने लगता है। दूसरे पक्ष के मेरे मित्र भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। वे श्री राजीव गांधी की इस प्रकार आलोचना कर रहे हैं, जैसे वह ही इन ग्यारह महीनों में मूल्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोगों को अनेक प्रकार के आश्वासन दिये थे और उनमें से एक आश्वासन यह था कि वह मुद्रा-स्फीति पर अंकुश रखेंगे और यह उनका प्रमुख कार्य था। उनका यही घोषणा-पत्र था। इन ग्यारह महीनों के दौरान क्या हुआ? श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने न केवल देश में राजनीतिक और सामाजिक अराजकता फैला दी थी, बल्कि वित्तीय मामले में भी देश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। यहां तक कि श्री राजीव गांधी की सरकार की अवधि के दौरान भी मुद्रा-स्फीति की दर लगभग 5 प्रतिशत थी। वर्ष 1989-90 में यह बढ़कर 7.5 प्रतिशत तक हो गई और इन ग्यारह महीनों में इसकी प्रतिशतता कभी एक अंक में नहीं रही और अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की दर 11 प्रतिशत से भी अधिक हो गई। इसके लिए कोई आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है कि मुद्रा-स्फीति की दर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के मामले में कहीं अधिक थी। एक गृहिणी ही आपको खाद्य सामग्री, सरसों के तेल, चीनी और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में बताएगी। कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इसके क्या करण है? जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था, तब हमने अपने दल की ओर से इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि बजट में ही मुद्रास्फीति पर दबाव निहित था। आपने पेट्रोलियम कच्चे तेल और अन्य उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर राजस्व प्राप्त करना पूर्ववर्ती सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत था। मूल्य वृद्धि उसमें निहित है। हमने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि आप जो भी उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं, वह आम आदमी को गुमराह करने के लिए हैं। आपने 10,000 रु० तक के किसानों के ऋण माफ कर दिए हैं। इसके किसको लाभ मिल रहा है? अनुभव से हमने यह देखा है कि जिन व्यक्तियों को यह लाभ मिला है, वे गरीब किसान नहीं, बल्कि बेईमान किसान हैं, इस कार्य के लिए 4000 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं। यदि इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए तब सरकार को कम से कम 7,000 करोड़ रु० चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिक प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी है। हमने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया था कि आपने आवश्यक वस्तुओं पर जो अप्रत्यक्ष कर लगाया है और रेल माल भाड़े में वृद्धि की है, उससे मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि होगी। मुझे अपने उन वामपंथी मित्रों पर तरस आ रहा है, जिन्होंने उस समय यह कहा था कि "यदि हम इस बजट का समर्थन नहीं करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम श्री राजीव गांधी को सत्ता में ला रहे हैं।' सरकार की आर्थिक नीति का मूल्यांकन करने का उनका यही आधार था। इन ग्यारह महीनों में सरकार ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक भी उपाय ऐसा नहीं किया, जिससे वे यह कह सकें कि उन्होंने आम आदमी को राहत पहुंचाई है। इसका परिणाम यह है कि मूल्य-वृद्धि में तेजी से इजाफा हो रहा है। जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, तब निःसंदेह उन्हें एक ऐसी वसीयत मिली थी, जिसे वे अब बिल्कुल बर्बादी के कगार पर ले आए। सरकार ने घाटे के बजट को अपना सहारा बना लिया है। श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने यह कहा था; "हम जितना संभव हो सकेगा घाटे को कम करने का प्रयास करेंगे।" अब

हमने क्या देखा ? हमने देखा है कि घाटा इतना अधिक बढ़ गया है कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेना पड़ा है और इस ऋण के परिणामस्वरुप धन की कुल आपूर्ति बहुत बढ़ गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। मूल्य वृद्धि अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। यदि सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए व्यवहारिक उपाय नही करेगी तो स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जाएगी।

महोदय, मुझे यह बताया गया है कि मुद्रा स्फीति पर केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ही अंकुश लगाया जा सकता है। हमें पश्चिम बंगाल में नियंत्रणों का और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुभव है जिससे आम आदमी को काफी परेशानी भुगतनी पड़ती है। इसलिए जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कारगर और प्रभावी नहीं बनाया जाता है और उसमें से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक इस व्यवस्था से आम आदमी को कुछ लाभ नहीं होने वाला है। यदि सरकार बजट में घाटे को कम करना चाहती है तो उसे समुचित सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को नियंत्रित करना होगा। श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने इस सभा के सामने यह घोषणा की थी कि वह सार्वजनिक व्यय को विनियमित और नियंत्रित करेंगे। दुर्भाग्यवश इन ग्यारह महीनों में सार्वजनिक व्यय को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। दूसरी ओर सरकार अन्धाधुन्ध व्यय कर रही है। जब आप बजट के घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं, तब धन आपूर्ति बढ़ जाती है। आप सस्ते उपाय अपनाकर और घाटा बढ़ा रहे हैं। इसके साथ-साथ पूर्व सरकार मंडल आयोग और बाबरी मस्जिद मुद्दे द्वारा पूरे देश में तनाव फैलाने के लिये भी उत्तरदायी है। देश के विभिन्न भागों में अव्यवस्था की स्थिति के परिणामस्वरुप, वस्तुओं की आपूर्ति पर कुप्रभाव पड़ा है। अत: आम आदमी की जरूरत की बस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो रही है। केवल यही बात नहीं है, बल्कि देश में व्यापारियों और मुनाफाखोरों को नियंत्रित करने की इस सरकार की अकुशलता के लिए मूल्य वृद्धि भी एक कारण है। जब भी सरकार मूल्यों का निर्धारण करती है तो साधारण तथा दुकानदार, मुनाफाखोर और व्यापारी सरकार द्वारा बढ़ाए गये मूल्यों के अनुपात में बहुत अधिक वृद्धि कर देते हैं। पिछली सरकार द्वारा विगत ग्यारह माहों में उन बेईमान दुकानदारों और मुनाफाखोरों जिन्होंने देश में बढ़ते हुए मूल्यों का लाभ उठाने का प्रयास किया, के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए ?

यदि ऐसा नहीं किया गया है तो पिछली सरकार के कार्यों को वर्तमान सरकार द्वारा विरासत के तौर पर स्वीकार करना चाहिये। दूसरी तरफ जो हमारे मित्र बैठे हैं यह उनके हित में नहीं है कि जब भी कुछ गड़बड़ी हो तो राजीव गांधी की सरकार को दोषी ठहरा दिया जाए—इन्हें उनसे चिढ़ है। मैं यह कह सकता हूं कि आज की स्थिति की तरह राजीव गांधी के शासन के दौरान मूल्य वृद्धि दर में थोड़ी भी वृद्धि नहीं हुई।

वर्तमान सरकार द्वारा कराधान संशोधन विधेयक के माध्यम से कर लगाने के लिये उठा गये कदमों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। मेरे विचार से सरचार्ज को बढ़ाकर तथा नियमित क्षेत्र के मूल्य ह्रास का प्रावधान समाप्त कर मूल्य वृद्धि नहीं रोकी जा सकती। दूसरी ओर वे अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहन देंगे।

सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि यदि खाद्य सामग्री का आयात नहीं किया जाता है तो उसके उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में सुधार लाया जाए।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के नाम पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है यह हमने पश्चिम बंगाल में देखा है। देश में जब हम कालाबाजारियों के विषय में बात करते हैं तो हम पश्चिम बंगाल में फैले भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं। यदि भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिये जो कदम उठाये जा रहे है वे प्रभावी नहीं होंगे। देश में वितरण प्रणाली की समुचित व्यवस्था के लिये व्यापारियों, मुनाफाखोरों और भ्रष्ट राजनीतिकों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने होंगे। अन्यथा यह कहना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है और आम लोगों को राहत मिली है ढकोसला है और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आगे मेरा यह सुझाव है और मैं वर्तमान वित्त मंत्री से यह सिफारिश करता हूं कि इन करों को लागू करने के बारे में वह फिर से विचार करें, यह फिर से देखें कि क्या वे वास्तव में देश में बढ़ते हुए मूल्य पर नियंत्रण पाने की दिशा में प्रभावी कदम होंगे। मूल्य वृद्धि कुछ खामियों को दर्शाती है। आम लोगों पर लगाया गया यह कराघात सब से घटिया पहलू है क्योंकि यदि कोई आज एक सौ रुपये कमाता है और उसमें से पांच रुपये बचाता है तो दो-तीन वर्षों के बाद उस बचत का मूल्य पूरी तरह नगण्य हो जाएगा। यदि उसने जीवन बीमा या भविष्य निधि के माध्यम से बचत की है तो उस बचत का मूल्य पूरी तरह नगण्य हो जाएगा। मुद्रास्फीति की दर इस तरह बढ़ाई गई है कि आम आदमी अपने पसीने की कमाई से की गई बचत से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है तो मेरे विचार में यह बहुत बड़ा अपराध है और यदि मुद्रास्फीति की दर एक सीमा से अधिक हो जाती है तो सरकार को जनता के समक्ष जवाबदेह होना होगा। मैं पुन वर्तमान वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कठोर एवं व्यवहारिक कदम उठाएं और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भ्रम में न पड़े। श्री वी० पी० सिंह की ग्यारह माह पुरानी सरकार ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था। इसलिये वित्त मंत्री को मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिये गंभीर प्रयास करने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु बोलें। श्री बसु मुझे दुख है कि मुझे यह बताना पड़ रहा है कि समय बहुत कम है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे यह पता है और मैं उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कई बातें कहनी हैं परन्तु समयाभाव के कारण मैं कुछ ही बातें कहना चाहता हूं। हमारे मित्र जो आज देश के वित्त मंत्री हैं हमारे सामने हैं। मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि कांग्रेस (इ) पार्टी के सदस्य विगत ग्यारह महीनों में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पर अक्षमता का आरोप लगाते रहे हैं। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सत्ता में आने से पूर्व देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या थी। मैं आशा करता हूं कि वे इस बारे में स्पष्ट बताएंगे।

महोदय आपकी अनुमति से मैं दिसम्बर, 1989 में देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। दिसम्बर 1989 में बजट घाटा 13,790 करोड़ रुपये

के लगभग था। कांग्रेस के सदस्यों को यह समझना चाहिये कि यह अवधि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की नहीं थी।

विदेशी ऋण 83,000 करोड़ रुपए का था जो कि बढ़कर 1,20,000 करोड़ रुपये का हो गया है। दिसम्बर, 1989 में ऋण भार का अनुपात कुछ 27 प्रतिशत के करीब था। अब उन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह 30 प्रतिशत से अधिक हो गया है। वर्ष 1989 में बाहरी और साथ ही साथ आंतरिक ऋणों के भुगतान के लिए 1,700 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ी थी। भुगतान संतुलन की स्थिति में 5,000 करोड़ रुपये तक गिरावट आ गयी जिसमें कि अब और भी गिरावट 3,000 करोड़ रुपये तक आ गयी है। दिसम्बर, 1989 में मुद्रास्फिति 8 प्रतिशत थी जो कि बढ़कर अब दो अंकों में चली गयी है। यह उनकी या राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की गलती नहीं है। दिसम्बर, 1989 में खाद्यान्न के बफर स्टाक 20 मिलियटन टन से कम होकर 1.1 मिलियटन टन हो गया और वर्तमान समय में इसमें और भी कमी आ गयी है। दिसम्बर, 1989 तक धन की आपूर्ति बढ़कर 17.63 प्रतिशत हो गयी थी। देश के जाने माने अर्थशास्त्री स्वर्गीय सुखमय चक्रवर्ती जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी थे के अनुसार, "यदि विकास दर पांच प्रतिशत हो और मुद्रास्फिति की दर चार प्रतिशत हो, तो धन की आपूर्ति निश्चित रूप से 14 प्रतिशत से कम रहनी चाहिए।

महोदय, धन की आपूर्ति में और भी वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1989 में राजस्व घाटे में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या यह सब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की अकार्य-कुशलता अथवा गलत नीतियों का परिणाम है ? ये सब बातें राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के पदस्थापित होने के पहले की है। लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष के सदस्यगण यह नहीं समझते हैं कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में उनकी सरकार द्वारा देश किन परिस्थितियों में पहुंच चुका था। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान माननीय वित्त मन्त्री जी इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे।

इस विषय के विस्तार में गये बिना, मैं उन मौलिक मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा जिससे कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि का मूल कारण बजट घाटा, मुद्रास्फिति, कर नीति और आयात-निर्यात नीति है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह स्मरण करा हूं कि मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने का अर्थ हमारे देश की सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना है। जब तक आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करते हैं, मूल्यों के नियंत्रण की चर्चा करना निरर्थक है। दुर्भाग्यवश, दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य हमारे देश की अर्थव्यवस्था के मौलिक सिद्धांत को नहीं समझते हैं। मुझे वर्तमान वित्त मंत्री जी की आलोचना करनी पड़ रही है। वे एक माह भी वहां नहीं रहे। इसलिए, उन्होंने जो बोझ विरासत में ग्रहण किया है, उसका भार उन्हें वहन करना है।

मैं समझता हूं सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मुझे भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री मधु दण्डवते से एक शिकायत है। जब यह बात उनसे कहीं गयी थी, तो उन्होंने सरकार की आर्थिक और राजस्व नीतियों को पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वे वित्त मन्त्रालय के प्रभारी थे। उन्होंने इस नीति को बदलने की आवश्यकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। यदि इस नीति में परिवर्तन लाया जाता, यदि राजस्व और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन

करने की कोशिश की जाती तो देश में यह विकट परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। गलती देश के भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने, भूतपूर्व सरकार ने की है। मुझ में इस बात की आलोचना करने की भी हिम्मत है।

लेकिन अब क्या हो रहा है ? क्या आप भूतपूर्व वित्त मन्त्री की असफलता से एक शिक्षा ग्रहण करेंगे ? आप इस बात से सहमत होंगे कि अब वह समय आ गया है जबकि सम्पूर्ण आर्थिक और राजस्व नीतियों में संशोधन किया जाना है। यदि आप वर्तमान नीति का अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करते हैं तथा नीति में परिवर्तन करने का रवैया नहीं अपनाते हैं, तो मुद्रा-स्फिति बढ़ेगी। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मूल्य वृद्धि को रोका नहीं जा सकता है। मैं किसी भी परिवर्तन का कोई संकेत नहीं देखता हूं। चालू वर्ष में सबसे अधिक संसाधन जुटाये गये है। मेरे पास अलग-अलग आंकड़े हैं। चालू वर्ष में करीब 9,344 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाये जायेंगे। यदि ऐसा भी है, फिर भी गतवर्ष नवम्बर या दिसम्बर में 11,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का घाटा हुआ है। श्री दण्डवते जी ने 1,790 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लगाया था। रेल यात्री भाड़े और माल भाड़े में संशोधन 847 करोड़ रुपये का था, डाक शुल्क में संशोधन 207 करोड़ रुपए, दूर संचार शुल्क में संशोधन 600 करोड़ रुपये का था। रसोई गैस को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया गया 25 प्रतिशत खाड़ी अधिभार 4.300 करोड़ रुपये, वर्ष 1991-92 के लिए सामूहिक आयकर पर लगाया गया 7 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार 400 करोड़ रुपए तथा दिनांक 15-12-90 की अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क 391 करोड़ रुपये, दो नये प्रत्यक्ष कर—आयकर अधिभार में 4 प्रतिशत तक वृद्धि और मूल्यह्रास भत्ते में 25 प्रतिशत की कटौती 810 करोड़ रुपए थी। कुल मिलाकर यह 9?44 करोड़ रुपया होता है। इतनी भारी मात्रा में संसाधन जुटाने के बाद भी आज घाटा 10000 करोड़ से भी अधिक है। यह वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण है। अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्व सम्बन्धी और आर्थिक नीतियों में संशोधन करने का समय आ गया है। यह एक दलगत मामला नहीं है। यह देश के हित में है कि राजस्व और आर्थिक नीतियों में संशोधन लाया जाना चाहिए और यदि हम ऐसा नहीं करते है तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अथवा वाणिज्य शर्तों पर ऋण लेना पड़ जायेगा। इससे देश का ऋण भार बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी हमारी उलझनों को समझेंगे और मैं आशा करता हूं कि वे उचित कदम उठायेंगे। अन्त में मैं यह सलाह देता हूं कि आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आर्थिक सहायताओं को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यदि मेरी जानकारी सही है, तो आर्थिक सहायता के रूप में करीब 15000 करोड़ रुपये व्यय किये गये है। अमीरों और गरीबों दोनों के लिए ही आर्थिक सहायतायें दी गई है। मैं चाहता हूं कि अमीरों को दी जाने वाली सहायता समाप्त कर दी जाए और गरीबों को दी जाने वाली सहायता यथावत बरकरार रहे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में मैं पूर्ण रूप से दोहरी मूल्य नीति की सराहना करूंगा। धनी तथा निर्धन व्यक्तियों को समान दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सामग्रियां नहीं दी जानी चाहिएं। वर्तमान समय में 5000 रुपये प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति राशन के लिए

उतना ही मूल्य चुकाता है, जितना कि हमारे देश का कृषक मजदूर। इसलिए मैं इस दोहरी मूल्य नीति की सराहना करूंगा और सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करते समय मूल्यों की दोहरी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : कलकत्ता की स्थिति के बारे में आप क्या कहने हैं ?

श्री चित्त बसु : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कलकत्ता का उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जो कहते हैं, वह प्रत्येक राज्य पर लागू होता है।

श्री चित्त बसु : महोदय, माननीय मन्त्री जी यह सुनने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल और केरल की एक शिकायत यह है कि खाद्य और नागरिक पूर्ति के प्रभारी माननीय मन्त्री महोदय इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पर्याप्त आबटन नहीं करते हैं। सिर्फ आबंटन में ही कमी नहीं है बल्कि, खाद्यान्न तथा अन्य वितरण प्रणाली की सामग्री भी वास्तव में कम मात्रा में उपलब्ध है। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला तथा सभी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति में कमी है। यह सब केन्द्र सरकार की अकार्यकुशलता तथा वामपंथी सरकारों के शासन वाले राज्यों के प्रति भेद-भावपूर्ण रवैया अपनाये जाने के कारण है। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के कारण सामान्य जन-जीवन और उसका तकलीफों के बारे में आज यदि विचार किया जाये तो वास्तव में हमारा दिल दहल जायेगा। हर चुनाव के समय महंगाई का जिक्र किया जाता है, हर पार्टी अपने मैनिफैस्टो में यह डालती है कि हम महंगाई को कम करेंगे। कांग्रेस के शासन काल में महंगाई अत्यधिक बढ़ जाने के कारण, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में, पिछले चुनावों के दौरान, इसे एक मुद्दा बनाया था आज जो पार्टी राज में है और इससे पहले जो पार्टी सत्ता में थी, उसने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में महंगाई को एक मुद्दा बनाया था कि हम देश में महंगाई को कम करेंगे लेकिन आश्चर्य यह है कि पिछले एक साल की अवधि में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, जितनी महंगाई बढ़ी है, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। हिन्दुस्तान के इतिहास में इस गति से कभी महंगाई नहीं बढ़ी, चाहे आप पुराने किसी भी समय के आंकड़ों को उठा कर देख लीजिये। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि पिछले एक साल में जिस गति से महंगाई बढ़ी है, खाद्य तेलों की कीमतें जितनी ज्यादा बढ़ी हैं, खाद्य तेलों की कीमतों में 52.87 प्रतिशत वृद्धि हुई है, यह कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। आज जो सरकार यहां सत्ता में है, यदि उसके समय में, पिछली 13 तारीख से आज 2 जनवरी, 199। तक के आंकड़ों को देखें तो इस अवधि में ही खाद्य तेलों की कीमतें 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ी है। जो टिन पहले 500 रुपये में मिल जाता था, आज उसके दाम बढ़कर 600

रुपये हो गये हैं। आखिर, इस वृद्धि के लिये किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होगी कोई न कोई तो इसके लिए जवाबदेह होगा। आखिर ऐसा कौन सा अकाल पड़ गया कि हर चीज की कीमतें इतनी बढ़ गयीं जब कि पिछले वर्ष वर्षा भी अच्छी हुई थी सारे देश में, किसी एक राज्य विशेष में नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश में वर्षा का जो औसत रहा, वह अन्य वर्षों में वर्षा के अनुपात से काफी अच्छा रहा। इसके पहले शायद कुछ अकाल रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी जो वृद्धि हो रही है, जो महंगाई की मार है, उसके कारण जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। हम भले ही अपने स्वार्थों के कारण जनता को गुमराह करें और इस मुद्दे को वोट प्राप्त करने का बहाना बना लें, लेकिन इसे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने जनता के साथ वादा-खिलाफी की है, उसके साथ घोर अन्याय किया है और धोखा दिया है। हम किसी प्रकार से इस आरोप से बच नहीं सकते हैं। पहले की सरकार ने और इस सरकार ने भी किया है पहले की सरकार में भी वित्त मन्त्री खड़े होकर बयान पढ़ देते थे कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे और शायद इस सरकार के वित्त मन्त्री भी ऐसा ही कह दें, लेकिन वास्तव में महंगायी कंट्रोल नहीं होती है और बढ़ जाती है। देश के प्रधान मन्त्री कहते हैं कि हम महंगाई को एक महीने के अन्दर खत्म कर देंगे, लेकिन महंगाई दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991 की जनवरी और 1990 की जनवरी के बीच में, यानी एक साल में अनाजों में 20.70 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है गुड़ और चीनी में 7.11 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। दालों में 15.34 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और मसालों में 21.6 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में जिस प्रकार से महंगायी बढ़ी है और जिस प्रकार से इसकी गति जा रही है, उसके आधार पर आज सामान्य व्यक्ति का गुजारा मुश्किल ही नहीं असंभव सा हो गया है। आज देश के 70 प्रतिशत लोगों की आमदनी 600-700 रुपया महीना है क्या वे आज इस सामान को लेकर अपने जीवन का गुजारा कर सकते हैं? क्या वे अपने परिवार को पाल सकते हैं? यह महंगायी तो मैंने खाने की चीजों की बतायी है। अन्य सामग्रियों में भी इसी प्रकार की महगायी हुयी है और इसी प्रकार बेहताशा भाव बढ़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या भारत में आज पत्थर की कमी पड़ गयी है जिसके कारण सीमेंट के भाव बढ़ गये हैं। क्या अन्य वर्षों में बढ़त की वजह से ऐसा हुआ है, यदि हां तो क्या आपने देखा कि उन वर्षों मे कितनी वृद्धि हुयी है? कितना बिजली का दाम बढ़ा, कितनी मजदूर की दिहाड़ी बढ़ी और कितना खर्च बढ़ा है और क्या उसी के अनुसार सीमेण्ट के दाम में वृद्धि हुयी है? क्या आपने यह सब देखा है? जब हम यहां आये थे पिछली साल तो उस समय सीमेण्ट के कट्टे का भाव 65/- था और वह 100/- में मिलता है। यह 35/- रुपया प्रति कट्टा बढ़ गया, इसका आधार क्या है, इसका कारण क्या है? इसको देखने की कभी क्या आपने कोशिश की?

आज किसान क्यों दुखी है, इसीलिये दुखी है क्यों कि जब उसकी फसल बाजार में आती है, तो दाम कम रहते हैं और जब फसल बिक जाती है, तो उसी चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं। जब किसान की सरसों मण्डी में आयी थी, तो उस समय सरसों के तेल का भाव 28, 29 रुपये प्रति

किलो था और जब किसान की फसल चली गयी, तो अब वही तेल 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इससे किसान को नहीं, पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार में बैठे मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में ऐसे कितने ब्लैक मार्कीटियर्स को पकड़ा और उनके खिलाफ केस चला और कितनों को जेल में भेजा ? आप ऐसा एक उदाहरण भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि जब सरकार अल्पमत में होती है, सरकार कमजोर होती है, तो व्यवसायी भी उसकी परवाह नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से काम करते हैं और मुनाफा कमाते हैं जिससे आम जनता का शोषण होता है। जब सरकार ढीली होती है, तब ऐसा ही होता है। सरकार के दबाने से वे नहीं दबते हैं। इसीलिए इस देश के लोग तड़फ रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है। चाहे वह पिछली सरकार थी और चाहे आज की सरकार है, दोनों सरकारें अल्पमत की ही हैं। एक चली गयी, दूसरी चली जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए किताब और कापियां तक नहीं हैं। महंगाई इतनी चढ़ गई है कि एक सामान्य आदमी अपने बच्चे को एक 64 पेज की कापी भी नहीं दिला पा रहा है। घर में हा-हाकार मचा हुआ है। एक कॉपी की कीमत दो रुपए है। आज सामान्य व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वह कॉपी भी अपने बच्चे को दिला दे। क्योंकि हम कॉपी और पेपर के दाम ठीक नहीं रख सके हैं ? आज गरीब व्यक्ति के काम में आने वाली वस्तु के दाम पर कोई लगाम नहीं है ? इस पर लगाम लगाने के लिए और कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसके ऊपर लगने वाला टैक्स तो आप खत्म कर सकते हैं। चाहे वह नमक हो, मिर्च हो, केरोसीन तेल हो। इन पर लगने वाला टैक्स तो सरकार समाप्त कर ही सकती है। पेट्रोल और डीजल की बात जाने भी दें, उस पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि 40 प्रतिशत लोग देश में ऐसे हैं जो पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं और 60 प्रतिशत लोगों को यह नसीब भी नहीं होता है। पेट्रोल और डीजल में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। जो पेट्रोल पहले 10 रुपये लीटर मिल रहा था वह आज 15 रुपये लीटर मिल रहा है। इसमें भी 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6.00 म० प०

इसके बाद भी वितरण की व्यवस्था की है वह वितरण की व्यवस्था नहीं है। गरीब को आज भी चार-चार महीनों तक शक्कर के दर्शन नहीं होते हैं। गांवों के चौराहे पर चले जाइए और हिसाब पूछिए, लोगों ने कभी शक्कर के दर्शन नहीं किए, केरोसीन के दर्शन नहीं किए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, पहले ही 6 बज चुके हैं और कुछ ही सदस्य हैं जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

हम श्री कटारिया को अपना भाषण पूरा करने की अनुमति देंगे और फिर सभा स्थगित होगी। आप इसे और 2 मिनट में पूरा कर लीजिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वास्तव में जो कुछ भी आज के हालात हैं, जिस प्रकार की महंगाई के कई फैक्टर्स हैं जिन्हें कई माननीय सदस्यों ने रखा है, चाहे बजट के घाटे हों, उनके विषय में मैं ज्यादा इस समय वर्णन नहीं करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आज की स्थिति है इस स्थिति में भी वास्तव में गरीब को यदि किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जो आवश्यक वस्तु दुकान पर या कंट्रोल की दुकान पर भेजते हैं वह पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उसका वितरण होता है कि नहीं होता है यह तो कम से कम सरकार देख सकती है, इसके बारे में तो सरकार निर्णय ले सकती है। आवश्यक सामग्री के बारे में निश्चित रूप से विचार करके उसके भावों को तय करना पड़ेगा। यह नहीं है कि हर दूसरे-तीसरे दिन सवेरे उठते ही अखबार देखें तो भाव आसमान को छू जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल पाइंट बताइए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं दो चीजें मुख्य रूप से चाहता हूं। एक तो सरकार खाने की सामग्री या व्यक्ति के काम में आने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स का जो भार है, चाहे स्टेट का हो चाहे सैंटर का हो, उसमें कटौती करे और उसको इससे मुक्त किया जाए। इसी प्रकार से गरीब व्यक्ति के पढ़ने और किताबों में भी सरकार छूट दे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सामग्री को बढ़ाए, केवल लिमिटेड शक्कर, गेहूं दे रखा है, तेल नाममात्र का दिखाते हैं लेकिन तेल गांवों में कहीं पर भी नहीं जाता है, तेल का कहीं पर भी वितरण नहीं होता है। इस सारी स्थिति में जो कुछ आप देख रहे हैं जैसे गुजरात जो सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता था उसने तो प्रतिबन्ध लगा दिया है कि उसके यहां से तेल बाहर नहीं जाएगा। यह हदबन्दी भी समाप्त करनी पड़ेगी। जिस स्टेट में तेल पैदा होता है वह अपनी हदबन्दी करके बैठ जाता है और उसके कारण बाकी स्टेटस को मुश्किल होती है। एक तरफ हदबन्दी करता है और दूसरी तरफ राजस्थान से मूंगफली खरीदकर ले जाता है। अगर वास्तव में गुजरात ने इस कारण से हदबन्दी की कि उसके यहां से तेल दूसरी जगह नहीं जाएगा तो फिर उसको यह भी अधिकार नहीं है कि दूसरे स्टेट से वह मूंगफली या सरसों खरीदकर लाए। सरसों के तेल में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर मैं इन आंकड़ों को आपके सामने रखूं तो सरसों के तेल में एक साल में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार के हालात में जबकि हमारी पैदावार बढ़ रही है, हमारे आंकड़े बताते हैं कि पैदावार बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार की असफलता के कारण ही इस पर ठीक प्रकार से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, केवल भाषण देकर बात कहने से समाप्त नहीं होगी, गांवों में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति आज सदन की तरफ आंख लगाए बैठा है कि हमारे प्रतिनिधि वहां पर जाकर महंगाई को रोकने में क्या हमारा सहयोग करेंगे, क्या यह सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिसके कारण हमें राहत महसूस होगी और हम सुखी महसूस करेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूं कि केवल दिखा देने से या बातें बताने से काम नहीं चलेगा, अगर आप वास्तव में महंगाई खत्म करना चाहते हैं तो सख्ती से बाजार में ब्लैक मार्केटियर्स पर छापा मारिए, उनकी सीमा को घटाइये, होर्डिंग की सीमा को घटाकर वह सात दिन में डिस्ट्रीब्यूट करें, इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही दूसरा सामान उनके पास जा सकता है, ऐसी शर्त लाएं तभी लोगों को किसी प्रकार की राहत पहुंचा सकेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 3 जनवरी, 1991/13 पौष, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020